खण्ड-405, अंक-6
सोमवार, 31 चैत्र, शक संवत् 1914
(20 अप्रैल, 1992 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 405 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
* उपस्थित सदस्य	क-ख
नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित किये जाने की सूचना	1
प्रश्नोत्तर	1–112
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	112–113
जनपद बस्ती के शिवाघांट पुल का निर्माण शीघ्र कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
जनपद देवरिया के सलेमपुर तहसील में आई० टी० आई० विद्यालय का भवन निर्मित न होने से उत्पन्न कठिनाई के संबंध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
फैजाबाद जिलान्तर्गत ग्राम सभा उतरेथू एवं ग्राम सभा मदारपुर में विद्युत आपूर्ति बाधित होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	114
बांदा नगर के मोहल्ला खाईपार स्थित देशी शराब के ठेके को हटाने के संबंध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना	114
जनपद गाजीपुर के देवकली पम्प नहर प्रथम के अन्तर्गत तरौटी राजबहा पर टेल तक पानी न पहुंचने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	114–115
जनपद अलीगढ़ के बरौली क्षेत्र की कई बड़ी ग्राम सभाओं को टाउन एरिया घोषित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	115
औचित्य के प्रश्न की सूचनाओं को कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की सूचनाओं में परिवर्तित करके सुने जाने का अनुरोध	116
प्रथम सत्र 1992 के चौथे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 46 का सुसंगत उत्तर न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	116–118
प्रथम सत्र 1992 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न 105 का अस्पष्ट उत्तर दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	118–119
उत्तर प्रदेश सज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992 (अधिनियमित होने की सूचना)	119
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) बिधेयक, 1992 (अधिनियमित होने की सूचना)	119–120
उत्तर प्रदेश की ग्यारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (1991-92) का प्रथम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	120

विषय				पृष्ठ-संख्या
पशुधन एवं दुग्ध विकास, उत्तर प्रदेश गोबध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 ..... (पुरःस्थापित किया गया)	....	....		120
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें–(जारी)	....	....		120
जनपद नैनीताल के काशीपुर में समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना देने तथा प्रशासन द्वारा उनका ज्ञापन न लेने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न				120–122
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	....	....		122–143
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग ..... (स्वीकृत)	....	....		143–201
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 22–खेल विभाग, अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या 92-सांस्कृतिक कार्य विभाग .....(जारी)	....	....		201–211
जनपद गाजीपुर के थाना मरदह की चौकी मटेहू में छात्र श्री प्रमोद कुमार सिंह की गोली मार कर हत्या किये जाने तथा जनपद गाजीपुर के थाना करीमुद्दीनपुर की पुलिस चौकी असावर (दुविहा) में श्रीमती जानकी देवी के साथ कथित बलात्कार विषयक नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत करने का अनुरोध (जारी)	....	....	....	211
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 22–खेल विभाग, अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या 92–सांस्कृतिक कार्य विभाग .....(स्वीकृत)	....	....		211_228
बढ़ती हुई मंहगाई इत्यादि से प्रदेश के बुनकरों में उत्पन्न भुखमरी विषयक नियम 52 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन	....	....		228
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	....	....		228
जनपद गाजा५र के थाना मरदह की चौकी मटेहू में छात्र श्री प्रमोद कुमार सिंह की हत्या विषयक नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य का स्थगन	....			229
जनपद गाजीपुर के थाना करीमुद्दीनपुर की पुलिस चौकी असावर (दुबिहा) में श्रीमती जानकी देवी के साथ कथित बलात्कार विषयक केवल वक्तव्य का स्थगन ..				229
जनपद मेरठ बरनावा क्षेत्र मे जल स्तर अत्यंत नीचे चले जाने के संबंध में चर्चा का स्थगन	....	....	....	229
नत्थियां	....	....	....	230–246

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 20 अप्रैल, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री गोण्डा
अतीक अहमद, श्री इलाहाबाद
अफजाल अंसारी, श्री गाजीपुर
अरविन्द कुमार, डा० ललितपुर
अरुण प्रताप सिंह, श्री सुल्तानपुर
अरजुन, श्री सुल्तानपुर
अवध पाल सिंह श्री एटा
अशोक कुमार, श्री लखनऊ
इजहार आलम खां, श्री फर्रुखाबाद
इस्लाम साबिर, श्री बरेली
उमाकान्त यादव, श्री जौनपुर
उम्मेद सिंह, श्री आगरा
ओम प्रकाश, श्री गोरखपुर
कुंवर पाल मास्टर, श्री सहारनपुर
कमल नयन वर्मा, श्री रायबरेली
कृष्ण कुमार उर्फ के० के० राज, श्री इटावा
कृष्णवीर सिंह, श्री बदायूं
गंगा भक्त सिंह, श्री हरदोई
गया चरन दिनकर, श्री बांदा
चन्द्र भान मौर्य, श्री आगरा
छक्की लाल, श्री इटावा
जगराम सिंह यादव, श्री कानपुर नगर
जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
ज्ञान चन्द्र, श्री उत्तरकाशी
ज्ञानवती सिंह, श्रीमती अलीगढ़
ज्ञानेन्द्र, श्री महराजगंज
तीरथ राज, श्री सोनभद्र
तेज नारायन त्रिवेदी, श्री लखीमपुर खीरी
दौलत राम, श्री सीतापुर
धनराज यादव, श्री सिद्धार्थनगर
धनीराम वर्मा, श्री इटावा
धर्मपाल यादव उर्फ डी० पी० यादव बुलन्दशहर
नरेन्द्र सिंह, श्री फर्रुखाबाद
नारायण दत्त तिवारी, श्री नैनीताल
पूरन प्रकाश, श्री, मथुरा
पूरन सिंह बुन्देला, श्री ललितपुर
प्यारे लाल संखवार, श्री कानपुर देहात
फतेह बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
बंशीधर राज, श्री लखीमपुर खीरी
बनवारी लाल दोहरे, श्री फर्रुखाबाद
बी० आर० वर्मा, श्री आजमगढ़
बलराम यादव, श्री आजमगढ़
बाबू खां, श्री हरदोई
बाबूराम यादव, श्री मैनपुरी
बाबूलाल गोयल, श्री आगरा
बी० के० गुप्ता, श्री पीलीभीत
बृजभान यादव, डा० इलाहाबाद
बृजराज त्रिपाठी, श्री बहराइच
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री फर्रुखाबाद
भागवत प्रसाद, श्री इलाहाबाद
भरत सिंह, श्री बलिया

ख

भागीरथी, श्री	इलाहाबाद	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
भानु प्रताप सिंह वर्मा, श्री	जालौन	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
मदन भैया, श्री	मेरठ	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर	वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी	शिवनाथ सिंह कुशवाहा, श्री	कानपुर देहात
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़	शिव बहादुर सक्सेना , श्री	रामपुर
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
राजीव कुमार, श्री	नैनीताल	श्याम बिहारी सिंह, श्री	बरेली
राजेन्द्र, श्री	बिजनौर	श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
राजेन्द्र सिंह, श्री	देहरादून	समीउल्ला, श्री	गोण्डा
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं	सुखदेव, श्री	आजमगढ़
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया	सुरेश चन्द्र तितौरिया	मुजफ्फरनगर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
राम प्रसाद, श्री	बुलन्दशहर	होराम, श्री	बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 20 अप्रैल, 1992

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 5 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

मैंने नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया है ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

अयोध्या (फैजाबाद) धार्मिक नगरी सहित प्रदेश के अन्य जिलों में शराब के कोटे में की गयी वृद्धि को निरस्त किये जाने की मांग

**1–श्रीमती ज्ञानवती सिंह (अनुपस्थित)–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या (फैजाबाद) आदि धार्मिक नगरों सहित प्रदेश के 37 अन्य जिलों में शराब के कोटे में वृद्धि की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बढ़ाये गये शराब के कोटे को निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी, परिवहन एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री (श्री सत्य प्रकाश विकल)–

प्रदेश के जनपदों की आबादी में वृद्धि/प्रति व्यक्ति मदिरा की खपत/अपहृत मदिरा की मात्रा व चालू वर्ष के विगत महीनों में हुई मदिरा की खपत आदि के आधार पर देशी शराब की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में पिछले वर्ष 1991-92 की अपेक्षा वर्ष 1992-93 हेतु पूरे प्रदेश के लिये देशी शराब की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में 10.08% की वृद्धि की गयी है । यह वृद्धि फैजाबाद जनपद (अयोध्या को छोड़कर) सहित प्रदेश के 51 जनपदों में उक्त के आधार पर स्वच्छ व मानक मदिरा की स्थानीय मांग की पूर्ति सुनिश्चित करने और राजस्व की सुरक्षा तथा राजस्व वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए की गयी है । अतः उक्त बढ़ाये गये शराब के कोटे को निरस्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

वित्त (वेतन आयोग) विभाग में वेतन विसंगति के लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित किये जाने की मांग

**2–श्री बाबू राम यादव, श्री नीरज चतुर्वेदी, श्री पवन कुमार पाण्डेय तथा श्री विजय सिंह राणा–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि वित्त (वेतन आयोग) विभाग में कई संवर्गों के वेतन विसंगति के प्रकरण लम्बे समय से निस्तारित न होने के कारण, इन संवर्गों के कर्मचारियों में रोष व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी लम्बित प्रकरणों पर तत्काल निर्णय लिये जाने हेतु कोई कार्यवाही करेंगे ? कब तक सभी प्रकरण निस्तारित हो जायेंगे ?

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

वेतन विसंगति के प्रकरण वित्त (वेतन आयोग) में लम्बित नहीं है । वेतन विसंगति के प्रकरणों पर विचार करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित है, जो विचार कर रही है । मुख्य सचिव समिति अनेक संवर्गों/पदों के संबंध में अपनी संस्तुतियां दे चुकी है । शेष मामलों पर समिति विचार कर रही है ।

मुख्य सचिव समिति से शीघ्रता करने की अपेक्षा की गयी है ।

मुख्य सचिव समिति से यथाशीघ्र संस्तुतियां देने का अनुरोध किया गया है । आशा है समिति शेष मामलों का निस्तारण यथाशीघ्र करेगी ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य सचिव की समिति ने किन-किन बिन्दुओं पर अपनी संस्तुति दी है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

समिति को 1132 प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे, उनमें से 553 के संबंध में संस्तुतियां प्राप्त हो चुकी हैं ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

विधान सभा में कार्यरत लेखाकार, अनुवादक, कोषाध्यक्ष ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों के संबंध में प्रश्न नहीं हो सकता । कोई दूसरा प्रश्न करें ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

यह जो 1640-2900 का वेतनमान दिये जाने की बात है ।

श्री अध्यक्ष–

किन कर्मचारियों के संबंध में पूछ रहे हैं ?

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

सब जगह दिया जा रहा है सिर्फ यहीं नहीं दिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

नियमों में प्राविधान है विधान सभा कर्मचारियों के बारे में नहीं पूछ सकते हैं ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

शासकीय कर्मचारियों के संबंध में भी विसंगतियां हैं, दो माह से लम्बित हैं, कितने दिनों में निस्तारण हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न की परिधि से बाहर है ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इस समिति की जो भी संस्तुतियां प्राप्त हो रही हैं हमारी रुचि है कि जल्द से जल्द अपनी सहमति शासन की ओर से जारी कर दें ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, आप कह रहे हैं कि विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों के संबंध में प्रश्न नहीं हो सकता, तो फिर विधान सभा से संबंधित मसले कैसे हल होंगे ? आप विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों से संबंधित बात कक्ष में कर सकते हैं, तो क्या माननीय वित्त मंत्री जी को अपने कक्ष में बुलाकर विसंगतियां दूर करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

हां, यह मैं कर लूंगा । अगर विसंगतियां हैं तो अपने कक्ष में मा० वित्त मंत्री जी को बुलाकर दूर करने का प्रयास करूंगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के तीर्थ स्थलों में नशाबन्दी लागू किये जाने की मांग

*1–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से जारी नशाबन्दी को समाप्त करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों सरकार सभी महत्वपूर्ण धार्मिक मेलों/मंदिरों और तीर्थों की एक नई सूची बनाकर वहां भी नशाबन्दी लागू किये जाने पर विचार कर रही है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल––

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य धार्मिक स्थानों में पहले से ही मद्य निषेध लागू है । अतः अन्य धार्मिक मेलों/मन्दिरों और तीर्थों में नशाबन्दी लागू करने की कोई योजना नहीं है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित––

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्रदेश के मुख्य धार्मिक स्थलों में पहले से ही मद्य निषेध लागू है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां पूर्ण मध्य निषेध लागू है और कितने ऐसे हैं जहां पर आंशिक रूप से लागू है ? क्या इसमें अयोध्या शरीक है, यदि हां, तो वहां पर कितनी दूरी तक मद्य निषेध लागू है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल––

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिज्ञासा प्रकट की है कि कितने धार्मिक नगरों में मद्य निषेध लागू है तो इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषीकेश, वृन्दावन, अयोध्या, चित्रकूटधाम, पीरानकलियर, मिश्रिख-नैमिषारण्य तथा देववन्द धार्मिक स्थलों मे पूर्ण मद्य निषेध लागू है । इसके अलावा पिथौरागढ़, अलमोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी व चमोली में केवल परमिट धारियों को विदेशी मदिरा की सुविधा सहित आंशिक मद्य निषेध लागू है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित––

मान्यवर, अयोध्या आपने बताया तो वहां पर कितनी दूरी तक शराब की बिक्री नहीं होती है ? मान्यवर, जब किसी स्थान पर मद्य निषेध लागू होता है तो उसकी परिधि तय होती है तो अयोध्या की परिधि बता दें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल---

मान्यवर, जिन क्षेत्रों में पूर्ण मद्य निषेध लागू है मैंने उनके नाम बताये हैं अयोध्या सहित तो जो इनका टाउन एरिया या नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत मद्य निषेध पूरी तौर पर लागू है ।

श्री लालजी वर्मा---

मान्यवर, चूंकि अयोध्या का नाम आया है । अयोध्या नगरपालिका और फैजाबाद नगरपालिका दोनों साथ ही हैं तो क्या फैजाबाद में भी मद्य निषेध लागू है अगर नहीं लागू है तो फैजाबाद और अयोध्या नगरपालिका की दूरी कितनी है ?

(उत्तर नहीं आया)

श्री पवन कुमार पाण्ड़ेय---

मान्यवर, अयोध्या में ही दर्शन नगर में 3 कि० मी० की दूरी पर अयोध्या से नई दुकान खुली है तो क्या उसको हटाने की कृपा करेंगे ?

(उत्तर नहीं आया)

श्री फरीद महफूज किदवई---

मान्यवर, इस प्रश्न में मैं देख रहा हूं कि नशाबन्दी की बात कही जा रही है तो यह किस किस्म की नशाबन्दी है जहां तक मैं समझता हूं कोई भी नशा हो किसी किस्म का नशा हो उसकी बन्दी हो रही है तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उधर की तरफ बैठे हुए लोगों को सत्ता का नशा है तो उस नशा की बन्दी की क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

(उत्तर नहीं आया)

श्री राम औतार शाक्य---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी उत्तर आया कि फला-फला नगरों में नशाबन्दी कर दी गयी है तो नशाबन्दी का तात्पर्य में यह समझ रहा हूं कि नशे की बिक्री बन्द कर दी गयी है लेकिन जो लोग शराब पीकर धार्मिक स्थलों के अन्दर जाते हैं यह एक महत्वपूर्ण बात है, जब शराब की बिक्री पर पाबन्दी लगा दी गयी है तो धार्मिक स्थलों पर शराब पीकर नहीं जाना चाहिए तो क्या ऐसे लोगों को, जो शराब पीकर धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो उनको जाने की मनाही करेंगे ? यदि करेंगे, तो उसके लिये क्या व्यवस्था है ?

(उत्तर नहीं आया)

श्री नवाब सिंह---

मान्यवर, मथुरा प्राचीनतम नगरी है उसको मुक्त पवित्र स्थल सरकार क्यों नहीं घोषित कर रही है ताकि वहां पर पूर्ण नशाबन्दी लागू हो सके ?

श्री अध्यक्ष---

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, आज से नहीं बहुत वर्षों से तीर्थ स्थलों में शराबबंदी लागू है, यह सरकार उसे कड़ाई से लागू कर रही है । यहां कुछ जिले ऐसे हैं जहां शराबबंदी लागू है, मैं इस बात का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं कि शराब खोली जाय । पिथौरागढ़ आदि कुछ ऐसे जिले हैं जहां शराबबंदी लागू है । लेकिन शराबबंदी की आड़ में जो जहरीली शराब और अन्य नशों का प्रचलन बढ़ रहा है, उसको देखते हुए वहां शराबबंदी खोली जाय । मान्यवर, शराबबंदी की आड़ में वहां जहरीली शराब टिंक्चर आदि बिकते हैं जिससे लोगों के शरीर पर कुप्रभाव पड़ रहा है । क्या वहां शराबबंदी खोलने पर विचार करेंगे, तीर्थ स्थलों को छोड़कर ?

श्री अध्यक्ष–

यह तीर्थ स्थलों से संबंधित नहीं है, मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, अयोध्या की धार्मिक पवित्रता को ध्यान में रखते हुए अयोध्या नगर सीमा से 5 कि० मी० बाहर तक नशाबंदी लागू करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, इस समय जो मद्य निषेध लागू है उसमें अयोध्या का जो क्षेत्र है नगरपालिका का, उसमें पूरे में मद्य निषेध लागू है जो क्षेत्र सीमा में आता है उसमें मद्य निषेध लागू है ।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा पूछना था कि नगर सीमा से 5 कि० मी० बाहर तक ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, इस बात को देख लिया जायेगा कि इस समय कितने कि० मी० तक है उसमें 5 कि० मी० तक कोई अन्तर नहीं आता होगा तो जरूर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, नगरों, महानगरों में जहां देशी शराब की भट्टियां चल रही हैं उससे नगरों का वातावरण खराब हो रहा है । कोई ऐसी योजना है कि इन भट्टियों को नगर सीमा से बाहर किया जाय, उन लाइसेंसियों को नगर सीमा से बाहर भट्टियां ले जाने के लिये कहा जाय ?

श्री अध्यक्ष–

यह तीर्थ स्थलों से संबंधित प्रश्न नहीं है ।

श्री विजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मथुरा नगर धार्मिक स्थल है क्या वहां पूर्ण शराबबंदी लागू करने पर विचार करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, जैसा मैंने अपने उत्तर में कहा इस समय फिलहाल अभी ऐसी योजना विचाराधीन नहीं है । फिर भी समय-समय पर विचार होता है जैसे यह विचार होगा तो माननीय सदस्य की भावना का भी ध्यान रखा जायेगा ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, देवरिया जनपद भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली है, भगवान महाबीर की निर्वाण स्थली है। वहां कुशीनगर-पावा, यहां विदेशी पर्यटक आते हैं, क्या इस क्षेत्र में शराबबंदी लागू करने पर विचार करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैंने उत्तर में इस बात का उल्लेख किया है कि जिन स्थानों पर अभी नशाबंदी लागू है उनके अलावा जो प्रश्न किये थे मैंने उसके उत्तर में कहा है कि फिलहाल अन्य स्थानों पर शराबबंदी लागू करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

ठाकुर वीरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, देवबंद जो सहारनपुर में है क्या इस कस्बे को भी नशाबंदी के अन्तर्गत लाने की कृपा करेंगे ? अगर यह वहां है तो इसमें जो इस वक्त खुलेआम शराब और दूसरे नशों का धन्धा चलता है तो क्या उनको रोकने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

माननीय सदस्य कृपया अपना प्रश्न दोहरा दें, आवाज साफ नहीं आयी।

ठाकुर वीरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जो देवबंद कस्बा है सहारनपुर में वह धार्मिक स्थान है वहां नशाबंदी लागू करने की कृपा करेंगे ? अगर वहां लागू है तो वहां अन्य तरीके से जो नशे की चीजें बिक रही हैं उनको रोकने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में पहले ही बता दिया है कि जिन धार्मिक स्थलों में मद्य निषेध लागू है उसमें देवबन्द भी शामिल है। हम लोगों ने यह व्यवस्था कर रखी है कि जहां पर मद्य निषेध लागू है और यदि वहां पर विशेष रूप से शराब बनती है तो उसे रोकने के लिए विभाग की ओर से बराबर प्रयास किये जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में कड़ाई से कार्यवाही की जा रही है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इस पक्ष के और उस पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों ने प्रश्नों के माध्यम से यह मांग की है कि अनेक तीर्थ स्थल जो मद्य निषेध की परिधि में आते हैं, वहां पर मद्य निषेध पूर्ण रूप से लागू हो। और जो स्थल छूट गये हैं, वहां पर भी विचार किय जाये। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मद्य निषेध की अपनी नीति को और व्यापक करते हुए, जिन स्थान या स्थल और अन्य जो सरकारी दृष्टि से धार्मिक स्थल हैं, वहां पर मद्य निषेध लागू करने में कोई नीति या योजना तैयार करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, इस विषय पर विभाग की ओर से बराबर विचार किया जा रहा है। मद्य निषेध के बारे में यह विचार भी आता है कि जहां आंशिक और पूर्ण रूप से मद्य निषेध लागू है क्या वहां पर पूर्ण रूप से लागू करने की कोशिश करते हैं। इस समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उसका

कड़ाई से पालन भी किया जा रहा है । मैंने पहले भी अपने उत्तर में यह कहा कि कोई योजना विचाराधीन नहीं हैं । समय-समय पर हम इस पर विचार करते हैं और जब हम इस पर विचार करेंगे तो इस विषय को भी देख लेंगे ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, यह तो दो बात कर रहे हैं एक बार तो यह कहते हैं कि हम विचार नहीं कर रहे हैं और दूसरी बार यह कह रहे हैं कि समय-समय पर विचार होता है ।

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में जो मद्य राजस्व से लाभ होता है बिना इस मद्य राजस्व के लाभ से क्या इस प्रदेश की योजनाएं पूरी हो सकती हैं या नहीं और यदि हो सकती हैं तो क्यों न गुजरात राज्य की तरह यहां पर भी मद्य निषेध राज्य घोषित कर दिया जाये ?

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से हट कर है । इसमें तमाम पहलुओं को देखना होगा ।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने यह कहा कि आप मद्य निषेध में प्रभावी कार्यवाही करने जा रहे हैं पर व्यवहारिक रूप में देखा जाये तो जो पुलिस इससे सम्बन्धित गलत काम करने वालों को पकड़ती है और फिर कोर्ट में ले जाती है वहां पर 25 प्रतिशत जुर्माना देकर वह कन्फेस कर लेता है और छूट जाता है और वापस आकर फिर उसी काम को करने लगता है यह हमारे यहां वर्षों से चला आ रहा है तो इस तरह से जो हमारे कानून में जो दण्ड व्यवस्था है उसमें चूक है और लोग उस काम को करते आ रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, मेरा सुझाव है कि जिस दिन आबकारी अनुदान की मांगें प्रस्तुत होंगी, उस दिन आप यह बात कहें, क्योंकि यह मूल प्रश्न से बहुत अलग है ।

मैनपुरी शहर के कारखानों से निकले गन्दे पानी के ईशन नदी में गिरने से मछलियों के मरने के कारण प्रदूषण को दूर किये जाने तथा रोकने की मांग

*2–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए जून, 1991 के बाद अब तक क्या प्रयास किए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैनपुरी जनपद में शहर के तमाम कारखानों से निकलने वाले गन्दे पानी का नाला ईशन नदी में गिरता है जिससे नदी का जल प्रदूषित होता है ? क्या इस प्रदूषित जल से प्रत्येक वर्ष सैकड़ों जानवर तथा लाखों रुपयों की मछलियां मर जाया करती हैं ? यदि हां, तो प्रदूषण कब तक दूर हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

निर्धारित नीति के अनुसार जिन उद्योगों ने समुचित रूप में उत्प्रवाह शुद्धिकरण की समुचित व्यवस्था नहीं की है उनकी जल/वायु सहमति अस्वीकृत करते हुए उन्हें शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना के उपरान्त निर्धारित मानकों को प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद के कतिपय कारखानों से निकलने वाले गन्दे पानी का नाला ईशन नदी में गिरने से जल प्रदूषित होने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता परन्तु इसी क्रम में जानवरों एवं मछलियों के मरने की कोई सूचना नहीं है ।

उद्योगों को बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों की प्राप्ति हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्रों को शीघ्र स्थापित करने हेतु निर्देश दिए गए है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि मैनपुरी जनपद में ईशन नदी में कारखानों से निकला गंदा जल गिरने से प्रदूषण की आशंका को नकारा नहीं जा सकता । प्रश्न के दूसरे भाग में मंत्री जी ने बताया कि प्रदूषण से जानवरों और मछलियों के मरने की उन्हें कोई सूचना नहीं है । मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि वहां पर प्रदूषण से मछलियां मर जाती हैं क्योंकि जब हम लोग वहां से निकलते हैं, खासतौर से फरवरी के बाद जब गर्मी पड़ने लगती है, तो पानी की कमी के कारण जानवर भी उस पानी को पीते हैं तथा वहां मछलियां मरी दिखाई देती हैं तथा बड़ी बदबू आती है, इससे भी प्रदूषण होता है । दूसरी बात जानना चाहता हूं कि जो कारखानों से गन्दा पानी निकलता है, वह कौन-कौन से हैं और मेरी बात में वजन है अथवा नहीं, इसको जानने के लिये क्या कोई सर्वेक्षण करायेंगे तथा जिन कारखानों में शुद्धिकरण यंत्र नहीं लगे हैं, उनमें यह व्यवस्था कब तक करवा देंगे, यह बता दें ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, प्रश्न के दूसरे भाग का मैं पहले उत्तर दे रहा हूं मैनपुरी में दो ऐसे उद्योग हैं, जिनसे प्रदूषण की शिकायतें प्राप्त हुयी हैं । पहला तो मेसर्स महावीर स्ट्राबोर्ड प्राइवेट मिल्स और दूसरा मेसर्स उत्तर भारत पेपर्स प्राइवेट मिल्स । जहां तक मछलियों के मर जाने की बात माननीय सदस्य ने कही है, इस संबंध में बताना चाहूंगा कि जो बी० ओ० डी० और सी० ओ० डी० के मानक हैं, उसके अनुसार फरवरी में जो रिपोर्ट प्राप्त हुयी है, उसके अनुसार मछलियों के मरने की बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने यह सूचना दी है कि वहां गन्दा पानी पीने से जानवर और मछलियां मर जाती हैं । इस सूचना के आधार पर क्या आप कोई सर्वेक्षण करायेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननीय, मेरे पास मत्स्य विभाग की रिपोर्ट है । जिस समय माननीय सदस्य का प्रश्न लगा, उसी समय इस संदर्भ में संबंधित विभाग पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग आदि से जानकारी मंगाई गयी थी, उसका परीक्षण कराया गया, इसी आधार पर मैं यहां उत्तर दे रहा हूं ।

श्री राम ललित चौधरी–

माननीय, कहीं पानी का प्रदूषण है और कहीं वायु का प्रदूषण है । लखनऊ शहर में इसी विधान सभा मार्ग पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलने वाले टेम्पोज से बड़ा भारी प्रदूषण है । एक-एक टेम्पो काफी धुवां छोड़ता है, क्या इसकी रोकथाम पर मंत्री जी कोई विचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

यह सूचनात्मक प्रश्न है, जब पर्यावरण विभाग पर अनुदान मांगें प्रस्तुत होंगी, उसमें अपनी बात कह लीजियेगा ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय, प्रदेश में तमाम ऐसी नदियां हैं जिनके प्रदूषित जल से मछलियां म जाती हैं । क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि ऐसी कितनी नदियां प्रदेश में हैं, जिनके प्रदूषित जल से मछलियां मर जा रही हैं और फलस्वरूप वहां के मछुवारों के सामने बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई है ? मछलियां न मरने पायें और जल प्रदूषित न होने पाये, क्या इसके लिए माननीय मंत्री जी कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री सूर्य प्रताप सिंह–

माननीय, माननीय सदस्य इसके लिए अलग से प्रश्न कर लेते तो हमारे लिये आसानी हो जाती ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय, माननीय मंत्री जी मेरे जनपद में नदी का पूरा का पूरा पानी प्रदूषित है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननीय, पहले मैं बता दूं कि किसी को बचाये जाने का प्रश्न ही नहीं है । जहां तक देवरिया जनपद का उल्लेख किया गया है, वहां पर आयुक्त स्तर पर समिति का गठन कर दिया गया है । कप्तानगंज डिस्टेलिरी व संजय पेपर मिल्स से नदी में प्रदूषण हो रहा है, इसके लिए समिति का गठन कर दिया गया है, जैसे ही जांच आख्या आ जायेगी और अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री हरिवंश सहाय–

माननीय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि आयुक्त को इसकी जांच करने के लिए कहा गया है । क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि हम लोगों के यह छोटी गण्डक नदी व खनुआ नदी में कप्तानगंज मिल व भटनी मिल से गंदा पानी छोड़ा जाता है, जिससे हर साल करोड़ों रुपए की मछली व जानवर मर जाते हैं ? यदि मंत्री जी को इसकी जानकारी है, तो क्या वह इस संबंध में कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, कप्तानगंज डिस्टेलरी की 50 हजार रुपए की जमानत को फोरफिट किया गया है इन्होंने पहला ट्रीटमेंट प्लान्ट लगा दिया है और सेकेण्ड ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाने हेतु दिसम्बर में केन्द्र सरकार ने उन्हें सहमति दे दी है।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में भट्टे की मिलों से वायु प्रदूषण हो रहा है। क्या इसे रोकने के लिए माननीय मंत्री जी कोई प्रभावी कार्यवाही करेंगे ? दूसरा, मेरे मुजफ्फरनगर में हिन्डन व कृष्णा नदी में सहारनपुर पेपर मिल्स की वजह से जल प्रदूषित हो रहा है। क्या इस संबंध में माननीय मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी यह एक सूचनात्मक अनुपूरक प्रश्न है। इसे आप देख लें।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर इस पर कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय मंत्री जी से कह दिया है कि वह इसे देख लें। क्योंकि यह एक सूचनात्मक अनुपूरक प्रश्न है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह तो कहा है कि जल प्रदूषण होने की आशंका है। परन्तु मछलियों के मरने की सूचना से इन्कार किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पानी में कितनी मात्रा प्रदूषण की होनी चाहिये, जिससे मछलियां मर जाती हैं ? दूसरा, यह कि श्री राम औतार शाक्य जी ने कहा था कि मेरी सूचना को सही मानकर क्या वही इसकी जांच करायेंगे ? जबकि यह प्रथा रही है कि माननीय सदस्य की जानकारी को सही मानकर जांच कराई जाती रही है। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जल में एक निश्चित मात्रा में कितना विजातीय द्रव्य होना चाहिये, जिससे मछलियां मर जाती हैं ? यदि यह मात्रा कम थी तो हो सकता है कि वहां की मछलियां दूसरी तरह की होती होंगी जो कम मात्रा में ही मर जाती हैं। क्या श्री शाक्य जी की सूचना को सही मानकर वह इसकी नये सिरे से जांच करायेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, डायल्यूटेड आक्सीजन की मात्रा अगर शून्य हो जाय तो मछलियों के मर जाने की स्थिति होती है। जो सैम्पल लिया गया उसमें 2.4 डायल्यूटेड आक्सीजन की सूचना मिली है इस वजह से मछलियों के मर जाने की सम्भावना नहीं है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इसकी जांच करने में हर्ज क्या है ? हम कोई कमेटी की मांग नहीं कर रहे हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

15 फरवरी को जांच कराई है (व्यवधान) आप कह रहे हैं तो एक बार फिर जांच करा लेंगे ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जांच करा लेंगे । दूसरी बात यह है जिन कारखानों से पानी आता है उनसे प्रदूषण नकारा नहीं जाता है और यह प्रदूषण मछलियों और मानव जीवन के लिये खतरनाक है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे दो कारखाने जिनका पानी बह रहा है उसे बंद करायेंगे जिससे प्रदूषण न हो ? वहां प्रदूषण न हो उसके लिये वे कारखाने कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

संबंधित कारखानों को कारण बताओ नोटिस दी गयी है कि क्यों न आपकी जल सहमति समाप्त कर दी जाय । उनको निर्देशित किया गया है कि शुद्धीकरण संयंत्र की व्यवस्था करें ।

प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में शासन की नीतियां एवं रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

*3–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां किये जाने के संबंध में शासन की क्या नीति है ? इन स्थानों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डा० अमर सिंह)–

अशासकीय मान्यता एवं सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (अल्पसंख्यकों को छोड़कर) में शिक्षकों के रिक्त पदों के भरने के संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग एवं चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 विधान मंडल के विचाराधीन है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो अशासकीय माध्यमिक विद्यालय है उनमें रिक्तियों के भरे जाने के लिये विधेयक विचाराधीन है । उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड संशोधन विधेयक में कुछ श्रेणियां ऐसी भी हैं जो प्रस्तावित विधेयक के अन्तर्गत उनके लिये प्राविधान नहीं है, जो इससे आच्छादित नहीं होते हैं । जैसे हमारे अशासकीय विद्यालयों में पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग द्वारा रिक्त स्थानों पर चयनित अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया और निर्धारित अवधि के बाद उन संस्थाओं में प्रबन्ध तंत्र ने कार्य हित में शिक्षकों की नियुक्तियां कर लीं । वह नियुक्तियां एक दो साल की नहीं है 10-10 सालों से अनवरत वह शिक्षण कार्य कर रहे हैं । तो जो इसमें प्राविधान किया है उसमें इस श्रेणी के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । तो एक तरफ तो वह 10 साल से पढ़ा रहे हैं । मानवीय आधार पर 10 साल वाले अधिकांश ऐसे हैं जो ओवर एज हो गये हैं और दूसरे विभागों में सेवा पाने के अधिकारी नहीं हैं । तो शिक्षण हित में, मानवीय आधार पर इस प्रकार के अध्यापकों की सेवायें नियमित श्रेणी में परिवर्तित करने पर विचार करेंगे ?

श्री अमरनाथ यादव–

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के अंतर्गत जो चयनित अध्यापक या प्रधानाचार्य हैं एक वर्ष के अन्दर उनको अपने कार्य पर योगदान देना चाहिये अगर नहीं देते हैं तो वह चयन समाप्त माना जायेगा । यदि कोई ऐसे व्यक्ति है जैसा माननीय सदस्य ने कहा है सामने मामला आयेगा तो विचार कर लेंगे ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

माननीय मंत्री जी ने कहा उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं । तो क्या वह व्यवस्था लागू कर दी गयी है कि एक वर्ष की अवधि के अंदर चयनित व्यक्ति ने योगदान नहीं दिया तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी और उन स्थानों को रिक्त कर दिया जायेगा लेकिन जो विधेयक है उसमें यह बात नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वह इस व्यवस्था को लागू कर दें कि एक वर्ष यदि निर्धारित अवधि में योगदान नहीं किया तो उनकी सेवाएं निरस्त कर दी जाएंगी, उनकी चयन प्रक्रिया निरस्त क़र दी जाएगी । यही मैं चाहता हूं तो क्या इस व्यवस्था को मंत्री जी लागू कर रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय सदस्य की जिज्ञासा यह थी कि एक वर्ष तक जिन्होंने योगदान नहीं दिया वह स्वयं से वहां नहीं गए, तो इनकी नियुक्ति निरस्त होगी । तो यह तो पोस्ट अपने आप खाली होगी । उस समय यह भी व्यवस्था नहीं थी । पहले प्रबन्धतन्त्र को भी नियुक्ति का अधिकार था, उसकी अपनी एक प्रक्रिया धी और उसी प्रक्रिया का पालन करके नियुक्तियां की गई होंगी तो वह तदर्थ नियुक्ति मानी जाएगी और उनको निरस्त करने की व्यवस्था कर दी है । तो प्रक्रिया का पालन करके नियुक्ति हुई होगी तो विचार किया जाएगा अन्यथा नहीं ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

प्रक्रिया का पालन तो यहां स्वतः ही होगा । आयोग को अधियाचन गया, विज्ञप्ति की गयी और उसके बाद निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर नियुक्तियां कर दी गईं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह नियुक्तियां मानी जाएंगी या उन्हें निरस्त माना जाएगा, उनके स्थानों को रिक्त मानेंगे या और कुछ मानेंगे। इस बारे में शंका व्यक्त करते हुए मैंने विधेयक आने के समय ही कहा था, लेकिन उस समय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि इसे देख लेंगे, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया था । इसके लिए मैं राज्य शिक्षा मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने इसे मान लिया कि उन्हें रिक्त माना जाएगा लेकिन इसकी उसमें व्यवस्था ही नहीं है, तो क्या इसके लिए वह विधेयक में कोई संशोधन करेंगे ?

श्री अमरनाथ यादव–

इस सम्बन्धित विधेयक पर संशोधन विचाराधीन है विधान परिषद् में और उसके पास होने के बाद जैसे उसमें दिया गया है तद्नुसार कार्यवाही होगी ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

उनकी इस घोषणा में और विधेयक में विरोधाभास है, उसके लिए शासन क्या तरीका अपनाएगा ?

श्री स्वामी नाथ यादव–

इसमें अध्याय दो, विनियमय–4 के अन्तर्गत जिन अध्यापकों की नियुक्तियां प्रदेश में हो चुकी हैं, जिनका विद्यालय निरीक्षक से अनुमोदन भी प्राप्त हो चुका है, तो ऐसे अध्यापकों को आप स्थायी मान रहे हैं या उन्हें सेवा से निरस्त कर रहे हैं ?

श्री अमर नाथ यादव–

जो नियुक्ति धारा 18 फलित में और जो नियुक्ति सी० टी० सी० ग्रेड में जो अब मृत घोषित हो चुकी हैं, उसके स्थान पर नियुक्ति हुई है, वह सब विनियमित मानी जाएंगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

देखिये, इस तरह नहीं, मूल प्रश्न में केवल मानक की बात है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

तो क्या ऐसे अध्यापकों को सेवा में ले लिया जाएगा या हटा दिया जाएगा ?

श्री अमर नाथ यादव–

यदि नियुक्ति विधिवत् हुई है, नियमित हुई है तो उनको रखा जाएगा अन्यथा नहीं ।

श्री हरेन्द्र सिह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश के अंदर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की जो नियुक्तियां जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुमोदन से हुई हैं और जिन्हें तीन साल या उससे अधिक अनवरत कार्य करते हुए हो गया है क्या उनकी नियुक्ति को वैध माना जाएगा ?

श्री अमर नाथ यादव–

मान्यवर, जो शिक्षक तीन सालों से अधिक समय से पढ़ा रहे हैं, यदि उनकी विधिवत् नियुक्ति हुई है तो निश्चित रूप से वह नियुक्ति वैध मानी जाएगी और उनकी नियुक्ति नियमित की जाएगी ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है क्या उसके अनुसार प्रस्तावित विधेयक की धारा 3 की उपधारा 6 को मंत्री जी डिलीट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

हम लोगों ने वकील के नाते सीखा है कि कहां रुक जाना चाहिए । आपका उत्तर आ गया है, इसलिए आप रुक जाएं ।

(उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया)

श्री किशोरी लाल यादव–

मान्यवर, अभी तक जो नियुक्तियां हुई हैं, एडहाक नियुक्तियां हुई हैं जहां रिक्त स्थान थे, तो क्या नये रिक्त स्थानों को भरने के लिये मंत्री जी ने कोई आदेश दिये हैं और उनका किस तरह से एप्रूवल होगा ?

श्री अमर नाथ यादव–

मान्यवर, अभी जो संशोधन विधेयक विचाराधीन है वह पास हो जायेगा तो उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी । और जो अनुमोदन प्राप्त है, 14 मई, 1991 तक उसी को माना जाएगा ।

[सोमवार, दिनांक 20 अप्रैल, 1992 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

राज्य स्तर पर जिला योजनाओं द्वारा प्रस्तावित परिव्यय आदि में अपरिहार्य परिवर्तन किये जाने की व्यवस्था

*1–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला योजनाओं में प्रस्तावित कार्य व निर्धारित परिव्यय को जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति तथा मण्डलीय नियोजन समिति के अनुमोदन के उपरान्त शासन स्तर पर व्यापक रूप से परिवर्तित कर दिये जाने से जनपदों में विकास की सम्भावनाओं के अनुकूल स्थानीय संसाधनों एवं क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग जिले के लिये निर्धारित धनराशि से करने के अवसर समाप्त हो जाते हैं तथा जिला योजनाओं की विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली उद्देश्यहीन हो जाती है ? क्या शासन स्तर पर कम से कम या विशेष आवश्यक ही परिवर्तन कर, जिला योजना एवं अनुश्रवण समितियों के प्रस्तावों को मूल रूप में स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)–

राज्य स्तर पर जनपदों से प्राप्त जिला योजनाओं में अपरिहार्य परिवर्तन किये जाने की व्यवस्था है। वर्ष 1991-92 की जिला योजनाओं में जिलों की सहमति से ही परिवर्तन किये गए ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, प्रदेश में नियोजन प्रणाली लागू की गयी और विकेन्द्रीकरण नियोजन प्रणाली लागू करने का सरकार का उद्देश्य था जिससे स्थानीय विकास की सम्भावनाओं के अनुकूल स्थानीय संसाधनों एवं क्षमताओं का अधिक से अधिक उपयोग करके ऐसी योजनायें लागू की जाएं जिनका तुरन्त क्रियान्वयन किया जाए और जिसका सीधा लाभ जनता को पहुंचे । इसके अन्तर्गत यह भी प्राविधान था कि राज्य के परिव्यय में से 30 प्रतिशत जिला प्लान के अंतर्गत और 70 प्रतिशत स्टेट प्लान के अन्तर्गत निर्धारित किया गया । लेकिन जिले में प्लान बनते हैं और यहां प्रदेश स्तर पर नियोजन विभाग में परिवर्तन कर दिया जाता है और दूसरी योजनाओं में पैसा बांट दिया जाता है । मान्यवर, बहुत सी योजनायें ऐसी हैं जैसे प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विकलांग पेंशन, अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति, सामाजिक वानिकी या सोशल वैलफेयर की योजनाएं हैं, इन सोशल वैलफेयर की योजनाओं में केन्द्रीय सहायता भी मिलती है । मान्यवर, इनका निरूपण और निर्धारण प्रदेश स्तर पर किया जाय तो अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष–

अनुपूरक प्रश्न पूछिये । आप तो सुझाव दे रहे हैं ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

प्रदेश स्तर पर इन योजनाओं को ग्रान्ट मिलती है, केन्द्र सरकार की तरफ से भी सहायता मिलती है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन योजनाओं को जिला प्लान से हटाकर स्टेट सेक्टर में लेगी ?

श्रीमती शारदा चौहान–

मान्यवर, मैं सदन को जानकारी देना चाहती हूं कि शासन स्तर पर जो भी परिवर्तन अपरिहार्य थे, उनको इंगित करते हुए जिलों की सहमति लेकर ही योजनाओं में परिवर्तन किये गये । शासन स्तर पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है अतः किसी भी योजना के उद्देश्यहीन होने की बात नहीं आती ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीया मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिला स्तर से जो स्वीकृत प्लान आता है नियोजन विभाग में उसमें परिवर्तन करने का क्या मापदण्ड है. क्या नीति है ?

श्रीमती शारदा चौहान–

शासन स्तर पर तो कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है जो भी परिवर्तन हुआ है वह जिला स्तर पर जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति प्राथमिकता के आधार पर तय करती है उसी को मानकर हम योजनाओं की स्वीकृति करते हैं ?

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, अब स्थिति बिल्कुल साफ है जिला अनुश्रवण समिति के प्रस्ताव यथास्थ में पहुंचते नहीं हैं और आप का कहना है कि हम परिवर्तन करते ही नहीं हैं । मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि इन योजनाओं में जो भी फेर-बदल की गयी है या शासन स्तर पर नियोजन कार्यालय ने बदला है, उसके सम्बन्ध में आप क्या करेंगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्री राणा जी ने प्रश्न के माध्यम से बहुत उत्तम सुझाव दिया है । मैं जानकारी देना चाहूंगा कि यह जो 1991-92 का वर्ष है, मैं उसके पहले की बात नहीं करता कि क्या होता था क्या नहीं ? 91-92 की योजनाओं में परिवर्तन मार्ग दर्शन सिद्धान्त जिलों को देते समय यह कहा था कि अगर कोई आवश्यक परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी तो किया जायेगा ?

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सबको अवसर दूंगा ।

श्री अखिलेश–

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जैसा अभी माननीय मंत्री जी का यह उत्तर आया कि वर्ष 91-92 की योजनाओं में जिले की सहमति से परिवर्तन किये गये हैं । जिला योजनाओं की अनुश्रवण समिति की जो बैठकें हुई माननीय प्रभारी मंत्री जी उसमें भाग लेते रहे हैं । मान्यवर, मैं इस सदन को

अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी निश्चित जानकारी में महाराजगंज में योजनाओं में कोई भी परिवर्तन जिला अनुश्रवण समिति ने नहीं किया है और अगर किया है तो मंत्री जी कृपया बताने का कष्ट करें कि किन-किन विधायकों और सांसदों की उपस्थिति में इस प्रकार से परिवर्तन किया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

इसकी सूचना देना तो मंत्री जी को अभी मुश्किल होगा । एक-एक क्षेत्र की सूचना तो नहीं है ।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह है कि जो नव सृजित जनपद हैं उनके लिये सड़कें, जिला मुख्यालय से सुदूरवर्ती क्षेत्रों को जोड़ने के लिये जिला योजना में प्लान होता है । स्टेट सैक्टर से उन विकास कार्यों के लिये पैसा मिलता है । उसे पूरा करवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी दूसरे भाग का उत्तर दे दें । पहले का तो यह है कि किसी एक विशेष जनपद की सूचना कहां से लायेंगे अभी ?

श्री अखिलेश–

मान्यवर, मैं निश्चित जानकारी दे रहा हूं कि महाराजगंज में जिला अनुश्रवण समिति ने कोई परिवर्तन के लिये नहीं कहा है । राज्य सरकार ने स्वयं किया है । मैं उदाहरण के लिये कह रहा था । अगर अन्य जगहों से आया हो तों माननीय मंत्री जी सदन के पटल पर रखने का कार्य करें । जिला योजनाओं में परिवर्तन के लिये राज्य सरकार ने अपने स्तर से सारे निर्णय ले लिये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मेरा कहना है कि चूंकि प्रश्न पूरे प्रदेश के जिलों से संबंधित है अगर जनपद विशेष के बारे में सूचना जानना चाहें, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कि सांसद विधायक उपस्थित थे जिनकी उपस्थिति में प्राविधान किया गया, तो वह स्वाभाविक है । प्रत्येक जनपद की सूचना उपलब्ध नहीं होगी ।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा इसमें उत्तर दिलवा दें, सदन को गुमराह किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं दूसरे भाग का उत्तर दिलवा रहा हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं प्रश्न को स्पष्ट कर दूं उसके बाद आप उत्तर दिलवा दें । मान्यवर, इस विधान सभा में इसी सत्र में प्रश्न आया कि जिला योजना में कटौती की जा रही है, माननीय वित्त मंत्री जी ने उत्तर दिया कि कटौती नहीं की जा रही है अभी 31 मार्च के कुछ दिन बाकी हैं स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं । तो इस तरह से गुमराह करना ठीक नहीं है । यह कहते हैं कि जिला योजना में कोई प्राविधान यहां से नहीं किया गया जो प्रस्ताव आए उन्हीं के अनुसार कार्यवाही की गई है, मैं जानना चाहता हूं कि जिलों को क्या निर्देश दिए गए हैं प्राविधान के संबंध में जिलाधिकारी ने स्वयं अपने मन से प्रस्ताव भेज दिए हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने कहा था हो सकता है । यह सही है कि वर्ष पूरा हो गया है नो "सकता है" और "होगा" का प्रयोग अब नहीं हो सकता है अब इसका सवाल ही नहीं है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जो इनको कहना था वह उस दिन भी इनको मालूम था । इन्होंने सदन को गुमराह किया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, वर्मा जी गुमराह हो गये सदन तो गुमराह नहीं हुआ है । आखिरी समय तक प्रयास किया गया उत्तर में बताया है कि अपरिहार्य परिस्थित हुई हमने प्राविधान किया यह स्वीकार करते हैं । इस योजना में वित्तीय संकट के कारण कुछ कमी की है, स्वीकृतियां कम जारी कर पाये हैं । महराजगंज के बारे में कहा गया उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है । महराजगंज की स्थिति से माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जायेगा । नये जिले गठित किये गये हैं वित्तीय प्राविधान किये जा रहे हैं । इस बात के लिये शासन से कहा गया है कि महराजगंज के अलावा कितने नये जिले किये गये हैं, उन जिलों के लिये व्यवस्था करनी है भवन बनाने हैं उसमें सब अलग से व्यवस्था करने की तैयारी की जा रही है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । अनुश्रवण की समिति नहीं हुई है जिलों से प्रस्ताव मंगाये जायें यह तथ्यों से जुड़ा है । माननीय मंत्री जी ने, जिलों से निर्देश प्राप्त करेंगे, कहा है । आप हमें यह बता दें कि अनुश्रवण की बैठकें कब-कब हुई हैं और जिलों को निर्देश क्या-क्या दिये गये हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जिलों में बैठक के दिन अलग से प्रस्ताव आ गये हैं तो उनको दिखवा लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

अपरिहार्य परिस्थितियों में प्राविधान किया गया इसमें बताया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सब माननीय सदस्य एक साथ बोलेंगे तो मेरी भी समझ में नहीं आयेगा । मैं मंत्री जी से स्थिति स्पष्ट करने के लिये कह रहा हूं ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मेरे जिले मुजफ्फरनगर की योजना में कटौती की गयी है (शोर)

श्री अध्यक्ष–

जिला अनुश्रवण समिति के प्रस्तावों में परिव्यय में परिवर्तन कर दिया गया या कुछ मुद्दों में परिवर्तन किया गया इस संबंध में मैं नियोजन मंत्री का स्पष्टीकरण मांग रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, क्षमा करें । 1991-92 और 1992-93 में थोड़ा भेद करना पड़ेगा । इस समय जो योजना चल रही है वह 1992-93 की चल रही है । माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मीटिंग नहीं हुई । जो माननीय सदस्य यहां विराजमान हैं वह खुद की कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में बैठक हुयी है । 1992-93 की योजना समय सारिणी के अनुसार जिले की बैठकों के अनुसार आयी है । अगर कहीं अपरिहार्य कारणों से बैठकें नहीं हुई हैं तो यदि इंगित करेंगे तो उसकी जानकारी करा ली जायगी ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी इधर बैठते थे तो व्यवस्था का प्रश्न और नियमावली इनके हाथ में रहती थी । जब उधर चले गये हैं तो कहते हैं कि क्षमा करें । मैं मुजफ्फरनगर की अनुश्रवण समिति के बारे में बताना चाहूंगा । उसकी कार्यवाही दिखवा लें । 2 बार, सभी माननीय सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के हों, एतराज करके चले गये कि पैसा क्यों काटा जा रहा है । किसी ने सहमति नहीं दी । वहां पर 2 करोड़ रुपयों का प्रस्ताव सड़क तथा पुलों के संबंध में थे, जिससे संबंधित धनराशि काट कर 72 लाख रुपये कर दी गयी । मेरी सूचना को सही मानकर क्या जो धनराशि काटी गयी है उसको दिलाने की व्यवस्था की जायगी ?

श्री स्वामीनाथ यादव–

मान्यवर, जनपद देवरिया से 1990-91 तथा 1991-92 के बारे में योजना आयी । 1991-92 की योजना को यहां से भेज दिया गया लेकिन जो 90-91 की योजना थी वह नहीं भेजी गयी । मुख्य मंत्री को भी इस संबंध में लिखकर दिया गया है लेकिन पता नहीं क्यों सलेमपुर व भाटपार, इन दो जगहों के पैसों की स्वीकृतियां नहीं भेजी गयी हैं ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1990-91 की योजना को स्वीकार करके यहां से पैसा भिजवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं यह उचित समझता हूं कि जिन-जिन जिलों में बिना जिला अनुश्रवण समिति की बैठक किये परिव्यय में परिवर्तन करने की शिकायत है ....

यदि इस संबंध में माननीय सदस्य लिखकर दे दें तो मैं उनके बारे में शासन से एक दिन वक्तव्य मांग लूंगा । उन सभी जिलों के बारे में, जिनके संबंध में सूचना आ जायेगी, सबके बारे में मांग लूंगा (घोर व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, मेरे यहां से आ गयी है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, मैं एक सुझाव दे रहा हूं । जिलों के बारे में कहने पर माननीय मंत्री जी कहेंगे कि सूचना मंगाने की आवश्यकता है, मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 1991-92 में पूरे प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की मद में जिला योजनाओं के लिये सम्पूर्ण प्रवेश के लिये 148.3 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया सभी जनपदों के लिये, उसमें से 53 करोड़ रुपया स्टेट सेक्टर में डाइवर्ट कर दिया गया । इसका इनको अधिकार नहीं है, न परम्परा है कि जिला सेक्टर से दूसरी ओर बदल देते, लेकिन जिला सेक्टर का पैसा स्टेट सेक्टर में डाइवर्ट कर दिया गया । इसका प्रभाव इधर और उधर दोनों ओर के माननीय सदस्यों पर

पड़ा है । माननीय सदस्य अलग-अलग जिलों की बात कह रहे हैं, लेकिन 53 करोड़ रुपया इलाहाबाद, बनारस, अलीगढ़ से भी कटा है । इसका क्या औचित्य है ?

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित सूचना दे दें । मैं वक्तव्य मांग लूंगा ।

'क्षेत्रीय शिक्षा आयोग' गठित करने का प्रस्ताव एवं इसके उद्देश्य की जानकारी की मांग

**2–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ''क्षेत्रीय शिक्षा आयोग'' गठित करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं ? किस नीति के तहत इसका गठन किया जाना प्रस्तावित है ?

श्री अमरनाथ यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, प्रदेश के तमाम माध्यमिक विद्यालयों में वर्षों से अध्यापकों के स्थान खाली पड़े हैं और जब लिखकर भेजा जाता है सरकार को, आयोग को, वर्तमान व्यवस्था के तहत तो वहां से पर्याप्त अध्यापक नहीं मिलते । इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार के विचाराधीन है, नया आयोग या और कोई व्यवस्था जिसके माध्यम से प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त की जा सके ?

श्री अमर नाथ यादव–

मान्यवर, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग चयन प्रथम संशोधन विधेयक, 1993 है वह विधान सभा में पास हो चुका है और विधान परिषद् में विचाराधीन है । वहां से पास होने के बाद उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे ।

*3–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया]

*4–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*5–श्री स्वामी नाथ यादव–

[दि० 11-3-92 को सदन में वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

जनपद फैजाबाद में स्थित ''दुर्गा'' बन्सल फर्टिलाइजर्स एवं ''के० एम० शुगर मिल्स'' से निकलने वाले गन्दे पानी और गैसों से फैल रहे प्रदूषण के कारण संबंधित मिलों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*6–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में मंगारी स्थित ''दुर्गा'' बन्सल फर्टिलाइजर्स एवं मसौधा स्थित ''के० एम० शुगर मिल्स'' से निकलने वाले गन्दे पानी और गैसों से फैल रहे प्रदूषण

के कारण मिलों के आस-पास काफी दूर तक की आबादी में बसे लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, फसलें प्रभावित हो रही हैं और जानवर मर रहे हैं ? यदि हां, तो प्रदूषण फैलाने वाली इन मिलों के विरुद्ध सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें लिखा है कि सूचना एकत्र की जा रही है, इसलिये स्थगित हो गया है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, इस शब्द को बैन कर दिया जाय ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां तमाम जानवर मरे हैं, खेत सूख रहे है ।

श्री अध्यक्ष–

सूचना एकत्र की जा रही है, 15 दिन में जवाब आ जायेगा ।

गैर सरकारी और सरकारी डिग्री टीचर्स के वेतनमान में समकक्षता लाने के लिये सरकारी डिग्री कालेज के टीचर्स के वेतनमान को बढ़ाये जाने की मांग

*7–डा० दिनेश जौहरी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय डिग्री कालिजों के कार्यरत टीचर्स भी अन्य विश्वविद्यालय की टीचर्स की भांति वेतनमान लागू किये जाने की मांग कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकारी व गैर सरकारी डिग्री टीचर्स के वेतनमान में समकक्षता लाने के लिये, सरकारी डिग्री कालेज के टीचर्स के वेतनमान भी बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊच्च शिक्षा, श्रम तथा सेवायोजन मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का वेतनमान राजाज्ञा संख्या–91 जी० आई०/15-11-88-14(5)/87 दिनांक 7 जनवरी, 1989 द्वारा दि० 1 जनवरी, 1986 से पुनरीक्षित किया जा चुका है । वर्तमान समय में शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में समान वेतनमान लागू हैं ।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, यह 1989 में जो राजाज्ञा जारी हुई थी, माध्यमिक विद्यालयों का मुझे पता नहीं, लेकिन प्रदेश में कुछ विद्यालय ऐसे हैं, जहां इस राजाज्ञा के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है । इसके क्या कारण हैं, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ? कितने विद्यालयों में सरकारी अध्यापकों की भांति

असरकारी विद्यालयों में इस राजाज्ञा के तहत वेतन नहीं मिल रहा है । जो माध्यमिक विद्यालय नहीं दे पा रहे हैं, उनके विरुद्ध माननीय मंत्री जी क्या कर रहे हैं ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, जो यह राजाज्ञा निकाली गयी है उसमें जो अर्हतायें पूरी करते हैं, शासकीय हों या अशासकीय सबको नया वेतनमान दिया जा चुका है ।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, जो दिया जा रहा है उसकी तो सूचना लिखित उत्तर में दे चुके हैं, जहां नहीं दिया जा रहा है, क्या ऐसे विद्यालयों की सूची है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, पूरा वेतनमान जहां पर नहीं दे रहे हैं, अगर माननीय सदस्य के पास इसकी कोई जानकारी हो, तो वह दे दें, इस पर कार्यवाही करा लूंगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह इतबार से बहुत सही है कि बहुत से डिग्री कालेजेज प्राइवेट ऐसे हैं, जहां पर वेतनमान पूरा नहीं दिया जाता है । उसका एक तरीका यह हो सकता है, क्या सरकार इस पर विचार करेगी, इसे लागू करेगी कि जिन डिग्री कालेजेज को आप पैसा देते हैं, उन टीचर्स की सेलरी बजाय मैनेजमेन्ट के द्वारा देने के थ्रू चेक या बैंक के थ्रू सरकार द्वारा दिया जाय, ताकि यह अनियमितता भविष्य में न हो सके ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, जहां तक शासन को जानकारी है, सभी जगह नये वेतनमान दिये जा रहे हैं, अधिकांश महाविद्यालयों में चेक से वेतन देने की व्यवस्था है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की जिज्ञासा यह थी कि उनको वेतन किस प्रकार से दिया जायगा या दिया जाय ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जिस तरह से आपने स्वयं माना है कि चेक द्वारा अधिकांश में देते हैं, तो सभी को चेक द्वारा वेतन क्यों नहीं देते हैं, जितने भी सरकारी, गैर सरकारी, जिनको आप पैसा देते हैं, उनमें आप सभी को चेक द्वारा सेलरी क्यों नहीं देते हैं ? मान्यवर, होता यह है कि लेक्चरर्स को पूरा पैसा नहीं दिया जाता है ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, माननीय सदस्य किसी विद्यालय के बारे में जानकारी दें कि जहां पर चेक से पैसा नहीं दिया जा रहा है, उसकी जानकारी दें, तो मैं उसकी जांच करा लूंगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जब आप अधिकांश को दे रहे हैं, तो सभी को देने में आपको क्या परेशानी है ? अधिकांश को जब आप दे रहे है, तो सभी को दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का आशय है कि अनेक महाविद्यालयों और विद्यालयों में यह प्रचलित हो गया था कि जो वेतन अध्यापकों को मिलना चाहिये था, उसमें कटौती कर दी जाती थी, इसलिये सभी को चेक द्वारा वेतन मिलना चाहिये ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, अभी तक किसी भी विद्यालय या किसी अध्यापक से कोई भी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जब माननीय सदस्य ने यह शिकायत कर दी, तो यह मान लेना चाहिये कि अध्यापकों को शिकायत है, क्योंकि मान्यवर, अध्यापक तो सदन में आकर शिकायत नहीं कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

इसको सुनिश्चित कर लीजिये ।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, राजकीय विद्यालयों और अराजकीय विद्यालयों के अध्यापकों की पेंशन में अन्तर है । क्या माननीय मंत्री जी दोनों को बराबर पेंशन दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

प्रदेश में शराब में मिलावट को रोकने के लिये अभियान चलाने के आदेश दिये जाने की मांग

***8–श्री बच्चा पाठक–**

क्या सरकार शराब में मिलावट को रोकने के लिये पूरे प्रदेश में कोई विशेष अभियान चलाने का आदेश देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

प्रदेश में अनुज्ञापित आबकारी दुकानों से बेची जाने वाली शराब में मिलावट आदि की अनियमितताओं को रोकने के लिये विभाग द्वारा निरन्तर एवं नियमित रूप से सघन निरीक्षण किया जाता है । शराब में मिलावट रोकने के लिये आवश्यकता पड़ने पर विशेष अभियान चलाकर भी सघन चेकिंग की जाती है । अतः फिलहाल पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

***9–श्री तेज भान सिंह–**

[दि० 23-3-92 को अता० प्र० सं० 54 द्वारा उत्तरित]

कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले ट्रैक्टर ट्राली का पंजीकरण शुल्क रियायती दर पर एक मुश्त लिये जाने की मांग

*10–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (मिर्जापुर)–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले ट्रैक्टर ट्राली का पंजीकरण शुल्क, अन्य वाहनों की भांति एक मुश्त नहीं लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या ट्रैक्टर ट्राली का पंजीकरण शुल्क किसानों से रियायती दर पर एक मुश्त लिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले ट्रैक्टर ट्राली का पंजीकरण शुल्क केवल एक बार ही लिया जाता है ।

पंजीकरण फीस विभिन्न वाहनों के लिये निर्धारित करना भारत सरकार के कार्य क्षेत्र का विषय है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राणी उद्यान लखनऊ में अवकाश प्राप्ति के बाद पारिवारिक पेंशन को न दिया जाना एवं नियम भंग के दोषी के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की मांग

*11–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राणी उद्यान लखनऊ में अवकाश प्राप्ति के पश्चात् पारिवारिक पेंशन देने का नियम है ? यदि हां, तो प्राणी उद्यान में दि० 1 जनवरी, 88 से 25-10-1990 तक के समय में किन-किन कर्मचारियों ने अवकाश प्राप्त किया और उन्हें पारिवारिक पेंशन दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? नियम भंग के दोषी तत्कालीन निदेशक, प्राणि उद्यान, लखनऊ के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियों की तनख्वाह से पारिवारिक पेंशन की कटौती की गयी ? यदि हां, तो वह रुपया कहां और किस हेड में जमा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप सिंह–

जी हां ।

लखनऊ प्राणि उद्यान में 1 जनवरी, 1988 से 25-10-90 की अवधि में सर्वश्री राम केवल, प्रधान माली, हंसराज, चौकीदार, देवतादीन कुली, देव नारायण, माली, जयराम, माली, एवं पीर बक्श, सीनियर कीपर, (कुल छः कर्मचारी) सेवा निवृत्त हुए किन्तु उन्हें पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है । सेवा निवृत्त कर्मचारियों में से पांच से संबंधित निर्धारित पेंशन प्रपत्र क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उ० प्र० कानपुर को न भेजे जाने तथा एक कर्मचारी के पारिवारिक पेंशन से संबंधित कागजात कतिपय आपत्तियों के साथ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय द्वारा वापस किये जाने के परिणामस्वरूप उक्त कर्मचारियों में से किसी को भी पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है ?

पारिवारिक पेंशन का भुगतान न होने के कारणों की छानबीन करके दायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही की जा रही है और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को नियमानुसार पारिवारिक पेंशन का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करने के आदेश दिये गये हैं ।

जी हां । कटौती की धनराशि को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उ० प्र० कानपुर को खाता संख्या-10 में जमा किया गया है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिन 5 कर्मचारियों को निर्धारित पेंशन नहीं दी गयी है, वह कितने महीनों में उनको मिल जायेगी और जो इसके लिये जिम्मेदार पाये गये हैं, उन पर कितने महीनों में कार्यवाही कर दी जायेगी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, क्षेत्रीय महानिदेशक को निर्देशित किया गया है कि अविलम्ब पेंशन भुगतान की कार्यवाही सम्पन्न की जाये और साथ ही साथ जिन लोगों ने असावधानी की है, जिनके कारण कागजात नहीं बने हैं, ऐसे कर्मचारियों का पता लगाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस एक कर्मचारी की पेंशन अस्वीकृत हो गयी थी, कानपुर में उसका फार्म अस्वीकृत हो गया था, उसके फार्म को संशोधित करके कब भेजा गया है और यदि नहीं भेजा गया है तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, उसी के साथ ही इसको भी निर्देशित किया गया है और जो आपत्ति आयी थी, उसको दूर करके कागजात भेजे जा रहे हैं ।

*12–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में हानि में चलने वाले निगमों की संख्या एवं बन्द किये जाने संबंधी कार्यवाही की रूपरेखा

*13–श्री राम ललित चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश में कुल कितने हानि में चलने वाले निगम हैं ? क्या इनके निजीकरण या बन्द करने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

वर्ष 1990-91 में 27 निगमों में हानि हुयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मेरा सवाल यह था कि प्रदेश में कुल कितने हानि में चलने वाले निगम हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी ने वर्ष 1990-91 का ब्योरा दिया है और बताया है कि कुल 27 निगम ऐसे हैं, जो घाटे में चल रहे है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1991-92 में कितने निगम हानि पर

चल रहे हैं । वर्ष 1990-91 के मुकाबिले में घाटा ज्यादा है या कम है और अगर ज्यादा है तो उसको कम करने की क्या कोशिश की जा रही है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, वर्ष 1991-92 अभी समाप्त हुआ है, इसलिये घाटे का पूरा हिसाब बता पाना अभी सम्भव नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

शासन द्वारा स्कूलों की मान्यता की नीति एवं छात्रों के प्रवेश की समस्या निराकरण के लिये कार्यवाही

*14–श्री विजय सिंह राणा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा स्कूलों की मान्यता की नीति क्या है ? क्या यह सच है कि इस समय प्रदेश में एक ओर तो मान्यता के लिये हजारों स्कूलों के मामले लम्बित पड़े हैं और दूसरी ओर प्रवेश के लिये हर विद्यालय के सामने हजारों छात्र अपना प्रवेश का आवेदन पत्र लेकर खड़े हैं ? यदि हां, तो इस स्थिति के निराकरण के लिये शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योग मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

अशासकीय विद्यालयों को मान्यता प्रदान किये जाने हेतु निर्धारित मानक माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के अध्याय-सात में उपलब्ध हैं ।

जी नहीं ।

वर्तमान में वित्तविहीन मान्यता दी जा रही है और प्रवेश समस्या के समाधान हेतु कतिपय कार्यवाहियां की गयी हैं जिसके अन्तर्गत अब विद्यालय हाईस्कूल की कक्षा 9 तथा 10 की मान्यता के लिये सीधे आवेदन कर सकते हैं ।

शिक्षा विभाग द्वारा अधीनस्थ राजपत्रित निरीक्षण शाखा में निर्धारित अनुसूचित जाति का कोटा पूरा किये जाने की मांग

*15–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा विभाग द्वारा जनवरी, 91 व मार्च, 91 में अधीनस्थ राजपत्रित निरीक्षण शाखा, पुरुष वर्ग के अधिकारियों की प्रोन्नतियां कनिष्ट वेतन क्रम मे से की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या उसमें शासनादेशानुसार निर्धारित अनुसूचित जाति का कोटा अनुसूचित जाति के अधिकारियों से पूरा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या संबंधित अधिकारी ने उक्त कोटा पूर्ति में उदासीनता दिखाई है ? यदि हां, तो शासन ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां, मार्च 91 में की गयी, जनवरी, 91 में नहीं की गयी ।

जी नहीं ।

नोट–नत्थी 'ग' प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

पात्रता सूची में अनुसूचित जाति के पात्र एवं अर्ह अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण कोटे की पूर्ति नहीं की जा सकी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में घाटे व लाभ में चल रहे निगमों का विवरण एवं घाटा कम करने हेतु सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों की जानकारी

*16–श्री राम लखन–

क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के कौन-कौन निगम कितने-कितने घाटे मे चल रहे हैं ? कौन-कौन निगम कितने-कितने लाभ में हैं ? निगमों के घाटे के क्या कारण हैं और घाटा कम करने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

वर्ष 1990-91 में प्रदेश के निगमों के हानि-लाभ की अनन्तिम स्थिति संलग्न सूची में दर्शित हैं ।

निगमों के घाटे के कई कारण हैं । इसके अतिरिक्त विभिन्न निगमों में कुछ कारण अलग--अलग भी है । मुख्य कारणों में निगमों की सामाजिक उपादेयता तथा विकासात्मक कार्यप्रकृति, स्थापित उत्पादन क्षमता का समुचित उपयोग न होना, कार्य-कुशलता का अपेक्षित स्तर न होना, कार्मिकों की अधिकता, वित्तीय संसाधनों की कमी, कच्चे माल की आपूर्ति तथा उत्पाद के विपणन संबंधी समस्यायें, उत्पादन लागत की मूल्य से पूर्ण रूप से वसूली न होना इत्यादि है ।

निगमों के घाटे को नियंत्रित करने हेतु नई नियुक्तियों पर नियंत्रण तथा प्रशासनिक व्यय मे मितव्ययिता संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं एवं इनके कार्यकलापों की गहन समीक्षा की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 230–232 पर)

उ० प्र० राज्य सेतु निगम, पुलिस आवास निगम, समाज एवं निर्बल आवास निगम एवं आवास विकास परिषद् को उ० प्र० राजकीय निर्माण में मर्ज किये जाने की मांग

*17–श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य सेतु निगम, पुलिस आवास निगम, समाज एवं निर्बल वर्ग आवास निगम एवं आवास विकास परिषद् जिनके कार्य की प्रकृति लगभग समान हैं को उ० प्र० राजकीय निर्माण में मर्ज करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० चलचित्र निगम लि० को भंग करने के उपरान्त छटनीशुदा श्रमिकों की नियुक्ति के संबंध में शासन के आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

*18–श्री लल्लू सिंह–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० चलचित्र निगम लि० को भंग करने के सरकार के निर्णय के पश्चात् निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों को राज्याधीन सेवाओं में तीन माह के अन्दर समायोजित/नियुक्त किये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका सं० 2982/90 में दिनांक 26-5-90 को निर्णय दिया है तथा इस निर्णय के अनुपालन हेतु विशेष सचिव संस्थागत वित्त उ० प्र० शासन द्वारा दिनांक 13-7-90 को कोई आदेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या निगम के समस्त छटनी शुदा श्रमिकों को नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो अभी कितने श्रमिकों को नियुक्त किया जाना है तथा नियुक्तियां किस तिथि पर कर दी जायेगी ? न्यायालय/शासनादेश का पालन न करने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी व कब तक ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां ।

उ० प्र० चलचित्र निगम के समस्त छटनीशुदा कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकी है । कुल 554 नियमित छटनीशुदा कर्मचारियों में से 472 कर्मचारियों (शेष 25 सिनेमा प्रबन्धकगण जिनको बिक्रीकर विभाग में खपाने हेतु आफर दिया गया था को शामिल करके) को नियुक्ति दी जा चुकी है तथा अभी शेष 82 कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना है । शेष कर्मचारियों को नियुक्तियां देने हेतु शासन सतत् प्रयत्नशील है ।

न्यायालय/शासनादेश का पालन तत्परता से किया जा रहा है अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय वर्ष में जिला योजनाओं के लिये जिला योजना तैयार करते समय निर्धारित धनराशि का विवरण

*19–श्री सुखवीर सिंह गहलौत, श्री विश्राम दास, श्री प्यारे लाल संखवार, श्री इकबाल महमूद तथा श्री सोमांश प्रकाश–

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1992-93 की जिला योजनाओं के लिये जिला योजना तैयार करते समय प्रत्येक जनपद की कोई धनराशि निर्धारित की गयी थी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां ।

विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 233–235 पर)

प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सहायक लेखाकार/लेखाकारों के वेतनमानों की विसंगतियों के संबंध में निर्णय लिये जाने की मांग

*20–श्री सतीश भाटिया–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सहायक लेखाकार/लेखाकारों की मांग पर कब तक यह निर्णय लिया जायेगा कि उन्हें भी क्रमशः 1400-2600 व 1640-2900 का वेतनमान स्वीकृत किया जाये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत लेखा संवर्ग के पदों के वेतनमान की विसंगति का प्रकरण मुख्य सचिव समिति में विचाराधीन है । मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने पर आवश्यक निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा तथा दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग में 3 वर्ष से अधिक समय तक कार्यरत वनविदों तथा वन रक्षकों को स्थानान्तरित किये जाने की मांग

1–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 जून, 1990 से 31-12-91 तक उत्तर गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा तथा दक्षिण मोण्डा वन प्रभाग के किस-किस रेंज में 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बीच एक ही रेंज में कितने-कितने वनविद् तथा वनरक्षक के पद पर लगातार कार्यरत हैं ? क्या सरकार 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत वनविदों को तथा वन रक्षकों को अन्यत्र स्थानान्तरण करने पर विचार कर रही ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर गोण्डा व दक्षिण, गोण्डा वन प्रभाग के निम्न रेंजों में 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बीच कार्यरत वनविद् तथा वन रक्षकों की संख्या निम्न है :–

दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग

रेन्ज का नाम	वनविद्	वनरक्षक
कुआंना	–	1
उतरौला	2	2
टिकरी	–	1
सा० नगर इकाई	2	2

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग

भांभर	–	4
रामपुर	–	6
तुलसीपुर	–	1
बरहवा	–	4
बनकटवा	1	4

वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अनुसार यथासमय कार्यवाही की जायेगी ।

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग के कार्यक्षेत्र में कतिपय रेलवे स्टेशनों से लकड़ियों को अभिवाहन पास तथा ट्रांजिट फीस के बी० के० सी०/के० सी० रेलवे वैगन से जनपद के बाहर भेजे जाने तथा राजस्व की हानि होने की शिकायत

2–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 जून, 1990 से 31 दिसम्बर, 1991 के बीच में उत्तर गोण्डा प्रभाग, गोण्डा के कार्यक्षेत्र के रेलवे स्टेशन पचपेड़वा/गैसडी/तुलसीपुर/कौव्वापुर से किस-किस प्रजातियों के लकड़ियों को बिना अविवाहन पास के तथा बिना ट्रांजिट फीस के कितने बी० के० सी०/के० सी० रेलवे वैगनों से जनपद के बाहर तथा प्रदेश के बाहर भेजा गया और इससे सरकार को कितने राजस्व की क्षति हुई और इसका उत्तरदायी कौन है ? सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

उक्त अवधि में उत्तर गोण्डा वन प्रभाग द्वारा कोई भी लकड़ी बिना अभिवाहन पास के तथा बिना ट्रांजिट फीस के वी० के० सी०/के० सी० रेलवे बैगन से जनपद से बाहर तथा प्रदेश से बाहर नहीं भेजी गयी। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

3–श्री बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 जून, 1990 से 31-12-91 तक उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के कार्यक्षेत्र सीमा के रेलवे स्टेशन पचपेड़वा/गैसड़ी/तुलसीपुर/कौव्वापुर से हजारों की संख्या में रेलवे के वैगनों से जनपद के बाहर तथा प्रदेश के बाहर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के तथा लखनऊ बेंच के आदेश पर बिना प्रभागीय वनाधिकारी के अनुमति के तथा बिना ट्रांजिट फीस के लकड़ियों का ढुलान किया गया है ? सरकार उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को रद्द कराने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रभागीय वनाधिकारी उत्तर गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा द्वारा जनपद से तथा प्रदेश से बाहर लकड़ियों को ले जाने हेतु व्यापारियों के ट्रकों के लिये अभिवाहन पास निर्गत किये जाने एवं ट्रांजिट फीस प्राप्त करने का विवरण

4–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 जून, 1990 से 31-12-91 तक कितने संख्या में किस-किस व्यापारी को कितने ट्रकों का अभिवाहन पास प्रभागीय वनाधिकारी उत्तर गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा द्वारा जनपद से बाहर तथा प्रदेश के बाहर लकड़ियों को जाने के लिये अभिवाहन पास निर्गत किया गया है और कितना ट्रांजिट फीस प्राप्त किया गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत अवधि में निजी काश्तकारों को लकड़ी का अभिवहन करने हेतु दिये गये अभिवहन पास तथा ट्रांजिट फीस की 55 पृष्ठों की सूची मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है जिसे किसी भी कार्य दिवस में माननीय सदस्य द्वारा देखा जा सकता है ।

श्रीमती विद्या दीक्षित, सहायक अध्यापिका, आर्य कन्या इन्टर कालेज हरदोई की सेवा निवृत्ति के पश्चात् पेंशन आदि अन्य देयकों का भुगतान किये जाने की मांग

5–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती विद्या दीक्षित, सहायक अध्यापिका, आर्य कन्या इन्टर कालेज, हरदोई कब सेवा निवृत्त हुई थी ? उनको पेंशन एवं अन्य देयकों का भुगतान अब तक न किये जाने का क्या कारण है ? उनकी पेंशन एवं अन्य देयकों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

उल्लिखित विद्यालय की सहायक अध्यापिका श्रीमती विद्या दीक्षित दिनांक 30-6-88 को सेवानिवृत्त हुई थीं । उनको पूर्ण पेंशन रु० 649/- प्रतिमास की दर से 1-7-88 सें स्वीकृत की जा चुकी है । उनको जी० पी० एफ० का अन्तिम भुगतान तथा सामूहिक जीवन बीमा का भी भुगतान किया जा चुका है ।

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के रेंज बनकटवा/बरहवा/तुलसीपुर/भाभर में वृक्षारोपण हेतु आवंटित धनराशि में घपला किये जाने विषयक पत्र पर एवं दोषी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी

6–श्री बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 जनवरी, 1992 से 15 जनवरी, 1992 के बीच में उन्हें तथा सचिव, वन को एवं मुख्य वन संरक्षक को इस आशय का पत्र लिखा था कि उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के रेंज बनकटवा/बरहवा/तुलसीपुर/भाभर में वित्तीय वर्ष 1989-90/1990-91/1991-92 में जो धनराशि वृक्षारोपण हेतु आवंटित की गयी थी, वृक्षारोपण का कार्य न कराकर डेली बिल बाउचर पर फर्जी अंगूठे एवं हस्ताक्षर मजदूरों के बनाकर लाखों रुपयों का घपला किया गया है इसका भौतिक सत्यापन कराया जाये ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी तथा आरोप में दोषी कौन-कौन लोग पाये गये ? सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायतों की सतर्कता अधिष्ठान से छानबीन करायी जा रही है ।

गोण्डा वन प्रभाग के अन्तर्गत कार्यरत रेंज अधिकारी/यूनिट अधिकारी की चरित्र पंजिकाओं के संबंध में शिकायतों की सतर्कता अधिष्ठान से छानबीन कराया जाना

7–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने तथा श्री घनश्याम शुक्ल विधायक एवं श्री उदय प्रताप सिंह विधायक ने 1 जनवरी, 1992 से 17 जनवरी, 1992 के बीच में मुख्य मंत्री तथा

सचिव, वन को इस आशय का पत्र लिखा था कि उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा में तथा दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के अन्तर्गत मुख्य वन संरक्षक मध्य क्षेत्र, लखनऊ/वन संरक्षक सरयू क्षेत्र, फैजाबाद तथा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारियों ने शासनादेश के विरुद्ध रेंज अधिकारी, गोण्डा/रामपुर/उतरौला/यूनिट अधिकारी, तुलसीपुर की चरित्र पंजिकायें खराब हैं, रेंजों के प्रभार पर नहीं रखा जा सकता है तथा शिकायती पत्रों में मांग की गयी थी कि चरित्र पंजिकाओं को मंगाकर शासन स्तर पर समीक्षा की जाये और ऐसे वन रेंजरों को रेंज के प्रभार से तत्काल हटा दिये जाये ? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत शिकायतों की सतर्कता अधिष्ठान से छानबीन कराई जा रही है ।

प्रश्नकर्ता श्री घनश्याम शुक्ल एवं श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा एवं इस प्रभाग के रेंज अधिकारियों के विरुद्ध मुख्य मंत्री सचिव वन एवं प्रमुख वन संरक्षक को प्रेषित शिकायती पत्र पर कार्यवाही

8–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 अक्टूबर, 1991 से 31-12-91 तक प्रश्नकर्ता श्री घनश्याम शुक्ल एवं श्री उदय प्रताप सिंह विधायक के कितने शिकायती पत्र किस-किस तारीख को मुख्य मंत्री जी को तथा सचिव, वन को एवं प्रमुख वन संरक्षक को प्राप्त हुए हैं ? शिकायती पत्रों में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा तथा इस प्रभाग के रेंज अधिकारियों के विरुद्ध कौन-कौन आरोप लगाये गये हैं ? जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी है ? सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 1 अक्टूबर, 1991 से 31-12-91 तक मा० श्री घनश्याम शुक्ल, मा० श्री उदय प्रताप सिंह तथा प्रश्नकर्ता के अनेकों शिकायती पत्र प्राप्त हुए है जिनमें मुख्यतः उत्तरी गोण्डा वन प्रभाग में प्रभागीय वनाधिकारी तथा कतिपय वन रेंजरों पर वन सम्पदा को क्षति पहुंचाने, अवैध कटान, वन रेंजरों का स्थानान्तरण कार्यान्वित न कराये जाने, उत्तरी गोण्डा वन प्रभाग में वृक्षारोपण कार्य लक्ष्य के अनुरूप न कराये जाने, खैर के वृक्षों की अवैध कटान आदि के आरोप लगाये गये है ।

उक्त शिकायतों की सतर्कता अधिष्ठान से छानबीन कराई जा रही है ।

9-10–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण हटाये गये]

श्री राम स्वरूप अध्यक्ष, वन विभाग श्रमिक संघ द्वारा श्री वी० के० सिंह प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन विभाग फर्रुखाबाद के विरुद्ध मुकदमा दायर करने हेतु मुख्य सचिव से अनुमति मांगने के निमित्त प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र

11–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामस्वरूप, अध्यक्ष, वन विभाग श्रमिक संघ एवं अन्य ने श्री वी० के० सिंह, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन विभाग, फर्रुखाबाद के विरुद्ध धारा 119, 120 वी, 211, 166, 177, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध करने के विरुद्ध मुकदमा दायर करने हेतु कोई रजिस्टर्ड प्रार्थनापत्र मुख्य सचिव से अनुमति मांगने के निमित्त प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो क्या अनुमति प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कु० अनीता मिश्रा, अनुक्रमांक 610875, बी० डी० एम० गर्ल्स इंटर कालेज शिकोहाबाद, जनपद मैनपुरी के इण्टरमीडिएट परीक्षाफल को घोषित किये जाने की मांग

12–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कु० अनीता मिश्रा ने इण्टरमीडियेट परीक्षा व्यक्तिगत 1991 अनुक्रमांक-610875 परीक्षा केन्द्र, बी० डी० एम० गर्ल्स इण्टर कालेज, शिकोहाबाद, जनपद मैनपुरी से दी थी ? क्या क्रासलिस्ट में किसी अन्य का नाम अंकित जाने के कारण वे अनुपस्थित अंकित हैं ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद् से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी अभी तक उक्त त्रुटि को दूर करके इनका परीक्षाफल क्यों नहीं घोषित किया गया है ? क्या सरकार छात्रा को तुरन्त परीक्षाफल दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत विद्यालय अब फेरोजाबाद जनपद में है ।

जी हां ।

क्रासलिस्ट में छात्रा का नाम एवं विषय कम्प्यूटर से त्रुटिपूर्ण मुद्रित होने के कारण परीक्षाफल अपूर्ण रहा । छात्रा का प्रार्थना-पत्र संबंधित प्रधानाचार्या के माध्यम से प्राप्त होने पर त्रुटियों का निराकरण करके दिनांक 6-2-92 को परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है ।

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत ग्राम बेहटा नथई सिंह के श्री राम दास पुत्र श्री ललई की इन्द्रा आवास आवंटित करने संबंधी श्री सुन्दर लाल विधायक उन्नाव द्वारा संस्तुति पत्र पर कार्यवाही

13–श्री फरीद महफूज किदवई–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बिछिया के अन्तर्गत ग्राम बेहटा नथई सिंह के निवासी श्री रामदास पुत्र श्री ललई अनुसूचित जाति को इन्द्रा आवास आवंटित करने संबंधी प्रार्थना-पत्र को श्री सुन्दर लाल, विधायक, उन्नाव ने अपनी संस्तुति के साथ दिनांक 27-1-90 को तत्कालीन ग्राम्य विकास मंत्री को दिया था ? यदि हां, तो पत्र पर मा० मंत्री ने जिलाधिकारी, उन्नाव को क्या आदेश दिये थे ? क्या जिला अधिकारी, उन्नाव ने भी अपने पत्र सं० 1785 दिनांक 12-7-90 द्वारा आवास आवंटन हेतु स्पष्ट आदेश खण्ड विकास अधिकारी, बिछिया, उन्नाव को दिया था ? क्या इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी, उन्नाव ने भी दिनांक 30-7-90 तथा 1-1-91 को इस संबंध में खण्ड विकास अधिकारी, बिछिया, जिला उन्नाव को आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उक्त सभी आदेशों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर गोण्डा, वन प्रभाग, गोण्डा द्वारा खैर वृक्षों के लिए निर्गत पातन अनुमति एवं काटे गये वृक्षों की संख्या विवरण

14 –श्री बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 23 दिसम्बर, 1991 को उनके तथा सचिव, वन विभाग को एवं प्रमुख वन संरक्षक को इस आशय का कोई पत्र लिखा था कि प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा ने परमिट संख्या 633/90-91 दिनांक 17-5-91 को वन सीमा के अन्दर 5 खैर वृक्षों का पातन अनुमति निर्गत कर दिया है ? क्या 5 के स्थान पर, मौके पर 15 खैर के वृक्ष वन सीमा के अन्दर काटे गये हैं ? क्या इस सम्बन्ध में जांच आख्या श्री एस० पी० सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, बलरामपुर, गोण्डा ने 15 दिसम्बर, 91 के बाद वन संरक्षक, सरयू क्षेत्र, फैजाबाद को भेज दिया है ? यदि हां, तो इस मामले में दोषी प्रभागीय वनाधिकारी तथा दोषी रेंज अधिकारी एवं आशुलिपिक के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां । जांच आख्या पर क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरयू क्षेत्र, उ० प्र० फैजाबाद द्वारा स्वयं जांच की गयी । उप प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या सही नहीं पाई गई ।

जांचोपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर गोण्डा, रेन्ज अधिकारी एवं आशुलिपिक दोषी नहीं पाये गये । अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर वन प्रभाग गोण्डा/दक्षिण वन प्रभाग गोण्डा में प्राप्त अभिवाहन पास देते समय ई-3 रसीद पर प्राप्त ट्रांजिट शुल्क का विवरण

15 श्री बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 5 जून, 1990 से 17-1-92 तक उत्तर वन प्रभाग गोण्डा/दक्षिण वन प्रभाग, गोण्डा में कितना राजस्व अभिवाहन पास देते समय ट्रांजिट शुल्क ई-3 रसीद पर प्राप्त हुआ ? इन दोनों वन प्रभागों में ग्रामीण वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वृक्षों की पातन अनुमति देते समय रेलवे स्टेशन मनकापुर/बलरामपुर/कौआपुर/तुलसीपुर/गैसड़ी पचपेडवा डिपो हेतु किन-किन लोगों को किस-किस वाहन के लिए अविवहन पास ट्रांजिट शुल्क लेकर प्रदान किया गया है ? क्या दक्षिण वन प्रभाग, गोण्डा में डिपो पर अविवहन पास देते समय ट्रांजिट शुल्क लिया गया ? क्या इस प्रभाग में डिपो से जनपद के बाहर लकड़ियों को ले जाने में पुनः ट्रांजिट फीस भी ली गयी ? क्या ई-3 की रसीद काटी गयी ? यदि नहीं, तो सरकार उत्तर वन प्रभाग, गोण्डा के प्रभागीय वनाधिकारी के विरुद्ध प्रश्नगत अनियमितता के मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

उक्त अवधि में प्राप्त अभिवाहन पास देते समय ई-3 रसीद पर प्राप्त ट्रांजिट शुल्क निम्नवत् है :–

<u>उत्तर गोण्डा वन प्रभाग</u>

रुपये 1,47,764.50

<u>दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग</u>

रुपये 25,837.50

मनकापुर रेलवे स्टेशन के लिये अभिवहन पास नहीं दिया गया है ।

कौआपुर/तुलसीपुर/गैसड़ी/पचपेड़वा/बलरामपुर से सम्बन्धित सूचना का विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध हैं जिसे किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है ।

जी हां ।

उन लकड़ियों पर ट्रांजिट फीस नहीं ली गई, जिन पर अभिवहन कर्ता ने पूर्व में ट्रांजिट फीस अदा कर दी है और ऐसी लकड़ियों पर ई०-3 रसीद भी नहीं काटी गई ।

चूंकि कोई अनियमितता नहीं हुई है अतः प्रभागीय वनाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० वन विभाग के मध्य क्षेत्र में श्री ओ० पी० सिंह, वन रेंजर अवध वन प्रभाग, लखनऊ तथा श्री दिनेश कुमार यादव/श्री अशोक कुमार सिंह, वन रेंजर उत्तर गोण्डा वन प्रभाग के स्थानान्तरण के विरुद्ध स्थगन आदेश

16–श्री बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 26 दिसम्बर, 91 से 31 दिसम्बर, 91 के बीच में इस आशय का पत्र उन्हें तथा सचिव, वन विभाग को एवं प्रमुख वन संरक्षक को लिखा था कि उत्तर प्रदेश वन विभाग के मध्य क्षेत्र में श्री ओ० पी० सिंह, वन रेन्जर, अवध वन प्रभाग, लखनऊ तथा श्री दिनेश कुमार यादव/श्री अशोक कुमार सिंह, वन रेंजर उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, का स्थानान्तरण शासन स्तर से किया गया था ? क्या इन सभी वन रेन्जरों ने माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च से स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था ? यदि हां, तो विभाग द्वारा किन-किन वन रेन्जरों को रेंज का प्रभार देने के लिए आदेश किये गये और किस रेन्जर को रेन्ज का प्रभारी नहीं बनाया गया ? रेन्ज प्रभार देने के लिए और न देने के कौन-कौन कारण रहे हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर श्री दिनेश कुमार यादव तथा श्री अशोक कुमार सिंह को पुनः रेंज का प्रभार दिया गया था तथा श्री ओ० पी० सिंह की तैनाती मा० न्यायालय के अन्तरिम आदेश के अनुरूप सिटी रेंज, लखनऊ में की गई ।

17–श्री राम लखन–

[6ठे मंगल में अतारां० प्र० सं० 91 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर में हरे वृक्षों के कटान की शिकायत एवं /दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग

18–श्री राम मूर्ति

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर में हजारों की तादाद में हरे वृक्षों का कटान हो रहा है ? यदि हां, तो क्या इसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर कटान बन्द कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

इतने बड़े पैमाने पर अवैध कटान होने की सूचना नहीं है ।

अवैध कटान के मामलें में विभागीय अधिकारियों का हाथ होना प्रमाणित नहीं हुआ है । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय खन्दवा के सहायक अध्यापिकाओं के वेतन से जीवन बीमा एवं भविष्य निर्वाह निधि को खाते में जमा किये जाने एवं पुनरीक्षित वेतन मान तथा मंहगाई भत्ता दिये जाने की मांग

19–श्री विशुन दयाल–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय, खन्दवा, जनपद बलिया की सहायक अध्यापिकाओं के वेतन से जीवन बीमा एवं भविष्य निर्वाह निधि हेतु की जा रही कटौतियों को उनके खाते में जमा नहीं किया जा रहा है ? क्या उन्हें वर्ष 1983 से पुनरीक्षित वेतनमान एवं महंगाई भत्ते की वृद्धि का लाभ दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक प्रश्नगत कटौतियां उनके खाते में जमा की जायेगी एवं उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान तथा महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा सकेगा ?

श्री राजनाथ सिंह–

उल्लिखित विद्यालय की सहायक अध्यापिकाओं के वेतन से जीवन बीमा एवम् भविष्य निर्वाह निधि हेतु की जा रही कटौतियों को उनके खातों में जमा किया जा रहा है तथा उक्त अध्यापिकाओं को पुनरीक्षित वेतनमान एवम् महंगाई भत्ते की वृद्धि का लाभ भी दिया जा रहा है । अप्रैल, 1983 से दिसम्बर, 83 तक की जीवन बीमा एवम् भविष्य निर्वाह निधि की कटौतियों को प्रबन्धक द्वारा जमा करने सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

20–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण हटाया गया]

परियोजना अधिकारी (अतिहिमीकृत परियोजना पशुपालन) रायबरेली द्वारा न्यूनतम कोटेशन के आधार पर नियमानुसार भुगतान एवं उनकी दुर्घटना ग्रस्त जीप की जांच रिपोर्ट महालेखाकार को भेजा जाना

21–श्री तेज भान सिंह–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुज्ञा पत्र संख्या 508 राज्य परिवहन प्रा० टैक्सी/मोटरकैब/महेन्द्रा जीप/90 के द्वारा राजकीय उपयोग में किराये पर लिये जाने की दर क्या हैं तथा परियोजना अधिकारी (अतिहिमीकृत परियोजना पशुपालन), रायबरेली द्वारा यू० आर० ए० 8190 किस दर से अनुबंधित कर भुगतान किया जा रहा है ? क्या उपरोक्त भुगतान नियम विरुद्ध है ? यदि हां, तो अनुबंध कर्ता से अतिरिक्त भुगतान को समायोजित करने तथा दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

पशुधन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह)–

प्रश्नगत अनुज्ञा पत्र द्वारा रु० 2.50 से रु० 3.75 की दर प्रति किलोमीटर है ।

रु० 5.00 प्रति किलोमीटर की दर से अनुबन्धित करके भुगतान किया गया है ।

भुगतान नहीं । **न्यूनतम** कोटेशन के आधार पर नियमानुसार किया गया है । अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

22–श्री तेज भान सिंह–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परियोजना अधिकारी (अतिहिमीकृत परियोजना पशुपालन) रायबरेली को शासकीय जीप नं० यू० जी० बी० 1137 मई, 91 में रायबरेली में दुर्घटना हो गयी थी ? यदि हां, तो इस दुर्घटना की जांच कब किस अधिकारी ने की है ? जांच रिपोर्ट क्या शासन व महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भेजी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह–

जी हां ।

इस दुर्घटना की जांच संयुक्त निदेशक अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, निबलेट, बाराबंकी द्वारा की गयी है ।

जी नहीं ।

जांच रिपोर्ट का परीक्षण विभिन्न पहलुओं से विभागीय स्तर पर किया जा रहा है, हानि की सूचना महालेखाकार को प्रेषित की जा चुकी है ।

मुख्य मंत्री को सम्बोधित श्री पारस नाथ सिंह का ग्राम प्रधान छतहुआ ब्लाक तिलोई जिला रायबरेली के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना के धन का दुरुपयोग आदि दिये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

23–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित तथा जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, परगना अधिकारी तिलोई, खण्ड विकास अधिकारी तिलोई, जिला रायबरेली को पृष्ठांकित श्री पारस नाथ सिंह ग्राम प्रधान सभा छतहुआ, परगना मोहनलाल गंज, जिला रायबरेली के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना के धन का दुरुपयोग ग्राम समाज की जमीन का गलत आवंटन आदि गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इसकी जांच क्या किसी अधिकारी ने की है ? यदि हां, तो इसकी जांच क्या किसी अधिकारी ने की है ? यदि हां, तो किसने ? जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्नगत विषयक श्री पारस नाथ सिंह, उप प्रधान ग्राम सभा छतहुआ का शिकायती पत्र दिनांक रहित जो जिलाधिकारी रायबरेली को सम्बोधित तथा परगनाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी, तिलोई, रायबरेली को पृष्ठांकित है, प्राप्त हुआ है ।

जी हां ।

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तथा नायब तहसीलदार ने जांच की है । प्रारम्भिक जांच में निम्न अनियमिततायें प्रकट हुई हैं:–

(1) जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत दो मजदूरों को मजदूरी का पूरा भुगतान नहीं किया गया है ।

(2) श्रीमती राजपति को बिना परगनाधिकारी के पूर्वानुमति लिये भूमि आवंटित की गई है ।

(3) श्री शारदा सिंह ने गांव सभा गाटा नं० 1427 पर ट्यूबवेल लगा लिया है, उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ।

(4) शेष आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी है ।

सही पाये गये आरोपों के सम्बन्ध में परगनाधिकारी, तिलोई को ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

जनपद फैजाबाद, जलालपुर विकास क्षेत्र अन्तर्गत मुगंरा डीला ग्राम सभा के अनुसूचित जाति की बस्ती से मुख्य मार्ग तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने की मांग

24–श्री राम लखन–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जनपद के जलालपुर विकास क्षेत्र अन्तर्गत मुंगरा डीला ग्राम सभा के अनुसूचित जाति की बस्ती से मुख्य मार्ग तक पहुंचने हेतु कोई सम्पर्क मार्ग नहीं है ? यदि हां, तो क्या वहां सम्पर्क मार्ग बनाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

मंगुरा/डीला ग्राम सभा के अनुसूचित जाति की बस्ती से मुख्य मार्ग तक पहुंचने हेतु चकरोड है ।

इस पर जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत मिट्टी का कार्य करने हेतु प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है ।

कुछ विवादों के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है । विवादों के निराकरण के पश्चात सम्पर्क मार्ग पूर्ण हो सकेगा ।

सीतापुर से वाया लहरपुर जीतामऊ तक चलने वाली बन्द रोडवेज की बस सेवा को पुनः चलाने की मांग

25–श्री अनिल कुमार–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्षों में सीतापुर से वाया लहरपुर जीतामऊ तक रोडवेज की बस चलायी जाती थी ? यदि हां, तो क्या उसे अब बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो उसे पुनः कब तक चलाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां ।

सीमित संसाधन एवं बस बेड़े को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत मार्ग पर सेवायें चलाया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री एस० पी० सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी बलरामपुर, उत्तर वन प्रभाग गोण्डा, द्वारा कार्यालय भवन बलरामपुर में आवास बनाये जाने की शिकायत एवं उनसे भुगतान किये गये आवास किराये को वसूलने की मांग

26–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस० पी० सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, बलरामपुर, उत्तर वन प्रभाग गोण्डा, बलरामपुर में कार्यालय भवन में ही अपना आवास बना रखा है ? यदि हां, तो क्या आवास का किराया वे अलग से लेते हैं ? अब तक उन्हें आवास हेतु कितना किराया भुगतान

किया गया है ? क्या सरकार भुगतान किये गये किराये को उप प्रभागीय वनाधिकारी के मूल वेतन से वसूल लेने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तों क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री एस० पी० सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, बलरामपुर, गोण्डा द्वारा संदर्भित रिपोर्ट के आधार पर जांचोपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर गोण्डा रेंज अधिकारी एवं आशुलिपिक आदि को दोषी नहीं पाया जाना

27–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर वन प्रभाग, गोण्डा के श्री एस० पी० सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, बलरामपुर गोण्डा ने कोई जांच आख्या 1 दिसम्बर, 1991 से 31 दिसम्बर, 1991 के बीच बन संरक्षक, सरयू क्षेत्र, फैजाबाद को भेजी थी, जिसमें प्रभागीय बनाधिकारी तथा रेंज अधिकारी, आशुलिपिक, प्रभागीय बनाधिकारी कार्यालय के विरुद्ध आरोप थे ? यदि हां तो बन संरक्षक ने किन परिस्थितियों में जांच आख्या के अनुसार कार्यवाही न करके पुनः प्रभागीय बनाधिकारी को जांच आख्या पर विचार करने के लिए भेज दिंया ? इसका क्या औचित्य था ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

श्री एस० पी० सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, बलरामपुर, गोण्डा, की रिपोर्ट में प्रभागीय वनाधिकारी पर भी आरोप लगाया गया था अतएव वन संरक्षक, सरयू क्षेत्र, फैजाबाद द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर गोण्डा से स्थिति स्पष्ट कराई गई और वन संरक्षक द्वारा भी जांच की गई। जांचोपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर गोण्डा, रेंज अधिकारी एवं आशुलिपिक दोषी नहीं पाये गये ।

श्री जवाहर इण्टर कालेज, गोहन, जालौन के प्रधानाचार्य के विरुद्ध कथित शिक्षा संहिता की अवहेलना के लिए कार्यवाही किये जाने की मांग

28–श्री लाल जी वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जवाहर इण्टर कालेज, गोहन, जिला जालौन के प्रधानाचार्य विद्यालय में कितने घण्टे पढ़ाते हैं और किस कक्षा को कौन सा विषय, कितने घण्टे (चक्र) में ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शिक्षा संहिता की अवहेलना के लिए प्राचार्य के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

उल्लिखित विद्यालय के प्रधानाचार्य कक्षा 12 को सप्ताह में 6 वादन नागरिक शास्त्र आठवें चक्र में पढ़ाते हैं, जबकि प्रधानाचार्य को मानकानुसार प्रति सप्ताह 12 वादन शिक्षण कार्य करना चाहिये । इस हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, जालौन द्वारा प्रधानाचार्य को निर्देशित कर दिया गया है ।

श्री जवाहर इण्टर कालेज, गोहन, जिला जालौन में गृह परीक्षाओं में सामूहिक प्रोन्नति किये जाने का औचित्य, प्राचार्य एवं अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

29–श्री लाल जी वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जवाहर इण्टर कालेज, गोहन, जिला जालौन में गृह परी में सामूहिक प्रोन्नति किये जाने का क्या औचित्य हैं ? क्या कुछ छात्र उत्तर पुस्तिकाओं तथा

अंक पत्रों में अनुत्तीर्ण भी हुए हैं ? यदि नहीं, तो सन् 90-91 के उत्तर पुस्तिकाओं एवं अंक पत्रों की सक्षम अधिकारी द्वारा जांच कराके संबंधित कक्षा अध्यापकों द्वारा नियम विरुद्ध सामान्य कक्षोन्नति देने हेतु प्राचार्य एवं अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्या और कब तक ?

श्री राजनाथ सिंह–

कोई औचित्य नहीं है ।

206 छात्र, किन्तु सभी को कक्षोन्नति दिया जा चुका है ।

जी हां,

प्रकरण पर जांच की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री जवाहर जनता इण्टर कालेज, गोहन जालौन में कक्षा 6 से 12 तक स्वीकृत सेक्शनों का विवरण एवं प्रधानाचार्य को गैर कानूनी ढंग से शिक्षकों की नियुक्ति एवं काशनमनी लेने के संबंध में दण्डित किये जाने की मांग

30–श्री लाल जी वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जवाहर जनता इण्टर कालेज, गोहन, जनपद जालौन में कक्षा 6 से 12 तक के लिये कितने सेक्शन (अनुभाग) स्वीकृत हैं ? वर्तमान समय में कहां कितनी कक्षायें चलाई जा रही हैं ? क्या सत्य है कि प्रधानाचार्य द्वारा बिना अनुमति के सेक्शन (कक्षायें) खोलकर गैर कानूनी तरीके से शिक्षकों की नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या प्रधानाचार्य को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

22 अनुभाग स्वीकृत हैं ।

वर्तमान में कक्षा 6 से 12 तक 20 अनुभाग चलाये जा रहे हैं । जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

31–श्री लाल जी वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जवाहर इण्टर कालेज गोहन, जनपद जालौन में हाई स्कूल के छात्रों से काशनमनी वसूल की जाती है ? यदि हां, तो कितनी और कब से तथा किन नियमों के अनुसार ? क्या इस विद्यालय में काशनमनी (सुरक्षा धनराशि) छात्रों को नकद वापस की जाती है ? यदि नहीं, तो क्या केवल रजिस्टर में इसकी वापसी दिखाई जाती है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच विजलेंस के डी० आई० जी० स्तर के अधिकारी से करायी जायेगी ? सुरक्षा धन के अपहरण और गबन के प्रकरण में क्या प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक और क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

रुपया 15 प्रतिछात्र वर्ष 1983-84 से । हाई स्कूल के छात्रों से काशनमनी वसूल करने का कोई नियम नहीं है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस सम्बन्ध में जांच के दौरान अनियमितताएं प्रकाश में आईं और प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही करने, भविष्य में काशनमनी न लेने तथा पूर्व में वसूल की गई धनराशि संबंधित छात्रों को लौटाने हेतु निर्देश दिये गये ।

उत्तर गोण्डा बन प्रभाग, गोण्डा में स्थित प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय के निर्माण हेतु मांगे गये टेण्डर का विवरण

32–श्री बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा में स्थिति प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय के निर्माण हेतु कोई टेण्डर मांगा गया था ? यदि हां, तो कितनी धनराशि का टेण्डर आया तथा इस भवन का मानचित्र एवं आंगणन क्या था ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

टेण्डर प्राक्कलन की धनराशि रु० 98,650 मात्र पर कार्य करने के लिये आया था । मानचित्र की प्रति संलग्न है । †

श्री जवाहर इण्टर कालेज गोहन, जालौन में नियम विरुद्ध की गयी नियुक्तियां करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

33–श्री लाल जी वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जवाहर इण्टर कालेज, गोहन जनपद जालौन में जनवरी, 1987 से दिसम्बर, 1991 तक कितने तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियां की गयीं ? यह नियुक्तियां किसके द्वारा की गयी हैं और नियुक्ति की तिथि से ही वेतन दिया गया है या पहले से ? नियुक्तियां जिनकी की गयी हैं क्या उनके पद सृजित थे और नियुक्तियां रिक्त मूल/मौलिक पदों पर हुई हैं ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं, तो बिना पदों के की गयी नियुक्तियां के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी ? क्या नियम विरुद्ध नियुक्ति करने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

श्री राजनाथ सिंह–

मामले में जांच की जा रही है ।

34–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण हटाया गया]

---

† छापी नहीं गयी ।

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के मुख्यालय पर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर सम्बन्धित एजेन्सी व ठेकेदार को भुगतान किये जाने के मामले में दोषी वनाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

35–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के मुख्यालय पर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और सम्बन्धित विभागीय एजेन्सी को तथा ठेकेदार को पूरा भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार भौतिक सत्यापन कराकर दोषी प्रभागीय वनाधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही भुगतान किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री घनश्याम शुक्ल, विधायक, गोण्डा द्वारा परमिट के विषय में दोषी वन विभाग के कतिपय कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध सचिव, वन एवं प्रमुख वन संरक्षक को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

36–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22-1-92 को श्री घनश्याम शुक्ल, विधायक, गोण्डा ने सचिव वन को तथा प्रमुख वन संरक्षक को इस आशय का पत्र लिखा था कि वन संरक्षक सरयू क्षेत्र-फैजाबाद प्रभागीय वनाधिकारी उत्तर गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा/रेन्ज अधिकारी तुलसीपुर तथा आशुलिपिक प्रभागीय वनाधिकारी ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत परमिट सं०–633/90-91 दिनांक 17-5-91 के संदर्भ में दोषी है तथा प्रभागीय वनाधिकारी अपने को तथा अपने आशुलिपिक और रेन्ज अधिकारी को दोषमुक्त करके आख्या भेजना चाहते हैं ? विधायक ने अपने पत्र में मांग की है कि मामले की जांच शासन स्तर से श्री बी० पी० मलेठा मुख्य परियोजना निदेशक देहरादून उत्तर प्रदेश को सौंप दी जाये ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

शिकायतों पर सतर्कता अधिष्ठान से छानबीन कराई जा रही है ।

उत्तर गोण्डा, वन प्रभाग गोण्डा के मुख्यालय पर स्टोर इंचार्ज के पद पर कार्यरत श्री सूर्यलाल जायसवाल का शासनादेश के विरुद्ध स्थानान्तरण करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

37–श्री बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष-1982 से 1990 तक लिपिक श्री सूर्य लाल जायसवाल उत्तर गोण्डा के मुख्यालय पर स्टोर इंचार्ज के पद पर कार्यरत थे ? क्या श्री जायसवाल को स्टोर इंचार्ज के पद से मात्र तीन माह के लिये स्थानान्तरण किया गया था और इनके स्थान पर श्री लाल कुंवर यादव को स्टोर इंचार्ज बनाया गया था और श्री यादव को तीन माह के अन्दर स्टोर चार्ज से हटाकर पुनः सूर्य लाल जायसवाल लिपिक को स्टोर का चार्ज दे दिया गया जो शासनादेश के विरुद्ध है ? यदि हां, तो सरकार शासनादेश के विरुद्ध आदेश निर्गत करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

शासकीय हितों को दृष्टिगत रखते हुए श्री सूर्य लाल जायसवाल को स्टोर का प्रभार पुनः दिया गया जो शासनादेश के विरुद्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री घनश्याम शुक्ल, विधायक, गोण्डा द्वारा सचिव वन तथा प्रमुख वन संरक्षक उ० प्र० को प्रभागीय वनाधिकारी उत्तर गोण्डा वन प्रभाग के विरुद्ध कथित शासनादेश के विपरीत अनियमित कार्य करने के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

38–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 22 जनवरी, 1992 को श्री घनश्याम शुक्ल, विधायक, गोण्डा ने सचिव वन को तथा प्रमुख वन संरक्षक, उ० प्र० को इस आशय का पात्र लिखा था कि प्रभागीय वनाधिकारी उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा शासनादेश के विरुद्ध अनियमित कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो आरोप कौन-कौन थे तथा जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और दोषी कौन-कौन लोग पाये गये ? सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रभागीय वनाधिकारी पर आरक्षित वन से कटान परमिट जारी कर 5 खैर के वृक्षों के स्थान पर 15 खैर वृक्षों के काटे जाने का आरोप लगाया गया है ।

प्रश्नगत शिकायत की सतर्कता अधिष्ठान से छानबीन कराई जा रही है ।

श्री बाला प्रसाद, विधायक द्वारा उत्तर गोण्डा आदि वन प्रभाग की विभिन्न योजनाओं में वृक्षारोपण हेतु आवंटित धनराशि का भौतिक सत्यापन हेतु मुख्य मंत्री, सचिव वन और प्रमुख वन संरक्षक को लिखे गये पत्र पर कृत कार्यवाही

39–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि 5 जनवरी, 92 से 18 जनवरी, 92 के बीच में तथा 16 जनवरी, 92 से 18 जनवरी, 92 के बीच में श्री बाला प्रसाद विधायक ने उन्हें तथा सचिव वन एवं प्रमुख वन संरक्षक को उत्तर गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा/उत्तर खीरी वन प्रभाग/दक्षिण खीरी वन प्रभाग खीरी में वित्तीय वर्ष 1989-90/90-91/91-92 में विभिन्न योजनाओं से आवंटित धनराशि वृक्षारोपण हेतु वन सीमा के अन्दर तथा वन सीमा के बाहर फर्जी डेली बिल बाउचर बनाकर मजदूरों के फर्जी अंगूठे तथा हस्ताक्षर बनाकर लाखों रुपयों का घपला संबंधित रैंज अधिकारियों तथा प्रभागीय वनाधिकारियों के करने की सूचना देकर पौधों की गणना तथा खन्तियों की गणना एवं मजदूरों के अंगूठे के निशान तथा हस्ताक्षर के भौतिक सत्यापन की मांग की हैं ? यदि हां, तो किस स्तर के अधिकारी को भेज कर जांच करायी गयी है और दोषी कौन-कौन पाये गये हैं ? सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायतों की सतर्कता अधिष्ठान से छानबीन करायी जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के जलालपुर विकास क्षेत्रान्तर्गत, ग्राम सभा चितई के प्रधान को जवाहर रोजगार योजना में हुए कथित घपले के लिये निलम्बित किये जाने की मांग

40–श्री राम लखन वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद जनपद के जलालपुर विकास क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा चितई के प्रधान को जवाहर रोजगार योजना में हुए घपले के आरोप में परगनाधिकारी जलालपुर के आदेश दिनांक 3-8-90 द्वारा निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त प्रधान के विरुद्ध हुई जांच की रिपोर्ट क्या है ? क्या उस प्रधान को पुनः बहाल कर दिया गया ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री बी० आर० मेहरोत्रा, सेवा निवृत्त सदस्य, बिक्रीकर अधिकरण के चिकित्सा पर व्यय धनराशि के भुगतान में विलम्ब के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

41–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि श्री बी० आर० मेहरोत्रा, सेवा निवृत्त सदस्य, बिक्रीकर अधिकरण को रु० 3262/- चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान जिसको कराये जाने के संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ० प्र० के पत्र संख्या 6873 दिनांक 27-7-91 लिखा है, तथा उक्त चिकित्सा उपचार हेतु राज्य चिकित्सा परिषद्, उ० प्र० की संस्तुति के अनुपालन में की गयी दिल्ली यात्रा का यात्रा देयक रु० 3311/- का भुगतान एवं वित्त बिक्रीकर अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1-2115/11-915(17)89 दिनांक 3-6-91 में प्रतिपूर्ति योग अंकित धनराशि रु० 900/- के भुगतान अभी तक नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो यह भुगतान कब तक करवा दिये जायेंगे ? भुगतान में हुए विलम्ब के लिये कौन अधिकारी दोषी है एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

प्रश्नगत देयकों के भुगतान के संबंध में श्री बी आर० मेहरोत्रा द्वारा लोक सेवा अधिकरण में निदेश याचिका दायर कर दावा प्रस्तुत किया गया है और मामला न्यायालय के विचाराधीन है । न्यायालय के निर्णय के अनुसार भुगतान के संबंध में यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

का० सु० साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद में कामर्स और समाजशास्त्र का स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था कराये जाने की मांग

42–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद अन्तर्गत चल रहे का० सु० साकेत महाविद्यालय फैजाबाद में विज्ञान के विषयों से स्नातकोत्तर उपाधि के लिये पठन-पाठन की व्यवस्था होने में प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न कराने में लाखो का खर्च आता है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि कामर्स और समाज शास्त्र विषयों से स्नातकोत्तर उपाधि लेने के लिये पठन-पाठन की व्यवस्था में प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होती है ? यदि हां, तो उक्त विषयों को पढ़ाने की व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की जा सकी है ? क्या मंत्री जी फैजाबाद और निकटवर्ती जनपद के छात्रों की कठिनाइयों को देखते हुए का० सु० साकेत महाविद्यालय में कामर्स और समाज शास्त्र की स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था

करायेंगे ? यदि हां, तो उक्त विषयों के पठन-पाठन की वहां कब तक व्यवस्था करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

प्रयोगात्मक विषयों में अतिरिक्त व्ययभार मानक के अनुसार होता है ।

जी हां ।

महाविद्यालय ने शासन द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति नहीं किया है ।

मानक में शासन द्वारा निर्धारित शर्तों को महाविद्यालय द्वारा पूर्ण कर दिये जाने पर उक्त विषयों में स्नातकोत्तर की कक्षाओं हेतु विचार संभव हो सकेगा ।

परियोजना अधिकारी अति हीमीकृत (पशुपालन) रायबरेली के विरुद्ध अनियमितताओं संबंधी पशुपालन मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

43–श्री तेजभान सिंह–

क्या पशुपालन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 20-1-92 का पत्र जिसमें परियोजनाधिकारी अति हीमीकृत (पशुपालन) रायबरेली के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं का आरोप है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इन मामलों की जांच किस अधिकारी ने की है ? क्या जांच के बाद कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह–

जी हां । कथित शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था । उस पर पहले संबंधित अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त करके निदेशक, पशुपालन की आख्या मांगी गयी थी जो अब उपलब्ध हो गयी है । उस पर सम्यक विचारोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

जिला अलीगढ़ में प्रश्कर्ता के क्षेत्र इगलास के ग्राम गोरई में माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था किये जाने की मांग

44–श्रीमती ज्ञानवती सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र इगलास जि० अलीगढ़ के ग्राम गोरई में माध्यमिक पाठशालाओं का काफी समय से अभाव है ? क्या इसके सुधार के लिये विशेष कर गोरई ग्राम सभा में जहां से इगलास लगभग 18 मील तथा ग्राम गोण्डा 16 मील दूर है, पर माध्यमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था करायेंगे ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

योजना न होने के कारण ।

45–श्री राम प्रसाद सिंह–

[दि० 23-3-92 को अता० प्र० सं० 29 द्वारा उत्तरित]

जनपद बांदा के अन्तर्गत कर्वी क्षेत्र में अर्द्धनिर्मित कच्चे मार्गों को लेपन स्तर तक निर्मित करने की मांग

46–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अन्तर्गत कर्वी क्षेत्र में आर० एल० ई० जी० एवं एन० आर० ई० पी० तथा सेक्टोरियल क्षेत्र के अन्तर्गत अर्धनिर्मित कच्चे मार्गों को लेपन स्तर तक निर्मित कराने संबंधी पत्र जुलाई, 1990 बुन्देलखण्ड सन्तुलित विकास निधि अन्तर्गत धन आवंटित कराने विषयक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस पत्र के साथ 32 अर्धनिर्मित सड़कों की सूची दी गयी है ? यदि हां, तो क्या उनका निर्माण लेपन स्तर तक कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी नहीं ।

अपितु, मा० सदस्य का दिनांक रहित एक पत्र दिनांक 31-8-90 को प्राप्त हुआ था जिसमें आर० एल० जी० पी०/एन० आर० ई० पी० एवं सेक्टोरियल क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित अधूरे अर्द्धनिर्मित मार्गों को लेपन स्तर तक पूर्ण कराने हेतु बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण योजना में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया था न कि बुन्देलखण्ड क्षेत्रीय संतुलित विकास निधि के अन्तर्गत । बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत उक्त संबंधी किसी भी प्रकार की योजना जिला स्तर पर प्रस्तावित नहीं थी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत उक्त संबंधी किसी भी प्रकार की योजना जिला स्तर पर प्रस्तावित नहीं थी ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा निर्मित मार्गों की संख्या, दूरी का प्राक्कलन एवं व्यय की गयी धनराशि की जानकारी हेतु प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

47–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत वर्ष 1985 से 1991 के मध्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बांदा द्वारा निर्मित मार्गों की संख्या, उनकी दूरी का प्राक्कलन एवं उन पर किये गये व्यय से संबंधित जानकारी देने हेतु प्रश्नकर्ता का जिला अधिकारी बांदा को सम्बोधित पत्र दिसम्बर, 1991 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या किया गया ? क्या संदर्भित सूचनायें उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त सड़कों का वर्तमान मूल्यांकन करते हुए लेपन स्तर तक निर्माण हेतु प्राक्कलन दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि इनमें से कुछ सड़कों का मौके पर शिनाख्त भी नहीं है ? यदि हां, तो कितनी सड़कों का और कौन-कौन सी ? इसका मुख्य कारण क्या है ? क्या इसकी जांच करके कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिशासी अभियन्ता द्वारा, क्रय की गयी सामग्री कथित अनियमितता की उच्चस्तरीय जांच करने की मांग

48–श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या ग्राम विकास मंत्री को यह ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बांदा के अधिशासी अभियन्ता को पत्र संख्या-ग नं०-309413/74, दिनांक 28-11-91 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में खरीदी गयी सामग्री के संबंध में प्रश्न पत्र लिखा गया था ? यदि हां, तो इस पत्र पर कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? क्या उक्त पत्र में उल्लिखित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच करवाई जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

वांछित सूचना प्रश्नकर्ता को अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बांदा के पत्र सं०-188/दि० 1-2-92 के द्वारा प्रेषित कर दी गयी है ।

उल्लिखित पत्र में किसी प्रकार की अनियमितता का उल्लेख नहीं है । अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

49–श्री लालजी वर्मा–

[6ठे मंगलवार में अता० प्र० सं० 87 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोण्डा में सामाजिक वानिकी/वन प्रभाग फैजाबाद को वृक्षारोपण हेतु कतिपय रेंजों को आवंटित की गयी धनराशि एवं कार्य का विवरण

50–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1989-90/90-91/91-92 मे सामाजिक वानिकी/वन प्रभाग फैजाबाद को जनपद-गोण्डा में वृक्षारोपण हेतु किस-किस रेंज को कितनी धनराशि आवंटित की गयी ? निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कार्य कराया गया अथवा नहीं ? क्या सरकार शासन स्तर से जांच अधिकारी भेजकर भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

वित्तीय वर्ष 1989-90/90-91/91-92 में सामाजिक वानिकी/वन प्रभाग फैजाबाद को जनपद गोण्डा में वृक्षारोपण हेतु विभिन्न रेंजों को निम्नांकित धनराशि आवंटित की गयी :–

(रुपया लाख में)

वर्ष	रेंज का नाम			
	गोण्डा	रुपईडीह	पंडरी कृपाल	मनकापुर
1989-90	11.90	13.12	15.25	7.12
1990-91	7.95	8.93	10.41	4.51
1991-92	2.62	2.34	3.71	2.19

निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ही कार्य कराया गया ।

प्रश्नगत कार्य के संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता किये जाने की जानकारी न होने के कारण शासन स्तर से विशेष जांच/सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रदेश के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारी कर्मचारी का विवरण एवं मूल विभाग में भेजे जाने की शासन स्तर पर कार्यवाही

51–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों (डी० आर० डी० ए०) में कितने अधिकारी व कर्मचारी किस-किस विभाग के कितने वर्षों से प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर तैनात हैं और उनको मूल विभाग में वापस भेजे जाने की शासन स्तर से क्या कार्यवाही हुई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई है तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में कार्यरत सांख्यिकीय, तकनीकी, सामान्य व लेखा संवर्ग के कर्मियों की शासन स्तर पर बनाई गयी वरिष्ठता सूची को प्रकाशित किये जाने की मांग

52–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों (डी० आर० डी० ए०) में कार्यरत सांख्यिकीय, तकनीकी, सामान्य व लेखा संवर्ग के कर्मियों की अलग-अलग वरिष्ठता सूची क्या शासन स्तर पर बना ली गयी है ? यदि हां, तो वह कब तक प्रकाशित हो जायेगी ? यदि नहीं, बनाई गयी है, तो कब तक बना ली जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डी० आर० डी० ए०) कर्मियों की सेवानियमावली का प्रख्यापन शासन के विचाराधीन है जिसके प्रख्यापित होने के उपरान्त ही वरिष्ठता सूची बनाई जा सकेगी ।

श्री तारकेश्वर नाथ सिंह अपर जिला अधिकारी परियोजना जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गोण्डा के विरुद्ध, प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र के संदर्भ में कार्यवाही

53–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 15 जनवरी, 1992 से 20 जनवरी, 1992 के बीच में कोई शिकायती पत्र श्री तारकेश्वर नाथ सिंह अपर जिलाधिकारी परियोजना जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गोण्डा के विरुद्ध उन्हें दिया था ? यदि हां, तो आरोप कौन-कौन थे और जांच किस एजेन्सी द्वारा करायी गयी ? सरकार इस प्रकरण पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

शिकायती पत्र में चारा मशीन खरीद में अनियमितता बरतने, इन्दिरा आवास व निर्बल वर्ग आवास के भवनों के निर्माण में कमीशन लेकर खराब सामग्री का प्रयोग करने एवं उनके ध्वस्त होने की

शिकायत आई० आर० डी० योजना के लाभार्थियों को सामग्री देने के बजाय कमीशन लेकर नकद भुगतान देने की प्रथा चालू करने तथा पशु मेले आयोजित कराकर कमीशन प्राप्त करने, कमीशन लेकर कार्यदायी विभागों को धन आवंटित करने, खराब श्रेणी के ह्यूम पाइप क्रय करने, हैण्ड पाइप अधिक दर पर क्रय करने तथा रु० 25=00 का रजिस्टर रु० 199=00 में खरीदने की शिकायत की गयी थी । शिकायती पत्र की जांच जिलाधिकारी, गोण्डा द्वारा करायी गई ।

चूंकि आरोप निराधार पाये गये । इसलिये किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद, सीतापुर में विभिन्न मार्गों पर परिवहन निगम की बन्द बस सेवा को चालू किये जाने की मांग

54–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद, सीतापुर में लखनऊ-सदरपुर, लखनऊ-तम्बौर, लखनऊ-रामपुर मथुरा, बेल्हरा-कानपुर वाया महमूदाबाद, सीतापुर-सरैया, सीतापुर-पोखरा कला, वाया बिसवां/सीतापुर-सदरपुर वाया बिसवां चलने वाली परिवहन निगम की बसों को बन्द किये जाने के क्या कारण है जबकि इन मार्गों पर यातायात का अन्य कोई साधन भी नहीं है ? क्या सरकार इन बसों का पुनः संचालन शीघ्र करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

प्रश्न में उल्लिखित मार्गों में से लखनऊ से टिकैतगंज होते हुए महमूदाबाद एवं सीतापुर से बिसवां मार्ग पर निगम की सेवायें वर्तमान में भी संचालित है । बेल्हरा--कानपुर वाया महमूदाबाद मार्ग पर निगम की कोई भी सेवा संचालित नहीं थी । अवशेष 6 मार्गों पर यद्यपि निगम द्वारा पूर्व में बस सेवा संचालित की गयी थी, परन्तु उनमें से चार मार्गों पर संचालन लाभप्रद न होने एवं दो मार्गों के मध्य में मार्ग खराब होने के कारण सेवा बन्द कर दी गयी ।

बेल्हरा-कानपुर वाया फतेहपुर निगम की सेवा संचालित है

टिकैतगंज से सदरपुर, तम्बौर एवं रामपुर मथुरा के अराष्ट्रीय मार्ग पर निजी बस सेवायें संचालित हैं ।

वर्तमान में निगम के सीमित वित्तीय संसाधन एवं बस बेड़े को देखते हुए प्रश्नगत सेवाओं का पुनः संचालित किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद सीतापुर के ग्रामीण क्षेत्रों में नीलगायों से फसलों को बचाने का प्रस्ताव एवं किसानों को मुआवजा दिये जाने की मांग

55–श्री अनिल कुमार–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेगे कि सीतापुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की फसलों को नुकसान करने वाली नील गायों को रोकने के प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्या फसल का मुआवजा किसानों को दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद सीतापुर में नीलगायों से किसानों की फसल को नुकसान से बचाने के लिये नीलगायों के आखेट परमिट के लिये स्थानीय अधिकारियों को अधिकृत करने की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है,

जिस पर शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा । कृषि फसलों को क्षति पहुंचाये जाने पर उसकी प्रतिपूर्ति हेतु मुआवजा दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

ग्राम प्रधान सरसेर, ब्लाक-जगदीशपुर जिला सुल्तानपुर के विरुद्ध, मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्र पर जांच की कार्यवाही की जानकारी

56–श्री रमेश बहादुर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको तथा मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के दिनांक 21-1-92 के पत्र जिसमें ग्राम प्रधान सरेसर, ब्लाक-जगदीशपुर, जिला-सुल्तानपुर के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, प्राप्त हैं ? यदि नहीं, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की तथा क्या जांच के बाद कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

57–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

[7 वें गुरु में अता० प्र० सं० 127 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

माध्यमिक विद्यालयों में इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 तथा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड, 1992 में किये गये संशोधन

58–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में प्रचलित वेतन वितरण अधिनियम, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम को संशोधित किया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्तानुसार तीनों अधिनियमों का संशोधन से पूर्व का बिन्दुवार विवरण क्या है । संशोधन के बाद का बिन्दुवार विवरण क्या है ? क्या व्यापक जनहित और पठन-पाठन तथा राजस्व लाभ की दृष्टि से इन संशोधनों के बारे में कोई समिति या आयोग गठित कराकर विचार-विमर्श किया गया ? यदि हां , तो क्या विचारविमर्श के दौरान माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

इण्टरमीडियेट शिक्षा अधिनियम, 1921, तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम 1982 में समय-समय पर जनहित में आवश्यक संशोधन किये गये हैं ।

उक्त सभी संशोधन सरकारी गजट में प्रकाशित किये गये हैं ।

विधान मण्डल द्वारा उक्त अधिनियमों में समय-समय पर संशोधन जनहित में ही किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में शराब के ठेकों पर बिक्री का निर्धारित समय एवं उसमें अनियमितता करने वाले ठेकों की दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

59–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में शराब के ठेकों पर बिक्री का समय तथा तिथि क्या-क्या निर्धारित है ? क्या शराब के ठेकों पर छुट्टियों के दिन भी बिक्री होती है

और ठेके समय से खुलते एवं बन्द नहीं होते हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त अनियमितता करने वाले शराब के ठेके की दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

शराब के ठेकों पर बिक्री का समय निर्धारित बन्दी के दिनों को छोड़कर शेष दिनों में पूर्वान्ह 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक निर्धारित है । सामान्य छुट्टियों से भिन्न पृथक से अधिसूचित आबकारी नियमों में प्रत्येक माह क पहली तारीख, स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त), गांधी जयन्ती (2 अक्टूबर) गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) तथा साल में अन्य कोई तीन दिवस जिन्हें जिलाधिकारी घोषित करें, निर्धारित बन्दी के दिवस हैं, जिनमें मदिरा के विक्रय पर पाबन्दी है । निर्धारित बन्दी के दिनों में मदिरा व्यापार पर आबकारी विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है । उपरोक्त के अलावा शान्ति एवं सुरक्षा की दृष्टि से आबकारी अधिनियम की धारा 59 में भी आबकारी दुकानें बिक्री हेतु बन्द रखे जाने का प्राविधान है । तद्नुसार जनपद शाहजहांपुर में भी आबकारी की अनुज्ञापित दुकानों से निर्धारित दिवसों एवं समय (10 बजे प्रातः से रात्रि 10 बजे तक) पर मदिरा बिक्री की जाती है । अब तक जनपद शाहजहांपुर की शराब की दुकानों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । अतः शराब के ठेकों की दुकानों के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

उत्तरी गोण्डा और दक्षिणी गोण्डा वन प्रभाग में स्टोर इन्चार्ज के माध्यम से क्रय की गयी सामग्री का विवरण की मांग

60–श्री बाला प्रसाद तथा घनश्याम शुक्ल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 5 जून, 1990 से 15 जनवरी, 1992 के बीच में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा ने स्टोर इन्चार्ज के माध्यम से विभागीय प्रयोग हेतु कितने धनराशि की सामग्री टेण्डर से, कुटेशन से एवं एग्रीमेण्ट से किस-किस फर्म से क्रय किया है ? क्या ऐसी भी सामग्रियों को क्रय किया गया है जो गोण्डा से 100 कि० मी० दूर रेंज मुख्यालयों को भेजी गयी हैं और वे सामान रेंज मुख्यालय के निकट भी मिल सकती थीं ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या था ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर गोण्डा और दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग में स्टोर इन्चार्ज के माध्यम से क्रय की गयी सामग्री का विवरण संलग्न है । †

जी नहीं ।

गोण्डा वन प्रभाग रेंज के अन्तर्गत वृक्षों के अवैध कटान के संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही एवं विवरण की मांग

61–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 जून, 1990 से 15 जनवरी, 1992 के बीच में उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के रेंज-वनकटवा/बरहवा/तुलसीपुर/रामपुर/भांभर के किस-किस बीट में किस-

---

† छापी नहीं गई ।

किस प्रजाति के कितनी कीमत के अवैध कटान हुए हैं ? इसमें कितने अवैध कटान वन विभाग का न बताकर वन निगम का बताया गया है और कितनी अवैध कटान की लकड़ियां रेंज मुख्यालय पर उपलब्ध हैं ? इस अवैध कटान में कौन-कौन लोग दोषी पाये गये और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत अवधि में हुए अवैध कटान का व्योरा रेंजवार, प्रजातिवार व बीटवार संलग्न है ।

शून्य

163-5659 घनमीटर लकड़ी रेंज मुख्यालय पर उपलब्ध है ।

दोषी पाये गये लोगों की सूची संलग्न हैं । भारतीय वन अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधानिक कार्यवाही की गयी है ।

*62–श्री बालो प्रसाद–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि 5 जनवरी, 1989 से 5 जून, 1990 तक के बीच में उत्तर गोण्डा वन प्रभाग के रेंज बनकटवा/बरहवा/तुलसीपुर/रामपुर/भांभर में कितने कीमत की लकड़ियों का अवैध कटान हुआ तथा 5 जून, 1990 से 15 जनवरी, 1992 के बीच में रेंज बनकटवा/बरहवा/तुलसीपुर/रामपुर/भांभर कितनी कीमत का अवैध कटान पकड़ा गया ? क्या 5 जनवरी, 1989 से 5 जून, 1990 से अधिक अवैध कटान 5 जून, 1990 से 15 जनवरी, 1992 के बीच में हुआ ? यदि अधिक हुआ तो दोषी प्रभागीय वनाधिकारी तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत अवधि में रेंज वार अवैध कटान का विवरण निम्न प्रकार है :-

रेंज का नाम	अवैध कटान की कीमत (रु० में)
बनकटवा	23,160.00
बरहवा	48,924.50
तुलसीपुर	1,19,240.00
रामपुर	91,214.34
भांभर	73,506.00

प्रश्नगत अवधि में रेंजवार पकड़ी गयी अवैध कटी लकड़ी का विवरण निम्न प्रकार है :–

रेंज का नाम	पकड़ी गयी अवैध कटान की लकड़ियों का मूल्य
बनकटवा	30,850.20
बरहवां	59,886.00
तुलसीपुर	2,35,449.00
रामपुर	43,876.50
भांभर	1,20,636.00

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के कतिपय रेंजों में विभिन्न कार्यों हेतु आवंटित की गयी धनराशि का विवरण

63–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 जून, 1990 से 15 जनवरी, 1992 के बीच में उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के रेंज बनकटवा/बरहवा/तुलसीपुर/रामपुर/भांभर में किस-किस कार्य के लिये तथा भवन निर्माण मरम्मत/पक्का पुलिया हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत अवधि में उत्तर गोण्डा वन प्रभाग के रेंज बनकटवा/बरहवा/तुलसीपुर/रामपुर/भांभर रेंज को विभिन्न कार्यों हेतु आवंटित की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

कार्य का विवरण	रेंजवार धनराशि का आवंटन (हजार रु० में)				
	बनकटवा	बरहवा	तुलसीपुर	रामपुर	भांभर
1	2	3	4	5	6
1–वृक्षारोपण	1066	348	676	822	769
2–मृदावन	428	604	530	866	650
3–पौधशाला	270	240	340	400	264
4–भवन निर्माण	100	20	50	220	160
5_भवन मरम्मत	20	10	20	30	10
6–पुलिया निर्माण	125	20	110	80	195
7–पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था	57	22	12	5	30

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा में ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा टीक (सागौन) और खैर वृक्षों के लिये निर्गत पातन अनुमति

64–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 जून, 1990 से 15 जनवरी, 1992 तक उत्तर गोण्डा में ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किस-किस व्यक्ति को किस-किस ग्राम सभा में कितने संख्या में टीक (सागौन) खैर वृक्षों का पातन अनुमति किस-किस मोटाई की पैमाइश का निर्गत किया गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत अवधि में उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा में उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा संलग्न सूची के अनुसार † वृक्षों के पातन की अनुमति दी गयी है ।

दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग/उत्तर गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा के बैरियरों तथा मार्गों पर अवैध कटान की लकड़ियों को पुलिस तथा वन विभाग द्वारा पकड़ा जाना तथा संबंधित दोषी अधिकारियों को दण्डित किये जाने की मांग

65–श्री घनश्याम शुक्ल तथा श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 जून, 1990 से 15 जनवरी, 1992 के बीच में दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग/उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के बैरियरों पर तथा मार्गों पर अवैध कटान के लकड़ियों को अनाधिकृत रूप से ले जाते समय पुलिस विभाग द्वारा तथा वन विभाग द्वारा जो पकड़ा गया था उसे ग्रामीण क्षेत्रों का वृक्ष दिखाकर वन विभाग ने अभियुक्तों के पक्ष में लकड़ियों को मुक्त कराने में मदद दी थी और न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के पक्ष में पकड़े गये लकड़ियों को अवमुक्त कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार शासन स्तर से जांच कराकर दोषी प्रभागीय वनाधिकारियों को एवं रेंज अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उक्त अवधि में दक्षिण गोण्डा/उत्तर गोण्डा वन प्रभाग के बैरियरों पर तथा मार्गो पर दो अपराधों में अवैध कटान की लकड़ियों को वन विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा पकड़ा गया था । इनमें से किसी मामले में पकड़ी गयी लकड़ी को ग्रामीण क्षेत्रों का नहीं दिखाया गया । वन विभाग द्वारा अभियुक्तों के पक्ष में लकड़ियां मुक्त कराने में कोई मदद नहीं की गयी ;

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मोहल्ला बालजती, पुराना शहर बरेली, महानगर के संदर्भगत विद्यालय को मान्यता देने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गयी कार्यवाही

66–डा० दिनेश जौहरी–

क्या शिक्षा मंत्री को मो०-बालजती, पुराना शहर बरेली महानगर की मान्यता के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 18-12-91 को प्राप्त हुआ था, जिसको उन्होंने आवश्यक कार्यवाही हेतु शिक्षा विभाग को 20 दिसम्बर, 1991 भेज दिया था ? यदि हां, तो इस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

संदर्भगत विद्यालय को मान्यता दिये जाने के संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद् से आख्या प्राप्त की गयी । मान्यता दिये जाने हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति न किये जाने के कारण विद्यालय को हाईस्कूल/इंटर साहित्यक वर्ग की मान्यता परिषद् द्वारा अस्वीकृत किया गया ।

† छापी नहीं गई ।

जनपद आजमगढ़ में ए० आर० टी० ओ० के भ्रष्टाचार की शिकायत के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही किये जाने की मांग

67–श्री अंगद सिंह यादव––

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में ए० आर० टी० ओ० के भ्रष्टाचार की शिकायत के संबंध में प्रश्नकर्ता का जनवरी, 1992 में कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में शिकायतों की जांच का कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां ।

शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा

प्रश्न ही नहीं उठता ।

68–श्री विश्म्भर प्रसाद निषाद–

[6ठे मंगल में अता० प्रं० सं०-92 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्रीमती शान्ति कपूर के स्व० पति श्री य० प्र० कपूर, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य फर्रुखाबाद के पेंशन बीमा, ग्रेच्युटी आदि भुगतान विषयक प्रार्थना-पत्र तत्कालीन विधायक के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

69–श्री नरेन्द्र सिंह यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन विधायक का पत्र दिनांक 21-10-90 श्रीमती शान्ति कपूर के संलग्न प्रार्थना-पत्र के साथ जो उनके स्व० पति श्री य० प्र० कपूर, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य क० रा० रस्तोगी इण्टर कालेज, फर्रुखाबाद के नियमानुसार पेंशन, बीमा, ग्रेच्युटी आदि की देय राशि को स्वीकृत/भुगतान के संबंध में हैं, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या देय राशि स्वीकृत करके अवमुक्त कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और इस विलम्ब के लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला वाराणसी में स्थान दादूपुर (धक्कलगंज), ब्लाक बड़ागांव, में स्टेट बैंक खोले जाने की मांग

70–श्री ऊदल–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सथान दादूपुर (धक्कलगंज) ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में किसी भी बैंक की शाखा नहीं है और इस क्षेत्र से कालीन का निर्यात होता है तथा किसान बैंक के द्वारा लेन-देन करना चाहते हैं ? क्या सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को लिखेगी कि स्थान दादूपुर धक्कलगंज बाजार में स्टेट बैंक या यूनियन बैंक की शाखा खोलने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

वाराणसी जनपद में ब्लाक बड़ागांव में दादूपुर राजस्व ग्राम के अन्तर्गत धक्कलगंज बाजार है, जहां पर किसी बैंक की शाखा नहीं है । यह गांव सेवा क्षेत्र अवधारणा के अन्तर्गत, 5 कि० मी० की दूरी पर स्थित. काशी ग्रामीण बैंक की विरांव शाखा तथा नान टारगेट ग्रुप के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु 7 कि० मी० की दूरी (सड़क द्वारा) पर स्थित, भारतीय स्टेट बैंक की अनेई शाखा को आवंटित है । इस गांव तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में बुनकरों की संख्या अधिक है, परन्तु यहां से सीधे कालीन के निर्यात का कार्य नहीं होता । वास्तव में भदोही के व्यापारी यहां बुनकरों से कालीन तैयार कराकर सीधे निर्यात करते हैं ।

भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान शाखा प्रसार नीति के अनुसार शाखा प्रसार कार्यक्रम (90-93)के अन्तर्गत ग्रामीण केन्द्र दादूपुर का चयन नहीं किया गया । उपरोक्त परिस्थितियों में स्थान दादूपुर धक्कलगंज बाजार में स्टेट बैंक या यूनियन बैंक की शाखा खोलने हेतु भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को लिखने का प्रश्न नहीं उठता ।

71–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

[6ठे मंगल में अता० प्र० सं० 93 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

72–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

[दि० 30-3-92 को अता० प्र० सं० 12 द्वारा उत्तरित]

परिवहन निगम द्वारा बांदा से लखनऊ व लखनऊ से बांदा चलने वाली बसों को सुपरफास्ट के रूप में कर्वी (चित्रकूट) तक चलाने की मांग

73–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परिवहन निगम द्वारा बांदा से लखनऊ के लिये व लखनऊ से बांदा के लिये पांच बजे सुबह एक्सप्रेस बस सेवा आती जाती है ? यदि हां, तो क्या इन गाड़ियों को सुपरफास्ट के रूप में विस्तार करके कर्वी (चित्रकूट) तक जाने हेतु सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक इस विस्तृत सेवा की उपलब्धि जनसाधारण को हो सकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

74–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[7वें शुक्रवार में अता० प्र० सं० 171 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा द्वारा स्थानान्तरित श्री दिनेश कुमार यादव श्री अशोक कुमार सिंह को कार्यभार से मुक्त कर दिये जाने के बाद भी कार्य में न लेने विषयक प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

75–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 23 दिसम्बर, 91 से 31 दिसम्बर 91 के बीच में मुख्य मंत्री को तथा सचिव, वन को एवं प्रमुख वन संरक्षक को इस आशय का पत्र लिखा है कि प्रभागीय वनाधिकारी उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा ने 31 अगस्त, 91 को श्री दिनेश कुमार यादव/श्री अशोक कुमार सिंह वन रेंजर को कार्यभार से मुक्त कर दिया था और इसकी सूचना शासन को भी भेजी गयी थी तथा स्थानान्तरित वन रेंजरों से कार्य भी लेते रहे और शासन को गलत सूचना भेजी थी ? यदि हां, तो सरकार प्रभागीय वनाधिकारी के विरुद्ध गलत सूचना भेजने पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायतों की सतर्कता अधिष्ठान से छानबीन कराई जा रही है ।

श्री आर० एस० शुक्ला वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई वन विभाग उत्तर प्रदेश से जांच कार्य लेकर श्री के० सी० चौधरी वन संरक्षक आधुनिक अग्निशमक परियोजना को देने तथा वृक्षारोपण का भौतिक सत्यापन कराने की मांग

76–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 2 जनवरी, 1992 से 5 जनवरी, 1992 के बीच मुख्य मंत्री को तथा सचिव, वन को एवं प्रमुख वन संरक्षक को इस आशय का पत्र प्रेषित किया है कि श्री आर० एस० शुक्ला वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई वन विभाग उत्तर प्रदेश से जांच लेकर श्री के० सी० चौधरी वन संरक्षक आधुनिक अग्निशमन परियोजना के नेतृत्व में वृक्षारोपण का भौतिक सत्यापन कराया जाय ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्रों पर सतर्कता अधिष्ठान से छानबीन कराई जा रही है ।

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा में स्थित प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय के भवन के निर्माण कार्य को बिना टेण्डर मांगे ही विभाग द्वारा कराया जाना

77–श्री बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्ड़ा में स्थित प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय के भवन निर्माण में निर्माण कार्य विभागीय एजेन्सी द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो टेण्डर क्यों मांगा गया और कार्य विभाग द्वारा क्यों कराया गया ? इस वित्तीय अनियमितता के लिये उत्तरदायी कौन हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा के रेंज अधिकारी श्री दिनेश कुमार यादव/श्री अशोक कुमार सिंह के स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश को रद्द कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

78–श्री बाला प्रसाद–

क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 23 जनवरी, 1992 को इस आशय का पत्र उन्हें तथा सचिव, वन को एवं प्रमुख वन संरक्षक को लिखा था कि उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के रेंज अधिकारी श्री दिनेश कुमार यादव/श्री अशोक कुमार सिंह के द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच के स्थगन आदेश रद्द कराने के लिये वन विभाग द्वारा तत्काल प्रति शपथ पत्र माननीय उच्च न्यायालय में मुख्यालय के श्री आर० वी० सक्सेना को भेजकर दाखिल कराया ज़ाय और स्थगन आदेश को तत्काल रद्द कराया जाय ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

श्री दिनेश कुमार यादव तथा श्री अशोक कुमार सिंह, वन रेंजर, उत्तरी गोण्डा वन प्रभाग द्वारा अपने स्थानान्तरण के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय से प्राप्त किये गये स्थगन आदेश को निरस्त कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के रेंजों में कतिपय वृक्षारोपण कार्य हेतु आवंटित धनराशि की जांच विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

79–श्री बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 23 जनवरी, 92 को इस आशय का पत्र उन्हें तथा सचिव, वन को तथा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश को लिखा है कि उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के रेंज बनकटवा/बरहवा/तुलसीपुर/भांभर में वित्तीय वर्ष 1989-90/90-91/91-92 में विभिन्न योजनाओं से जो धनराशि वृक्षारोपण कार्य हेतु आवंटित की गयी है, शासन स्तर से श्री आर० एस० शुक्ला, वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन इकाई को जांच दी गयी थी जांच पुनः श्री बी० पी० मलेठा, मुख्य परियोजना निदेशक, देहरादून से करायी जाय ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नकर्ता के प्रश्नगत शिकायती पत्र पर सतर्कता अधिष्ठान से छानबीन कराई जा रही है ।

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, वन प्रभाग के रेंज अधिकारी श्री दिनेश कुमार यादव/श्री अशोक कुमार सिंह/श्री ओ० पी० सिंह के स्थानान्तरण आदेश के स्वगन को ''वैकेट'' कराये जाने की मांग

80–श्री बाला प्रसाद श्री घनश्याम शुक्ल––

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 9 अगस्त, 91 को शासन स्तर से उत्तर गोण्डा वन प्रभाग के रेंज अधिकारी श्री दिनेश कुमार यादव/श्री अशोक कुमार सिंह/श्री ओ० पी० सिंह का स्थानान्तरण वन संरक्षक, सरयू क्षेत्र, फैजाबाद के आदेश से जनपद सुल्तानपुर किया गया था तथा स्थानान्तरित रेंज अधिकारियों ने सितम्बर, 91 में मा० उच्च न्यायालय के लखनऊ खण्ड पीठ से स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था और न्यायालय के आदेशानुसार 1 अक्टूबर, 91 को पुनः रेंजों का प्रभार देने के लिए प्रभागीय वनाधिकारी ने आदेश कर दिया था ? वन विभाग द्वारा स्टे आर्डर को वैकेट कराने के लिये प्रति शपथ पत्र 23 जनवरी, 92 तक दाखिल नहीं किया ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? सरकार स्टे आर्डर को कब तक वैकेट करा रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

श्री दिनेश कुमार यादव तथा श्री अशोक कुमार सिंह, वन रेंजर, उत्तरी गोण्डा वन प्रभाग द्वारा अपने स्थानान्तरण के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय से प्राप्त किये स्थगन आदेश को ''वैकेट'' कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री ओ० पी० सिंह, नाम के वन रेंजर, उत्तरी गोण्डा वन प्रभाग में तैनात नहीं हैं ।

81–श्री घनश्याम शुक्ल–

[6ठे मंगल में अता० प्र० सं०–94 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोण्डा के कतिपय विकास खण्डों को कूप निर्माण हेतु आवंटित की गयी धनराशि के बावजूद भी पूर्ण न किये जाने पर सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने की मांग

82–श्री घनयाम शुक्ल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनवरी, 1991 से 15 जनवरी, 1992 के बीच में जनपद गोण्डा के विकास खण्डों को कूप निर्माण हेतु जो धनराशि आवंटित की गयी थी, खण्ड विकास अधिकारियों ने विकास खण्डों के ग्राम विकास अधिकारियों/ग्राम पंचायत अधिकारियों को अग्रिम रूप से धनराशि दे दी है और कूप का निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया गया ? यदि हां, तो सरकार उस प्रकरण पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० रा० स० प० निगम, लखनऊ के कार सेक्शन के प्रबंधक के पद पर गैर तकनीकी कार्यरत अधिकारी के स्थान पर तकनीकी अधिकारी की नियुक्ति किये जाने की मांग

83–श्री पूरन प्रकाश–

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० रा० स० प० निगम, लखनऊ के कार सेक्शन के प्रबन्धक का पद तकनीकी शाखा का है और वर्तमान में उस पर गैर तकनीकी अधिकारी कार्यरत है ? यदि हां, तो नियम के विरुद्ध नियुक्ति किये जाने का क्या औचित्य है तथा इनकी शैक्षिक योग्यता क्या है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर इनके स्थान पर तकनीकी अधिकारी की नियुक्ति किये जाने हेतु आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

परिवहन निगम के निदेशक मंडल के संकल्प सं०-1628/87 द्वारा प्रभारी प्रबन्धक, कार सेक्शन के पद पर सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के संवर्ग के किसी भी विधा के अधिकारी की तैनाती के निर्णय के अन्तर्गत वर्तमान में सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त) कार्यरत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इनकी शैक्षिक योग्यता बी० काम० है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जवाहर इण्टरकालेज गोहन, जालौन के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय की भूमि, दूसरे विद्यालय को स्थानान्तरित तथा लिपिक पदों पर अपने सम्बन्धियों की नियुक्ति करने के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग

84–श्री लालजी वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जवाहर इण्टरकालेज, गोहन, जिला जालौन जो सरकारी मान्यता एवं सहायता प्राप्त विद्यालय है, की भूमि, जिसकी आवश्यकता विद्यालय को है, को

किसी दूसरी संस्था या विद्यालयों को हस्तान्तरित की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा प्रबन्धक श्री जवाहर इण्टर कालेज, गोहन, जालौन के द्वारा विद्यालय की भूमि हस्तान्तरण करने के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक और कैसे ?

श्री राजनाथ सिंह–

विद्यालय की भूमि किसी अन्य संस्था को हस्तान्तरित नहीं की गई है । अतः प्रबन्धीकरण के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

* 85–श्री लालजी वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त गैर सरकारी इण्टर कालेजों में विद्यालय के प्रबन्धक तथा प्रधानाचार्य द्वारा अपने प्रबन्ध काल में सगे सम्बन्धियों को विद्यालय में उपलब्ध पदों पर नियुक्ति प्रदान किये जाने का प्रतिबन्ध होने पर भी श्री जवाहर इण्टर कालेज,गोहनवा जनपद जालौन में प्रबन्ध एवं प्रधानाचार्य के संबंधियों की नियुक्ति लिपिक पद पर की गयी है ? यदि हां, तो क्या इस नियम विरुद्ध नियुक्ति को समाप्त करने हेतु तथा नियुक्ति करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राजनाथ सिंह–

माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय-3 के विनियम-4 तथा 100 के प्राविधानों के अनुसार प्रधानाचार्य को अपने कार्यकाल में तथा प्रबन्ध समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों को अपने प्रबन्धकीय कार्यकाल में सगे-सम्बन्धियों को विद्यालय में उपलब्ध लिपिकीय पदों के विरुद्ध नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है ।

विद्यालय में लिपिक के पद पर प्रधानाचार्य एव प्रबन्धक के सगे सम्बन्धियों की नियुक्ति नहीं की गई है ।

86–डा० दिनेश जौहरी–

[दि० 23-3-92 को अता० प्र० सं० 126 द्वारा उत्तरित]

जनपद बरेली में किला ब्रिज से परसा खेड़ा तक सिटी बस सेवा चलाये जाने की मांग

87–डा० दिनेश जौहरी–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको जनपद बरेली में किला ब्रिज से परसाखेड़ा तक सिटी बस सेवा चलाये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 23-12-91 प्राप्त हुआ था जो कि समुचित कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० रा० स० प० निगम, लखनऊ को दिनांक 30-12-91 को भेज दिया गया था ? यदि हां, तो इस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या उक्त बस सेवा शीघ्र आरम्भ करने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां । निगम के सीमित संसाधन एवं बस बेड़े को दृष्टिगत रखते हुए किला से परसाखेड़ा के लिए नई सेवायें संचालित करना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

नोटः- (*) प्रश्न संख्या 85 की हेडिंग पूर्व प्रश्न संख्या 84 में सम्मिलित है।

जनपद महराजगंज के ग्राम रामनगर थाना बरगदवा में राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या के सम्बन्ध में पक्षी संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने की मांग

88–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामनगर थाना बरगदवा, जन० महराजगंज के किसी व्यक्ति के संरक्षण में दिए गये राष्ट्रीय पक्षी "मोर" की हत्या कर दिए जाने की सूचना दिनांक 20-11-91 को विभाग के स्थानीय अधिकारियों को प्राप्त हुयी थी ? यदि हां, तो पक्षी संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत इस घटना के बारे में स्थानीय विभागीय अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद महराजगंज के थाना बरगदवा के अन्तर्गत ग्राम रामनगर के दो व्यक्तियों द्वारा घायल किये गये मोर की सूचना ग्राम प्रधान श्री रवि प्रताप नारायण सिंह द्वारा दिनांक 15-9-91 को क्षेत्र सहायक मधोलिया तथा थाना बरगदवा को दी गई थी । उक्त मोर की उपचारोपरान्त ग्राम प्रधान की सुपुर्दगी में दिनांक 20-11-1991 को मृत्यु हो गई ।

मृत मोर को नष्ट करने तथा उसकी मृत्यु की सूचना समय से न देने के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान के विरुद्ध दिनांक 15-12-1991 को वैधानिक कार्यवाही हेतु मुकदमा दर्ज किया गया है ।

बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्राइवेट संस्थाओं को साइंस, कामर्स की मान्यता देने के साथ ग्रान्ट देने पर विचार करने की मांग

89–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बालिकाओं की शिक्षा के लिये कोई प्राइवेट संस्था जो हाईस्कूल व इण्टर कक्षाओं को चलाना चाहती है क्या सरकार उक्त बालिका विद्यालय को साइंस व कामर्स, की मान्यता साहित्यिक वर्ग के साथ-साथ देने का विचार कर रही है ? क्या शासन में ऐसे विद्यालयों को मान्यता के साथ-साथ ग्रान्ट भी देने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ? क्या सरकार बालिकाओं की शिक्षा के उन्नयन व हर प्रकार की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अलग से धन की विशेष व्यवस्था करेगी ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं, बालिकाओं को शिक्षा के उन्नयन व प्रसार हेतु कतिपय योजनायें पूर्व से ही हैं ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों की संस्था एवं उनके कुल चल व अचल सम्पत्ति का ब्योरा प्रस्तुत करने की मांग

90–श्री दल सिंगार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में विभिन्न पदों पर कुल कितने अधिकारी कार्यरत हैं ? क्या कार्यरत समस्त अधिकारियों ने शासनादेश के अनुरूप

अपनी कुल चल व अचल सम्पत्ति का व्यौरा दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार कब तक व्यौरा प्राप्त करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में विभिन्न पदों पर कुल 336 अधिकारी कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

मुख्य अभियंता के पत्रांक-11795/ग्रा० अभि० से०/स्थापना/गार्ड फाइल/84-85, दिनांक 26-9-84 द्वारा चल/अचल सम्पत्ति का व्यौरा मांगा गया था लेकिन किसी अधिकारी से प्राप्त नहीं हुआ है । मुख्य अभियन्ता द्वारा सम्बन्धित को पुनः स्मरण कराया गया है । इस संबंध में शासन द्वारा भी कड़े निर्देश दिए गए हैं ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्डों में ग्राम सभा में कूपों के निर्माण कार्य में आपूर्ति की गयी निम्न श्रेणी की ईंट की जांच कराये जाने की मांग

91–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1991 से 15 जनवरी, 1992 के बीच में जनपद गोण्डा के किस-किस विकास खण्ड के किस-किस ग्राम सभा में कूप निर्माण कार्य कराया गया है और किस-किस ग्राम सभा में कराया जा रहा है ? कूप निर्माण में ईंटों की आपूर्ति टेण्डर अथवा कोटेशन से ली गयी है या सीधे भट्ठा मालिकों से आपूर्ति करायी गयी है ? क्या ईंटें निम्न श्रेणी की हैं ? क्या सरकार शासन स्तर से किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

92–श्री विश्वनाथ–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

सीतापुर डिपो में चालू व खराब बसों की संख्या एवं आवागमन की सुविधा के लिए नयी बसें मंगाये जाने की मांग

93–श्री राम कृष्ण–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर डिपो से कितनी बसें सम्बद्ध है तथा कितनी चालू हालत में है ? कितनी बसें कब से खराब हैं ? क्या जनपद की जनता के आवागमन की व्यवस्था हेतु नई बसें मंगाई जा रही हैं ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश बिकल–

सीतापुर डिपो से 82 बसें सम्बद्ध हैं ।

73 बसें आन रोड हैं ।

दिनांक 29-3-92 को कुल 9 बसें आफ रोड थीं ।

माह नवम्बर, 1991 में 3 नयी बसें तथा माह फरवरी, 1992 में एक नयी बस सीतापुर डिपो को आवंटित की गयी हैं ।

जनपद आगरा में नील गायों किसानों की फसल को बचाने के लिए किये गये उपाय

94–श्री विजय सिंह राणा–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में नीलगायों से किसानों की फसल को नुकसान से बचाने के लिये अभी तक क्या उपाय किए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

आगरा जनपद में नीलगायों के किसानों की फसल को नुकसान से बचाने के लिये नीलगायों के आडिट परमिट के लिये स्थानीय अधिकारियों को अधिकृत करने की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है ।

जनपद वाराणसी में महिला पालिटेक्निक खोलने हेतु सरकारी योजना की जानकारी एवं स्वीकृत धनराशि

95–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव तथा श्री राजेश कुमार–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1990-91 में वाराणसी जनपद में महिला पालिटेक्निक खोलने की कोई सरकारी योजना की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो क्या अनुदान भी स्वीकृत हुआ था ? वह योजना क्या जुलाई सन् 1992 से शुरु की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

वर्ष 1990-91 में राजस्व मद में रु० 3.50 लाख एवं भवनों के निर्माण के मद में 40.00 लाख स्वीकृत किया गया था ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत सलारपुर-मोलनापुर मार्ग पर लगाये गये खड़ंजा में प्रयोग की गई ईंटों की "कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ" की जांच की मांग

96–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत सलारपुर-मोलनापुर मार्ग पर खड़ंजा लगाने का कार्य हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस कार्य में प्रयोग की गयी ईंटों की "कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ" का किसी मान्यता प्राप्त इन्स्टीट्यूट द्वारा परीक्षण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस कार्य का भुगतान परीक्षण के पश्चात् ही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

इस कार्य में लगायी गयी ईंटें प्रथम श्रेणी की हैं । इस संबंध में निश्चित शिकायत प्राप्त होने पर ईंटों की कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ का परीक्षण कराया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रम विभाग के सेवायोजन कार्यालय में अन्वेषक कम कम्प्यूटर के वेतनमान विषयक विसंगति को दूर किये जाने की मांग

97–श्री दौलत राम–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग के सेवायोजन कार्यलय में अन्वेषक कम कम्प्यूटर का वेतन क्रम दो प्रकार का क्यों दिया जा रहा है ? क्या यह सत्य है कि इनकी शैक्षिक योग्यता एवं पदनाम तथा कार्य की प्रकृति एक ही है ? यदि हां, तो एक को रु० 1400-2300 तथा दूसरे को 1200-2040 वेतनक्रम देने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार वेतन विसंगति दूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

समता समिति, उत्तर प्रदेश (1989) की संस्तुतियों के आधार पर निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के अधीन सेवायोजन कार्यालयों में कार्यरत अन्वेषक-कम-कम्प्यूटर के संवर्ग में तैनात पदधारकों जिनका वेतनमान रु० 470-735 था को शासनादेश संख्या 2058/36-5-7(297)/88, दिनांक 18 अगस्त, 1989 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान रुपये 1200-2040 स्वीकृत किया गया है परन्तु जिन अन्वेषक-कम-कम्प्यूटरों को पूर्व में रुपये 515–860 का वेतनमान वैक्तिक रूप से मिलता रहा है उन्हें वित्तीय हानि से बचाने के उद्देश्य से बाद में शासनादेश संख्या 1237(1)/36-5-7(297)/88, दिनांक 2 अप्रैल, 1990 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान रुपये 1400-2300 वैयक्तिक रूप से स्वीकृत किया गया है ।

जी हां ।

उपर्युक्तानुसार स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

गोण्डा में प्रा० पाठशाला व जूनियर हाईस्कूल के आर० इ० एस० द्वारा बनाये जा रहे अधूरे भवनों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

98–श्री बिन्दु लाल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोण्डा में प्रा० पाठशाला व जूनियर हाईस्कूल के भवन जो कि (आर० ई० एस०) द्वारा बनाये जा रहे थे गत कई वर्षों से अधूरे पड़े हैं ? यदि हां, तो कितने भवन अभी तक अधूरे हैं और किस-किस ग्राम सभा में हैं ? अधूरे भवनों के निर्माण के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

65 भवन अधूरे हैं । विवरण संलग्न है ।

32 पाठशाला भवनों को पूर्ण करा दिया जायेगा । शेष 33 भवन धनाभाव के कारण पूर्ण नहीं कराये जा सकते हैं । अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होने पर पूर्ण कराया जा सकेगा ।

(दिखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 236–238 पर)

वन प्रभागों में उ० प्र० ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञा निर्गत करते समय लेखपालों से खसरा/खतौनी की सूचना प्राप्त किया जाना

99–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर खीरी वन प्रभाग/दक्षिण खीरी वन प्रभाग, खीरी में ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पालन अनुमति देते समय सम्बन्धित तहसीलदार से खतौनी/खसरा को प्रमाणित कराया जाता है और उत्तर गोण्डा, वन प्रभाग/दक्षिण गोण्डा, वन प्रभाग,

गोण्डा में खतौनी/खसरा ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पातन अनुमति निर्गत करते समय सम्बन्धित तहसीलदारों से प्रमाणित नहीं कराया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

इन प्रभागों में उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अन्तर्गत अनुज्ञा निर्गत करने के पूर्व संबंधित लेखपालों से नियमानुसार खसरा/खतौनी की सूचना प्राप्त की जाती है जो अधिनियम के विरुद्ध नहीं है ।

उत्तर/दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा में ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत फलदार वृक्षों के पातन अनुमति बिना जिला उद्यान अधिकारी के प्रमाण पत्र के निर्गत किया जाना एवं दोषी वनाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

100–श्री घनयाम शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर खीरी वन प्रभाग/दक्षिण खीरी वन प्रभाग, खीरी में ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत फलदार वृक्षों का पातन अनुमति देते समय जिला उद्यान अधिकारी, खीरी से प्रमाण-पत्र लेकर पातन अनुमति निर्गत किया जाता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उत्तर गोण्डा, वन प्रभाग/दक्षिण गोण्डा, वन प्रभाग, गोण्डा में 5 जून, 1990 से 30 जून, 91 तक तथा 1 अक्टूबर, 1990 से 31 दिसम्बर, 91 तक ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत फलदार वृक्षों के पातन अनुमति बिना जिला उद्यान अधिकारी के प्रमाण पत्र के निर्गत किया गया है ? यदि हां, तो दोषी वनाधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र के वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 में जिला उद्यान अधिकारी से कोई प्रमाण पत्र पातन अनुमति निर्गत करने से पूर्व लिये जाने की व्यवस्था नहीं है । उत्तर/दक्षिण खीरी वन प्रभाग के वनाधिकारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर पातन अनुमति निर्गत करने से पूर्व जिला उद्यान अधिकारी का भी प्रमाण पत्र लिया जा रहा है ।

जी हां । गोण्डा वन प्रभाग में अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार ही पातन अनुमति निर्गत की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर/दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के प्रभागीय वनाधिकारियों के निवास/कार्यालय के दूरभाष पर व्यय धनराशि का विवरण

101–श्री घनयाम शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 जून, 1990 से 31 दिसम्बर, 1990 तक तथा 1 जनवरी, 1991 दिसम्बर, 1991 तक उत्तर गोण्डा, वन प्रभाग, दक्षिण गोण्डा, वन प्रभाग, गोण्डा के प्रभागीय वनाधिकारियों ने निवास/कार्यालय के दूरभाष पर कितनी धनराशि व्यय की है ?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर गोण्डा व दक्षिण गोण्डा, वन प्रभाग में निवास/कार्यालय के दूरभाष पर निम्न प्रकार व्यय हुआ :–

अवधि	उत्तर गोण्डा वन प्रभाग	दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग
5 जून, 1990 से 31 दिसम्बर, 1990 तक	रु० 7568.00	रु० 8723.00
1 जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर, 1991 तक	रु० 4898.00	रु० 1341.00

गोण्डा के प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरी तथा दक्षिणी, वन प्रभागों की विभागीय जीपों पर डीजल तथा मरम्मत पर व्यय धनराशि का विवरण

102–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 जून, 1990 से 31 दिसम्बर, 1990 तक तथा 1 जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर, 1991 तक प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर गोण्डा, वन प्रभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिण गोण्डा, वन प्रभाग, गोण्डा ने कितनी धनराशि विभाग के जीप पर डीजल क्रय करने में तथा मरम्मत कराने में व्यय की है ? क्या सरयू क्षेत्र फैजाबाद के अन्य प्रभागीय वनाधिकारियों से अधिक खर्च किया है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है और वित्तीय अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी कौन है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत अवधि में उत्तरी गोण्डा एवं दक्षिणी गोण्डा, वन प्रभागों में विभागीय जीपों के लिये डीजल तथा मरम्मत पर कुल रु० 1,28,196.34 की धनराशि व्यय की गयी ।

जी नहीं ।

काल्विन तालुकेदार कालेज लखनऊ द्वारा उ० प्र० शिक्षा अधिनियम का पालन न करने पर कार्यवाही किये जाने की मांग

103–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि काल्विन तालुकेदार कालेज, लखनऊ उ० प्र० शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत है क्या उक्त शिक्षा अधिनियम का कालेज परिपालन करता अनुसार चलता है ?

यदि हां, तो क्या सरकार यह जानती है ? यदि नहीं, तो उस पर विगत वर्षों में कोई कार्यवाही की गयी है ? क्या क्या उ० प्र० सरकार द्वारा दिये गये आदेशों का विद्यालय द्वारा अनुमोदन किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उ० प्र० सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क का कई गुना बढ़ा-चढ़ा कर शुल्क लिया जाता है ? यदि हां. तो उ० प्र० सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से कितना गुना ज्यादा लिया जाता है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

विद्यालय पूर्ण रूप से शिक्षा अधिनियम के प्राविधानों का पालन नहीं करता है ।

विद्यालय के विरुद्ध 16(डी०)के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है । शासन के किसी आदेश का विद्यालय द्वारा अनुमोदन दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जी हां, कई गुना अधिक शुल्क लिया जाता है । विद्यालय के विरुद्ध 16(डी) के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है

नगरीय सेवाओं के अन्तर्गत लखनऊ नगर में परिवहन निगम की बसों की संख्या एवं बढ़ती हुई आबादी के अनुसार बसों की आवश्यकता की जानकारी

104–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगर में परिवहन निगम की कुल कितनी बसें नगरीय सेवाओं के अन्तर्गत चल रही हैं ? नगरों की बढ़ती हुई आबादी के अनुसार अभी कितनी बसों की और आवश्यकता है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–––

लखनऊ नगर में परिवहन निगम की 45 बसें तथा रायल्टी भुगतान के आधार पर 10 मिनी बसें (निजी) नगर सेवाओं के अन्तर्गत संचालित हैं । इसके अतिरिक्त 18 उपनगरीय बसें भी लखनऊ की नगर सेवा हेतु प्रयुक्त होती हैं ।

सर्वेक्षण के आधार पर लखनऊ नगर में कुल 247 नगरीय बसों की आवश्यकता है ।

सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर के श्री राम चन्द्र सचान फारेस्ट रेंजर का स्थानान्तरण मुख्य वन संरक्षक बरेली द्वारा निरस्त किया जाना

105–श्री राम स्वरूप वर्मा तथा श्री विश्वनाथ–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामचन्द्र सचान, फारेस्ट रेंजर, धामपुर, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर के जून, 1990 से अगस्त, 1991 की अवधि में 6 बार स्थानान्तरण किये गये ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन द्वारा प्रतिबंधित समय (मध्य सत्र) में स्थानान्तरण करने के लिये प्रभागीय निदेशक, विजनौर व वन संरक्षक मुरादाबाद ने शासन से अनुमति प्राप्त की ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त रेंजर ने माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण में प्रभागीय निदेशक, बिजनौर एवं वन संरक्षक, मुरादाबाद द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उ० प्र०, लखनऊ/मुख्य वन संरक्षक, उ० प्र० पश्चिमी क्षेत्र बरेली तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री रामचन्द्र सचान, वन रेंजर, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर का जून, 1990 से अगस्त, 1991 की अवधि में केवल तीन बार स्थानान्तरण किया गया । श्री सचान, वन रेंजर को रेंज चार्ज देने हेतु प्रथम बार स्थानान्तरण माह जुलाई, 1990 में मुरादाबाद वन प्रभाग से बिजनौर वन प्रभाग को करते हुए बिजनौर वन प्रभाग की अफजलगढ़ रेंज में तैनाती की गयी ।

श्री सचान वन रेंजर का द्वितीय बार स्थानान्तरण उनकी स्वेच्छा पर नवम्बर, 90 में अफजलगढ़ राजि से धामपुर राजि को किया गया ।

श्री सचान, वन रेंजर का तृतीय बार स्थानान्तरण जुलाई, 91 में प्रशासनिक आधार पर धामपुर रेंज से नूरपुर रेंज को किया गया जिसको बाद में मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, बरेली के आदेश दिनांक 15-7-91 के अनुपालन में निरस्त कर दिया गया ।

जी नहीं ।

संबंधित शासनादेश की जानकारी नहीं थी ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में खोले गये पशु चिकित्सालयों की संख्या एवं उनमें डाक्टर, कम्पाउण्डर, चपरासी, स्टोरकीपर, चौकीदार की नियुक्ति की मांग

106–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कितने पशु चिकित्सालय किस-किस स्थान पर खोले गये हैं ? क्या प्रत्येक पशुचिकित्सालय पर डाक्टर, कम्पाउण्डर, चपरासी, स्टोरकीपर, चौकीदार नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक डाक्टर, कम्पाउण्डर, चपरासी, स्टोरकीपर, चौकीदार की नियुक्ति वहां कर दी जायेगी ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह–

जनपद आजमगढ़ में 45 पशुचिकित्सालय विभिन्न स्थानों पर खोले गये हैं ।

केवल 12 पशुचिकित्सालयों पर डाक्टर (पशुचिकित्साधिकारी) नियुक्त नहीं हैं । शेष सभी स्वीकृत पदों के विरुद्ध कर्मचारी नियुक्त हैं ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित पशुचिकित्साधिकारी उपलब्ध होने पर रिक्त पशु चिकित्सालयों पर नियुक्ति की जायेगी । अन्य पदों पर कर्मचारी नियुक्त है । स्टोर कीपर का पद स्वीकृत नहीं है ।

107–श्री विश्भर प्रसाद निषाद–

[दि० 23-3-92 को अता० प्र० सं० 112 द्वारा उत्तरित]

ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत लिपिकों की नियुक्तियों /पदोन्नति में जनपद सुल्तानपुर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा किये जाने की जानकारी

108–श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास विभाग में लिपिक संवर्ग में वर्ष 1986 से 1991 तक कितने पदों पर नियुक्ति और कितने पदों पर पदोन्नति की गयी है ? क्या की गयी नियुक्ति/पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा पूरा किया गया है ? यदि हां, तो सुल्तानपुर जनपद में की गयी पदोन्नति/नियुक्ति में कितने पदों पर अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति के व्यक्तियों/लिपिकों की पदोन्नति/नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

क्षेत्रीय प्रबन्धक उ० प्र० परिवहन निगम का गृह जनपद सुल्तानपुर में होने के कारण स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत अन्यत्र किये जाने की मांग

109–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ० प्र० परिवहन निगम क्षेत्र फैजाबाद का गृह जनपद सुल्तानपुर है जो कि फैजाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत परिवहन निगम का डिपो है ? यदि हां, तो क्या सरकारी कर्मचारी/अधिकारियों के लिये वर्तमान सत्र हेतु स्थानान्तरण नीति संबंधी शासनादेश संख्या-14-1-90-कार्मिक–2, दिनांक 8-7-1991 में निहीत निर्देशों के अनुसार वर्तमान क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ० प्र० परिवहन निगम, क्षेत्र फैजाबाद की तैनाती फैजाबाद क्षेत्र में वैध है ? यदि नहीं, तो क्या इनका स्थानान्तरण फैजाबाद क्षेत्र से अन्यत्र कहीं पर किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी नहीं । वर्तमान में क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री धर्मराज सिंह, फैजाबाद क्षेत्र में तैनात हैं जिनका गृह जनपद आजमगढ़ है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री डी० आर० सिंह की तैनाती उपरोक्त शासनादेश के अनुसार है । अतः उनके अन्य क्षेत्र को स्थानान्तरण करने का प्रश्न नहीं है ।

राजकीय सहायता प्राप्त अनुदानिक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रदान किये जाने की मांग

110–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का आरक्षण पूर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार राजकीय सहायता प्राप्त अनुदानिक शिक्षण संस्थानों में भी उपरोक्त वर्गों को आरक्षण प्रदान करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं

अशासकीय मान्यता एवं सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण का प्राविधान राजाज्ञा संख्या मा०/2642/15-7-19 दिनांक 12-7-78 एवं उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग नियमावली, 1983 के अन्तर्गत किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्व० नरेन्द्र दत्त पसपोला, प्रचार अधिकारी, शिक्षा प्रसार विभाग, इलाहाबाद के पद पर रहते हुए मृत्यु एवं उनके सेलेक्शन ग्रेड का भुगतान किये जाने की मांग

111–डा० बृजभान यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० नरेन्द्र दत्त पसपोला जिनकी दिनांक 5-4-89 को प्रचार अधिकारी, शिक्षा प्रसार विभाग, इलाहाबाद के पद पर रहते हुए सेवा काल में मृत्यु हो गयी थी उनके सेलेक्शन ग्रेड का भुगतान अभी तक क्यों नहीं किया गया है ? क्या यह सत्य है कि इसके कारण परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो उनका कब तक भुगतान करा दिया जायेगा ?

श्री राजनाथ सिंह–

चयन वेतन स्वीकृत किया जा चुका है और भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

अन्य देयकों का भुगतान कर दिया गया है ।

अतः स्व० श्री पसपोला के परिवार को इसके कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने का प्रश्न नहीं उठता ।

अप्रैल, 1992 के अन्त तक ।

जनपद लखनऊ के सदर बाजार में स्थित श्री अग्रसेन विद्या मंदिर जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत शिक्षक/गैरशिक्षक कर्मचारियों को कम वेतन का भुगतान करने के संबंध में बाद दायर किया जाना

112–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि श्री अग्रसेन विद्या मंदिर, जूनियर हाईस्कूल, सदर बाजार, लखनऊ में प्रत्येक छात्र से दो अलग-अलग रसीदों पर क्रमशः रु० 18 एवं रु० 12 (कुल रु० 30) प्रतिमाह फीस वसूल कर सिर्फ रु० 18 की रसीद का ही हिसाब किताब रखा जाता है तथा श्रम विभाग के जांच दल को एही हिसाब किताब दिखाकर धोखा दिया जाता है ? यदि हां, तो दूसरी रसीद पर वसूले गये रु० 12 प्रति छात्र, प्रतिमाह का हिसाब कहां रखा जाता है ? क्या मंत्री जी इस पूरे प्रकरण की जांच करवाकर जनता के धन की हेराफेरी कर धन हड़पने, श्रम विभाग को धोखा देने तथा आर्थिक अभाव का झूठा बहाना बनाकर अध्यापिकाओं को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन न देने के संबंध में श्री अग्रसेन विद्या मंदिर, जूनियर हाईस्कूल, सदरबाजार, लखनऊ के अध्यक्ष, प्रधानाचार्या एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करवाकर अध्यापिकाओं को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दिलवाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

प्रश्नगत विद्यालय के छात्रों से ली जाने वाली फीस एवं उसके हिसाब किताब के रखरखाव के मामले से बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग संबंधित हैं, को लिख दिया गया है ।

न्यूनतम वेतन के भुगतान के संबंध में जांच के समय पाया गया कि प्रश्नगत विद्यालय में नियोजित शिक्षक/गैर शिक्षक कुल 32 कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम भुगतान किया जा रहा है जिसके संबंध में निर्देशवाद दायर कर दिया गया है ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड गैसड़ी/पचपेड़वा में इन्दिरा हरिजन आवास/निर्बल वर्ग आवास योजना अन्तर्गत भवनों का निर्माण का विवरण एवं क्षतिग्रस्त आवासों की जांच कर दोषी अधिकारियों को दण्डित करने की मांग

113–श्री बाला प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1990 से 31 दिसम्बर 1990 के तथा 1 जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर, 1991 के तथा 1 जनवरी, 1992 से 20 जनवरी, 1992 के अवधि में जनपद गोण्डा के विकास खण्ड गैसड़ी/पचपेड़वा में कितने आवासों का निर्माण इन्दिरा आवास/निर्बल वर्ग आवास खण्ड विकास अधिकारियों की देखरेख में कराया गया ? निर्मित आवास कितनी संख्या में क्षतिग्रस्त हो गये हैं और कितने आवासों में लाभार्थी रह रहे हैं ? क्या सरकार क्षतिग्रस्त आवासों की जांच कराकर दोषी खण्ड विकास अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

निर्बल वर्ग आवास एवं इन्दिरा आवासों का विकास खण्डवार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	आवास निर्माण की अवधि	निर्मित आवास	
			निर्बल वर्ग आवास	इन्दिरा आवास
1	2	3	4	5
1	गैसड़ी	1-1-90 से 31-12-90 तक	40	30
		1-1-91 से 31-12-91 तक	10	19
		1-1-92 से 21-12-92 तक	–	10
2	पचपेड़वा	1-1-90 से 31-12-90 तक	40	16
		1-1-91 से 31-12-91 तक	8	26

दिनांक 1-1-92 से 20-1-92 तक विकास खण्ड पचपेड़वा के निर्बल वर्ग आवासों की सूचना "शून्य" है । 10 इन्दिरा आवास निर्माणाधीन है जिन्हें शीघ्र पूर्ण कराने हेतु जिलाधिकारी गोण्डा को निर्देशित कर दिया गया है ।

कोई भी आवास क्षतिग्रस्त नहीं हैं और सभी निर्मित आवासों में लाभार्थी रह रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जे० पी० शुक्ला, रेंज अधिकारी, बनकटवा/श्री रवीश चन्द्र श्रीवास्तव, यूनिट अधिकारी तुलसीपुर उत्तर गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की मांग

114–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री जे० पी० शुक्ला रेंज अधिकारी बनकटवा/श्री रवीश चन्द्र श्रीवास्तव यूनिट अधिकारी तुलसीपुर उत्तर गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा विद के पद से लेकर उप वनरेंजर रेंज अधिकारी वर्ष 1970 से 31 दिसम्बर, 91 तक उत्तर गोण्डा वन प्रभाग/दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग में ही कार्यरत हैं और प्रभागीय वन अधिकारी/वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक मध्य क्षेत्र लखनऊ के स्तर से कई बार स्थानान्तरण किया गया और 15 जून, 91 से 30 अक्टूबर, 91 के बीच में भी किया गया और पुनः मुख्य वन संरक्षक मध्य क्षेत्र ने स्थगित कर दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में इतने लम्बे कार्यकाल के बन रेंजरों को जनपद गोण्डा से बाहर स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

वन संरक्षक के स्तर से स्थानान्तरण किया गया था ।

जी हां ।

जी नहीं, वन संरक्षक सरयू क्षेत्र फैजाबाद द्वारा स्थगित किया गया था ।

वार्षिक स्थानान्तरण के समय विचार किया जायेगा ।

श्री भगवान दास, रेंज अधिकारी के बरेली कार्यकाल में वृक्षारोपण आदि पर व्यय हुई धनराशि के भुगतान के संबंध में कार्यवाही की मांग

115–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री भगवान दास रेंज अधिकारी रामपुर उत्तर गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा जब बरेली वन प्रभाग बरेली में रेंज अधिकारी के पद पर कार्यरत थे व इन्होंने बरेली के कार्यकाल में एक लाख रुपये से अधिक धनराशि का वृक्षारोपण आदि अन्य कार्य कराये थे ? क्या तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी श्री बी० डी० रतूड़ी ने बिल बाउचर स्वीकृत करके धन का भुगतान नहीं किया यदि हां तो सरकार बिल वाउचर के भुगतान के संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ।

श्री कल्याण सिंह–

श्री भगवान दास सिंह वर्ष 1989-90 में बरेली वन प्रभाग में सी० वी० गंज रेंज के प्रभारी अधिकारी थे । वर्ष 1989-90 में श्री बी० डी० रतूड़ी तत्कालीन प्रभागीय निदेशक द्वारा रुपये मात्र

1987 रु० के प्रमाणक पारित किये गये थे जिसे वृक्षारोपण के बजट के अभाव में लेखाबद्ध नहीं किया जा सका।

उक्त प्रमाणक को वित्तीय वर्ष 1991-92 में भुगतान कर लेखाबद्ध कर लिया गया है।

श्री काली प्रसाद उप वन रेंजर (रेंज अधिकारी) मुख्यालय उत्तर गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा के विरुद्ध अवैध कटान के आरोप सिद्ध नहीं पाया जाना

116–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री काली प्रसाद उप वन रेंजर (रेंज अधिकारी) मुख्यालय उत्तर गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा जब इसके पूर्व दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा में कार्यरत थे तो इनके विरुद्ध अवैध कटान कराने के आरोप पाये गये थे और जुर्माने की धनराशि इनके मूल वेतन से वसूल करने के आदेश दिये गये थे और वर्तमान समय में एक वर्ष से अधिक समय से बिना वेतन के रेंज अधिकारी के प्रभार पर बने हुए हैं ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? सरकार इनको रेंज के प्रभार से कब तक हटा रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं। इनके विरुद्ध अवैध कटान का आरोप सिद्ध नहीं पाया गया था और न ही जुर्माने की धनराशि इनके मूल वेतन से वसूल करने के आदेश दिये गये थे।

जी नहीं। वेतन के साथ रेंज अधिकारी के प्रभार पर बने हुए हैं।

श्री आर० एस० सिंह मुख्य वन संरक्षक मध्य क्षेत्र के अधिक समय से लखनऊ में रहने के कारण प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरित करने की मांग

117–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर० एस० सिंह मुख्य वन संरक्षक मध्य क्षेत्र लखनऊ अपने सेवाकाल में अधिक समय से वन निगम लखनऊ मुख्यालय तथा वन विभाग लखनऊ मुख्यालय में कार्यरत हैं और लखनऊ से बाहर इनका स्थानान्तरण बहुत कम समय के लिये किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में श्री सिंह का स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टिकोण से लखनऊ के बाहर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री आर० एस० सिंह, मुख्य वन संरक्षक पिछले दस वर्षों में निम्नलिखित पदों पर तैनात रहे हैं :–

(1) नवम्बर, 82 से नवम्बर, 85 तक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ० प्र० वन निगम, इलाहाबाद।

(2) दिसम्बर, 85 से मार्च, 86 तक महाप्रबन्धक, मैदानी क्षेत्र, उ० प्र० वन निगम, लखनऊ।

(3) मार्च, 86 से सितम्बर, 88 तक वन संरक्षक (प्रशिक्षण), सामाजिक वानिकी लखनऊ।

(4) सितम्बर, 88 से जुलाई, 89 तक अपर मुख्य वन संरक्षक (कुमायूं) नैनीताल

(5) जुलाई, 1989 से आज तक मुख्य वन संरक्षक (मध्य क्षेत्र) लखनऊ।

श्री आर० एस० सिंह, मुख्य वन संरक्षक (मध्य क्षेत्र) को लखनऊ के बाहर स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरयू क्षेत्र, फैजाबाद के उत्तर गोण्डा वन प्रभाग/दक्षिण गोण्डा प्रभाग गोण्डा के रेंज मुख्यालय/यूनिट सादुल्ला नगर में डिप्टी रेंजर श्री काली प्रसाद/श्री राम हरख को वन रेंजरों का प्रभार दिये जाने की मांग

118–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि सरयू क्षेत्र फैजाबाद के उत्तर गोण्डा वन प्रभाग/दक्षिण गोण्डा प्रभाग गोण्डा के रेंज मुख्यालय/यूनिट सादुल्ला नगर में डिप्टी रेंजर श्री काली प्रसाद/श्री राम हरख कार्यरत हैं और इन दोनों वन प्रभागों में डी० डी० आर० वन रेंजर प्रभागीय कार्यालय में सम्बद्ध हैं और सम्बद्ध वन रेंजरों को वन रेंजरों का प्रभार नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां । उत्तर गोण्डा वन प्रभाग में दो डी० डी० आर० रेंजरों को म्यूटेशन का तथा दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग में एक डी० डी० आर० वन रेंजर को अभिलेखों की वीडिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का प्रभारी बनाया गया है । वे फारेस्ट रेंजर के ही पद पर कार्यरत हैं और उन्हें उसका वेतन दिया जा रहा है ।

श्रम न्यायालय गोरखपुर में लम्बित औद्योगिक विवादों को निपटाने हेतु पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये जाने की मांग

119–श्री बच्चा पाठक–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम न्यायालय, गोरखपुर में अब तक कुल कितने औद्योगिक विवाद लम्बित हैं ? अक्टूबर, 1990 से अब तक कितने औद्योगिक विवादों का निपटारा किया गया है ? क्या यह भी बतायेंगे कि श्रम न्यायालय गोरखपुर में कितने दिनों से कोई पीठासीन अधिकारी तैनात नहीं हैं ? क्या किसी पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में कोई कार्यबाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

श्रम न्यायालय गोरखपुर में माह फरवरी, 1992 तक 2340 विवाद लम्बित थे ।

फरवरी, 1992 तक 298 विवादों का निस्तारण किया गया है ।

श्री मोहन सिंह एच० जे० एस० (सेवानिवृत्त) ने दिनांक 1 फरवरी, 1992 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है । इसके पूर्व अक्टूबर, 91 में अवकाश प्राप्त आई० ए० एस० अधिकारी श्री एस० सी० पन्त की नियुक्ति हुई थी जिनके कार्यभार ग्रहण न करने से अक्टूबर, 1991 से जनवरी, 92 तक पद रिक्त रहा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के रोडवेज डिपो में कार्यरत चालकों/परिचालकों की संख्या एवं उनकी कमी को पूरा करने एवं पर्याप्त मात्रा में स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराने की मांग

120–श्री विश्भर प्रसाद निषाद–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में कितने चालक एवं परिचालक कार्यरत हैं ? वहां पर कितनी बसें चालू हालत में हैं ? क्या रोडवेज बांदा में चालक एवं परिचालक की कमी को

पूरा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वहां पर्याप्त मात्रा में इंजन, एक्सल, बैरिंग, टायर आदि उपलब्ध कराये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

बांदा डिपो में 127 चालक तथा 121 परिचालक कार्यरत हैं ।

73 बसें चालू हालत में हैं ।

बांदा डिपो में सात चालको एवं चार परिचालकों की कमी है । इसी कमी को पूरा करने के लिये अन्य क्षेत्रों से स्थानान्तरित कर झांसी क्षेत्र में तैनाती कर दी गयी है ।

बांदा डिपो में पर्याप्त मात्रा में स्पेयर्स पार्ट्स उपलब्ध करा दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर के अन्तर्गत ग्राम-भंगारी स्थित दि दुर्गा बंसल फर्टिलाइजर कम्पनी के मालिकान द्वारा स्टाम्प की हेराफेरी के संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी

121–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर अन्तर्गत ग्राम भंगारी स्थित दि दुर्गा बन्सल फर्टिलाइजर कम्पनी नामक उर्वरक कारखाने के मालिकान द्वारा कारखाना लगाये जाने की आरम्भिक प्रक्रिया के दौरान सम्भावित उपयोग योग्य भूमि का क्रय करने और उसकी रजिस्ट्री कराये जाने में गम्भीर हेरा-फेरी करने भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु दिखाकर लाखों रु० की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी करके न केवल सरकारी राजस्व क्षति करके बल्कि भा० दं० वि० की धाराओं के अन्तर्गत आने वाली कोटि का अपराध भी किया है ? यदि हां, तो फैक्टरी मालिकान द्वारा जानबूझ कर की गयी इस स्टाम्प हेराफेरी के बारे में सरकार की ओर से अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद में सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कोटवा मोहम्मदपुर अकबरपुर, फैजाबाद की कतिपय लम्बित समस्याओं का निस्तारण सरकार द्वारा कराये जाने की मांग

122–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कोटवा मोहम्मदपुर, अकबरपुर, फैजाबाद नामक विद्यालय की क्षतिपूर्ति दिए जाने, अनुदान दिए जाने, अध्यापकों का विनियमितीकरण किए जाने, विद्यालय में पद सृजन किये जाने आदि की कार्यवाही इस विद्यालय को दिनांक 31-5-82से हाई स्कूल की मान्यता मिल जाने के बावजूद अभी तक नहीं पूरी करायी गयी है ?यदि हां, तो इस विद्यालय की उपरोक्त लम्बित समस्याओं का निस्तारण सरकार कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां, किन्तु विद्यालय की हाईस्कूल की मान्यता की तिथि 31-5-82 न होकर 31-5-84 है ।

समस्याओं का निस्तारण प्रबन्धतंत्र से वांछित पत्रजात/अभिलेख प्राप्त होने पर नियमानुसार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम विकास अभिकरणों में परियोजना अर्थशास्त्री तथा सहायक संख्याधिकारी अन्वेषण आदि के रिक्त पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों की सूची प्रतीक्षा सूची

123–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम्य विकास अभिकरणों में परियोजना अर्थशास्त्री तथा सहायक संख्या अधिकारी/अन्वेषक के रिक्त पदों व अन्य सम्भावित रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने हेतु संयुक्त विकास आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा दिनांक 9-8-89 को साक्षात्कार की प्रक्रिया द्वारा अभ्यर्थियों का चयन कर लिए जाने के बाद वरिष्ठताक्रम से बनी सूची तथा प्रतीक्षासूची का ब्योरा एवं नियुक्तियों के बारे में मानक निर्धारित करते हुए संयुक्त विकास आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद द्वारा पत्रांक-3010/स्था० प्र०/जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, दिनांक 11-8-89 द्वारा मण्डल के ग्राम्य विकास अभिकरण के अध्यक्षों को कोई गोपनीय पत्र जारी किया गया है ? यदि हां, तो इस मत्र में निर्धारित अभ्यर्थियों की सूची/प्रतीक्षा सूची सहित पत्र का बिन्दुवार विवरण क्या है ? क्या यह भी बतायेंगे कि इस पत्र की अनुपालन आख्या संयुक्त विकास आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को सम्बन्धित अध्यक्ष ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा प्रेषित करायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विबरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

जी हां।

नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों के आदेश की प्रति संयुक्त विकास आयुक्त फैजाबाद मण्डल फैजाबाद को संबंधित अध्यक्ष, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई। नियुक्त अभ्यर्थियों की सूची/प्रतीक्षा सूची विस्तृत होने के कारण, मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

124–श्री अंगद सिंह यादव–

[5वें मंगल में अ० ता० प्र० सं० 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ में रायबरेली मार्ग पर शिलान्यास किये गये अम्बेदकर विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने की मांग

125–श्री अंगद सिंह यादव––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में रायबरेली मार्ग पर तत्कालीन स्व० प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा डा० अम्बेदकर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

डा० बी० आर० अम्बेदकर विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य के लिये विस्तृत प्लान एवं डिजाइन संबंधित वास्तुविद् द्वारा तैयार किये जाने के उपरान्त निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर चम्पा अग्रवाल इण्टर कालेज में कार्यरत शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

126–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा ने तदर्थ रूप से नियुक्त प्रधानाचार्य, चम्पा अग्रवाल इण्टर कालेज, मथुरा के संबंध में अपने पत्रांक-अधिलेखा 2369-76/91-92, दिनांक 30-5-91 द्वारा संस्था के प्रबन्धक को निर्देश दिये थे कि तदर्थ प्रधानाचार्य को कार्यमुक्त कर दें तथा किसी शिक्षक के हस्ताक्षर प्रमाणित करके प्रति हस्ताक्षर हेतु भेजें ? क्या यह सही है कि उक्त पत्र के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दिनांक 10-6-91 को स्थगन आदेश दिया था जो आज भी प्रभावी हैं ? क्या यह सही है कि विद्यालय के 23 अध्यापक-कर्मचारियों को अक्टूबर, 91 से तथा प्रधानाचार्य को जुलाई, 91 से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है जबकि प्रबन्धक द्वारा प्रधानाचार्य सहित समस्त स्टाफ का वेतन बिल समय से ही निरीक्षक कार्यालय भेजे जाते रहे हैं ? जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरों से वेतन भुगतान मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी न किये जाने के क्या कारण हैं ? यह वेतन भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री राजनाथ सिंह–

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-17664/91 में दिनांक 10-6-91 को अन्तरिम आदेश पारित कर जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा के उल्लिखित आदेश दिनांक 30-5-91 के कार्यान्वियन पर रोक लगा दी है । उक्त विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री अयोध्या प्रसाद अग्रवाल द्वारा अपने वेतन आदि के भुगतान के संबंध में रिट याचिका संख्या-23238/90 दायर कर रखी है । उक्त दोनों याचिकायें मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

वेतन वितरण अधिनियम, 1971 के अधीन पारित एकल संचालन के आदेशों के विरुद्ध प्रबन्ध तन्त्र की याचिका पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है । यह मामला अब मा० न्यायालय के अधीन विचाराधीन है । जहां तक 23 अध्यापकों-कर्मधारियों को वेतन भुगतान किये जाने का प्रश्न है, जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा की आख्यानुसार सभी उपस्थित एवं कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नियमित रूप से फरवरी, 1992 तक का भुगतान किया जा चुका है ।

चम्पा अग्रवाल इण्टर कालेज, मथुरा के प्रधानाचार्य के वेतन भुगतान को लेकर श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, भू० पू० एम० एल० सी० द्वारा अनिश्चित कालीन अनशन एवं कार्यवाही की मांग

127–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या चम्पा अग्रवाल इण्टर कालेज, मथुरा के प्रधानाचार्य के वेतन भुगतान को लेकर, श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता. भू० पू० एम० एल० सी० (अलीगढ़) द्वारा उप शिक्षा निदेशक कार्यालय आगरा पर दिनांक 25-11-91 से अनिश्चित कालीन अनशन आरम्भ किया गया

था ? क्या यह सही है कि प्रधानाचार्य के वेतन भुगतान के संबंध में शासन शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) अपर शिक्षा निदेशक व उप शिक्षा निदेशक, आगरा ने अपने पत्र दिनांक 27-12-91, 29-10-91, 17-11-91 व 16-11-91 के द्वारा जि० वि० नि० मथुरा को वेतन भुगतान के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो क्या वेतन भुगतान कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शिक्षा मंत्री जि० वि० नि० मथुरा के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रश्नगत प्रकरण को लेकर श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, भूतपूर्व सदस्य, विधान परिषद् (अलीगढ़) द्वारा उप शिक्षा निदेशक कार्यालय, आगरा पर दिनांक 25-11-91 से अनिश्चित कालीन अनशन आरम्भ किया गया था । श्री अयोध्या प्रसाद अग्रवाल कार्यवाहक प्रधानाचार्य, चम्पा अग्रवाल इण्टर कालेज ने अपने वेतन आदि के संबंध में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिकायें 23238/90, 17664/91 दायर कर रखी हैं, जो अभी विचाराधीन है । श्री अग्रवाल को दिनांक 30-6-91 तक का भुगतान किया जा चुका है ।

जनपद व तह० मऊ के ग्राम सभा जगदीशपुर, अलीनगर एवं ग्राम सभा इन्दारा को जवाहर रोजगार योजना एवं इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि एवं किये गये कार्यों की जांच की मांग

128–श्री राम लखन

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद व तह० मऊ के ग्राम सभा जगदीशपुर, अलीनगर एवं ग्राम सभा इन्दारा को जवाहर रोजगार योजना एवं इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत कितनी-कितनी धनराशि वर्ष 1989-90 व 90-91 में आवंटित की गयी है ? अब तक विकास के कितने-कितने कार्य किये गये हैं ? क्या सरकार उक्त तीनों ग्राम सभाओं में किये गये कार्यों की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद व तहसील-मऊ के ग्राम सभा जगदीशपुर को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1989-90 में मु० 54,182.00 व 1990-91 में मु० 53,274.00 कुल योग मु० 1,07,456.00 रुपये की धनराशि आवंटित की गयी एवं इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत वर्ष 1989-90 व 1990-91 में कोई धनराशि आवंटित नहीं है ।

ग्राम सभा-अलीनगर को जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में मु० 1,22,631.00 एवं वर्ष 1990-91 में मु० 74,758.00 कुल योग मु० 1,97,389.00 रुपये की धनराशि आवंटित की गयी एवं इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है । वर्ष 1990-91 में मु० 48,000.00 की धनराशि आवंटित की गयी ।

ग्रामसभा इन्दारा को जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में मु० 1,58,264.00 एवं वर्ष 90-91 में मु० 69,206.00 कुल मु० 2,27,470.00 रु० की धनराशि आवंटित की गयी । इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में कोई धनराशि आवंटित नहीं है ।

ग्राम सभा जगदीशपुर में वर्ष 1989-90 में विकास के निम्न कार्य किये गये :–

1–मिट्टी कार्य	1500 मीटर
2–निर्बल वर्ग आवास कार्य	4 अदद

वर्ष 1990-91

1–कच्ची सड़क	1150 मीटर
2–खड़ंजा निर्माण	250 मीटर
3–हैण्डपम्प	10
4–पुलिया निर्माण	एक
5–निर्बल वर्ग आवास	तीन

ग्रामसभा अलीनगर में विकास के कार्य वर्ष 1989-90 व 1990-91

1–सम्पर्क मार्ग	1222 मीटर
2–खड़ंजा कार्य	677 मीटर
3–नाली निर्माण	4
4–निर्बल वर्ग आवास	6
5–ह्यूम पाइप	10

इन्दिरा आवास वर्ष 1990-91
दो आवास पूर्ण हैं चार निर्माणाधीन हैं

ग्राम सभा-इन्दारा में विकास के कार्य वर्ष 1989-90

1–मिट्टी कार्य	3575-50 मीटर
2–खडंजा कार्य	454-90 मीटर
3–नाली निर्माण	351-50 मीटर
4–पुलिया निर्माण	एक अदद
5–हैण्डपम्प मरम्मत	3

वर्ष 1990-91

1–मिट्टी कार्य	1225-40 मीटर
2–खडंजा कार्य	285-92 मीटर
3–नाली निर्माण	302-35 मीटर
4–हैण्डपम्प की जगत निर्माण	3

उक्त तीनों ग्राम सभाओं में किये गये कार्यों की जांच करायी गयी है । ग्राम सभा जगदीशपुर, अलीनगर में किया गया कार्य संतोषजनक पाया गया है ।

ग्राम सभा इन्दारा में मु० 29,544.94 रुपया का अधिक भुगतान पाया गया । प्रधान ग्राम सभा इन्दारा को निलम्बित कर दिया गया है ।

जनपद मऊ की घोसी तहसील के ग्राम सभा लखनी एंव ग्राम सभा मलेरी कोट को जवाहर रोजगार योजना एंव इन्दिरा आवास योजना के तहत आवंटित धनराशी एंव कार्यों की जांच की मांग

129–श्री राम लखन–

क्या ग्राम विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मऊ की घोसी तह० के ग्राम स॰ -लखनी एवं ग्राम सभा मलेरीकोट को जवाहर रोजगार योजना एवं इन्दिरा आवास योजना के तहत कितनीकितनी धनराशि विकास कार्यों हेतु वर्ष 1989-90 व 90-91 में आवंटित की गयी थी ? आवंटित धनराशि से कितने और क्या –क्या कार्य अब तक किए गए है ? क्या उक्त कार्यों को जांच कराने का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिह –

जनपद मऊ की घोसी तहसील के ग्राम सभा लखनी को जवाहर रोजगार योजना अंतर्गत वर्ष 1989-90 में मु० 1,09,288 रु० व वर्ष 90-91 में मु० 77,578 रु० कुल मु० 1,86,866 रु० रूपये की धनराशि आवंटित की गयी एवं इन्दिरा आवास योजना अंतर्गत वर्ष 1989-90 व 1990-91 में कोई धनराशि आवंटित नहीं है ।

ग्रामसभा-मलेरीकोट को जवाहर रोजगार योजना अंतर्गत वर्ष 1989-90 में मु० 47,317 रु० वर्ष 1990-91 मु० 16,783 रु० कुल मु० 64,100 रूपये की धनराशि आवंटित की गयी एवं इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत वर्ष 89-90 व 90-91 में कोई धनराशि आवंटित नहीं है । आवंटित धनराशि से ग्रामसभा लखनी में वर्ष 89-90 में 3 कार्य किए गए जो निम्न है :-

1–कुददुस खां के दरवाजे के सामने नाली का निर्माण कार्य ।

2–फेकू के दरवाजे से रब खां के दरवाजे के सामने नाली निर्माण कार्य ।

3–जीउत के दरवाजे से आगे से खड़ंजा कार्य ।

4–मस्जिद के सामने से पोखरी तक नाली निर्माण कार्य ।

5–तिक्कड पान्डेय पोखरी की खोदाई ।

6–चौहान बस्ती से नहर तक मिट्टी कार्य ।

7-शिवधारी के पुरवे से लखनी सम्पर्क मार्ग तक मिट्टी कार्य ।

8–निर्बल वर्ग आवास निर्माण ।

वर्ष 1990-91 में किये गये कार्य

आवंटित धनराशि से नौ कार्य किये गये जो निम्न हैं :–

1–ब्रह्म के स्थान से जगदीश सिंह के घर तक खड़ंजा कार्य ।

2–जगरनाथ के घर से राज अधीन के घर तक खड़ंजा कार्य ।

3–गनपत के दरवाजे से मैनेजर के घर तक खड़ंजा कार्य ।

4–मस्जिद से सलीम खां के घर तक खड़ंजा कार्य ।

5–केदार सिंह के घर से जगरनाथ सिंह के घर तक खड़ंजा ।

6–मुख्य मार्ग से ताहिरपुर होते हुए हरिलाल बस्ती तक मिट्टी कार्य ।
7–सोखा के पुरवे से नहर तक मिट्टी कार्य ।
8–पूर्वी पुरवे से नहर तक मिट्टी कार्य ।
9–ह्यूम पाइप की आपूर्ति 8 नग ।

आवंटित धनराशि से ग्रामसभा-मलेरीकोट में वर्ष 1989-90 में 5 कार्य किए गये जो निम्न हैं :-

1–नहर से हरिजन बस्ती तक मिट्टी कार्य ।
2–नहर से कमलापुर रामऔतार के घर तक होते हुए कोरौटी तक मिट्टी कार्य ।
3–मानिकपुर मलेरी से लखनी सम्पर्क मार्ग तक मिट्टी कार्य ।
4–मुख्य नहर से मलेरी गांव तक मिट्टी कार्य ।
5–ह्यूम पाइप का क्रय ।

वर्ष 1990-91 में किए गए कार्य

आवंटित धनराशि से प्रशासनिक मद में मु० 1605.00 रुपया व्यय किया गया है ।

ग्रामसभा लखनी में वर्ष 1989-90 व 1990-91 में किए गए कार्यों की जांच कर ली गयी है प्रधान ग्रामसभा-लखनी द्वारा कराये गये कार्यों के सापेक्ष मु० 424.00 रुपये अधिक व्यय की धनराशि ग्रामपंचायत लखनी के खाते में जमा करा ली गयी है । ग्रामसभा -मलेरीकोट में वर्ष 1989-90 व 1990-91 में किए गए कार्यों की जांच करायी जा रही है ।

मण्डलीय बालिका निरीक्षिका गोरखपुर द्वारा नेहरु स्मारक इण्टर कालेज, चौरी चौरा में अनुसूचित जाति के पद पर सामान्य वर्ग की नियुक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की मांग ।

130–श्रीमती शारदा देवी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डलीय बालिका निरीक्षिका, गोरखपुर ने नेहरु स्मारक इन्टर कालेज, चौरीचौरा में अनुसूचित जाति के पद पर सामान्य वर्ग की नियुक्ति की है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी अधिकारी द्वारा सम्पादित समस्त कार्यों की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराकर आवश्यक एवं उचित कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, गोरखपुर नियुक्ति प्राधिकारी नहीं हैं परन्तु अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद को सामान्य अभ्यर्थी से भरे जाने के मामले में अपर शिक्षा निदेशक (महिला) द्वारा जांच की जा रही है । जांचोपरान्त नियमान्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ?

संयुक्त विकास आयुक्त, फैजाबद मण्डल फैजाबाद के अधीनस्थ जनपद बाराबंकी के जिला ग्राम विकास अभिकरण कार्यालय में कुछ कर्मचारियों की प्रति नियुक्ति से सरकार को हुई हानि एवं कर्मचारियों की पदोन्नति अवरुद्ध होना

131–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि संयुक्त विकास आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद के अधीनस्थ जनपद में से जनपद बहराइच और बाराबंकी में जिला ग्राम विकास अभिकरण कार्यालय में परियोजना अर्थशास्त्री के पदों पर दूसरे विभाग के लोगों की प्रतिनियुक्ति किये जाने से सरकार को

* कितने राजस्व की क्षति पहुंची ? विभाग के सहायक संख्याधिकारी/अनवेषक पदों पर नियुक्ति अनुभवी और योग्य कर्मचारियों की पदोन्नति को अवरुद्ध रखे जाने के क्या कारण है ? सरकार इन प्रतिनियुक्तियों को कब तक जारी रखेगी और क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

132–श्री पवन कुमार पाण्डेय

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

133–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण हटाया गया]

प्रभागीय वनाधिकारी/सम्बन्धित रेंज अधिकारी, उत्तर गोण्डा वन प्रभाग/दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग को काश्तकारों की तथा वन विभाग की सीमा स्पष्ट करने हेतु प्रेषित आवेदन पत्रों पर कार्यवाही का विवरण

134–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 जून, 1990 से 31 दिसम्बर, 90 तक तथा 1 जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर, 91 तक प्रभागीय वनाधिकारी/संबंधित रेंज अधिकारी, उत्तर गोण्डा वन प्रभाग/दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग को कितने आवेदन पत्र किस-किस तारीख को इस आशय के प्राप्त हुए कि काश्तकारों की तथा वन विभाग की सीमा स्पष्ट नहीं है सीमांकन कराया जाय ? कितने आवेदन पत्रों पर सीमांकन कराया गया और उसमें कितने वृक्ष काश्तकारों के निकले और कितने वन विभाग के और कितने आवेदन पत्रों में सीमांकन कार्य नहीं कराया गया और क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग में उल्लिखित अवधि में इस आशय का कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग में उल्लिखित अवधि में इस आशय का कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग में कथित विषय से संबंधित प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या एवं तिथि निम्नांकित हैं :–

अवधि	आवेदन पत्रों की संख्या	तिथि
5 जून, 1990 से 31 दिसम्बर, 1990 तक	3	क्रमशः दिनांक 27-8-90. 26-11-90 एवं 18-12-90
1 जनवरी, 1991 से	4	क्रमशः दिनांक जनवरी, 91,

31 दिसम्बर, 91 तक	31-7-91 22-8-91 एवं 24-10-91

उक्त 7 आवेदन पत्रों में से 3 में सीमांकन कार्य कराया गया । इस सीमांकन से काश्तकारों के कोई वृक्ष नहीं निकले बल्कि सभी वृक्ष वन विभाग के निकले ।

4 आवेदन पत्रों पर सीमांकन कार्य नहीं कराया जा सका है, क्योंकि इनसे संबंधित पूर्व के गजट एवं अन्य अभिलेखों की गहन छानबीन की जा रही है ।

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग/दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग में विभिन्न योजनाओं में लगाये गये पौधों पर हुआ व्यय एवं वर्तमान में जीवित व सूखे पौधों का प्रतिशत

135–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 जून, 1990 से 31 दिसम्बर, 1990 तक तथा 1 जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर, 91 तक उत्तर गोण्डा वन प्रभाग/दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा में कितने लाख संख्या में विभिन्न योजनाओं में वन सीमा के अन्दर तथा वन सीमा के बाहर पौध लगवाया और पौध लगवाने पर कितना व्यय किया गया ? वर्तमान समय में कितने प्रतिशत पौधे जीवित हैं और कितने प्रतिशत सूख गये हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत अवधि में उत्तर गोण्डा वन प्रभाग/दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा में विभिन्न योजनाओं में वन सीमा के अन्दर तथा वन सीमा के बाहर कुल 34.01 लाख पौधे लगाये तथा उन पर कुल रु० 45,86,879.75 व्यय किया गया ।

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग में 75 से 80 प्रतिशत पौध जीवित रहे तथा 20 से 25 प्रतिशत पौधे सूख गये । दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग में 70 से 75 प्रतिशत पौध जीवित रहे तथा 25 से 30 प्रतिशत पौधे सूख गये ।

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग/दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग में सुरक्षा खाई खोदे जाने वाला कार्य एवं उस पर व्यय धनराशि को सत्यापन कराये जाने की मांग

136–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 जून, 1990 से 31 दिसम्बर, 1990 तक तथा 1 जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर, 91 तक उत्तर गोण्डा वन प्रभाग/दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा में कितना मीटर वन सुरक्षा खाई का कार्य कराया गया और कितनी धनराशि खर्च हुई ?क्या सरकार शासन स्तर से अधिकारी भेजकर इसका सत्यापन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत अवधि में दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग में 37,503 मीटर सुरक्षा खाई खोदी गई जिस पर रु० 2,09,131 व्यय हुआ । उत्तर गोण्डा वन प्रभाग में सुरक्षा खाई का खुदान नहीं कराया गया और न कोई व्यय हुआ ।

उक्त कार्य के संबंध में किसी अनियमितता की जानकारी नहीं है . अतः शासन स्तर से विशेष जांच/सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं हैं ।

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर गोण्डा वन प्रभाग/दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा द्वारा ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत पातन अनुमति की जमानत हेतु जमा/वापस की गयी धनराशि का विवरण

137–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 जून, 1990 से 31 दिसम्बर, 1990 तथा 1 जनवरी, 1991 से 15 जनवरी, 1992 तक प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर गोण्डा वन प्रभाग/दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा ने ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत पातन अनुमति की जमानत धनराशि प्रति वृक्ष 50 रुपये जमा करायी गयी थी ? किन-किन व्यक्तियों का जमानत धनराशि शर्तों के अन्तर्गत वापस करने के आदेश दिये हैं और इस अवधि में किन-किन व्यक्तियों की जमानत वापस नहीं की गयी हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग में शून्य तथा दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग में 6 व्यक्तियों को जमानत की धनराशि वापस करने के आदेश हुए हैं ।

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग में शून्य तथा दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग में 192 की जमानत की धनराशि वापस नहीं की गयी है ।

प्रभागीय वनाधिकारी उत्तर गोण्डा वन प्रभाग/दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा द्वारा निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत फलदार वृक्षों का पातन अनुमति निर्गत किये जाने का विवरण

138–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 जून, 1990 से 31 दिसम्बर, 90 तथा 1 जनवरी, 91 से 15 जनवरी, 1992 तक प्रभागीय वनाधिकारी उत्तर गोण्डा वन प्रभाग/दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा ने ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत फलदार वृक्षों का पातन अनुमति किस-किस व्यक्ति को किन-किन अधिकारियों की संस्तुति पर किस-किस ग्राम सभा में निर्गत की गयी हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

उक्त अवधि में प्रभागीय वनाधिकारी उत्तर गोण्डा, दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा द्वारा 107 व्यक्तियों को संबंधित ग्राम सभाओं में वृक्षों के पातन की अनुमति विभागीय अधिकारियों की संस्तुति पर दी गयी है, जिसके संबंध में पूर्ण सूचनायें मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध हैं जिसके किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है ।

139–श्री घनश्याम शुक्ल–

[दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

मुख्य मंत्री, सचिव वन, प्रमुख वन संरक्षक तथा मुख्य वन संरक्षक मध्य क्षेत्र लखनऊ वन संरक्षक सरयू क्षेत्र फैजाबाद को सांसदों, विधायकों तथा जनता से अवैध कटान के संबंध में प्राप्त पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

140–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें सचिव वन एवं प्रमुख वन संरक्षक को तथा मुख्य वन संरक्षक मध्य क्षेत्र, लखनऊ को व वन संरक्षक सरयू क्षेत्र फैजाबाद को एवं वन संरक्षक अवध क्षेत्र लखनऊ को 1 जुलाई, 1991 से 31 दिसम्बर, 91 तथा 1 जनवरी, 92 से 30 जनवरी, 92 तक माननीय विधायकों के तथा माननीय सांसदों के तथा जनता के कितने शिकायती पत्र अवैध कटान के संबंध में प्राप्त हुए ? जांच किस अधिकारी से करायी गयी और दोषी कौन-कौन लोग पाये गये ? कितने शिकायती पत्रों में जांच लम्बित हैं ? सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा के रेंज बरहवा/तुलसीपुर/भांभर तथा दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग के रेंज उतरौला/टिकरी यूनिट सादुल्ला नगर में अवैध कटान के संबंध में प्रश्नकर्ता का मुख्य परियोजना निदेशक को भेजे गये पत्र पर कार्यवाही

141–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 27 जनवरी, 92 से 29 जनवरी, 92 के बीच में कोई शिकायती पत्र उन्हें तथा सचिव वन को उत्तर गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा के रेंज बरहवा/तुलसीपुर/भांभर तथा दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग के रेंज उतरौला/टिकरी/यूनिट सादुल्ला नगर में करोड़ों रुपयों के अवैध कटान के संबंध में लिखा था और मुख्य परियोजना निदेशक को भेज कर कुप्पिंग कराने की मांग की थी ? यदि हां, तो सरकार इस प्रकरण पर क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती पत्रों पर सतर्कता अधिष्ठान से छानबीन कराई जा रही है।

जनपद सीतापुर के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत बनवाये जा रहे ककरहिया-बीहट गौड़ सम्पर्क मार्ग का कार्य रोकने के कारण व्यय किये गये धन की वसूली ग्राम प्रधान से करने की मांग

142–श्री बची सिंह रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेगे कि ग्राम सभा बीहट गौड ब्लाक पिसावां, जनपद-सीतापुर के ग्राम प्रधान द्वारा वन भूमि का अतिक्रमण करके जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत बनवाये जा रहे ककरहिया-बीहट गौड़ सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य अवैध पाये जाने के कारण रोक दिया गया है ? क्या इस सम्पर्क मार्ग पर अपव्यय किये गये धन की वसूली ग्राम प्रधान से की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

संबंधित सम्पर्क मार्ग परम्परागत है एवं अतीतकाल से चला आ रहा है तथा ककरहिया (अनुसूचित जाति बस्ती) के वासियों के ग्राम से बाहर जाने का यही एक मात्र रास्ता है । कार्य जनहित में है व इसमें प्रधान की कदाशयता परिलक्षित नहीं होती । भविष्य में सतर्क रहने हेतु चेतावनी दे दी गयी हैं ।

143–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधोगंज के ग्राम हरवल में ठाकुर जी महराज महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त किये बिना कार्य किया जाना

144–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद विकास खण्ड माधोगंज के ग्राम हरवल में ठाकुर जी महराज महाविद्यालय बिना किसी विश्व विद्यालय से मान्यता प्राप्त होने के बाद भी कार्य कर रहा है ? यदि हां, तो इसके लिये विभाग के कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां । उक्त कथित महाविद्यालय के कार्य करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच कानपुर विश्वविद्यालय से चल रही है ।

उच्च शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी दोषी नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता द्वारा मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, गोरखपुर के विरुद्ध शासन को प्रेषित शिकायती पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

145–श्रीमती शारदा देवी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 26-12-91 को उन्हें मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, गोरखपुर के विरुद्ध एक शिकायती पत्र शासन को दिया गया था ? यदि हां, तो उस शिकायती पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हां । मा० विधायक का दिनांक रहित शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था ।

जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संयुक्त विकास आयुक्त, फैजाबाद मंडल द्वारा सहायक संख्याधिकारी के लिये चयनित सूची के वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन करके बृजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति के संबंध में सम्पूर्ण सूची को पटल पर रखने की मांग

146–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी/अध्यक्ष ग्राम्य विकास अभिकरण, फैजाबाद द्वारा सहायक संख्याधिकारी के पद पर नियुक्ति किये जाने के क्रम में संयुक्त विकास आयुक्त फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद द्वारा दिनांक 11-8-89 को चयनित अभ्यर्थियों को जनपदवार नामांकन सूची के वरिष्ठताक्रम का उल्लंघन करके विकास प्राधिकरण, फैजाबाद के पूर्व सचिव के एक रिश्तेदार श्री बृजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति, आदेश संख्या-2465/डी० आर० डी० ए०/स्था० मु० लि०/91-92. दिनांक 5 जुलाई, 91 द्वारा कर दी गयी है ? यदि हां, तो चयनित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार पात्र अभ्यर्थी की क्रम से नियुक्ति न किये जाने के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करायी जायेगी ? क्या मंत्री ज़ी चयनित अभ्यर्थियों की सूची सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा प्रतापपुर-चमुर्खा में जवाहर रोजगार योजना के द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों का मूल्यांकन कराये जाने की मांग

147–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के अन्तर्गत आने वाली ग्राम सभा-प्रतापपुर-चमुर्खा में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत तथा अन्य निर्माण कार्यों का मूल्यांकन डी० आर० डी० ए० के सहायक अभियन्ता द्वारा कराये जाने और रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रेषित कराये जाने के बारे में कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी/पंचायत अनुभाग/फैजाबाद द्वारा दि० जनवरी, 18, 1991 को पंचायत राज अधिकारी के हस्ताक्षर से कोई पत्र परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फैजाबाद को प्रेषित कराया गया था ? यदि हां, तो क्या यह पत्र परियोजना निदेशक को प्राप्त हो गया था ? यदि हां, तो क्या पत्र के आशय के अनुसार ग्राम सभा प्रतापपुर चमुर्खा में कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यों का मूल्यांकन सहा० अभियन्ता द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो कब और उनकी मूल्यांकन आख्या क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

नहीं ।

इस जांच के आदेश के पूर्व ही अभियन्ता जिला परिषद् द्वारा जांच की जा चुकी थी । अतः पुनः उन्हीं के समकक्ष अधिकारी द्वारा जांच किया जाना उचित नहीं था ।

श्री धरेन्द्र कुमार सिंह, प्रवक्ता, जीव विज्ञान (तदर्थ) राजकीय इण्टर कालेज नाग राजाधार (बमुण्ड) टिहरी गढ़वाल का प्रधानाचार्य के विरुद्ध दिये गये शिकायती पत्र में वर्णित तथ्य के आधार पर न्याय प्रदान करने की मांग

148–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अगस्त, 1991 में श्री धरेन्द्र कुमार सिंह, प्रवक्ता, जीव विज्ञान (तदर्थ) जो राजकीय इण्टर कालेज, नागराजाधार (बमुण्ड) टिहरी गढ़वाल में कार्यरत थे, का शिकायती पत्र प्रधानाचार्य रा० इ० कालेज, नागराजाधार (बमुण्ड) टिहरी गढ़वाल के संबंध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में वर्णित तथ्य के आधार पर न्याय प्रदान किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों तथा उन्हें न्याय कब प्रदान कर दिया जायेगा ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ में स्थित मोतीलाल नहरू स्मारक इण्टर कालेज रामनगर बैजावरी में कार्यरत व्यायाम शिक्षक श्री भीमसेन व्यायाम शिक्षक द्वारा देयों के भुगतान के संबंध में रिट याचिका मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन

149–श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोती लाल नेहरू स्मा० ह० का०, रामनगर, बैजावरी, आजमगढ़ के व्यायाम शिक्षक श्री भीमसेन सिंह के वेतन अवशेष जुलाई, 85 से अप्रैल, 90 तक की समस्त जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त शिक्षा निदेशक, उ० प्र० लखनऊ द्वारा जि० वि० नि० आजमगढ़ को लम्बित भुगतान हेतु आदेश दिया गया ? यदि हां, तो क्या जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा

भुगतान हेतु समस्त पत्र व कागजात नियमों के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक (अर्थ०) इलाहाबाद के कार्यालय में मार्च, 1991 में भेज दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या भुगतान दिया गया ? यदि नहीं, तो उन्हें भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्री राजनाथ सिंह–

श्री भीमसेन सिंह, व्यायाम शिक्षक मोतीलाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज रामनगर, बैजवोरी, आजमगढ़ द्वारा अपने लम्बित देयों के भुगतान के संबंध में मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गयी है जो विचाराधीन हैं ।

उपविद्यालय निरीक्षक खीरी लखीम्पुर का विगत 20 वर्षों से लखीम्पुर में कार्यरत होने के कारणों की जानकारी

150–श्री राम सरन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपविद्यालय निरीक्षक खीरी-लखीमपुर पिछले 20 वर्षों से लखीमपुर में ही कार्यरत है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिलान्तर्गत ब्लाक वाइज स्वीकृत योजनाओं का विवरण

151–श्री हरिवंश सहाय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1990-91 तथा 91-92 में देवरिया जिलान्तर्गत ब्लाक वाइज कौन-कौन सी योजनायें दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुई हैं ? उनमें से कितने पर कार्य प्रारम्भ हुआ तथा कितने पर अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ ? कार्य प्रारम्भ न होने का कारण क्या हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

विवरण संलग्न है ।

सूचना संलग्न विवरण में उपलब्ध है ।

खड़ी फसल के कारण, भूमि न उपलब्ध होने तथा श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता न होने एवं विवादित भूमि की समस्याओं के कारण परियोजनाओं को आरम्भ नहीं किया जा सका ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 239–242 पर)

श्री आरिफ खां पुत्र श्री अब्दुल मन्नान खां, मोहल्ला घेरू यूसुफ खां, रामपुर की फील्ड वर्कर पद पर कार्यालय बाल श्रमिक कल्याण समिति मुरादाबाद में नियुक्ति एवं पद से अलग किये जाने का प्रकरण

152–श्री मोहम्मद आजम खां–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री आरिफ खां पुत्र अब्दुल मन्नान खां, मोहल्ला घेरू यूसुफ खां, रामपुर की पद-फील्ड वर्कर पर कार्यालय बाल श्रमिक कल्याण समिति, मुरादाबाद में दिनांक 21-4-90 को नियुक्ति हुई थी, जिनको दिनांक 11-9-91 को उक्त पद से अलग कर दिया गया है ? यदि हां, तो

क्या पद स्थायी/अस्थायी था ? क्या भविष्य में इस पद पर नियुक्ति होगी ? यदि हां, तो क्या इसी व्यक्ति को नियुक्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

बाल कल्याण समिति, मुरादाबाद एक ऐसी संस्था है जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है । यह समिति बाल श्रमिकों को शोषण से बचाने के ध्येय से भारत सरकार के मार्ग निर्देशन में तथा उनके द्वारा ही स्वीकृत एवं पोषित एक परियोजना को संचालित कर रही है । समिति में इस कल्याण कार्य के अन्तर्गत कोई पद स्थायी अथवा अस्थायी नहीं है । जरुरत पड़ने पर निश्चित कार्य के लिये रखे गये व्यक्ति से यह समिति आवश्यकतानुसार कार्य लेती है । यह मामला भी इसी प्रकार का है ।

इस सोसाइटी द्वारा श्री आरिफ खां पुत्र श्री अब्दुल मन्नान खां, मोहल्ला, घेरु यूसुफ खा रामपुर को दिनांक 21 अप्रैल, 1990 को रखना तथा 11 सितम्बर, 1991 को कार्य पृथक कराना बताया गया है । प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला उच्च न्यायालय के समक्ष है ।

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग/दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा में वन सुरक्षा पर व्यय की गयी धनराशि से कम अवैध कटान के मामले पकड़े जाना एवं सरकार द्वारा अवैध कटान रोकने के लिये अन्य उपाय किये जाने की मांग

153–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 जून, 1990 तथा 1 जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर, 1991 तथा 1 जनवरी, 1992 से 31 जनवरी, 1992 के बीच उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोंडा में वन सुरक्षा पर जितनी धनराशि सरकार द्वारा व्यय की गयी है उससे कम धनराशि के अवैध कटान के मामले वन सुरक्षा दल द्वारा पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार दोनों वन प्रभागों में अवैध कटान रोकने के लिए कोई अन्य उपाय करने के लिये विचार करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

अवैध कटान रोकने के लिये जंगल में वनकर्मी एवं सचल सशस्त्र पुलिस दल (वन सुरक्षा दल) तैनात है । समय-समय पर सीमित संसाधनों के होते हुए भी प्रभागीय वनाधिकारी, प्रभागीय उप वनाधिकारी एवं सहायक वन संरक्षकि संवेंदनशील क्षेत्रों में रात्रि गस्त करते हैं । स्थानीय अधिकारी अवैध कटान रोकने के प्रति सतत् जागरूक है और जहां कहीं भी अवैध कटान का मामला प्रकाश में आया, कार्यवाही की गयी तथा पूरी निष्ठा के साथ उसै पकड़ने का प्रयास किया गया । स्थानीय थानों के साथ तालमेल बनाकर अवैध कटान को प्रभावी रूप से रोकने में रात्रि गश्त एवं सचल टोली का महत्वपूर्ण योगदान रहा है ।

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं गम्भीर अनियमितता विषयक मुख्य सचिव उ० प्र० शासन को सम्बोधित संस्थान के कार्यकारी उपाध्यक्ष के पत्र पर कृत कार्यवाही का विवरण

154–श्री अशोक कुमार सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं गम्भीर अनियमितताओं विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित संस्थान के कार्यकारी उपाध्यक्ष के पत्र दिनांक 29-12-91 व 17-1-92 शासन को प्राप्त हुए हैं ?यदि हां, तो किन-किन वित्तीय अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के मामलों का पत्रों में उल्लेख किया गया है और शासन द्वारा उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?यदि नही, तो क्या सरकार अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के मामलों की सतर्कता विभाग द्वारा जांच करीयेगी ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

कार्यकारी उपाध्यक्ष के दो पत्र दिनांकित 27-12-91 और 17-1-1992 प्राप्त हुये हैं ।

पत्रों में उल्लिखित मामलों का विवरण संलग्न है जिनके संबंध में अधिकारियों से छानबीन की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

छानबीन के पश्चात् आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 243 पर)

जनपद इलाहाबाद में बारा तहसील के अन्तर्गत फूलतारा ग्राम में वन विभाग की 53 बीघे सुरक्षित भूमि को हड़पने वाले कर्मथारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

155–श्री राम सेवक सिंह–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के बारा तहसील के अन्तर्गत फुलतारा ग्राम में वन विभाग की 53 बीघे भूमि सुरक्षित है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उस जमीन को जिन कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा तथा अन्य लोगों द्वारा हड़प लिया गया है, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यह सही नहीं है कि उस जमीन को कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा हड़प लिया गया है, बल्कि प्रश्नगत ग्राम के कतिपय व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जिसे हटाया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कृष्ण कुमार यादव सेवा निवृत्त सहायक अध्यापक राजकीय दीक्षा विद्यालय बुढ़नपुर (मुरादाबाद) के जी० पी० एफ० भुगतान की मांग

156–श्री बनवारी सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री कृष्ण कुमार यादव सेवानिवृत्त सहायक राजकीय दीक्षा विद्यालय बुढुनपुर (मुरादाबाद) जून, 1990 में सेवा निवृत्त हुए थे ? यदि हां, तो क्या उनके जी० पी० एफ० (सामान्य भविष्य निधि) के 90 प्रतिशत का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान कब तक कराया जायेगा ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर में ग्राम अमोई, तहसील मड़ियान में दस लाख कूप निर्माण योजना में पुराने कुएं को निर्मित दिखाने के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

157–श्री भागवत पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अमोई, तहसील मड़ियान, जनपद मिर्जापुर में दस लाख कूप निर्माण योजना का धन, जिलाधिकारी, मिर्जापुर, अपर जिलाधिकारी-विकास मिर्जापुर एवं विकास खण्ड मड़ियान के कर्मचारियों द्वारा योजना में प्रयोग किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि उक्त ग्राम में लगभग 50 साल पुराने बने एक कुएं, जिसका व्यास लगभग 30 फुट है और एक सवर्ण के खेत में है, को योजनान्तर्गत निर्मित दिखाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इसके लिये दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कूप निर्माण पुराने गड्ढे का कराया गया है जिसका व्यास 22 फिट है जो कि सवर्ण के खेत में नहीं है बल्कि ग्राम समाज की जमीन पर चक संख्या-480 में है ।

कूप की जांच जिला स्तर से अपर जिलाधिकारी (विकास) मिर्जापुर द्वारा करायी गयी थी और संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी जिन्होंने कूप निर्माण कराया है, को दोषी पाये जाने पर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आरोप पत्र दिया गया है ?

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-बाराबंकी के हिन्दू इन्टर कालेज रुदौली के सहायक अध्यापक श्री मुमताज अली के वेतन से चयन वेतनमान अनुमन्य होने के बाद कटौती करने वाले दोषी व्यक्तियों को दण्डित किये जाने की मांग

158–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि जनपद-बाराबंकी के हिन्दू इन्टर कालेज, रुदौली के अध्यापकों को 16 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त राजाज्ञा संख्या–6696/15-8-1981-30-14-1981/29-12-81, के अन्तर्गत चयन वेतनमान अनुमन्य किया गया था तथा राजाज्ञा संख्या–6595(1)/15-8-82, दिनांक 12-10-84 द्वारा पूर्व में हुए अधिक भुगतान की धनराशि की वसूली स्थगित कर दी गयी थी ? यदि हां, तो श्री मुमताज अली, सहायक अध्यापक तथा अन्य अध्यापकों से प्रति व्यक्ति 3266 रु० की कटौती वेतन से करने का औचित्य क्या है ? क्या यह सत्य है कि इसी श्रेणी के अन्य अध्यापकों से इस प्रकार की कटौती वेतन से नहीं की गयी है ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस प्रकरण के लिए दोषी व्यक्तियों को क्या दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रकरण की जांच की कार्यवाही कराई जा रही है ।

जनपद बांदा में बांदा-हमीरपुर मार्ग पर सिकहुला बस स्टाप बनाये जाने एवं पैलानी घाट व जयपुरा में टीन शेड बनाये जाने की मांग

159–श्री विश्म्भर प्रसाद निषाद–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में बांदा-हमीरपुर मार्ग पर सिकहुला बस स्टाप बनवाया जायेगा ? यदि हां, तो क्या पैलानी घाट व जयपुरा में यात्रियों के बैठने के लिये टीन शेड भी बस स्टाप पर बनवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां । परिवहन निगम द्वारा अपनी बसों के लिये सिकहुला के फेयहर स्टापेज घोषित किया जा चुका है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निगम के सीमित संसाधनों एवं कठिन वित्तीय स्थिति के कारण बस शेल्टरों का निर्माण कराया जाना अभी सम्भव नहीं है ।

जनपद वाराणसी में गांव सभा-मडइयां (वीरम्पुर) ब्लाक सेवापुरी में इन्दिरा कालोनी की स्वीकृति निर्माण कार्य एवं चकबन्दी में उसके लिये छोड़ी गयी जमीन की जांच कराये जाने की मांग

160–श्री ऊदल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा-मडइयां (वीरमपुर), ब्लाक सेवापुरी, जिला-वाराणसी में इन्दिरा कालोनी (मुसहरों) स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो उसका निर्माण अब तक क्यों नहीं किया गया है ? क्या यह सही है कि मुसहरों के लिये आवास की जमीन भी चकबन्दी में छोड़ी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्ष 1990-91 में 6 इन्दिरा आवास स्वीकृत हैं ।

उक्त 6 आवासों में से 4 आवास पूर्ण हैं तथा शेष 2 आवासों का निर्माण कार्य भूमि कार्य भूमि विवाद के कारण नहीं हुआ है, उन्हें पूर्ण कराने हेतु जिलाधिकारी वाराणसी को निर्देशित कर दिया गया है ।

जी हां

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से लाकर बेची जा रही शराब से एक्साइज ड्यूटी व टैक्स की हानि को रोके जाने के उपाय किये जाने की मांग

161–श्री किशन गोपाल–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या प्रतिमाह सैकड़ों में होती है ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि प्रदेश में यह शराब दूसरे प्रदेशों से लाकर

बेची जा रही है; जिससे सरकार को करोड़ों रुपये एक्साइज ड्यूटी व टैक्स की हानि होती है ? यदि हां, तो इसे रोकने के लिये शासन क्या उपाय कर रहा है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

यह सही नहीं है कि प्रदेश में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या प्रतिमाह सैकड़ों में है । प्रदेश में किसी भी देशी शराब तथा विदेशी शराब की अनुज्ञापित दुकान से क्रय की गयी मदिरा के सेवन से किसी के मरने की सूचना शासन को नहीं है और न ही किसी भी आबकारी की अनुज्ञापित दुकान से जहरीली शराब बेची जाती है । दूसरे प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब लाकर बेचे जाने की बात भी गलत है । अतः इससे राज्य सरकार को एक्साइज ड्यूटी एवं टैक्स की हानि का प्रश्न नहीं उठता । करापवंचन को रोकने तथा सही मानक की मदिरा की उपलब्धता दुकानों पर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक देशी शराब की दुकान अथवा दुकानों के ग्रुप के लिये देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा निश्चित की गयी है और विषाक्त पेयों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु नियमित छापे, धरपकड़ के अतिरिक्त अवैध शराब के निर्माण, बिक्री के अड्डों के उन्मूलन के लिये समय-समय पर आबकारी विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाये जाते हैं ।

162–श्री किशन गोपाल–

[7वें शुक्रवार में अता० प्र० सं० 174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्रीमती शिवकली पत्नी राम कुमार, निवासी स्वराज्य कालोनी, बांदा को उप निबन्धक, बांदा के कार्यालय में जल वाहिका के रूप में कार्य करने के बावजूद निकाला जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

163–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र सं०-ख-830282, दि० 3-1-92 संस्थागत वित्त मंत्री को श्रीमती शिवकली पत्नी राम कुमार, निवासी स्वराज्य कालोनी, बांदा को उप निबन्धक बांदा के कार्यालय में 1975 से 1991 फरवरी तक जल वाहिका के रूप में कार्य करने के बावजूद भी निकाल दिये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई श्रीमती शिवकली को कब तक सेवा में ले लिया जायेगा ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां इस प्रकरण की जांच कराई जा रही है ।

164–श्री बाला प्रसाद–

(दिनांक 9-3-92 को अता० प्र० सं० 148 द्वारा उत्तरित)

ग्रामीण अभि० सेवा प्रखण्ड खीरी द्वारा कराये गये कार्यों की जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को लिखा गया पत्र एवं उस पर की गयी कार्यवाही

165–श्री बाला प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने कोई शिकायती पत्र ग्रामीण अभि० सेवा प्रखण्ड खीरी द्वारा कराये गये कार्य की जांच के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को लिखा था, और शिकायती पत्र को मूल रूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु संयुक्त सचिव मुख्य मंत्री ने दिनांक 7-1-92 को

सचिव ग्राम्य विकास को कोई निर्देश दिया था ? यदि हां, तो सरकार जांच किस एजेन्सी द्वारा करा रही है ? दोषी कौन-कौन लोग पाये गये है ? सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नकर्ता के प्राप्त दो शिकायती पत्रों दिनांक 26-12-91 पर जांच अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, परिमंडल नैनीताल से कराई जा रही है । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

प्रश्नकर्ता द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण जनपद खीरी के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में मा० मुख्य मंत्री को प्रेषित शिकायती पत्र पर कार्यवाही

166-श्री बाला प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने जिला ग्राम्य विकास अभिकरण जनपद खीरी के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराने के संदर्भ में कोई शिकायती पत्र लिखा था और संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री ने दिनांक 7-1-92 को सचिव ग्राम्य विकास को मूलरूप में पत्र भेजकर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिया था ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

कार्यवाही की जा रही है

167-श्री बाला प्रसाद–

(दि० 9-3-92 को अता० प्र० सं० 150 द्वारा उत्तरित)

जिला देवरिया के विकास खण्ड कप्तान गंज, ग्राम सभा साखो पार के प्रधान के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना की धनराशि हड़प लेने की शिकायत पर अनुशासनिक कार्यवाही की मांग तथा वर्षवार स्वीकृत धनराशि से कराये गये कार्यों का विवरण

168-श्री मिर्जा सुल्तान रजा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के अंतर्गत विकास खण्ड कप्तानगंज, ग्राम सभा साखेपार के प्रधान के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना की धनराशि हड़प लेने तथा ग्राम समाज की जमीन रुपया लेकर अवैध रूप से पट्टे पर देने की शिकायतें उन्हे जुलाई, अगस्त, 1991 में मिली है ? यदि हां, तो इन शिकायतों की जांच किसी उच्चाधिकारी से करायेंगे ? क्या शिकायतें सही पाई जाने पर सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा अन्य से उक्त योजना के अंतर्गत हड़प कर ली गई धनराशि की वसूली व अन्य अनुशासनिक कार्यवाही करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

शिकायत की जांच सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), विकास खण्ड कप्तानगंज से कराई गई। शिकायत निराधार पायी गई। अस्तु दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही एवं वसूली का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के विकास खण्ड कप्तानगंज को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दी गई धनराशि से कराये गये कार्यों की जानकारी

169—श्री मिर्जा सुल्तान रजा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड कप्तानगंज, जिला देवरिया के ग्राम सभा साखोपार को 1989-9, 1990-91 तथा वर्ष 1991-92 में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ? इस स्वीकृत धनराशि से क्या-क्या कार्य कराये गए है ?

श्री कल्याण सिंह—

विकास खण्ड कप्तानगंज,जनपद देवरिया के अन्तर्गत ग्राम सभा साखोपार को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वर्षवार निम्नवत धनराशि आवंटित की गई है :-

वर्ष	आवंटित धनराशि
1989-90	40,367
1990-91	49,379
1991-92	17,390

उक्त स्वीकृत धनराशि से कच्ची सड़क निर्माण, सामाजिक वानिकी, कूप मरम्मत, खड़ंजा व नाली निर्माण, निर्बल वर्ग आवास प्रशासनिक व्यय, अनुसूचित जाति के यहां हाथ नल, पंचायत भवन मरम्मत तथा चहारदीवारी निर्माण आदि के कार्य कराये गये हैं।

ग्राम साखोपुर, विकास खण्ड कप्तानगंज, जि० देवरिया के वर्ष 89, 90, 91 तथा 92 में विभिन्न योजनाओं से सामान्य एवं अनुसूचित जाति को दिये गये लाभों का विवरण

170—श्री मिर्जा सुल्तान रजा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा साखोपार में (विकास खण्ड कप्तानगंज, जिला देवरिया) ग्राम विकास विभाग की चल रही विभिन्न विकास योजनाओं के लिए किस-किस योजना के अंतर्गत कितने परिवारों को योजनावार वर्ष 89-90, 90-91 तथा 91-92 में लाभान्वित किया गया है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अनुसूचित जाति के लिए कितनी धनराशि मात्राकृत की गयी तथा इस से क्या-क्या कार्य वर्ष 89-90 से आज तक वर्षवार किया गया है ?

श्री कल्याण सिंह—

जनपद देवरिया के विकास खण्ड कप्तानगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा साखोपार में ग्राम विकास विभाग की चल रही विभिन्न विकास योजनाओं में लाभान्वित परिवारों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	योजना का नाम	लाभान्वित परिवारों की संख्या
89-90	एकीकृत ग्राम विकास योजना,	17
	जवाहर रोजगार योजना निर्बल वर्ग आवास	2
90-91	एकीकृत ग्राम विकास योजना	34
	जवाहर रोजगार योजना हाथ नल	9
91-92	एकीकृत ग्राम विकास योजना	13

अनुसूचित जाति के लिए वर्ष 89-90 में 5177.00 तथा वर्ष 90-91 में 8156.00 अर्थात मु०-13,333.00 रु० की धनराशि मात्रांकृत की गई । मात्रांकृत धनराशि से वर्ष 89-90 में 2 निर्बल वर्ग आवास तथा 90-91 में 9 हाथ नल लगाए गये ।

जनपद गोरखपुर में कैम्पियर गंज आई० टी० आई० कालेज के सम्बन्ध में भूमि अधिग्रहण हेतु लम्बित प्रस्ताव की जानकारी एवं भवन निर्माण को पूरा कराने की मांग

171-श्री फतेहबहादुर सिंह--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक कैम्पियर गंज, आई० टी० आई० कालेज, गोरखपुर के सम्बन्ध में भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव शासन द्वारा वर्ष 1988 से लम्बित पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि रुपये 4,10,000 (चार लाख दस हजार) जिलाधिकारी के खाते में जमा है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

जी हां । इस आई० टी० आई० के लिए जिलाधिकारी को रुपये 4,64,000/-(रुपये चार लाख चौसठ हजार मात्र) की धनराशि उपलब्ध करा दी गई है ।

भूमि अधिग्रहण संबंधी औपचारिकतायें पूर्ण कराई जा रही हैं ।

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा में बालिका इण्टर कालेज शीघ्र खोले जाने की मांग

172-श्री विश्म्भर प्रसाद निषाद--

क्या सरकार जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा में बालिका इण्टर कालेज शीघ्र खुलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीधे इण्टर कालेज खोलने की योजना न होने के कारण ।

बापू उपरौध इण्टर कालेज, मिर्जापुर में वाणिज्य विषय की मान्यता देकर कक्षायें चलाये जाने की मांग

173-श्री पूरन प्रकाश--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 20 दिसम्बर, 91 को बापू उपरौध इण्टर कालेज, लालगंज (मिर्जापुर) के मैदान में एक जनसभा में उक्त कालेज को वाणिज्य की मान्यता प्रदान किये जाने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो उस कालेज को उक्त मान्यता कब से प्रदान करके कक्षायें संचालित करा दी जायेंगी ? उक्त मान्यता किस स्तर की है और किस प्राविधान के तहत मान्यता प्रदान की गयी है ?

श्री राजनाथ सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, बांदा को लिखा गया पत्र एवं उसमें अंकित अनियमिततायें बरतने की शिकायतों पर की गयी कार्यवाही

174–श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने पत्र सं० ग-309407/53, दिनांक 2-11-91 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, बांदा को जो पत्र लिखा था उसका उत्तर व शिकायती पत्र में जो जानकारी मांगी गयी थी अब तक न देने का क्या कारण है ? क्या जो अनियमितायें बरतने की शिकायतें प्रश्नकर्ता द्वारा उन्हें मिली थी, जांच में वह सही पायी गयी हैं ? यदि हां, तो इस प्रकरण पर कार्यवाही क्या की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

संदर्भित पत्र में कोई शिकायत नहीं की गयी थी । पत्र द्वारा वांछित सूचना अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, प्रखण्ड बांदा के पत्रांक-191, दिनांक 5-2-92 के द्वारा प्रश्नकर्ता को प्रेषित कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में बांदा-हमीरपुर मार्ग पर बिना परमिट चल रही प्राइवेट बसें व टैक्सियों को, राजस्व की क्षति को देखते हुए बन्द किये जाने की मांग

175–श्री विश्म्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बांदा में बांदा-हमीरपुर मार्ग पर प्राइवेट बसें व टैक्सी अनधिकृत रूप से बिना परमिट के चल रही हैं ? क्या यह भी सही है कि इसी तरह बांदा-चिल्ला व बांदा-महोबा व बांदा-बहुआ मार्गों पर भी बिना परमिट के बसें रोडवेज अड्डे से सवारियां ले जाती हैं ? क्या रोडवेज बस अड्डा को प्राइवेट बस अड्डा बना दिया गया है ? क्या सरकारी राजस्व की क्षति रोकने हेतु राष्ट्रीयकृत मार्गों से बिना परमिट की प्राइवेट बसों व टैक्सियों को बन्द कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्राइवेट बस नं०-सी० पी० बी० 8632, यू० जी० टी० 19. एम० बी० 16/0523 राजेन्द्र बस सर्विस, महोबा, प्राइवेट बस नं०-यू० जी० 90/9835, यू० टी० एक्स० 1695 नीलू पीलू बस सर्विस, यू० टी० एक्स० 5995, यू० जी० एक्स० 358, टैक्सी नं० यू० टी० 1916 व यू० पी० 90/0117, प्राइवेट बस नं०-यू० टी० एक्स० 6206, यू० आर० के० 5749, यू० पी० एच० 857 आदि अनधिकृत रूप से बहुआ मार्ग पर व राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चल रही हैं ? क्या इन्हें बन्द कराया जायेगा, जिससे सरकारी क्षति न हो सके ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जी नहीं ।

राष्ट्रीयकृत मार्ग पर अनाधिकृत रूप से चलने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है तथा इस प्रक्रिया में और तेजी लाई जा रही हैं ।

वाहन सं०-सीपीवी-8632 परमिट नं०-50/एसटीए/वैधता 20-11-90 से 19-11-95 तक आल यू० पी० परमिट से आच्छादित है तथा वाहन सं० यूपी-90/0117 टैम्पो टैक्सी है जो परमिट से आच्छादित

है। यूपीएच-857 बस बांदा-बहुआ मार्ग पर अस्थायी परमिट से आच्छादित थी जो दिनांक 10-3-92 को समाप्त हो गया है । यूजीटी–19, एमवी–15/-0523, यूजीएक्स-358 तथा यूपी-90/9835 यूटी–1916 नम्बर की गाड़ियां नहीं हैं । यूटीएक्स-1695, यूटीएक्स-5995, यूटीएक्स–6206 तथा यूआरके 5749 नम्बर की गाड़ियां चेकिंग के दौरान चलती हुई नहीं पायी गयीं । यदि ऐसे वाहन राष्ट्रीयकृत मार्गो पर चलते पाये जायेंगे तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ताकि राजस्व की क्षति न हो ।

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान में आरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की उपेक्षा करके नियुक्तियां करने वाले दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

176–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान में आरक्षित स्थानों को भरने के लिये रोजगार कार्यालय से अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का नाम मंगाने, परीक्षा और साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर लिये जाने के बाद भी संस्थान के उपाध्यक्ष और निदेशक द्वारा रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति न करके मनमानी ढंग से अन्य सामान्य वर्ग के लोगों और ऐंसे लोगों को जो कि अस्थायी रूप से विभाग की सेवा करने के दौरान भ्रष्टाचार करने हेतु आरोपित थे, नियुक्त कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो आरक्षित पदों पर अनु० जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की उपेक्षा करके नियुक्तियां करने हेतु दोषी लोगों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान में रिक्त (नैत्यिक लिपिक) तृतीय श्रेणी के दो पदों को भरने के लिये क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ से अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के नाम मांगे गये थे । सेवायोजन कार्यालय से प्राप्त सूची के आधार पर उपस्थित अभ्यर्थियों के चयन हेतु दि० 26-8-91 को टंकण परीक्षा/लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार हुआ लेकिन कार्यकारी उपाध्यक्ष, उ० प्र० हिन्दी संस्थान ने उक्त परीक्षा और साक्षत्कार को निरस्त कर संस्थान में पहले से दैनिक वेतन पर कार्यरत श्रीमती कुसुम सिंह और श्री भैया लाल मौर्य को नियुक्त कर दिया । नियुक्त किये गये कर्मियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं हैं ।

मामले की छानबीन की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहंदर के अन्तर्गत ग्राम सभा गोगावां को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दिये गये धन के गबन के विषय में जांच एवं ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

177–श्री नरेश अग्रवाल–

प्रथम सत्र, 1992 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अता० प्र० संख्या 24 के उत्तर के संबंध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तकनीकी जांच सहायक अभियन्ता (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा० हरदोई द्वारा मुख्य-मुख्य कौन-कौन से बिन्दुओं की जांच की गयी ? इस संबंध में ग्रामवासियों अथवा संबंधित प्रमुख क्षेत्र समिति से जांचकर्ता द्वारा किन-किन तिथियों में सम्पर्क प्राप्त किया गया ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मोहन लाल शाह बालिका विद्या मंदिर इण्टर कालेज, नैनीताल की सहायक अध्यापिका श्रीमती भगवती जोशी के विनियमितीकरण विषयक प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही

178–श्री महेन्द्र प्रताप सिंह तथा श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहन लाल शाह बालिका विद्या मंदिर इण्टर कालेज, नैनीताल की कुछ अध्यापिकाओं का विनियमितीकरण वर्ष 1978 में हुआ था, किन्तु श्रीमती भगवती जोशी, सहायक अध्यापिका का विनियमितीकरण उस समय इसलिये न हो सका था क्योंकि उनको एल० टी० प्रशिक्षण से मुक्ति नहीं प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय बरेली के पत्रांक मान्यता/व/2488/88, दिनांक 29-12-88 द्वारा एल० टी० प्रशिक्षण की योग्यता से अब मुक्ति प्रदान कर दी गयी है ? क्या यह सही है कि श्रीमती भगवती जोशी ने वर्ष 1978 से विनियमितीकरण किये जाने हेतु अपना प्रार्थना पत्र मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, कुमायूं मण्डल, नैनीताल को दिया था जिस पर उन्होंने अपने पत्र संख्या-शि० स०/7961/68/बारह-1/88-89, दिनांक 1-2-89 द्वारा उक्त कालेज के प्रबन्धक को यह सूचित किया कि वांछित कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो श्रीमती जोशी की ज्येष्ठता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इस हेतु उन्हें 1978 से विनियमित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

विनियमितीकरण नहीं किया गया था, वरन् वर्ष 1978 में कुछ अध्यापिकाओं की नियुक्ति का अनुमोदन मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षक नैनीताल द्वारा दिया गया था ।

यह सही है कि श्रीमती भगवती जोशी सहायक अध्यापिका की नियुक्ति का अनुमोदन नहीं दिया गया, क्योंकि वह अप्रशिक्षित थीं ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत ब्लाक चित्रकूट की न्याय पंचायत कपसेठी के प्रधानों का शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता के संदर्भित पत्र सहित जवाहर रोजगार योजना धन के आवंटन में अनियमितता के संबंध में मुख्य मंत्री को दिया जाना एवं उस पर कृत कार्यवाही

179–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत ब्लाक चित्रकूट के न्याय पंचायत कपसेठी के प्रधानों का शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता के संदर्भित पत्र संलग्नक सहित जवाहर रोजगार योजना धन के आवंटन में अनियमितताओं संबंधी मुख्य मंत्री उ० प्र० शासन को दिया है जिसकी प्राप्ति पत्र सं०-सी० एम० वि० को०/एम०-3/36/264/व०-91, दिनांक 1-11-91 द्वारा दी गयी और सचिव ग्राम विकास को भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या इंगित न्याय पंचायत में ग्राम सभाओं की वर्ष 1981 की जनगणना की संख्या उपलब्ध है ? यदि हां, तो किस ग्राम सभा में कितना ? क्या अनुसूचित जाति की आबादी का विवरण उपलब्ध है ? यदि हां, तो ग्राम सभावार कितना ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जवाहर रोजगार योजना में वर्ष 1990 व 1991 में न्याय पंचायत कपसेठी में आने वाली ग्राम सभाओं को कितना धन आवंटित किया गया है ? इस धन आवंटन का क्या आधार और औचित्य क्या है ? क्या इसमें गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या

ग्राम सभाओं में धन का आवंटन मानक के आधार पर करके संशोधन किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

न्याय पंचायत कपसेठी के अन्तर्गत वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार ग्राम सभा वार आबादी एवं इसमें अनुसूचित जाति की आबादी निम्न प्रकार है :–

क्र० सं०	ग्रामसभा का नाम	आबादी	अनुसूचित जाति की आबादी
1	कपसेठी	1022	138
2	चन्द्रगहना	542	107
3	अभानपुर	932	52
4	नारायनपुर	251	144
5	पुरवातोराहा	1932	487
6	गोपालपुर	396	47
7	दिलौरा	1151	75
8	खुटहा	781	183
9	रानीपुरभट्ट	226	–
10	भभई	1274	259
11	खजुरिहा	822	74
12	रेहुटा	1179	113

न्याय पंचायत कपसेठी के अन्तर्गत आने वाली ग्राम सभाओं की जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 व 1991-92 में अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	ग्राम सभा का नाम	आवंटित धन	
		1990-91	1991-92
1	2	3	4
1	कपसेठी	29081	22261
2	चन्द्रगहना	34253	26221
3	अभानपुर	21060	16121
4	नारायनपुर	69529	53226
5	पुरवा तरोहा	76133	58280

1	2	3	4
6	गोपालपुर	26955	20634
7	डिलौरा	25227	19311
8	खुटहा	37715	28871
9	रानीपुरभट्ट	15820	12110
10	भभई	44389	33980
11	खजुरिहा	24241	18557
12	रेहुटा	29225	22372

वर्ष 1981 की जनसंख्या की आबादी के आधार पर ग्राम सभाओं को धनराशि आवंटित की गयी है । शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 1000 से कम जनसंख्या को 1000 माना गया है । तथा उसी अनुपात में अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या निर्धारित की गयी है ।

जी नहीं । धनराशि का आवंटन सभी गावसभाओं को शासन द्वारा निर्धारित फार्मूले के आधार पर किया गया है एवं इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ में ग्राम सभाओं के प्रधानों की जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत अनियमितताओं की जांच में दोषी पाये गये प्रधानों के विरुद्ध कार्यवाही

180–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मऊ में कितनी ग्राम सभाओं के प्रधानों की जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत अनियमितताओं की जांचें जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा करायी गयीं ? जांचोपरान्त कितने दोषी ग्राम प्रधानों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जनपद मऊ में 34 ग्राम सभाओं के प्रधानों की जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत अनियमितताओं की जांच जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा करायी गयी ।

जांचोपरान्त 12 दोषी ग्राम प्रधानों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील गौरीगंज के ग्राम सभा-लोहंगपुर के जवाहर रोजगार योजना के कार्यों की जांच की मांग

181–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि परगनाधिकारी, गौरीगंज, सुल्तानपुर व अतिरिक्त जिला अधिकारी, सुल्तानपुर, को सम्बोधित श्री गिरजा प्रसाद मिश्र पुत्र श्री सिद्ध नाथ मिश्र तथा अन्य हस्ताक्षरकर्ता ग्राम सभा लोहंगपुर, तह० गौरीगंज, जिला–सुल्तानपुर के पत्र क्रमशः दिनांक 21-12-90, 8-2-91 जिसमें उक्त ग्राम सभा में जवाहर रोजगार योजना के कार्यों की शिकायत व जांच की मांग की गयी है, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो किस अधिकारी ने जांच के बाद क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जालौन में केन्द्र सरकार की दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्य का विवरण

182–श्री श्रीराम–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में केन्द्र सरकार की दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत कार्य भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त योजना में केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त तथा प्रदेश सरकार की ओर से व्यय की जा रही धनराशि में क्या अनुपात है ? क्या इस योजना के अन्तर्गत कृषि भूमि का समतलीकरण व बन्धी निर्माण योजना, उन्हीं ग्रामों में प्रारम्भ की गयी हैं, जिसमे शासन की नीति के अनुसार 25 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जाति के काश्तकार लाभान्वित होंगे ? यदि हां, तो क्या जनपद जालौन के खण्ड विकास डकोर के चयनित ग्राम जलालपुर तथा ग्राम डकोर तहसील उरई में अनुसूचित जाति के काश्तकारों को निर्धारित प्रतिशत की संख्या में लाभान्वित कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि अपर जिलाधिकारी-परियोजना, जनपद जालौन द्वारा प्रोजेक्ट स्वीकार करने में शासकीय नियमों की अवहेलना की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

80 : 20 का अनुपात है ।

जी नहीं । शासन की नीति के अनुसार कुल उपचारित भूमि में से 25 प्रातशत भूमि लक्षित वर्ग के कृषकों के स्वामित्व में होना चाहिये । ग्राम डकोर में दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं कराया गया है । ग्राम जलालपुर में कार्य कराया जा रहा है जिसमें कुल 234.81 हेक्टेयर भूमि उपचारित होगी जिसमें से 67.541 हेक्टेयर भूमि लक्षित वर्ग के कृषकों की है, जो 29 प्रतिशत होती है, जो निर्धारित प्रतिशत से अधिक है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर जिले से प्रकाशित हिन्दी दैनिक "जग प्रकाश" एवं "स्टैन्डर्ड न्यूज" में बछावत कमीशन के वेतनमान को लागू करने व समाचार पत्रों के प्रसार की संख्या की जांच कराये जाने की मांग

183–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले से प्रकाशित हिन्दी दैनिक "जग प्रकाश" एवं "स्टैन्डर्ड न्यूज" में कितने श्रमजीवी पत्रकार बछावत वेतनमान के तहत सेवारत हैं ? क्या यह सच है कि इन दैनिक समाचार पत्रों द्वारा बछावत वेतनमान को पूर्णतया लागू नहीं किया गया है बल्कि कागजी खानापूरी मात्र की जा रही है ? क्या सरकार दैनिक जगप्रकाश/स्टैन्डर्ड न्यूज में बछावत वेतनमान पूरी तरह लागू किये जाने और इन समाचार पत्रों की प्रसार संख्या की सक्षम अधिकारी (उप निदेशक, प्रेस) को मौके पर भेजकर सत्यापन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मिर्जापुर जिले से प्रकाशित हिन्दी दैनिक "जग प्रकाश" में दो श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में बछावत वेतनमान लागू बताया जाता है । अन्य पर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अन्तर्गत बछावत वेतनमण्डल की संस्तुतियों को लागू करने के कारण अभियोजन दायर नहीं किया जा सका है । इसी जनपद से प्रकाशित "स्टैण्डर्ड न्यूज" में कोई भी श्रमजीवी पत्रकार नियोजित न होने के कारण बछावत वेतनमान लागू नहीं होता है ।

समाचार पत्रों के प्रसार की जांच एवं सत्यापन भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है ।

देवरिया जनपद में पूर्वांचल विकास निधि से चनकी घाट पर पक्का पुल बनाने के लिये स्वीकृत योजना एवं धनराशि को स्थानान्तरित/निरस्त किये जाने के कारणों की जानकारी

184–श्री हरिवंश सहाय–

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि से देवरिया जनपद में चनकी घाट पर पक्का पुल बनाने के लिये वर्ष 90-91 में योजना स्वीकृत हो चुकी थी तथा तत्कालीन मंत्री ने शिलान्यास भी किया था ? क्या इस पर 35 लाख रुपया धन भी आवंटित हुआ था ? यदि हां, तो किन कारणों से इस पुल की योजना अस्वीकृत की गयी है तथा इस रुपये को कहां स्थानान्तरित किया गया हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां ।

जी हां ।

जनपद देवरिया में चनकी घाट पर पक्का पुल का पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत धनराशि से पांच गुने से भी अधिक होने के कारण इसकी स्वीकृति निरस्त की गयी । इसकी तथा इसके साथ निरस्त कर एक अन्य पुल की धनराशि दो अन्य पुलों यथा "करैनी नाले पर देवरिया रुद्रपुर मार्ग के मध्य पुल" तथा "खनावा-तीर महानी घाट पर सेतु" के लिये स्वीकृत की गयी ।

185–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[6ठे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सुल्तानपुर, गांव सभा अमियां कलां, जगदीशपुर, बरुई, पन्ना टिकर, हनुमानगंज, ब्लाक भदैया को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दी गई धनराशि एवं व्यय आदि का विवरण दिये जाने की मांग

186–श्री बच्चा पाठक–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा अमियां कलां, जगदीशपुर, बरुई, पन्ना टिकर, हनुमानगंज, ब्लाक भदैया, जनपद सुल्तानपुर को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि दी गयी ? उस धनराशि में से कितना-कितना धन विभिन्न मदों में खर्च किया गया ? कच्ची सड़क निर्माण में कार्यरत मजदूरों का नाम, पिता का नाम, पता, कार्य का दिन व मजदूरी कितनी दी गयी ? कितने घन फुट मिट्टी की सड़क बनायी गयी व सड़क की लम्बाई-चौड़ाई कितनी है ? खड़ंजा बिछाने में ईंटों की संख्या, किस्म, दाम प्रति हजार ईंट क्या है ? ईंटों को बिछाने में मिस्त्री को कितने दिन के कार्य की कुल कितनी मजदूरी दी गयी ? कितनी धनराशि अवशेष है तथा इसे किस कार्य में खर्च किया जायेगा ? क्या शासन ब्लाक के अधिकारियों से टेक्निकल जांच करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली के बक्शपुर में कूप का निर्माण कार्य धनाभाव के कारण अपूर्ण होने की शिकायत

187–श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या ग्राम्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में खण्ड विकास अधिकारियों/ब्लाकों को पेयजल कूप, सड़क पुलिया बनाने का दायित्व वर्ष 89-90 व 90-91 मे सौंपा गया था ? यदि हां, तो वर्ष 89-90 के भीतर निर्धारित काम पूरा न कर पाने के लिये कितने खण्ड विकास अधिकारी दोषी पाये गये हैं ? वर्ष 90-91 के लिये निर्धारित व 89-90 का अवशेष निर्धारित अवधि मे पूरा न कर पाने के लिये कितने लोग दोषी पाये गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि अनुसूचित जातियों के लिये कुआं व पुलिया मार्च, सन् 90 या इसके पूर्व की स्वीकृति के बावजूद अब तक किन-किन विकास खण्डों में नहीं बन सकी हैं ? दोषी पर क्या कार्यवाही की गयी हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

कोई नहीं ।

कोई खण्ड विकास अधिकारी दोषी नहीं पाया गया केवल एक ग्राम पंचायत अधिकारी दोषी पाया गया है जिसे निलम्बित कर दिया गया है ।

अनुसूचित जाति के लिये कोई पुलिया चिन्हित नहीं की गई है तथापि विकास खण्ड, हिलौली में अनुसूचित जाति के लिये ग्राम बक्शपुर में विकास कर की मद से कूप का निर्माण कार्य वर्ष 87-88 मे ग्राम सभा के प्रस्ताव पर खण्ड विकास अधिकारी ने प्रारम्भ कराया था जो धनाभाव के कारण अपूर्ण है ।

इसके लिये कोई दोषी नहीं है । अतः कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिव चन्द्र यादव, फारेस्ट गार्ड, सुमेरपुर द्वारा अवैध वनों का कटान कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का जिला अधिकारी लखीमपुर खीरी को दिये गये पत्र पर कार्यवाही

188–श्री निर्वेन्द्र कुमार—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1327/91, श्री शिव चन्द्र यादव, फारेस्ट गार्ड, सुमेरपुर द्वारा अवैध वनों का कटान कराने के संबंध मे जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री सरदार पटेल इण्टर कालेज, रूम खेरहट खुर्द, इलाहाबाद के प्रधानाचार्य श्री लाल बहादुर सिंह द्वारा ग्रीन कार्ड के आधार पर अनियमित वेतन वृद्धि प्राप्त करना एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग

189–श्री रामसेवक सिंह—

`क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री सरदार पटेल इण्टर कालेज, रूम खेरहट खुर्द, इलाहाबाद के प्रधानाचार्य श्री लाल बहादुर सिंह ग्रीन कार्ड के अन्तर्गत विशेष वेतन वृद्धि प्राप्त कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ? क्या इनके तीन लड़के राजेन्द्र सिंह, विजय और अमित हैं ? यदि हां, तो

क्या इन्हें नियमानुसार विशेष वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए ? क्या शासन राजकोष से अनियमित भुगतान के विरुद्ध दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह—

उल्लिखित विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री लाल बहादुर सिंह प्रतिमाह रु० 100 वैयक्तिक वेतन के रूप में प्राप्त कर रहे हैं । जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 14-3-92 द्वारा उक्त वैयक्तिक वेतन के भुगतान पर रोक लगा दी है । प्रकरण की जांच करायी जा रही है । जांचोपरान्त प्रकरण में नियमान्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।

श्री जमुना दास, सेवा निवृत्त, चौकीदार, राजकीय इण्टर कालेज, कदौरा, जालौन की पेंशन को नये वेतनमान के अनुसार पुनरीक्षित किये जाने की मांग

190–श्री शिवनारायण प्रजापति—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जमुना दास, सेवा निवृत्त, चौकीदार, राजकीय इण्टर कालेज, कदौरा, जनपद जालौन की पेंशन शिक्षा निदेशक उ० प्र० इलाहाबाद द्वारा नये वेतनमानों के अनुसार पुनरीक्षित कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो किस संदर्भित आदेश द्वारा ? यदि नहीं, तो कब तक पेंशन पुनरीक्षित कर जायेगी ?

श्री राजनाथ सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर तुरन्त पुनरीक्षित पेंशन स्वीकृत की जायेगी ।

191–श्री बच्चा पाठक—

[6ठे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद महराज गंज में सिसवा निचलौल में अत्यधिक दूध उपलब्ध होने के कारण दुग्ध पट्टी घोषित किये जाने की मांग

192–श्री शिवेन्द्र सिंह

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज में सिसवा निचलौल में दूध अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र को दुग्ध पट्टी घोषित करेगी एवं उसका सर्वेक्षणं करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह

जी हां । दुग्ध पट्टी घोषित किये जाने का कोई प्रविधान नहीं है । प्रश्नगत जनपद का सर्वेक्षण कराया जा चुका है ।

जनपद सिद्धार्थ नगर स्थित ग्राम सभा हरैया में विकास खण्ड बांसी द्वारा प्राइमरी पाठशाला का निर्माण कराया जाना एवं उसमें प्रयुक्त सामग्रियों की खरीद आदि का विवरण

193-श्री श्याम नारायण–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विकास खण्ड बांसी, जनपद-सिद्धार्थनगर स्थित ग्राम सभा हरैया के प्राइमरी पाठशाला भवन का निर्माण विकास खण्ड बांसी द्वारा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उसमें प्रयुक्त सामग्रियों को कहां-कहां से कितने मूल्य में खरीदा गया है ? उसी ग्राम सभा स्थित पुराने प्राइमरी पाठशाला में प्रयुक्त ईंटें, छड़, लकड़ी एवं दरवाजे आदि का पूर्ण ब्योरा क्या है ?क्या वे सामान सुरक्षित रखे गये है अथवा उनको वैधानिक तरीकों से निर्माण में प्रयुक्त किया गया है ?

श्री कल्याण सिंह

जी हां । रुपये 72,618.00 की धनराशि निर्माण में व्यय की गई है जिसका विवरण संलग्न है । पांच हजार ईंट, ईंटों के टुकड़े तथा छड़ें हैं जिन्हें संबंधित प्राइमरी पाठशाला के प्रधानाध्यापक की देख रेख में सुरक्षित रखा गया है । पुराने प्राइमरी पाठशाला भवन में प्रयुक्त सामग्री का उपयोग नवनिर्मित प्राइमरी पाठशाला भवन में नहीं किया है ।

जी नहीं ।

शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 244-245 पर ।

दलित शिक्षा आन्दोलन के कार्यकर्ताओं द्वारा आन्दोलन/धरना एवं मुख्य मंत्री को दिये गये ज्ञापन पर की गई कार्यवाही

194-श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री कृपाया बतायेंगे कि दलित शिक्षा आन्दोलन के कार्यकर्ताओं द्वारा दिसम्बर, 1991 में विधान सभा के सामने कोई आन्दोलन/धरना हुआ था? यदि हां, तो आन्दोलनकारियों की मुख्य मांग क्या थीं ? क्या यह सच है कि आन्दोलनकारियों ने आन्दोलन के पूर्व मुख्य मंत्री को कोई ज्ञापन भी दिया था ? यदि हां, तो ज्ञापन के आधार पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सरदार पटेल इण्टर कालेज, रूम खेरहट खुर्द, इलाहाबाद की जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जांच एवं कार्यवाही को सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

195-श्री राम सेवक सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरदार पटेल इण्टर कालेज, रूम खेरहट खुर्द, इलाहाबाद की दिनांक 29-7-91 को जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद द्वारा जांच की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त तिथि की विभागीय जांच कार्यवाही को सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों क्या जांच में दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद श्री ए० पी० चौधरी, उल्लिखित विद्यालय में दिनांक 29-7-91 को जांच करने गये थे। जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमान्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

आर० पी० कालेज, कमालगंज, फर्रुखाबाद के पूर्व प्राचार्य के पुत्र एवं पुत्री की अवैधानिक तरीके से नियुक्ति, वेतन भुगतान तथा अन्य शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अवैधानिक भुगतान किये जाने की शिकायत

196-श्री राधेश्याम वर्मा–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आर० पी० कालेज, कमालगंज, फर्रुखाबाद के पूर्व प्राचार्य के पुत्र एवं पुत्री बिना पद सृजन, शैक्षिक योग्यता, चयन प्रक्रिया और अनुमोदन के अवैधानिक तरीके से कब से और किसके आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे है ? क्या पूर्व प्राचार्य ने अपने पुत्र की शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाकर जो अर्ह नहीं था अनुमोदन हेतु विश्वविद्यालय को फर्जी एम० एस-सी० का अंक-पत्र सत्यापित किया था ? क्या प्राचार्य का पुत्र/पुत्री उन्हीं के कालेज और उन्हीं के कार्यकाल में नियुक्त हो सकता था ? क्या इस सम्बन्ध में मंत्री जी कार्यवाही करायेंगे एवं अवैधानिक भुगतान की वापसी करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर

पूर्व प्राचार्य के नहीं बल्कि वर्ष 1969 से अभी भी प्राचार्य के पद पर कार्यरत श्री सूबेदार सिंह के पुत्र श्री अविनाश मोहन सिंह दिनांक 1-2-84 से एवं पुत्री कु० अर्चना सिंह 25-7-84 से वेतन संदाय हेतु स्वीकृत पद का अभाव होते हुए भी नियुक्त होकर शासकीय खाते से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। वेतन का भुगतान मा० न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में प्राप्त कर रहे हैं। श्री अविनाश मोहन सिंह की शैक्षिक अर्हता पूर्ण है तथा चयन प्रक्रिया के उपरान्त पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है परन्तु कु० अर्चना सिंह के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख विश्वविद्यालय में प्राप्त नहीं है। इसकी सत्यता की पुष्टि शिक्षा निदेशक (उ० शि०) द्वारा आगरा विश्वविद्यालय, आगरा से कराई जा रही है। जी हां, परन्तु परिनियमों के अनुसार चयन समिति की बैठक में प्राचार्य स्वयं भाग नहीं ले सकते थे, जबकि पुत्र एवं पुत्री दोनों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समितियों में श्री सूबेदार सिंह स्वयं उपस्थित थे। मा० न्यायालय के निर्णय प्राप्त होने पर तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

आर० पी० कालेज, कमालगंज में शिक्षकों एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों के फर्जी भुगतान के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय के आदेश

197-श्री राधे श्याम वर्मा–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा विभाग द्वारा आर० पी० कालेज, कमालगंज, फर्रुखाबाद में कितने शिक्षक एवं कितने शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का फर्जी अवैधानिक भुगतान हो रहा है? क्या इनमें उच्च न्यायालय के आदेश पर उप शिक्षा निदेशक के 1988 के निर्णय के विपरीत एक दफ्तरी का प्रधान लिपिक पद पर एवं एक रुटीन लिपिक का फर्जी भुगतान भी सम्मिलित है ? क्या शिक्षा मंत्री जी उक्त फर्जी अवैधानिक भुगतानों को रोककर वेतन वापसी करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर

उक्त प्रकरण की जांच शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा की जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायगी । प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत कतिपय ब्लाकों के प्राथमिक/माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में कार्यरत अध्यापकों तथा उनके संगठनों द्वारा अपर जिला विद्यालय निरीक्षक, अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कर्वी/लेखाधिकारी शिक्षा कार्यालय को कर्वी में स्थापित करने की मांग

198-श्री राम प्रसाद सिंह

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अंतर्गत कर्वी/मऊ सम्भाग के पांच ब्लाकों के प्राथमिक/माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में कार्यरत अध्यापकों तथा उनके संगठनों ने दिनांक 11-12-91 को अपर जिला अधिकारी, कर्वी के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करके मांगपत्र दिया है कि कर्वी/मऊ की दूरी को देखते हुए प्रशासनिक एवं सुविधा की दृष्टि से अपर जिला विद्यालय निरीक्षक कर्वी अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कर्वी लेखाधिकारी शिक्षा कार्यालयों को स्थगित किया जाये ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या उक्त कार्यालयों की स्थापना की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां, कथित मांग पत्र में उल्लिखित अपर जिला विद्यालय निरीक्षक, अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कोई पृथक कार्यालय नहीं है बल्कि जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी बांदा के कार्यालय है । यह सभी जनपदीय कार्यालय होने के कारण इनकी स्थापना कर्वी में किया जाना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के माध्यमिक सहायता व असहायता प्राप्त विद्यालयों में लिपिकों की संख्या एवं उन्हें प्रोन्नत वेतनमान व नकदीकरण की सुविधा दिये जाने की मांग

199–श्री खालिद गौरी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के माध्यमिक सहायता व असहायता प्राप्त विद्यालयों में अलग-अलग कितने लिपिक कार्यरत हैं क्या इन लिपिकों को प्रोन्नत वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इनको प्रोन्नत वेतनमान देने पर विचार करेगी ? क्या इन लिपिकों को नकदीकरण की सुविधा प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नेशनल इण्टर कालेज, पिंडरा, वाराणसी में साइंस खोलने हेतु शिक्षा विभाग, वाराणसी द्वारा शासन से अनुवाद की मांग

200–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इण्टर कालेज, पिंडरा, वाराणसी में सांइस कक्ष की कमी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि 90/91 में शिक्षा विभाग, वाराणसी ने, शासन को

साइंस कक्ष के लिये एक लाख रु० अनुदान देने के लिये अपनी आख्या भेजी है ? यदि हां, तो अब तक कितना अनुदान साइंस कक्ष के लिये सरकार ने दिया है ? यदि नहीं, तो कब तक धन दे दिया जायेगा ?

श्री राजनाथ सिंह–

ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री इण्टर कालेज, इगलास, अलीगढ़ में शासन के आदेशों का उल्लंघन करके जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा छंटनीशुदा अध्यापकों को भुगतान कराने के लिये दोषी अधिकारियों को निलम्बित किये जाने की मांग

201–श्री बच्चा पाठक–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लाल बहादुर शास्त्री इण्टर कालेज, इगलास, जिला अलीगढ़ में 12 फालतू अध्यापकों को जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ शासन के आदेशों का उल्लंघन करके धोखाधड़ी से 30 हजार प्रतिमाह भुगतान कर रहे हैं, जबकि शासन का स्पष्ट आदेश है कि इस तरह के अध्यापकों को दूसरे विद्यालयों में समायोजित किया जाय जहां अध्यापक कम है ? यदि हां, तो इस संबंध में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस तरह के मामलों में सरकार संबंधित उच्च अधिकारियों को दोषी पाये जाने पर निलंबित/बर्खास्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16(ङ) में यह प्राविधान है कि किसी संस्था के किसी कर्मचारी को, जो छटनीशुदा हो, का आमेलन उसी संस्था में या सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक की अधिकारिता के भीतर किसी जिले में स्थित किसी अन्य संस्था में होने वाली किसी स्थायी रिक्ति में किया जायेगा ।

उक्त प्राविधान के अधीन उल्लिखित विद्यालय के 11 फालतू अध्यापकों के समायोजन का प्रकरण विचाराधीन है ।

श्री जवाहर लाल नेहरू रघुनन्दन उ० मा० विद्यालय, यमुना मठ कासिली, देवरिया का चतुर्थ अनुरक्षण अनुदान संबंधी पत्र एवं उस पर कार्यवाही

202–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जवाहर लाल नेहरू रघुनन्दन उ० मा० विद्यालय, यमुना मठ कासिली, जनपद-देवरिया का चतुर्थ अनुरक्षण अनुदान संबंधी पत्र उन्हें दिनांक 3-9-91 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसे प्रमुख सचिव शिक्षा को कार्यवाही हेतु भेजा गया ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? आज तक अनुरक्षण अनुदान न भेजने के लिये कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

इस संबंध में शिक्षा निदेशक से आख्या अपेक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दयानन्द संस्कृत महाविद्यालय, मनियर, बलिया के प्रधानाचार्य के विरुद्ध गम्भीर आर्थिक अनियमितता एवं फर्जी शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियुक्ति कर धन वसूली की शिकायती पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

203–श्री भरत सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दयानन्द संस्कृत महाविद्यालय, मनियर, बलिया के प्रधानाचार्य के विरुद्ध गम्भीर आर्थिक अनियमितता करने एवं फर्जी शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्ति कराकर अवैध रूप से सरकारी धन आहरित करने के संबंध में विद्यालय के प्रबन्धक श्री शिवानन्द तिवारी का शिकायती-पत्र मई व जून, 1991 के बीच शासन के शिक्षा विभाग में प्राप्त है ? यदि हां, तो उपयुक्त दोषी प्रधानाचार्य के विरुद्ध उक्त जालसाजी तथा अनियमितता करने के संबंध में जांच होने के बावजूद दण्डित न करने का क्या कारण है ? दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

मामले की जांच जारी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री फरीद उद्दीन अय्यूब अध्यापक इस्लामियां इण्टर कालेज, लालबाग, लखनऊ के सेवा निवृत्त के उपरान्त वेतन वृद्धियां, सेलेक्शन ग्रेड, पेंशन आदि दिये जाने की मांग

204–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री फरीदउद्दीन अय्यूब अध्यापक इस्लामियां इन्टर कालेज, लालबाग, लखनऊ, 30 जून, 1985 में सेवा निवृत्त हुए हैं परन्तु उनकी रुकी हुई वेतन वृद्धियां, सेलेक्शन ग्रेड और उसका अन्तर जो उन्हें 1966 से मिलना था अभी तक नहीं मिला है और न ही बढ़े हुए वेतनमान से उनकी पेंशन का ही अभी तक निर्धारण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्री अय्यूब को रुकी हुई वेतन वृद्धियां, सेलेक्शन ग्रेड, उसका अन्तर और पेंशन (बढ़ी हुई) दिये जाने का तत्काल आदेश देने एवं इस संबंध में शिथिलता बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क़्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सिद्धार्थ नगर के जोगिया उदयपुर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य का नाम एवं उनके वेतन भुगतान के आधार की जानकारी

205–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर के जोगिया-उदयपुर में कोई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है ? यदि हां, तो उसके प्राचार्य का नाम क्या है और उन्हें नियमित रूप से प्रतिमाह वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो वेतन के भुगतान का आधार क्या है ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शिक्षा विभाग में वरिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ सहायक के पद पर की गयी पदोन्नति में अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित पदों को न भरे जाने की शिकायत

206–श्री श्यामदेव राय चौधरी –

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 में वरिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ सहायक के पद पर की गयी पदोन्नति में अनुसूचित जाति के लिये निर्धारित आरक्षित पदों को क्यों नहीं भरा गया है ? नवम्बर, 1987 से अब तक कितने पदों को भर दिया गया है तथा शेष पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? क्या यह सही है कि वरिष्ठता सूची प्रकाशित किये बगैर जो पदोन्नतियां की गयी हैं, उनमें वरिष्ठ की पदोन्नति नहीं हो पायी है ? यदि हां, तो उस पदोन्नति के अभाव में संबंधित कर्मचारी की जो आर्थिक क्षति हुई है, उसके लिये कौन उत्तरदायी है ? उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

शिक्षा विभाग (बेसिक/माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत) के कार्यालया में नियमानुसार पात्र अर्ह एवं उपयुक्त अनुसूचित जाति के वरिष्ठ लिपिक उपलब्ध न होने के कारण ।

47, शेष पदों को वरिष्ठ लिपिक स्रोत संवर्ग में अनुसूचित जाति के पात्र, अर्ह एवं उपयुक्त उपलब्ध होने पर जी हां, नियमानुसार के वरिष्ठ लिपिक जो उपयुक्त पात्र एवं अर्ह नहीं थे, पदोन्नति नहीं हो पाई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरदोई में विकास विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत श्रीमती रोशन जहां की माता की सुविधा हेतु नियम विरुद्ध जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा पेशमेकर लगाये जाने के द्वारा दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

207–श्री चरन सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती रोशन जहां जो विकास विभाग में लिपिक के पद पर हरदोई में कार्यरत हैं, की माता को पेशमेकर की सुविधा हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से लगभग 11,000 रु० (ग्यारह हजार रुपया) का भुगतान पिछले सितम्बर के प्रथम सप्ताह में किया गया है जबकि उनके पिता व बड़े भाई आदि सभी मौजूद हैं और पैतृक सम्पत्ति भी शाहाबाद नगर में पर्याप्त रूप से उपलब्ध है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जब श्रीमती रोशन जहां की माता के पेशमेकर लगाया गया उस समय वे जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में नियुक्त थीं ? यदि नहीं, तो अभिकरण की धनराशि का अपव्यय क्यों व किस अधिकारी द्वारा किया गया और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

श्रीमती रोशन जहां, लिपिक की माता जो कि उनकी विषम पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उन पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं, को लगाये गये पेशमेकर के मूल्य रु० 10,972 की प्रतिपूर्ति जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी की बैठक दिनांक 16-2-91 में लिये गये निर्णय/अनुमोदन के पश्चात की गयी ।

श्रीमती रोशन जहां अपनी माता के पेशमेकर लगने के समय अपने पैत्रिक विकास विभाग में कार्यरत थीं ।

अभिकरण की धनराशि के अपव्यय होने के संबंध में ग्राम्य विकास आयुक्त को जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड कटेहरी में ब्लाक मुख्यालय के परिसर में अवैध निर्माण का विधायक श्री पवन कुमार पाण्डेय द्वारा शिलान्यास किये जाने विषयक पूर्व मंत्री श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा जिलाधिकारी फैजाबाद को भेजा गया शिकायती-पत्र एवं उस पर की गयी कार्यवाही

208–श्रीं विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी हैं कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड कटेहरी में ब्लाक मुख्यालय के परिसर में एक अवैध और अनाधिकृत निर्माण करके 20 अगस्त, 1991 को उस शिवसेना विधायक पवन कुमार पाण्डेय और बजरंग बली चौबे के नाम से शिलान्यास का पत्थर लगाया गया है जिसके बारे में पूर्व खाद्य मंत्री श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने दिनांक 27-8-91 को जिलाधिकारी फैजाबाद को लिखित पत्र भेजकर शिकायत की है ?. यदि हां, तो मुख्य शिकायत और उस पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ? निर्माण कार्य अनुमति लेकर किया गया, जिस पर पत्थर लगा दिया गया है ।

जी हां ।

विभाग से संबंधित मुख्य शिकायत थी कि विकास खण्ड कटेहरी के मुख्यालय परिसर में श्री बजरंग बली चौबे द्वारा अनधिकृत तौर पर एक निर्माण कराया गया, परन्तु उक्त निर्माण अनधिकृत नहीं पाया गया ।

उत्तर प्रदेश में 1970 के पूर्व के मान्यता प्राप्त प्राइमरी पाठशालायें एवं शासन की सूची में टूटे हुए विद्यालयों को सरकार द्वारा वेतन वितरण अधिनियम में लिये जाने की मांग

209–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट से संलग्न प्राइमरी पाठशाला जो 1970 के पूर्व से मान्यता प्राप्त हैं उनमें से शासन की सूची में कितने टूट गये हैं तथा कितने संचालित हैं ? क्या इनमें से भी कुछ विद्यालय शासन की सूची से छूट गये ? यदि हां, तो उनका नाम क्या है ? क्या छूटे हुए विद्यालयों को सरकार तत्काल वेतन वितरण अधिनियम में लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

325 बालक विद्यालय अनुदानित हैं ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

210–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

श्री छोटेलाल, सांसद द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र मोहन लाल गंज के अतिरिक्त संसदीय क्षेत्र उन्नाव के ग्राम-बैगांव के लिये खड़ंजा मार्ग का प्रस्ताव किया जाना

211–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि श्री छोटे लाल, सांसद द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र-मोहन लाल गंज, जिला-उन्नाव के अंशपुरवा विधान सभा क्षेत्र के अतिरिक्त संसदीय क्षेत्र उन्नाव के ग्राम-बैगांव के लिये खड़ंजा मार्ग का प्रस्ताव किया गया है ? यदि हां, तो क्या कोई सांसद डी० आर० डी० ए० की बैठक में अपने-अपने क्षेत्रों के अतिरिक्त गैर क्षेत्रों के लिए भी प्रस्ताव दे सकते हैं ? यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि इससे अनेक क्षेत्रों की जनता को, उस धनराशि से होने वाले विकास कार्य से वंचित होना पड़ता है जो कि इनके क्षेत्रों में लगनी चाहिये थी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी किन्हीं विधायक/सांसद द्वारा किसी गैर क्षेत्र में सड़क/पुलिया प्रस्तावित करने पर स्वीकृतियां देने पर नियमानुसार प्रतिबन्ध लगादेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 20 अप्रैल, 1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयी हैं । श्री राम ललित चौधरी की बस्ती में शिवाघाट पुल को शीघ्र निर्मित कराने के संबंध में, श्री स्वामी नाथ यादव की सलेमपुर तहसील जनपद देवरिया के अन्तर्गत आई० टी० आई० विद्यालय का भवन निर्मित न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री लालजी वर्मा की ग्राम सभा उतरेधू एवं ग्राम सभा मदारपुर-फैजाबाद के विद्युत लाइन के तारों की चोरी होने से विद्युत

आपूर्ति बाधित रहने के सम्बन्ध में, श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बांदा नगर के मोहल्ला खाईपार स्थित देशी शराब के ठेके को हटाने के संबंध में है ।

चूंकि तीन माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं, इसलिये प्रतीक्षा सूची की दो सूचनाओं को लिया जाता है ।

श्री दलबीर सिंह उपस्थित नहीं हैं, इसलिये श्री सुरेन्द्र सिंह की सूचना जो जनपद गाजीपुर के देवकली पम्प नहर के प्रथम अन्तर्गत तरीटी रजबहा पर प्रति वर्ष लगभग डेढ़ लाख के फर्जी भुगतान के बावजूद टेल तक पानी न पहुंचने के संबंध में हैं, को लिया जाता है ।

श्री दलवीर सिंह की सूचना को भी लिये लेता हूं जो अलीगढ़ के बरौली क्षेत्र की कई बड़ी ग्राम सभाओं को टाउन एरिया घोषित करने के संबंध में है । यह सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं ।

(संलग्न सूचनायें सदन की सहमति से पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद बस्ती में शिवाघाट पुल का निर्माण शीघ्र कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम ललित चौधरी–

[मान्यवर, नियम 301 के अन्तर्गत मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं कि, जिला बस्ती में शिवाघाट का पुल एक लम्बे अर्से से लम्बित है । इसका निर्माण कार्य मार्च, 1990 तक पूरा होना था लेकिन अभी तक नहीं पूरा हुआ । सरकार की तरफ से हमेशा संसाधन के कमी की बात कही जाती है तो मान्यवर, जब संसाधन की कमी है तो जिन प्रोजेक्टों का निर्माण आधे से अधिक हो गया है उसे पूरा कराये बिना दूसरा प्रोजेक्ट नहीं आरम्भ कराना चाहिये । इस पुल के बाद में तमाम पुलों का निर्माण हो गया लेकिन इसके निर्माण को पूरा कराने के लिये संसाधन की बात कहकर टाला जाता रहा है । जबकि इस पुल पर लगभग 60% से ऊपर कार्य हो चुका है । दोनों तरफ लेपन स्तर तक का मार्ग बन चुका है और पुल का एप्रोच भी पूरा हो गया है ।

अतः मैं इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहना चाहता हूं कि जिला बस्ती के शिवाघाट के पुल का निर्माण शीघ्र से शीघ्र कराया जाय ।]

जनपद देवरिया के सलेमपुर तहसील में आई० टी० आई० विद्यालय का भवन निर्मित न होने से उत्पन्न कठिनाई के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी नाथ यादव–

[मान्यवर, देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में आई० टी० आई० विद्यालय हेतु भूमि प्राप्त हो गई है शिलान्यास भी पिछली सरकार द्वारा कराया जा चुका है सलेमपुर के नाम पर विद्यार्थियों का नामांकन भी कराया जाता है परन्तु प्रशिक्षण सलेमपुर से 100 कि० मी० दूर पडरौना में दिया जाता है जिससे प्रशिक्षार्थियों के सामने कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं ।

अभी तक भवन निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी । प्राप्त भूमि खाली पड़ी हुई है पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण शिक्षित बेरोजगारों की लम्बी जमात खड़ी होती जा रही है ।]

अतः आई० टी० आई के भवन निर्माण यथाशीघ्र प्रारम्भ कराया जाय लोकहित में अविलम्बनीय विषय को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

फैजाबाद जिलान्तर्गत ग्राम सभा उतरेथू एवं ग्राम सभा मदारपुर में विद्युत आपूर्ति बाधित होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा–

[मान्यवर, ग्राम सभा उतरेथू एवं ग्राम सभा मदारपुर, विकास खण्ड टाण्डा, जनपद फैजाबाद के विद्युत लाइन के तारों की चोरी लगभग 6 माह पूर्व हो गयी जिसके कारण लगभग 6 माह से उक्त विद्युत लाइन से संबंधित लगभग 10-12 ग्रामों में विद्युत आपूर्ति बाधित है जिसके कारण निजी नलकूप आदि भी बन्द हैं । 6 माह के ऊपर हो जाने के बाद भी उक्त ग्रामों में विद्युत आपूर्ति विद्युत तारों के न होने से बाधित है जिसके कारण जनता में आक्रोश व्याप्त है ।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

बांदा नगर के मोहल्ला खाईपार स्थित देशी शराब के ठेके को हटाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी–

[मान्यवर, मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि बांदा नगर के मोहल्ला खाईपार की मुख्य सड़क पर जो देशी शराब का ठेका है यदि उसे शीघ्र ही नहीं हटाया गया तो स्थित गम्भीर हो सकती है क्योंकि इस ठेके के पास ही मंदिर, पानी भरने का स्टैन्ड पोस्ट, अनुसूचित जाति महिला छात्रावास, महिला महाविद्यालय, आदर्श ज्ञान भारती विद्यालय और नर्सेज ट्रेनिंग हाउस है । शराबी शराब पीकर मंदिर में आने वाली व पानी भरने वाली महिलाओं से अश्लील हरकतें करते हैं यदि शीघ्र ही इस देशी शराब के ठेके को नहीं हटाया गया तो कोई भी व कभी भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस ठेके को कहीं दूसरी जगह ले जाने हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि कोई घटना घटित न हो सके और गरीब व अनुसूचित जाति की महिलायें जो मंदिर व स्टैन्ड पोस्ट में पानी भरने आती हैं उनकी इज्जत बच सके ।]

जनपद गाजीपुर के देवकली पम्प नहर प्रथम के अन्तर्गत तरौटी रजबहा पर टेल तक पानी न पहुंचने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के जनपद गाजीपुर के देवकली पम्प नहर के प्रथम अन्तर्गत तरौटी रजबहा पर प्रति वर्ष लगभग डेढ़ लाख रुपया का फर्जी भुगतान एवं पानी टेल तक नहीं पहुंचता है । बिरनो रजबहा पर 0 से 45 कि० मी० तक लगभग 1350,000 का फर्जी भुगतान राजापुर रजबहा, पृथ्वीपुर माइनर, असहित माइनर, सिरधारी माईनर, बावेना माइनर एवं मलेटी माइनर पर फर्जी भुगतान किया गया ।

इसी वित्तीय वर्ष 1991-92 में उपरोक्त भुगतान किया गया । इसी तरह से सिंचाई कालोनी पर कम मात्रा में गिट्टी गिराना एवं सीमेंट बालू का अनुपात 1/4 के स्थान पर 1/12 का प्रयोग किया गया । इसी

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

तरह से बारा चवर स्टोर पर गिट्टी कम एवं खराब गिराये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

इसी तरह से प्रति वर्ष देवकली पम्प नहर प्रथम में विभिन्न माइनरों एवं राजबहों पर वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में फर्जी भुगतान किया गया है। इससे लोगों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतः आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि उपरोक्त मामलों की टी० ए० सी० से जांच कराकर दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही हो तो नहर में पानी सही ढंग से मिले जिससे किसानों को राहत मिले।]

जनपद अलीगढ़ के बरौली क्षेत्र की कई बड़ी ग्राम सभाओं को टाउन एरिया घोषित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलबीर सिंह--

[मान्यवर, मेरे क्षेत्र बरौली, जनपद अलीगढ़ में चार ग्राम सभा लगभग 10,000 की जनसंख्या को पूर्ण कर चुकी हैं यदि किसी की जनसंख्या कम है तो उसके पास लगे गांव को उसके साथ जोड़ा जा सकता है इन गांवों में बैंक, थाने, चौकी, कालेज, अस्पताल आदि संस्थाओं के साथ क्षेत्र के क्षेत्रीय बाजार एवं पैठ भी हैं। पहला गभाना, दूसरा जवां, तीसरा बरौली तथा तालिध नगर।

उक्त गांवों के चहुमुखी विकास के लिए इन्हें टाउन एरिया बनाया जाना अति आवश्यक है। उक्त प्रश्न लोकमहत्व का है। मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इन गांव सभाओं को टाउन एरिया बनवाने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई थीं उसमें 3 सूचनाएं नियम 300 से सम्बन्धित नहीं हैं, मैंने उन्हें निरस्त कर दिया है वह हैं माननीय लालजी वर्मा, माननीय स्वामी नाथ यादव की और माननीय मो० रिजवानुलहक, मा० अकबर हुसैन की 2 सूचनाओं के बारे में ग्राह्यता पर सुनूंगा।

श्री स्वामी नाथ यादव--

मान्यवर, पत्रकारों को पीटा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

यह नियम 300 में नहीं आता है, किसी दूसरे नियम में दे दें।

(श्री स्वामी नाथ यादव एवं श्री लालजी वर्मा द्वारा एक साथ बोलते रहने से व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा

मान्यवर, यह अनुच्छेद 29 का खुला उल्लंघन है।

श्री अध्यक्ष--

यह लिखा नहीं जा रहा है आप किसी दूसरे नियम में इसे ले आयें।

(व्यवधान)

नोट :- [ ] यह अश पढ़ा हुआ माना गया।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाओं को कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की सूचनाओं में परिवर्तित करके नियम 56 में सुने जाने का अनुरोध

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि लालजी वर्मा और स्वामी नाथ यादव जी ने जो 300 के अन्तर्गत उठाया है उसमें आपने कृपापूर्वक यह कहा कि नियम 300 में नहीं किसी अन्य नियम में उठायें तो मैं आग्रह करूंगा कि इसे नियम 56 में परिवर्तित करके सुनने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 में कल दे दें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, ठीक है ।

प्रथम सत्र 1992 के चौथे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 46 का सुसंगत उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इस आदरणीय सदन में तमाम जनसमस्याओं को हम विधायकगण प्रश्नों के माध्यम से उठाते हैं और जब प्रश्नों का उत्तर संगत नहीं आता तो उससे उन समस्याओं का समाधान लटक ही जाता है और कुछ नई समस्यायें पैदा हो जाती हैं । मान्यवर, इस आदरणीय सदन में विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के चौथे सोमवार के लिए निर्धारित माननीय श्री रामदेव आचार्य द्वारा प्रेषित अतारांकित प्रश्न संख्या 46 में यह पूछा गया था कि क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एच० बी० टी० आई०, कानपुर के निदेशक द्वारा प्रशासनिक भ्रष्टाचार, उत्पीड़न एवं वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में जांच हेतु कोई आदेश दिनांक 20-7-91 को प्रदान किये गये हैं, इसका उत्तर "जी हां " आया है, उसके बाद पूछा गया था कि यदि हां, तो क्या जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है, मान्यवर, इसका उत्तर आया कि जी हां, जांच आख्या प्राप्त हो गयी है, उसके बाद पूछा गया था कि यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है मान्यवर, इसका उत्तर आया कि जांच आख्या में कुछ अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं । जब रिपोर्ट भेजी गयी थी तब इस समस्या का समाधान जो प्रश्न के माध्यम से हो जाना चाहिये, नहीं हुआ । मान्यवर, आप अवगत होंगे कि पहले समस्या सरकार के पास लोग ले जाते हैं और उसके बाद तब हम लोगों के पास समस्या आती है तो हम लोग उसे विधान सभा में उठाते हैं और यहां से भी जब निराशा हाथ लगती है तो लोग आन्दोलन पर उतारू होते हैं और जैसा कि इस सरकार की व्यवस्था, कार्यशैली और नीति नियत है उससे लोग परेशान होकर आत्मदाह तक करते हैं । इसी विधान सभा के सामने जहां हम लोग बैठे हैं आपकी अनुज्ञा से, आपकी अनुकम्पा से वहां एच० बी० टी० आई० के उच्च शिक्षा प्राप्त इंजीनियर शिशिर तिवारी ने अपने शरीर को जला लेने की कोशिश की ।

मान्यवर, इससे बड़ी निराशा की बात और क्या हो सकती है कि उच्च शिक्षा प्राप्त इंजीनियर अपने शरीर में यह मानकर आग लगा ले कि विधायिका, कार्यपालिका और सरकार से वह निराश और खिन्न हो गया है । एच० बी० टी० आई० के निदेशक के संबंध में उन लोगों ने शिकायत की थी, वित्त मंत्री जी ने, मुख्य मंत्री जी ने, प्रेमलता कटियार जी ने, सबने सहमति व्यक्त की थी कि वहां पर अनियमितताएं हैं । सरकार ने अपने उत्तर में स्वीकार भी नहीं किया कि वहां पर अनियमिततायें हैं । जांच हुई और जांच में दोषी पाये गये लोग हटाये नहीं गये ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में कैसे आ गया ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं आया, अगर उत्तर ठीक आ गया होता तो हम न कहते । विधान सभा के सामने उसने आग लगाने की कोशिश की, पुलिस ने मुकदमें भी कायम किये हैं, वह युवक अंतिम सासें ले रहा है । जब सरकार ने मान लिया है कि वहां पर निदेशक दोषी हैं, प्राविधिक पर्वतीय शिक्षा के डायरेक्टर ने जांच की है तो सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये थी । मांग करूंगा कि सरकार कार्यवाही करे और प्रश्नों का उत्तर संगत आये, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

उत्तर इसमें स्पष्ट है । जो आपत्ति माननीय सदस्य को है, जांच करायी, अनियमिततायें प्रकाश में आयीं, इसका स्पष्टीकरण जानने की जिज्ञासा थी, तो उसके विकल्प खुले हैं । पूरक प्रश्नों के माध्यम से या नियम 49 में चर्चा की मांग की जा सकती है । नियम, नियमावली में दिये हैं । मेरी प्रार्थना है कि अगर हमारी कोई कमी है तो नियमों में ध्यान आकृष्ट करने का प्राविधान है, लेकिन नियम 300 उपयुक्त नहीं है । यह आज का कोई लम्बित या विचाराधीन मामला नहीं है । इसमें संविधान और नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है । इसको नियम 300 में स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है । अगर स्पष्टीकरण चाहते हैं तो अन्य प्राविधान हैं ।

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह तो गम्भीर समस्या है । मा० दीक्षित जी इसको सरकार के सामने ले आये, कोई आदमी सरकार के सामने आत्मदाह कर ले, पुलिस ने जेल में बन्द कर दिया है । मा० दीक्षित जी इसको मा० मंत्री के संज्ञान में ले आये इसमें कोई आश्वासन देने के बजाय उन्होंने नियमों का हवाला दिया है । काशीपुर में 18 तारीख को धरना था, आज भी धरना चल रहा है । इससे तो राजनीतिक लोगों के मौलिक अधिकार समाप्त हो जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह मामला नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में नहीं आता है, आप अन्य कोई सुसंगत नियम में दे सकते हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक सदस्य–

मान्यवर, यह बतायेंगे कि इनके शासनकाल में कितने लोगों ने आत्मदाह किया ?

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं दूसरी सूचना श्री निर्वेन्द्र कुमार जी की है ।

प्रथम सत्र 1992 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न 105 का अस्पष्ट उत्तर दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, जो मेरी सूचना है, उसमें जो प्रश्न है व उसका जो उत्तर है, उसे देखने की कृपा करें । मान्यवर, प्रश्न यह था कि क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के थाना पलिया में अपराध संख्या 118 धारा 323/504 हरिजन बनाम सवर्ण कायम हुआ था ? यदि हां, तो क्या हरिजन के डाक्टरी मुआइना में धारदार हथियार से चोटें आना दर्शाया गया था जिसके अन्तर्गत धारा तरमीम करके अभियुक्तों का चालान भेजा जाना चाहिये ? यदि हां, तो क्या उन अभियुक्तों का चालान भेजा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

और इसका उत्तर यह आया है– जी नहीं, बल्कि वादी श्री हरद्वारी लाल ग्राम कोठिया थाना पलिया को मौखिक सूचना पर बब्बू सिंह व अन्य के विरुद्ध गैरदस्तन्दाजी नं० 118/91 धारा 323/504 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया । विवेचनोपरान्त उक्त गैर दस्तन्दाजी की धारा में 3(4) अनुसूचित जाति एवं जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम की वृद्धि कर मु० अ० सं० 164/91 अंकित किया गया । उक्त अभियोग की जांच के दौरान वादी से मारपीट के संबंध में मेडिकल कराने को कहा गया जिस पर वादी श्री हरिद्वारी लाल ने बताया कि उसने पी० एच० सी०, मझगई से अपनी डाक्टरी करा ली है जिसे बाद में प्रस्तुत करने को कहा लेखक प्रथम सूचना ने हिदायत दी कि उक्त मेडिकल रिपोर्ट लाकर कार्यालय में प्रस्तुत कर दें ताकि विपक्षियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सके । वादी द्वारा उक्त मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप यह नहीं कहा जा सकता कि उसके शरीर पर आई चोटें लाठी, डण्डों अथवा धारदार हथियार की हैं ।

जांच से मामला मारपीट एवं गालीगलौज का पाये जाने पर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमंन्, यह जो आदरणीय सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से जवाब आया है उसकी प्रति और उसके साथ डाक्टरी प्रमाण-पत्र की प्रति भी इस सूचना के साथ संलग्न की है । मान्यवर, डाक्टरी प्रमाण-पत्र से स्पष्ट है कि 13-6-91 को उसी दिन रिपोर्ट प्राप्त की गयी जिसमें भारी घाव धारदार हथियार से आया हुआ दर्ज किया गया जबकि उत्तर आ रहा है कि चोट लाठी, डन्डा अथवा हथियार की नहीं कही जा सकती है जबकि घाव स्पष्ट है डाक्टरी मुआइने से । पलिया में ही प्राथमिक स्वास्थ्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चिकित्सालय है, जबकि यह हरिजन था, हरिजन होने के बावजूद भी जिस दिन मुकदमा लिखा गया उस दिन अनुसूचित अधिनियम 3/3 अत्याचार अधिनियम की धारा उस दिन नहीं लगायी गयी । जबकि उस दिन पुलिस की कस्टडी में जांच करायी जानी चाहिये थी । माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा गलत उत्तर देकर इस तरह से सदन को गुमराह किया गया । हरिजन के साथ उत्पीड़न हो रहा है वह थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है उसका घाव बना हुआ है उसके बावजूद आदरणीय सदन में यह कुछ कह रहे हैं जबकि डाक्टरी रिपोर्ट में शार्प इन्जरी साफ लिखी हुई है । तो मैं श्रीमन्, आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे हालात में जो हरिजन उत्पीड़न स्पष्ट है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने गलत उत्तर देकर सदन को गुमराह किया है तो ऐसे गम्भीर प्रकरण पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का बयान दिलवा दें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न का उत्तर पढ़ा है उसमें कुछ विसंगति उन्होंने दर्शायी है । उसमें आप देखें तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी फिर भी आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया । लेकिन, फिर भी, जो तथ्य माननीय सदस्य ने दिये हैं, उसे हम दिखवा लेंगे । हमने इसमें किसी चीज को छिपाने का प्रयास नहीं किया है और न ही हम हरिजनों का उत्पीड़न करना चाहते हैं । हम हरिजनों की रक्षा के लिये सचेष्ट रहते हैं । हम इसे दिखवा लेंगे । लेकिन यह इसे अनुपूरक प्रश्न के माध्यम से पूछ सकते थे नियम 40 में इस पर चर्चा करवा सकते थे । यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय सदस्य, श्री निर्वेन्द्र कुमार एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 अप्रैल, 1992 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 8 अप्रैल, 1992 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 अप्रैल, 1992 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1992 का उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1992

सचिव, विधान सभा––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1992 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 मार्च, 1992 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 8 अप्रैल, 1992 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय

की अनुमति दिनांक 11 अप्रैल, 1992 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1992 का उत्तर प्रदेश का चौदहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (1991-92) प्रथम प्रतिवेदन

* श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (1991-92) का प्रथम प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट, 1982-83 (सिविल) में उल्लिखित दुग्धशाला विकास विभाग तथा गृह (पुलिस) विभाग से संबंधित आडिट आपत्तियों पर आधारित प्रतिवेतन (खण्ड-2) है, प्रस्तुत करता हूं ।

पशुधन एवं दुग्ध विकास उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पशुधन एवं दुग्ध विकास, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि पशुधन एवं दुग्ध विकास, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पशुधन एवं दुग्ध विकास, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 20-4-92 नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल .....

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, प्रदेश के पूरे किसानों की समस्या है, आप सभी को सुन लें ।

जनपद नैनीताल के काशीपुर में समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना देने तथा प्रशासन द्वारा उनका ज्ञापन न लेने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें । अभी बेनी प्रसाद जी ने काशीपुर में समाजवादी जनता पार्टी के धरने की बात कही है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

सुसंगत नियमों के अन्तर्गत सूचना आयेगी, तो मै सुन लूंगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपका जो भी आदेश होगा, वह हम लोगों को मान्य होगा । यह बड़ी मामूली सी समस्या है केवल एस० डी० एम० वहां जाकर ज्ञापन ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप नियमों के अन्तर्गत सूचना दे दें, मैं सुन लूंगा । अभी माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने भी आपकी बात कही थी । आप इसे किसी सुसंगत नियम में दे दें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह अकेले काशीपुर का ही मामला नहीं है । अभी मेरे जिले में ही जब जिलाधिकारी को ज्ञापन देने का वक्त आया तो वह उठकर चले गये । मैं यह कहकर वहां से चला आया कि चलो राज्यपाल महामहिम को ज्ञापन दे देंगे । लेकिन काशीपुर में सैकड़ों कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं, केवल एस० डी० एम० जाकर ज्ञापन ले लें, इसमें किसी सरकार की नाक तो नीची नहीं होती । इसमें आपकी तरफ से निवेदन हो जाये कि एस० डी० एम० ज्ञापन ले लें ।

* श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, अभी श्री बेनी प्रसाद जी और आजम साहब ने अपनी बात कही । यह धरने का कार्यक्रम पूर्व घोषित था कि हमारी पार्टी के लोग नकल विरोधी अधिनियम के विरोध में और मंदिर बचाओ के लिये धरना देंगे । हम लोगों द्वारा एक लिखित ज्ञापन भी कार्यकर्ताओं को दिया गया, जिसे वहां के जिलाधिकारी के माध्यम से गवर्नर को भेजा जाना है । यह बहुत मामूली सी बात है लेकिन आपका एस० डी० एम० वहां अपमानित कर रहा है, धमकी दे रहा है कि अभी सब उठवाकर फिकवा दूंगा । केवल मेमोरेंडम लेने की बात है । मान्यवर, हमारे जो लोकतंत्रीय अधिकार हैं, उनके अन्तर्गत हम आन्दोलन करते हैं, किसी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, इसमें एस० डी० एम० को ज्ञापन लेने में क्या दिक्कत है । अब एस० डी० एम० वहां अपमानित कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है और कह रहा है कि अगर यहां से धरना नहीं उठाया [× × ×] मान्यवर, ज्ञापन ले लेने में कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन अगर इसको गम्भीर बनाना है, तो अलग बात है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी शिकायत शासन के संज्ञान में आ गयी है और संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी इसे सुन लिया है । जहां तक ज्ञापन को लेने की बात है, एक पब्लिक सर्वेन्ट को संविधान के अनुच्छेदों के तहत ही कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी की इस पर कुछ मधुर वाणी सुनने को मिल जाये, कुछ मोती जड़ जायें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात से तो मैं पहले ही सहमत हूं। अब उसमें क्या है ?

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

पहली सूचना सर्वश्री बेनी प्रसाद वर्मा, हृदय नारायण दीक्षित व हरेन्द्र सिंह मलिक जी की प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान शीघ्र न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, दूसरी सूचना श्री हरिवंश सहाय जी की देवरिया में विभिन्न स्थानों पर अग्निकाण्डों में हुयी धन-जन की हानि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, तीसरी सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय जी की है, चौथी सूचना श्री सुन्दर लाल व श्री राम ललित चौधरी जी की है, पांचवी सूचना श्री पवन कुमार पाण्डेय जी की है, छठी सूचना श्री राम ललित चौधरी जी की है, सातवीं सूचना श्री हरेन्द्र सिंह जी की है, आठवीं सूचना श्री विजय पाल सिंह तोमर, सोमांश प्रकाश व श्री स्वामी नाथ यादव जी की है और नवीं सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह जी की है।

प्रथम पांच सूचनाओं को मैं केवल ग्राह्यता के लिये सुनूंगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जब से यह वर्तमान सरकार पदारूढ़ हुई है, तब से यह केवल हम लोगों को ही गुमराह नहीं कर रही है अपितु पूरे प्रदेश में एक दिशाहीन वातावरण बन रहा है, जिसके शिकार समाज के सभी वर्ग हो रहे हैं। जब गुप्ता जी इधर बैठते थे तो बहुत चिल्लाते थे कि किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। हमेशा सरकार की तरफ से आश्वासन आ जाता था। आज कर्जे की वसूली में उत्पीड़न हो रहा है। जिस कर्जे की माफी को सिद्धान्तः इन्होंने भी मान लिया है। आज तहसीलों में लोग लाक-अप में हैं। किसानों को ज़ो हर तरफ से व्यापारी वर्ग लूट कर रहा है, उसे आपने सेल्स टैक्स के नाम पर 100 करोड़ की छूट दे दी है, परन्तु किसान की मेहनत के संबंध में यह सरकार न ही गम्भीर है और न ही संवेदनशील है। आज पूरे प्रदेश में गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर डेढ़ सौ करोड़ रुपये बकाया है। फरवरी के बाद से किसानों को पैसा नहीं दिया गया है। इस समय शादी-ब्याह चल रहे हैं। किसानों के सारे काम रुके हुए हैं। वसूलियां जारी हैं। इन दस महीनों में विशेष रूप से इस सरकार ने किसानों का उत्पीड़न किया है, उनका मनोबल गिरा है और उनकी आमदनी गिरी है। शायद इससे पहले यह स्थिति किसानों की कभी नहीं हुई। पांश्चमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश व मध्य क्षेत्र में आज गन्ने के मूल्य व पिराई न होने से किसान बहुत दुखी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुत ज्यादा होता है। वहां पर मिट्टी के भाव गन्ना क्रेशरों पर जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना चीनी मिलों पर जाता है। यहां पर क्रेशर बहुत कम हैं। जिससे आधा गन्ना खेतों में खड़ा है। फरवरी से पैसे का भुगतान नहीं किया गया है। इस गम्भीर स्थिति को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि आप इस पर सदन में एक दिन चर्चा करायें।

(12 बजकर 50 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री हृदय नारायण दीक्षित––

मान्यवर, इस सरकार की किसानों के संबंध में कोई स्पष्ट नीति नहीं है इसीलिये किसानों को उनकी उपज का प्रोत्साहन मूल्य नहीं मिल रहा है। प्रोत्साहन मूल्य की बात तो दूर रही उनके खून पसीने की कमाई भी नहीं मिल रही है। प्रदेश भर में गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर जितना रुपया बकाया है अगर इस रुपये की कोई तुलना की जाय उससे जो काश्तकारों पर बकाया है लगान का, अगर थोड़ा सा

भी लगान का बकाया रह जाता है तो वसूली करने वाला अमीन जूता लात से मार कर तहसील में बंद कर देता है । लेकिन गन्ना किसानों का चीनी मिल मालिकों पर लाखों रुपया बकाया है । चीनी मिल मालिकों से सरकार के इन लोगों के वैध या अवैध दोनों संबंध हैं और इन्हीं संबंधों के कारण किसानों की उपेक्षा हो रही है, किसान को उसकी मेहनत की कमाई नहीं मिल रही है । गन्ने की जितनी कीमत निर्धारित होती है वह समय पर नहीं मिल रही है उससे किसान परेशानी में हैं । फरवरी से अब तक कोई 100 करोड़ रु० से अधिक धनराशि बकाया है उससे और अधिक कोई गम्भीर विषय नहीं हो सकता है इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि इस आदरणीय सदन की आज की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय । यह पूरे प्रदेश के किसानों की समस्या है इसलिये कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय और सरकार को बाध्य किया जाय कि जिस प्रकार छोटे-छोटे काश्तकारों से वसूली करते हैं और तहसील में बंद करते हैं उसी प्रकार चीनी मिल मालिकों को बंद करके कराई जाय ताकि काश्तकारों को उनके गन्ने की कीमत दिलवाई जा सके ।

* श्री हरेन्द्र सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदन और सरकार के संज्ञान में अति लोकमहत्व के विषय को लाना चाहता हूं । मान्यवर, गन्ना हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक मात्र नगदी फसल है । दुर्भाग्य से सरकार की धन वसूली का एक मात्र सहारा वह लोग हैं जो गन्ना किसान के खून पसीने को निकाल कर पीने का काम कर रहे हैं । मुजफ्फरनगर में 1 लाख 87 हजार हैक्टेयर में गन्ना पैदा करता है । मेरे जनपद में गन्ने की पूर्ति की हालत यह है कि 60 फीसदी गन्ना खेत में खड़ा है । सरकार का चीनी मिलों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है । सेंटर पर 40 फीसदी और गेट सेंटर पर 70 फीसदी गन्ना पड़ा है । गेट सेंटर पर चीनी मिल वालों को 3 से 10 रुपये प्रति क्विंटल तक लाभ होता है । सरकार का चीनी मिल मालिकों पर कोई नियंत्रण नहीं है । मेरे क्षेत्र में खतौली और शामली चीनी मिल हैं । खतौली में 70 लाख और शामली में 47 लाख क्विंटल गन्ना फालतू है । मोरना, मनसूरपुर, मोदीनगर दौराला में गन्ने की दुर्दशा हो रही है । खेतों में गन्ना काश्तकार का पड़ा हुआ है शामली की मिल जो आरक्षित गन्ना है उसकी अगर पिराई करे तो उसे सितम्बर तक चलाना पड़ेगा वह मई में बन्द हो जायेगी । यही स्थिति दौराला, मनसूरपुर आदि की है वह 7, 8 मई से ज्यादा नहीं चलेंगी । प्रशासन द्वारा जिला गन्ना अधिकारी का पद सृजित किया गया है जो गन्ना उत्पादकों और चीनी मिल मालिकों के बीच में काम करता है । लेकिन आज तक जिला गन्ना अधिकारी इस बात की चिन्ता नहीं करता है कि किसान का क्या होगा । मेरठ मंडल के आयुक्त ने जब चीनी मिल मालिकों की मीटिंग बुलाई तो अफसोस इस बात का है कि उस मीटिंग में न तो प्रबन्धक गये और न जनरल मैनेजर गये केवल सुपरवाइजर उसमें गये। हमारे प्रभारी मंत्री माननीय वित्त मंत्री हैं तो उस मीटिंग में केवल सुपरवाइजर गया । इससे समस्या का, हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ । सरकार का कहना है कि सभी चीनी मिलें एक साथ चलेंगी। पिछली बार जितनी चीनी मिलें थीं उतना ही गन्ना भी हुआ और उनका एक-एक गन्ना लिया गया था। लेकिन इस बार सर्वथा उसके विपरीत और किसानों के लिये बड़ी हानिकारक स्थिति दिखाई देती है । हालत इतनी खराब है कि हमारे यहां कई जगह आज तक गन्ना क्रय सेन्टर स्थापित नहीं हो पाये हैं। हमारे खुद के गाजीखेड़ा गांव में अभी तक सभी कांटे नहीं लगाये गये हैं । एक लाख अस्सी हजार का बेसिक कोटा है और उसके बाद अब तक 57 हजार कुन्टल गन्ना खरीदा गया है । वहीं की यह स्थिति नहीं है वहां पर सभी जगह की कमोबेश यही स्थिति है । किसी भी जगह पचास फीसदी से ज्यादा गन्ना नहीं खरीदा गया है । वहां का गन्ना किसान आज अपने गन्ने को आग लगाने के लिये मजबूर हो गया है । इस हालत में यदि सुधार नहीं किया गया तो वह अवश्य अपने खेत में खड़े गन्ने को आग लगा देगा । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि चीनी मिलों के मालिकों का आप हित-साधन करना और उनका पक्ष लेना छोड़ दें और इसके स्थान पर उन पर अंकुश लगा कर उनको बाध्य करें कि वह जब तक किसानों का एक-एक गन्ना न पेर दें तब तक सारी मिलें चलें । इस बात की पूरी व्यवस्था आप करें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि जब तक एक-एक गन्ना न पिर जाये सारी चीनी मिलें चलेंगी हमारे यहां शामली और खटौली जहां पर आज सत्तर लाख का गन्ना फालतू है और ..... (व्यवधान) मंत्री जी के निर्देश पर इस बात की व्यवस्था की गयी थी किन्तु उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और हमारे भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इससे ज्यादा कोई गम्भीर स्थिति नहीं हो सकती है कि इस प्रदेश का गन्ना किसान अपने गन्ने को आग लगाने के लिये विवश हो जाये। जिस दिन गन्ना किसान गन्ना जला देगा उस दिन उसमें घोर आक्रोश उत्पन्न होगा (व्यवधान) इसलिये आज की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय। और इस बात की व्यवस्था हो जब तक एक-एक गन्ना न पेर लिया जाय कोई भी चीनी मिल, चाहे कुछ भी हो, बन्द नहीं होगी और किसानों की मिलों पर बकाया धनराशि के एक-एक पैसे का भुगतान उन्हें तत्काल करा दिया जाय।

श्री विजय पाल सिंह तोमर–

दौराला और साकौती का गन्ना सितम्बर और अक्टूबर तक समाप्त नहीं होगा उनका कहना यह गलत बात है कि इन स्थानों का गन्ना मई तक समाप्त हो जायेगा। यह मई तक समाप्त नहीं होने जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

देखिये इस पर जिनके हस्ताक्षर थे उनको ही सुना जा रहा है, इसलिये राणा जी आप बैठें। इस तरह से तो इस पर एक तरह से चर्चा हो जायेगी। मेरा निवेदन है कि जिन माननीय सदस्यों के इस पर हस्ताक्षर थे उनको ग्राह्यता के बारे में सुन लिया गया है। इसके आगे कोई बात रह नहीं जाती है .....

(व्यवधान)

तो बहुत कम समय में राणा जी आप अपनी बात कह लें।

श्री सोमांश प्रकाश–

यह गन्ने का इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इस पर आप एक-एक मिनट का समय सभी को दे दें, जो भी बोलना चाहें।

* श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इस प्रदेश में जबसे यह सरकार आयी है तब से किसानों के ऊपर इतने जुल्म ढाये जा रहे हैं और इतनी पीड़ा पहुंचायी जा रही है, इन छद्म वेषी राम भक्तों द्वारा, उतनी इससे पहले कभी नहीं हुई। मान्यवर, नहरों में पानी नहीं आ रहा है और न उनकी सफाई ही हुई है। मान्यवर, जो 10 हजार रुपये के कर्जे माफ किये गये थे उनकी वसूली आज की जा रही है। किसानों की फसलों को कोई सुरक्षा सरकार नहीं दे रही है। प्रदेश का किसान आज खून के आंसू रो रहा है। मान्यवर, गन्ना पीड़ित किसान की जो पूरे देश को चीनी खिलाकर मुंह मीठा करता है उसकी हालत जर्जर हो गयी है। आप मान्यवर, किसान परिवार से आते हैं तो जानते होंगे कि यह किसानों का वह समय है जिसमें उसको लड़की और लड़के की शादी करनी होती है, बच्चों की फीस की उसे व्यवस्था करनी पड़ती है लेकिन गन्ना किसान की फसल चौपट हो गयी है और 50 प्रतिशत से ज्यादा गन्ना की फसल खेतों में सूख रही है। यही नहीं इसके अलावा किसानों का बकाया मिलों पर है किन्तु उसकी वसूली का कोई प्रयास सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा है, इसलिये किसान आज बहुत दुखी है।

मान्यवर, चूंकि आप किसान परिवार से हैं, इसलिये मैं आपसे दो बातों का संरक्षण चाहता हूं। एक तो यह कि गन्ना किसानों का जो बकाया है उसके भुगतान को सुनिश्चित कराया जाए। दूसरे गन्ना जो खेतों में खड़ा है उसको पेरने की व्यवस्था के लिये चाहे क्रेशर व्यवस्था को नियंत्रण में लेना पड़े जैसे कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनता पार्टी की सरकार में पहले व्यवस्था की गयी थी, वैसी व्यवस्था करके गन्ना पिराई को सुनिश्चित किया जाय । इन दो बातों के लिये आप सरकार को निर्देश दें । यदि यह दो आश्वासन सरकार की ओर से नहीं आये तो हम संघर्ष की पराकाष्ठा पर जाने के लिये तैयार हैं ।

श्री सोमांश प्रकाश–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मुझे अफसोस है गन्ना बजट पर मंत्री जी ने विश्वास दिलाया था कि हर तरह से गन्ने का प्रबन्ध सरकार करेगी आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र मोदी नगर में मिल 9 तारीख को बन्द कर दी गयी और लेबर को ले गये जबकि वहां किसानों ने कांटा खरीदा था । इसकी सूचना मान्यवर, मैं आयुक्त को और मंत्री जी को दे चुका हूं । वहां अभी तक 40 प्रतिशत गन्ना सेन्टर से गया है जबकि अप्रैल समाप्त हो रहा है । मैं नहीं समझता कि शासन इस मामले में क्या कर रहा है ? इस तरह से किसानों का तमाम गन्ना पड़ा रह जायेगा जो गन्ना किसानों के लिये भयावह स्थिति है । इसी तरह से यह महीना और मई का महीना बीत गया और गन्ना पड़ा रहा तो वहां कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है चूंकि किसान अपने गन्ने को जलायेगा । वहां के किसानों की यह कैश क्राप है, इसलिये गन्ना न पिरने से किसानों के लिये भयावह स्थिति होगी । इसलिये आपसे प्रार्थना है कि इस विषय को महत्वपूर्ण मानते हुए आप इस पर चर्चा करायें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, आज प्रदेश के किसानों के सामने कानून व्यवस्था के साथ ही गन्ने की फसल भी एक बहुत बड़ी समस्या है । मंत्री जी अपने भाषण में कह देंगे कि हम गन्ना किसानों का भुगतान करा देंगे और गन्ना मिलों से वापस नहीं होगा एवं मिल बन्द नहीं होने देंगे लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि 33 प्रतिशत से अधिक गन्ना मिलें नहीं क्रेश कर पाती हैं और आज प्रदेश के किसानों का मिलों पर दो-दो महीने का बकाया है । श्रीमन्, कितनी खराब बात है कि अगर सरकार का किसानों के ऊपर बकाया होगा तो मय ब्याज के उनसे वसूला जाता है । मगर आज किसान का सरकार के ऊपर बकाया है । दो तरह की चीनी मिलें हैं, एक सरकारी और दूसरी निजी । किसानों का पैसा बाकी है तो श्रीमन्, न सरकार ब्याज दिलायेगी और न यह व्यवस्था कर रही है कि किसानों का जो वसूली का पैसा बाकी है उसमें ही इसे ऐडजेस्ट कर लिया जाय । मान्यवर, हरदोई की हालत देखिये । आप स्वयं वहां के रहने वाले हैं । दो-दो महीनों से चीनी मिलों के ऊपर बकाया बाकी है । आज मिलें बन्द होने की स्थिति में हैं । निजी मालिकों के साथ सांठ-गांठ होने के कारण उन पर कोई भी अंकुश सरकार का नहीं रह गया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आज प्रदेश के अन्दर इतनी गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है । इस पर आप चर्चा करा दें । सरकार की स्पष्ट नीति से जनता को अवगत करा दें ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अपने 10 महीने के कार्यकाल में इस सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस सरकार के आते ही इस प्रदेश के किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं । नहरों में पॉनी नहीं है, नलकूप खराब पड़े हैं । गन्ने का भाव जो इस सरकार ने निर्धारित किया है उसे यह दिला नहीं पाती । यह पहली बार इस प्रदेश में हुआ है कि कोर्ट से मिल मालिक स्टे आर्डर लेकर आये और कीमतों पर वितरित नहीं कर रहे हैं । चाहे पश्चिम की मिलें हों, पूर्वांचल की मिलें हों, चाहे अवध का इलाका हो, सब जगह एक जैसी स्थिति है । मैं पांच-छः महीने से देख रहा हूं । सरकार ने इस सदन में बार-बार इस बात की घोषणा की है कि किसानों का पूरे का पूरा गन्ना पेरा जायेगा । लेकिन इस समय 30 प्रतिशत से ज्याद गन्ने की पेराई नहीं हो पा रही है । अगर आप तहसीलों में जायं तो आप देखेंगे

किसान एक छोटी कोठरी में, जो अंग्रेजों की बनाई कोठरियां हैं, उसमें 30-35 किसान वसूलियात के लिये बन्द हैं। मान्यवर, यह आश्वासन कुछ देते हैं लेकिन उसका कार्यान्वयन नहीं कर पाते हैं। गन्ने का मूल्य बाकी है, उसका ब्याज देंगे ? अपने बकाये के लिये किसानों को तहसीलों में बन्द कर रहे हैं। किसानों का गन्ना पेराई के लिये खड़ा है, उसकी पेराई का मात्र कोरा आश्वासन दे रहे हैं। आज मिल बन्द होने की स्थिति में आ गयी है। जगह-जगह बन्द भी हो गयी हैं। अब कितनी पेराई हो पायेगी। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि दस महीने के शासन काल में एक भी नई चीनी मिल की स्थापना की गयी ? चाहे कोआपरेटिव सेक्टर में, चाहे निजी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में एक भी चीनी मिल यह सरकार लगा नहीं पाई है और न लगाने वाली है। आज स्थिति इतनी गम्भीर हो गयी है कि इस साल गन्ना खेतों में पड़ा है। 15-20 रुपये क्विंटल क्रेसर में पहुंचाया जा रहा है। इतना ही होता तो सब्र कर लेते। अगले वर्ष इस प्रदेश में गन्ने का उत्पादन कम हो जायेगा, चीनी का उत्पादन कम हो जायेगा। यह सरकार इस प्रदेश को कहां ले जा रही है। इनका दृष्टिकोण, इनकी नीति क्या है, यह स्वयं जानते होंगे। कुर्सियों पर तो बैठ गये पर किसान कौन हैं ? बिचौलिये कौन हैं ? दलाल कौन हैं ? किसानों की क्या समस्यायें हैं ? इससे कोई मतलब नहीं है। आज यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। इस किसान विरोधी सरकार के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का परित्याग करता है।

(नेता विरोधी दल अपने दल के साथ सदन का त्याग कर चले गये)

गन्ना विकास मंत्री (श्री हनुमन्त सिंह)–

मान्यवर, आज आपके माध्यम से हमारे सभी सम्मानित सदस्यों ने विचार रखे मुझे दुख है कि माननीय नेता विरोधी दल पुराने सदस्य हैं तत्कालीन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं वह अपनी बात कह कर चले गये और सत्ता पक्ष की बात को उन्होंने नहीं सुना यह दुर्भाग्य है। मान्यवर, उन्होंने कहा गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा जो बढ़ाया गया है, वह नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने जो गन्ने का मूल्य बढ़ाया है उसका भुगतान समस्त चीनी मिलों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। मैं सम्मानित सदन को बता देना चाहता हूं रेवती रमण सिंह जी ने कहा कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष गन्ने की पेराई और चीनी का उत्पादन कम होगा। माननीय बेनी प्रसाद जी, माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी और माननीय राणा जी आदि माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर 7-4-92 की फीगर बता रहा हूं। 276 लाख टन गन्ने की पेराई हो चुकी है पिछले वर्ष देखें केवल 7-4-91 तक 252 लाख टन गन्ने की पेराई हुई तो इस तरह से यह कह देना कि उत्तर प्रदेश के अन्दर गन्ने की पेराई नहीं हो रही है, गन्ना खेतों में जलाना पड़ेगा, गलत है। इसमें कोई सत्य बात नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर 342 लाख टन गन्ना चीनी मिलों को दिया गया है। 7-4-92 तक 276 लाख टन पेराई हुई है। 70 फीसदी के करीब उत्तर प्रदेश में गन्ने की पेराई हो चुकी है। जैसा सम्मानित सदस्य कह रहे है कि चीनी मिल नहीं लगाई गई मैं कहना चाहता हूं सब लोगों को बता दिया गया है कि जब सरकार सत्ता में आई उस समय मान्यवर, चीनी मिल की पेराई 1 लाख 79 हजार 991 के लगभग टन प्रतिदिन की थी। लेकिन आज आप देख लें चीनी मिलों की 2 लाख 14 हजार 992 की प्रतिदिन की पेराई क्षमता है। यह कहा गया कि एक चीनी मिल पश्चिम में नहीं खोली गई। 34 लाख 999 हजार पेराई क्षमता बढ़ाई गयी। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि गन्ना केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फसल नहीं है गन्ना पूरे उत्तर प्रदेश की फसल है। गन्ने के बारे में कहा जा चुका है कि यह किसानों के आर्थिक ढांचे को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सरकार सचेष्ट है। गन्ना मिलों के भुगतान के बारे में कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी को बात कहने दें।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, हमें आंकड़े नहीं सुनने हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

नरेश अग्रवाल जी आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

यह फर्जी आंकड़े बता रहे हैं।

श्री हनुमन्त सिंह–

यह फर्जी आंकड़े नहीं हैं मैं सम्मानित सदन को बता देना चाहता हूं यह आ जायें हमारे साथ बैठ जायं पूरी स्थिति इनको हम बता देंगे जो सत्यता के आधार पर हैं। 71 फीसदी गन्ने के मूल्य का भुगतान हो गया है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

(व्यवधान)

दूसरी बात कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की नीति के कारण आज बैंकों की कैश क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ाई जा रही है। इसके बावजूद फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन्स के साथ बैठकें की जा रही हैं और यह दबाव डाला जा रहा है कि चीनी मिलों की कैश क्रेडिट लिमिट बढ़ायी जाय। मुझे उम्मीद है कि इसमें सफलता मिलेगी। जहां तक गन्ना के मूल्य की भुगतान के संबंध में कार्यवाही की बात है मैं बताना चाहता हूं कि 2 चीनी मिलों देवबन्द और रामकोला के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। जो भी चीनी मिलें गन्ना किसानों के मूल्य की भुगतान करने में शिथिलता बरतेंगी उनके विरुद्ध सरकार कड़ी कार्यवाही करने से नहीं हिचकेगी।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, डेढ़ सौ करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। हम चाहेंगे कि जिन किसानों का गन्ना मूल्य बकाया है उनके ऊपर जो सरकारी देयों के संबंध में उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है उसको रोक कर तत्काल उनके देयों की वसूली को स्थगित करने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, 376 लाख क्विंटल गन्ने का सट्टा प्रदेश में किया गया था। इसके अलावा जो गन्ना पूरे प्रदेश में बचेगा उसके संबंध में माननीय मंत्री जी क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री हरेन्द्र सिंह–

माननीय मंत्री जी ने जानकारी देकर हमारा ज्ञानवर्धन किया है इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि पूरब के 5 जिलों से ज्यादा और बिहार प्रदेश के गन्ने से ज्यादा गन्ना मेरे जनपद में पैदा होता है। मैं मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूं। मेरी निश्चित जानकारी है कि खतौली और शामली फैक्ट्री अगर गन्ने का डाईवर्जन नहीं किया गया, तो 15 अगस्त और सितम्बर तक गन्ना पेरेगी। मेरी सूचना को सही मानकर मेरठ मंडल का समता के आधार पर बांटकर गन्ने की पेराई करा कर सभी मिलों को एक साथ बन्द करने की व्यवस्था करेंगे।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, आप कृपया बैठें।

श्री हनुमंत सिंह–

माननीय वर्मा जी जो सरकार में जिम्मेदार पदों पर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब यह सरकार शासन में आयी थी तो तत्कालीन सरकार जो गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य बकाया छोड़ कर चली गयी थी उसको इस सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर, पूरे प्रदेश में 31 अक्टूबर तक भुगतान सुनिश्चित करा दिया था। जैसा कि माननीय नरेश जी ने कहा .....

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, हमारी सरकार 25 जून को गयी थी और इन्होंने अक्तूबर में भुगतान करके बड़ा तीर मारा है। अगर हमारी सरकार रहती तो 15 दिन के अन्दर गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया होता। गन्ना किसानों को जो सुविधायें हमारी सरकार ने दी थीं उनको न यह सरकार दे पायी है और न देगी। इस सरकार को शर्म आनी चाहिये कि किसानों को जेलों में बन्द किया जा रहा है। यह सरकार जितनी दिशाहीन और जन विरोधी है उतनी कोई और सरकार हो नहीं सकती।

(श्री राम औतार शाक्य ने किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी का नारा अपने आसन पर खड़े होकर लगाया।)

श्री हनुमन्त सिंह–

आप एक सम्मानित सदस्य हैं, तत्कालीन सरकार गन्ना किसानों की कितनी बड़ी हिमायती थी, इसके बारे में आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यह सरकार किसानों की सरकार है। यह सरकार अगर किसानों के लिये चिंतित न होती तो 23 लाख टन (घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय वर्मा जी ने सिर्फ इतना प्रश्न किया था कि उत्पीड़न की कार्यवाही के सिलसिले में क्या किया गया, उसके बारे में बता दें।

श्री हनुमन्त सिंह–

यह कोई वाद-विवाद का विषय नहीं है । यह सरकार गन्ना किसानों के बारे में कितनी चिंतित है ?

(घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

(घोर व्यवधान के मध्य) यह जो रोज का भाषण है । मेरे दो सवाल हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं माननीय राणा साहब को अनुमति नहीं दे रहा हूं । माननीय मंत्री जी जबाब दे रहे हैं । आप सब बैठें ।

श्री हनुमन्त सिंह–

(घोर व्यवधान के मध्य) मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह सरकार गन्ना किसानों की हिमायती सरकार है । गन्ने की पेराई के सिलसिले में मैं बताना चाहता हूं कि पिछले साल जो गन्ना पेराई हुई थी, उसके मुकाबले इस साल 276 लाख टन पेराई हुई (घोर व्यवधान)

(श्री हरेन्द्र सिंह, श्री हृदय नारायाण दीक्षित तथा अन्य अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये तथा "किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, उत्पीड़न की कार्यवाही बन्द करो" आदि नारे लगाने लगे)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं । आप सब कृपया अपने स्थान पर जायं ।

(सदन के फ्लोर पर आये सदस्य माननीय पीठासन की ओर बढ़ने लगे ।)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आप अपने स्थानों पर जायं । कोई गार्ड आगे नहीं बढ़ेगा गार्ड हट जायं, गार्ड हट जायं । आप सब कृपया अपने स्थान पर जायं । गार्ड सब आगे से हट जायं । आप सब कृपया अपने स्थानों पर जायं । यदि कोई बात कहनी है तो अपने स्थान पर जाकर कहें । वेल में कही गयी कोई बात संज्ञान में नहीं ली जायगी, आप सब कृपया अपने स्थानों पर जायं ।

(घोर व्यवधान)

(विरोध पक्ष के अनेक सदस्य अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ते हुए नारे लगाते रहे "किसान विरोधी यह सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ")

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को 20 मिनट के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 1 बजकर 25 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिये स्थगित कर दी । 1 बजकर 45 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, उस पर क्या निर्णय हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष–

उसको अग्राह्य कर दिया गया है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ इस पर कहना चाहते हैं, उनको कह लेने दें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह बड़ी गम्भीर समस्या है । इस पर आप चर्चा करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी अगर कुछ कहना चाहते हैं, तो कह दें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, स्पष्ट है कि जो बिन्दु माननीय मलिक जी ने उठाये हैं, मुजफ्फरनगर के बारे में हैं, तो माननीय मलिक जी स्वयं जानते हैं कि वहां पर गन्ने का उत्पादन बहुत अधिक है और वहां पर 5 चीनी मिलें लगी हुई हैं । मैं पुरानी बात नहीं कहना चाहता हूं, वर्तमान स्थिति को बता रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी स्पष्ट बतायें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

वहां पर पेराई और बकाये की समस्या है । पेराई हो जाये और किसानों का बकाया रुपया मिल जाये, यही दो समस्यायें हैं । इन पर मंत्री जी बता दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं बता रहा था कि मुजफ्फरनगर में 5 चीनी की मिलें हैं । माननीय सदस्य खुद इस बात को जानते हैं कि 14 हजार टन गन्ना प्रतिदिन पेरा जाता है, लेकिन यह क्षमता से बहुत कम है । 300 लाख कुन्तल का अनुमान किया गया है, यह 25-3-1992 तक की जानकारी है । 189.16 लाख कुन्तल गन्ना खरीदा जा चुका है । वहां पर जो स्थिति है, उस को देखते हुए मुजफ्फरनगर का गन्ना मेरठ की दौराला, मवाना और मोदी नगर चीनी मिलों द्वारा खरीदा जा रहा है और स्थिति पहले की अपेक्षा अब अच्छी है ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

20 लाख कुन्तल गन्ना पेरा गया है । यह सूचना जो मंत्री जी दे रहे हैं, वह गलत है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मुजफ्फरनगर जनपद में गन्ने की अधिक उपलब्धता को देखते हुए जनपद की चीनी मिलों में लम्बे समय तक गन्ना पेराई की व्यवस्था की जायेगी । कुल मिलाकर मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं मलिक जी को, वह यह है कि यह साफ-साफ व्यवस्था कर दी गयी है कि मुजफ्फरनगर जिले में सभी चीनी मिलें एक साथ बन्द होंगीं यह नहीं कि एक आज बन्द हो जाय और एक कल बन्द हो जाय ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से एक जवाब चाहूंगा कि जैसा आपने व्यवस्था की है उसका पालन कब तक हो जायेगा, आज हम अप्रैल में खड़े हुए हैं। (व्यवधान)

मान्यवर, आपने जो व्यवस्था की है एक मिल से दूसरे मिल को देने की उसका पालन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं यह बता देना चाहता हूं कि जितनी भी चीनी मिलें हैं, सभी चीनी मिलें एक साथ बन्द होंगी और जहां भी सट्टा और बोडिग हुई हैं, पूरा का पूरा गन्ना पेरने के बाद मिल बन्द की जायेगी, यह मैं आश्वासन देना चाहता हूं। जो-जो व्यवस्था हम कर रहे हैं, आखिर में उसके पूरे अनुश्रवण की व्यवस्था है, जैसा कि आपने शासन का ध्यान आकृष्ट किया है उसके बारे में विस्तार से दिखवा लेंगे कि जितने निदेश दिये गये हैं उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको अन्त में दिखवा लेंगे। दूसरी समस्या गन्ना के बकाये की है।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं।

(श्री राम कुमार शुक्ला द्वारा बीच में टोकाटाकी करने पर)

आप चुप बैठें यह कोई तरीका नहीं हैं। आप इस तरह से कर रहे हैं यह लोकतंत्र के अधिकारों का हनन हो रहा है।

श्री राम कुमार शुक्ल–

[× × ×]

श्री हरेन्द्र सिंह–

[× × ×]

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने से घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया बैठ जायं।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इन्हें जानकारी दें दें कि इस विधान सभा में जितना मेरा जीवन है, जितनी बार मैं जीत कर आया हूं उतनी बार इनको कौन कहे इनके नेता भी जीत कर नहीं आये होंगे और यह इस तरह की बात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

मलिक जी आप कुछ पूछ रहे थे, पूछें।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आप कुछ इस तरह की व्यवस्था कर दें, यह तो हमारे लोकतंत्र के अधिकारों का हनन है । अगर आप हमें संरक्षण नहीं दे सकते हैं, बहुमत इनका है, तो आप यह कह दें, हम लोग सदन से चले जायं । इसका मतलब यह नहीं है कि हमने आपसे अनुमति ली और माननीय मंत्री जी ने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया और बैठ गये इसके बाद वह इस तरह की अव्यवस्था करें, यह उचित नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप विषय से संबंधित कुछ पूछ रहे थे ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, गन्ने की समस्या उठाई थी, उसको आपने स्वीकार कर लिया, मैं कुछ बिन्दुओं पर मंत्री जी का आश्वासन चाहता हूं एक तो समान खरीद की व्यवस्था कर दी गयी है और आज जो आउट सेन्टर हैं जहां पर गन्ना किसान को किराया देना पड़ता है उसकी खरीद 40 प्रतिशत और कांटे पर 60 फीसदी 57 फीसदी कर दिया है इससे आउट सेन्टर के किसान तबाह हैं । दूसरा जो इन्होंने खुद अभी स्वीकार किया, मंत्री जी ने घोषणा की है ...

श्री उपाध्यक्ष–

मलिक जी, इस पर चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि जो आप खतौली शामली का गन्ना दूसरी चीनी मिलों को दे रहे हैं तो उसकी खरीद की व्यवस्था कब तक करा देंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो भी निर्देश शासन से दिये गये हैं, उनका अनुपालन कराने में सतर्कता बरती जायगी । अन्य जो मूल्यवान सुझाव हैं, उसमें दो बातें कहनी हैं । किसान और पूंजीपति की बात कही गयी है । हमारे लिये किसान का हित सर्वोपरि है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

व्यापारियों के हित पर भी नीति स्पष्ट कर दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

तो मैं कह रहा था कि अगर किसान का हित सर्वोपरि न होता तो करोड़ों रुपया जो बकाया था, उसका भुगतान, वित्तीय संकट के बावजूद, न करते । मिल मालिकों पर दबाव डाला जा रहा है कि पैसे का भुगतान करें । आर० सी० भी जारी की गयी हैं । चीनी मिलों की जो चीनी है, उसके मिलों से निकलने पर केन्द्रीय सरकार का अंकुश है चाहे लेवी चीनी हो या खुले बाजार की चीनी हो । इस समय स्थिति यह है कि चीनी की उठान बन्द कर दी गयी है । बैंक की ओर से क्रेडिट लिमिट थी, उसकी स्थिति यह हो गयी है कि आर्थिक संकट है । किसान की इस समस्या का हमने स्वयं अनुभव किया है कि किसान पर दो-चार हजार रु० बकाया है, साथ ही गन्ने की कीमत मिल पर बकाया है, हम पहुंच जाते हैं वसूली के लिये चाहें उसे गन्ना मूल्य मिले या न मिले, शासन इस पर विचार कर रहा है कि

ऐसी व्यवस्था करें कि अगर गन्ने का मूल्य बकाया है तो अन्य राजस्व की वसूली में प्रताड़ना की कार्यवाही न की जाय । हमारे लिये किसानों का हित सर्वोपरि है, उनको गन्ने का मूल्य का भुगतान करायेंगे और जहां तक पिराई का संबंध है, जब तक एक-एक गन्ना पिर नहीं जाता है, मिल को बन्द नहीं होने दिया जायगा । अगर कोई माननीय सदस्य जानकारी देंगे तो उसी समय उसकी जानकारी की जायगी ।

(विपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों के खड़े होने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

एक जानकारी दे दूं 23 अप्रैल, 1992 को इसी विषय पर वक्तव्य लगा हुआ है । ऐसी स्थिति में अब आगे बढ़ने दें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, इस वक्तव्य को चर्चा में बदल दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसमें वक्तव्य लगा हुआ है अगर वक्तव्य से समाधान न हो तो आपको अधिकार है चर्चा कराने का ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने इस सूचना को आग्रह्य कर दिया था किन्तु माननीय सदस्यों के आग्रह और विषय के महत्व को देखते हुए इस पर एक घंण्टे की चर्चा स्वीकार करता हूं ।

श्री हरिवंश सहाय–

मान्यवर, देवरिया जनपद इस समय दैवी आपदा से काफी पीड़ित है । पिछले एक महीने से अग्निकांड से देवरिया जनपद के लगभग 100 गाव आग से जल कर राख हो गये हैं । अभी पिछले दिनों सलेमपुर तहसील के धनौटी गांव में आग लगी, पूरे गांव के 100 घर जल कर राख हो गये उसमें 4 आदमी जल कर मर गये । उसी गांव के बगल में धरमपुर गांव है वहां पर आग लगी 6 बच्चे एक औरत जल कर मर गये । हाटा तहसील के एक गांव में 100 घर पूरी तरह से जल गये 6 आदमी वहां भी मर गये । मैंने कई गांवों का दौरा किया । रानीघाट के 70 घर जल कर राख हो गये । जो घर जल गये वहां कोई सम्पत्ति बची नहीं आज आकाश की छत के नीचे यह 100 गांव के लोग बसर कर रहे हैं। यह जहां आग लगी है मुख्यालय से उसकी दूरी 30 कि० मी०-40 कि० मी० की दूरी पर है । थाने को इसकी अगर सूचना दी जाती है तो फायर ब्रिगेड 2 घंटे में पहुंचती है तब तक पूरा का पूरा गांव जल कर राख हो जाता है । विशेषकर देवरिया जनपद के लिये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी वहां के हैं आप उनसे पूछ लीजिये । इतनी लम्बी दूरी की सूचना पर जब फायर ब्रिगैड पहुंची है तब तक पूरा गांव जल कर राख हो जाता है । यह प्रक्रिया वहां पर बड़े जोरों से चल रही है । मैं कहूंगा कि हर तहसील हेडक्वार्टर में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था तत्काल तथा विशेष परिस्थितियों में देवरिया के लिये कर दी जाय । जो लोग आकाश के तले रह रहे हैं, जो इन्दिरा आवास या निर्बल वर्ग आवास बन रहे हैं, कमजोर वर्ग के लोग हरिजन हैं, उनको उसमें घर बनाने की व्यवस्था की जाय । 100 गांव जो जले हैं उन गांवों का खलिहान जल कर राख हो गया सरकार की व्यवस्था है कि खलिहान जलेगा तो कोई सहत नहीं दी जायेगी । जिन लोगों का खलिहान जल गया है मैं मांग करूंगा कि उनको खलिहान के

लिये भी राहत दी जाय और जो अहेतुक सहायता व अन्य सहायता 1000 रु० मकान के मिल रही है 500 रु० अहेतुक सहायता दी जा रही है उस राहत को बढ़ाया जाय। जो किसान गांव के लोग मरते हैं उनके लिये विशेष तौर पर सहायता की व्यवस्था की जाय। जिन गांवों में पेड़ नहीं हैं उनको कोई तम्बू या कटरैन दिलाकर उन गांव वालों को राहत दिलायी जाय। मान्यवर, देवरिया जनपद के 100 गांव बिल्कुल पीड़ित हैं विपत्ति से जूझ रहे हैं उनके सामने खाने की समस्या है जिले में तत्काल सहायता देने के लिये पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। आग लगने के बाद 3 दिन के बाद सहायता दी जा रही है मेरा कहना है कि ज्यों ही सूचना मिले तत्काल सहायता उनको पहुंचायी जाय। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर त्वरित गति से काम करे।

श्री स्वामी नाथ यादव--

मान्यवर, मैं सरकार से चाहूंगा कि देवरिया जनपद में इस समय जो अग्नि-काण्ड हुआ है पिछले 50 वर्षों के रिकार्ड को देखा जाय तो ऐसे अग्नि-काण्ड कभी देवरिया जनपद में नहीं हुए। 9 बजे आग लगी, जैसा कि जिक्र हरिवंश सहाय जी ने अभी किया, 6 बजे सायंकाल तक पूरा गांव जलता रहा 4 आदमी मर गये उसमें 1 व्यक्ति की लाश नहीं मिल पायी मलवा में दब गया था 9 बजे लगी आग पर 12 बजे अग्निशमन के लोग पहुंचे देवरिया जनपद 35 कि० मी० दूर होने के नाते व्यवस्था की गड़बड़ी है अगर तहसील हेड क्वार्टर पर अग्निशमन होते तो गांव न जले होते। अब मान्यवर, धर्मपुर की बात आयी तो इसमें छोटे-छोटे बच्चे जल कर मर गये, रामौली में चार आदमी मर गये इसी तरह से अन्य तहसीलों में रामीघाट में सम्पूर्ण गांव जल कर राख हो गया, हाटा तहसील में 6 आदमी जल कर मर गये, डुमरी में 35 घर जल कर राख हो गये, बड़का गांव में भी 35 घर जल कर राख हो गये इसी तरह से पूरे तहसील के अन्तर्गत गांवों में आग लगी और कई घर जल कर राख हो गये। निजामाबाद में खलिहान जल गये। तो मान्यवर, जलने के तीन दिन बाद सहायता दी गयी इसलिये मैं चाहूंगा कि तहसील स्तर पर अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था की जाये। दूसरा यह है कि जो अहेतुक राशि पांच सौ रुपया है उसको बढ़ा कर 2 हजार कर दिया जाये और जो गृह अनुदान दिया जाता है एक हजार रुपये, उसे बढ़ा कर दस हजार कर दिया जाये और दूसरा जो आदमी इसमें जल कर मर गये हैं उन्हें कम से कम पचास हजार रुपये की राशि दी जाये जबकि उन्हें दस हजार रुपये की राशि दी जायेगी तथा वह अपना एक कमरा निर्माण करा सकता है और आग लगने पर जो प्रभावित लोग हैं उन्हें तत्काल छोलदारी की व्यवस्था की जाय, तम्बू की व्यवस्था की जाये जिससे जो बच्चे वहां पर खुले आकाश के नीचे धूप में पड़े हुए हैं उन्हें कुछ राहत हो इसलिये मैंने इसे नियम-56 के अन्तर्गत उठाया था और मांग करता हूं कि इस पर सारी कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय उपाध्यक्ष जी यह बात सही है कि देवरिया में इधर अग्नि-काण्ड की बहुत घटनायें हुई हैं। दैवी आपदा पर किसी का जोर तो है नहीं लेकिन यह सही है और जैसा कि अभी माननीय हरिवंश सहाय जी ने भी कहा कि वहां पर सहायता दो-तीन दिन बाद पहुंची। वैसे मैं आपको जानकारी के लिये बता दूं कि किसी भी प्रकार की सहायता को पहुंचने में तीन दिन से ज्यादा समय नहीं लगता है और हमने बड़ी तत्परता के साथ, कार्यकर्ताओं ने, स्वयं सेवी संस्थाओं ने और प्रशासन ने बड़े ही परिश्रम के साथ काम किया और जो भी नियमों के अधीन सहायता हो सकती है वह उन्हें पहुंचायी और जो माननीय सदस्यों ने इस संबंध में अपने सुझाव दिये हैं उसको हमने सुन लिया है और जो नियमों के अधीन होगा हम उस पर अमल करेंगे और उन्हें हर सम्भव सहायता प्रदान करेंगे। अभी हमारे माननीय

राज्य मंत्री ने बताया कि 60 लाख रुपये से अधिक की सहायता पहुंचायी जा चुकी है जिलाधिकारी को निदेशित कर दिया गया है कि आवश्यकतानुसार जितनी जल्दी सहायता हो सके पहुंचायी जाये। अब मान्यवर, जो चर्चा की बात इन्होंने कही है तो जब सरकार स्वयं प्रयत्नशील है और हर मामले में शीघ्रता से कार्य कर रही है तो इस चर्चा की आवश्यकता नहीं है लेकिन वहां की स्थिति के बारे में जो माननीय सदस्य हमें जानकारी देंगे उसके संबंध में हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने श्री स्वामी नाथ यादव के नियम-56 के कामरोको प्रस्ताव पर अपनी बात कही। मान्यवर, मैं देवरिया गया था। देवरिया गोरखपुर आदि जिलों में पता नहीं क्या बात है, आग की इतनी घटनायें हो रही हैं, जितनी सम्भवतया उत्तर प्रदेश के किसी भाग में नहीं हो रही हैं। कारण चाहे, जो भी हो। लेकिन मुख्य बात यह है कि सहायता जल्दी नहीं पहुंच पा रही है, अनुग्रह राशि भी कम है। जहां पूरा घर जल गया, पूरा सामान जल गया, वहां एक हजार और पन्द्रह सौ में कुछ नहीं हो सकता। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप अनुग्रह राशि बढ़ा दें तथा ऐसी व्यवस्था करवा दें कि घर जलने के बाद 3 दिन के अन्दर पूरी सहायता वहां मिल जाय। एक बात और करवा दें कि जिनके डीजल इंजन जल गये हैं, पम्पिंग सेट जल गये हैं और भी सारा सामान जल गया है, जहां काफी ज्यादा नुकसान हुआ हो, वहां के लिये ऐसे निर्देश कर दे कि जिलाधिकारी ऐसे मामलों को राहत कमिश्नर को लिख कर भेज दें और यहां 15 दिन के अन्दर उस पर निर्णय हो जाय और उसके बाद सहायता दे दी जाय। एक बात दमकल के विषय में कहना चाहता हूं, 1 दमकल जो है, वह हेड क्वार्टर पर रहता है और 100 कि० मी०, 80 कि० मी० पर आग लगी, वहां गांवों में कोई टेलीफोन भी नहीं होते, इसलिये सूचना आने और दमकल पहुंचने तक पूरा विध्वंस हो जाता है, अतः परिव्यय को बढ़ा कर ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि हर तहसील पर कम से कम एक-एक दमकल की अवश्य व्यवस्था हो जाय, जिससे दमकल आधे घण्टे अथवा 15 मिनट में अवश्य पहुंच जाये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने बड़े ही व्यावहारिक और मूल्यवान सुझाव दिये हैं। इस सदन को पूरी तरह सुनिश्चित किया जायगा कि जहां पर ऐसी दैवी आपदायें हो रही हैं, वहां 3 दिन में सहायता अवश्य पहुंच जाय। मान्यवर, शासन की नीति है कि दमकल अधिक से अधिक स्थानों पर लगें, लेकिन वित्तीय स्थिति के बारे में नेता विरोधी दल भी सब समझते हैं। वैसे यह प्रयास होगा कि अधिक से अधिक स्थानों पर दमकल लगें नेता विरोधी दल के जो सुझाव आये हैं, उन पर अवश्य विचार होगा।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 300 की सूचना, जो नियम 56 में परिवर्तित हो गयी है, को नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्य करता हूं।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सरकार भयमुक्त समाज की कल्पना करके आयी थी। मेरा सीधा आरोप है कि इस सरकार के आने के बाद पूरे प्रदेश में जो भय व्याप्त है, वैसा भय कभी नहीं रहा है। उदाहरण के रूप में अपने मऊ जनपद की ओर गृह राज्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा, उनसे हमारी पहले बात हो चुकी है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में एक दरगाह गांव है, वहां जिला परिषद् के द्वारा

11-12 लोगों के मकान उखाड़ कर फेंक दिये गये । मान्यवर, मैंने जो सूचना आपको दी है, उसमें पूरी घटना का विवरण और उन लोगों के हस्ताक्षर भी अंकित हैं । बहुत से लोगों के इसमें 35-36 वर्ष पूर्व के मकान बने हुए थे । एक मकान ऐसा था, जो आजादी के पहले का निर्मित था । विगत 10 तारीख को इन मकानों को गिरवा दिया गया, 11 को मुझे सूचना मिली, 12 को मैं वहां पहुंचा, 13 तारीख को मैं जिलाधिकारी से मिला । उससे पहले मैं जिला परिषद् के अधिकारी से मिला, उन्होंने मुझसे कहा कि जिलाधिकारी ने मुझसे कहा है कि अगर तुम इन मकानों को नहीं गिराओगे तो मैं तुमको सस्पेंड कर दूंगा । उसके बाद कई दिन तक मैंने इसको टाला, उसके बाद फिर जिलाधिकारी ने मुझसे कहा कि अगर इन मकानों को नहीं गिराओगे तो मैं तुमको टर्मिनेट कर दूंगा, इसलिये तब मैं पशोपेश में पड़ा और इसलिये हमको मकान गिराना पड़ा । मान्यवर, मैंने जिलाधिकारी से सम्पर्क किया, वह मेरे साथ मौके पर भी गये थे हमसे जिलाधिकारी ने कहा कि विधायक जी आप इस प्रकरण को हाउस तक न ले जावें ! हम और आप मिलकर के इस मामले को यही तय कर लेंगे । उसके बाद मैं मधुबन चला आया । उसी रात को वहां का सारा मलवा फेंकवा दिया गया । सिकड़ी कोल का एक जोझन यादव है । उसके ट्रैक्टर को रोका गया । उस ट्रैक्टर में 17 आदमी सवार थे । उन 17 आदमियों से रात भर मलवा फेंकवाया गया । 14 तारीख को मैं मौके पर गया । तथ्यों को छिपाने के लिये रात में ही सारा मलवा फेंकवा दिया गया । जिलाधिकारी कहता है कि जिला परिषद् में वह जमीन पड़ती है । गरीब लोगों के मकान थे । हिन्दुस्तान की आजादी से पहले की मकान थे । यह मान भी लिया जाय कि वे मकान जिला परिषद् में थे तो कोई उनको नोटिस नहीं दी गयी और कोई कानूनी दायरे में उन्हें नहीं लिया गया । पूरे दो सौ लेबरों को लगा कर मकानों को गिरा दिया गया । जिससे करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है । जिस भय मुक्त समाज की बात इस सरकार द्वारा कही गई, मैं कहना चाहता हूं कि मऊ जनपद में आज लोगों में इतना भय व्याप्त है कि जो लोग जनपद छोड़-छोड़ कर जा रहे हैं । जिला प्रशासन बदले की भावना से कार्य कर रहा है । मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि जितना भय मऊ जनपद में व्याप्त है, शायद इतना भय प्रदेश के किसी भी जनपद में व्याप्त नहीं है । मेरी मांग है कि यहां से किसी उच्च अधिकारी को इस प्रकरण की जांच हेतु भेजा जाय, जो 3-4 दिन में अपनी रिपोर्ट दे और उस रिपोर्ट को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस सदन के पटल पर रखें । दूसरा, यह कि जो गरीब लोगों के मकान गिरायें गये हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाय । क्योंकि उनके मकानों को अन्यायपूर्ण तरीके से गिराया गया है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरी उक्त दोनों मांगों पर ध्यान देते हुए, आज शेष सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय ।

* पंचायती राज राज्य मंत्री (श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य)–

मान्यवर, जिस स्थान का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, मैं बताना चाहता हूं कि जिला परिषद् की भूमि पर 10 व्यक्तियों ने दुकानों का निर्माण किया । जिनमें से दो व्यक्तियों ने 8 दुकानों का निर्माण किया और उन दुकानों को किराये पर उठा दिया और शेष लोगों ने वहां पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिन दुकानों का निर्माण हो गया है और किराये पर लोग बैठे हैं, उन दुकानों को गिराया नहीं गया है अपितु उन दुकानों पर ताले लगा दिये गये हैं । जो दुकानें निर्मित हो रही थी, उन दुकानों को हटाया गया है । मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि माननीय विधायक को जो प्रार्थना पत्र एक श्री सूर्यभान सिंह ने दिया कि यह दुकानें गिराई जा रही हैं ।

---

* सभा ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि अज्ञानवस दुकानों का निर्माण करा दिया है और कुछ भाग जिला परिषद् का भी इन दुकानों में शामिल हो गया है।

मान्यवर, उन दुकानों को गिराया नहीं गया बल्कि इनमें ताला चाभी लगा दी है जिला परिषद् द्वारा। माननीय विधायक गये थे और जिलाधिकारी से कहा था कि उनसे समझौता कर लें। जिलाधिकारी ने कहा समझौता उनसे किया जायेगा जो गरीब हैं, दुकानों पर बैठे हैं लेकिन समझौता उनसे नहीं किया जायेगा जिन्होंने जिला परिषद् की जमीन हड़प ली और उसमें दुकानें बना कर स्वामी बन गये और किराये पर उठा दिये शेष दुकानें जिनका निर्माण शुरू किया गया उनको हटाया गया। जो दुकानें जिला परिषद् की भूमि पर बनी हैं और गरीब लोग उसमें किरायेदार हैं उनको जिला परिषद् अपना किरायेदार मानेगी और वह यथावत् बने हैं। जो निर्माण कार्य शुरू कर रहे थे, जो ईंट आदि सामान लाये थे उसे हटाया गया है। उसमें हो सकता है पीछे मकान है आगे जिला परिषद् की भूमि है उसमें किसी का मकान का कुछ हिस्सा जो है उसको क्षति पहुंच गयी हो। तो इस विषय में मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा प्रकरण हो जिसमें कार्य-स्थगन की आवश्यकता हो।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा निर्माण कार्य हो रहा था मैं दावे के साथ घोषणा करना चाहता हूं कि अगर वर्तमान समय में 5, 10 वर्ष पहले निर्माण हुआ होगा तो आप जांच करवालें मैं विधान सभा सदस्य के पद से इस्तीफा दे दूंगा। मकान पुराने हैं यहां पत्रकार बन्धु बैठे हैं यहां 5 वर्ष के अन्दर एक भी ईंट निर्माण कार्य में लगा होगा तो मैं विधान सभा सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा खुली जांच का वायदा आप करें। यह गलत सूचना दे रहे हैं। मेरा स्पष्ट मत है, मेरा स्पष्ट विचार है कि वह मकान 35, 40 वर्ष पूर्व के हैं एक मकान मैं बता रहा हूं समीम अहमद का मकान है जो आजादी से पहले का बना हुआ है। जिलाधिकारी के द्वारा गलत सूचना पाकर सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर स्पष्ट घोषणा नहीं करेंगे, यहां प्रदेश स्तर से किसी अधिकारी से जांच नहीं करायेंगे तब तक मैं बैठने वाला नहीं हूं, मैं फर्श पर आ जाऊंगा, मैं सदन में तब तक बैठा रहूंगा जब तक जांच का आश्वासन नहीं देंगे। मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। आप किसी मंत्री को भेज दें, शाही जी चले जायं वह जांच करके आ जायं।

* गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, ऐसी गम्भीरता से धमकी दी जा सकती है, जरा शांत हो जायं। शांति से अपनी बात कहें।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

जांच करके आप परसों तक सदन के सामने रिपोर्ट पेश कर दें उसके लिये मैं तैयार हूं। लेकिन कोई गलत बातें जिलाधिकारी के द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा सूचना मिले उसको पढ़ दें यह एक अलग बात है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, हर बात पर बोलना इसलिए जरूरी हो जाता है कि माननीय विधायक पाण्डे जी शिष्ट और ठीक ढंग से अपनी बात सदन में उठाते हैं। उन्होने व्यथित होकर अपनी बात कही है। मैं आग्रह करूंगा माननीय वैश्य जी राज्य मंत्री पंचायत ने जिलाधिकारी की जो रिपोर्ट आई उसे सदन में पढ़

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिया। माननीय पाण्डेय जी बार-बार कह रहे हैं सत्य से परे है तो शाही जी को संसदीय कार्य मंत्री न भेजना चाहें तो लखनऊ से रेवेन्यू बोर्ड के किसी मेम्बर को भेज दें। आप किसी को भी भेज कर जांच करा लें, जांच में कोई हर्ज नहीं आप लोग गर्दन पहले ही हिलाने लगते हो, इसमें गर्दन हिलाने की क्या बात है, उन्होंने यह नहीं कहा किसी को सजा दे दो या फांसी दे दो, उन्होंने यही कहा हैं कि जांच करा लो, हमारी बात सही हो तो उसके अनुसार कार्यवाही करो और अगर जिलाधिकारी की बात सही है तो उसके अनुसार कार्यवाही हो। वह यह नहीं कहते हैं कि किसी खास आदमी को भेज कर जांच करा लो। वह तो कहते हैं कि आप किसी को भी भेज दें, आप किसी मंत्री को भेज दें। शाही जी न जाना चाहें तो आप किसी अन्य अधिकारी को भेज दें, किसी बात में यह जिद्द करना कि हम मानेंगे नहीं, कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है। मेरा सरकार से आग्रह है कि कोई भी इस तरह का गम्भीर मामला यहां आये तो उसे इतने हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिये। इस बात को सरकार को मानना चाहिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय विधायक की बात का पूरा-पूरा सम्मान है लेकिन माननीय नेता विरोधी दल स्वयं इधर प्रथम पंक्ति में बैठ चुके हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि जब कोई मामला सदन में उठता है तो पहले जिलाधिकारी से रिपोर्ट लेकर सदन में सूचित किया जाता है। उसके बाद आप माननीय सदस्यों की बात सुन कर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जिलाधिकारी की बात सही है या नहीं। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष से अधिक समय से मकान न बने हों तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन इसमें विवाद यही है कि वह जमीन किसकी है ? मैं जांच कराने का वादा करता हूं लेकिन आप यह देखें कि उस जमीन पर स्वामित्व किसका है ? इसके बारे में वह बता दें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

स्वामित्व किसी का भी हो, लेकिन बिना नोटिस के क्या कोई भी मकान गिराया जा सकता है, इसमें यह देखने की बात है, कोई भी सरकारी जमीन क्यों न हो, क्या उस पर बिना नोटिस के उस पर बने मकान जबरदस्ती गिरवा सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय नेता विरोधी दल की बात का पूरा-पूरा सम्मान करते हुए नोटिस देना या न देना तो एक सेकेण्डरी बात है, मुख्य बात यह है कि स्वामित्व किसका है ? कैप्टेन साहब तो स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में लिख कर दे रहे हैं कि मैंने थोड़ी सी भूल से जिला परिषद् की जमीन पर मकान बनवा लिया है।

श्री नरेश अग्रवाल–

पंचायती राज राज्य मंत्री ने कहा है कि निर्मित हो रहे थे इसलिये वह तोड़े गये हैं और उनका यह दावा है कि वह 5 वर्ष से बने हुए थे। तो इस तरह पूरा मकान बना हुआ होगा। मकान तोड़ने या गिराने की एक प्रक्रिया होती है जिसको अपनाना आवश्यक होता है। वह जिला परिषद् की भी जमीन थी तो भी उसमें नोटिस देना चाहिये था। माननीय सदस्य उत्तेजित इस बात से हैं कि वह खुद घटना स्थल पर गये थे और उस आधार पर वह कह रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ मंत्री जी श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य अधिकारियों की बात पर कह रहे हैं। इसमें क्या बात है आप राजस्व परिषद् के किसी अधिकारी को भेज दें, वह जांच कर ले।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मैंने यह कहीं नहीं कहा है कि उन लोगों की जमीन थी। जमीन किसकी थी यह मैंने कहीं नहीं कहा है। मैं अब भी कह रहा हूं कि मेरी जमीन है। जमीन किसी की भी हो बिना सूचना दिये हुए उस पर बने मकान नहीं तोड़े जा सकते हैं। हम मंत्री जी की जमीन पर मकान बनवा लें तो वह भी बिना

मुझे सूचना दिये हुए पुलिस के द्वारा नहीं तोड़े जा सकते । मुझे आप फांसी दे दीजिये तो भी मैं अपनी बात कहूंगा कि आप इसमें जांच करवा दीजिये ।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठिये, मैंने आपकी सारी बात सुन ली । अब मैं शासन से अपेक्षा करता हूं इस प्रकरण को दिखवा लेने के लिये ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मेरी बात नहीं स्वीकार की जा रही है । अभी मैं वहां पर आ जाऊंगा, मुझे इसके लिये विवश न किया जाये । मुझको अधिकार है लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, इसलिये मैं अपने क्षेत्र की बात कहूंगा । इसलिये आप निर्देशित करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप जिद न करें । इसके लिये जोर तो नहीं डाला जा सकता है । मैंने अपनी अपेक्षा जाहिर कर दिया कि इसको दिखवा लें । इसके बाद घोषणा की आवश्यकता नहीं रहती है ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मैं कभी भी गलत बात यहां सदन में नहीं कहता हूं । गम्भीर बात है, इसलिये मंत्री जी से आप कहें कि घोषणा करें अन्यथा मैं सदन के फ्लोर पर आता हूं ।

(माननीय सदस्य सदन के वेल में आकर बैठ गये)

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपने स्थान पर जायं । मा० सदस्य अपने स्थान पर जायं ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मैं अपने स्थान पर नहीं जाऊंगा जब तक घोषणा नहीं करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

शासन से घोषणा हो इस पर ही आप उतारू हैं तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपने पीठ से निर्देश दिया जिसका संसदीय कार्य मंत्री जी पालन करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया था और प्रक्रिया से नेता विरोधी दल सहमत हैं । आपने कुछ सूचना दिया उस पर हमने जानकारी प्राप्त किया और सदन को अवगत कराया और आपने दिखवा लेने के लिये कहा तो हम दिखवा लेंगे इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन बोर्ड आफ रेवेन्यू से या मुख्यालय से जांच के लिये किसी को भेजने में हमारी शर्त है कि प्रार्थना पत्र दें जिसमें लिखें कि जमीन का स्वामी कौन था, तो दिखवा लेंगे । मैं मा० विधायक की बात का सम्मान करता हूं लेकिन दबाव से काम नहीं चलेगा और कहें कि हम सदन के फ्लोर पर आ जायेंगे । तो धौंस पर हमारी सरकार कोई काम करने के लिये तैयार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपनी सीट पर जाएं।

(श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय केल से उठकर अपने स्थान पर गये)

(व्यवधान)

(श्री नरेश अग्रवाल एवं श्री सुन्दर लाल के व्यवधान के मध्य कुछ कहने पर)

अब इस पर बात समाप्त हो गयी है, इसलिये आप लोग बैठ जायें।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

अभी इस पर बात समाप्त नहीं हुई है। मैं अपनी बात कहूंगा। (व्यवधान)

श्री.उपाध्यक्ष–

अब आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा। आप बैठ जायें।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें। अकेले आपका ही सदन का समय नहीं है। दूसरे सदस्यों का भी सदन का समय है, इसलिये आप कृपया बैठ जायें। कृपया सदन छोड़ दें। आप सदन से बाहर जायं।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

श्रीमन्, हमारी बात सुन लीजिये .....

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है। पाण्डेय जी, आप सदन से बाहर जायं। आपको सदन से बाहर जाने का निर्देश देता हूं।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, जब आपकी आज्ञा मान ली तो अपना निर्देश वापस ले लें। इतना कठोर स्टेप न लें।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

जब लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार नहीं तो ऐसी सरकार में रहने से क्या फायदा।

नोटः–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नरेश अग्रवाल के अनुरोध पर मैं अपना निर्देश वापस लेता हूं।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

श्रीमन्, एक सवाल जनहित का उठाया था। उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। सदन में रहने से क्या फायदा ? आपने आदेश दिया, मैं जा रहा हूं।

(श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय सदन त्याग कर चले गये)

* श्री सुन्दर लाल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, 14 अप्रैल को सारे देश में बाबा भीम राव अम्बेडकर की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी और उस दिन उन्नाव जनपद में ग्राम पुरईखेड़ा में एस० डी० एम० ने बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ दिया। 14 अप्रैल को पुरईखेड़ा के निवासी बाबा भीम राव अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाने जा रहे थे उसी समय एस० डी० एम०, पुरवा और थानाध्यक्ष, बिहार ने वहां जाकर पुलिस बल पर प्रतिमा को तोड़ दिया और जो लोग वहां पर थे, सबको मार कर भगा दिया। यह शर्मनाक घटना ऐसे घटित हुई है। पुरईखेड़ा के निवासी डी० एम० से मिले और उन्हें एक लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया। डी० एम० ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। अनुसूचित जाति के व बाबा साहब को मानने वाले लोग धरना देने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि उन्नाव जनपद में एक बहुत बड़ा आन्दोलन होने वाला है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लें, इस पर चर्चा करा लें। उन्नाव में तनाव व्याप्त है। कोई भी आदमी वहां रहने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुरोध है कि मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर चर्चा करा लें, यही मैं चाहता हूं।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मेरी भी सूचना है।

श्री उपाध्यक्ष–

एक-एक सूचना पर एक ही माननीय सदस्य हस्ताक्षर करते हैं। आपने इस सूचना पर हस्ताक्षर करे हैं और आपकी दूसरी सूचना भी है। इस पर आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा तो दूसरी पर नहीं।

श्री राम ललित चौधरी–

ठीक है, मेरी दूसरी सूचना है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जिस महत्वपूर्ण विषय की सूचना पर माननीय सुन्दर लाल जी ने ध्यान आकृष्ट किया है, वास्तव में गम्भीर सूचना है। सुन्दर लाल जी हमारे सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने जो सूचना दी है उसे मैं सम्मान के साथ स्वीकार करता हूं। जहां तक सरकार की नीति और नीयत का संवाल है, बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के प्रति हमारी पूर्ण निष्ठा है। वह किसी एक वर्ग के मनुष्य नहीं हैं। मानवता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनकी देन है । आज यह घटना कैसे घटी, किन परिस्थितियों में घटी । सदन के सामने कोई बात छिपाने का मन नहीं है । इसे मैं स्वीकार करता हूं । मान्यवर, मेरे पास इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है मैं आपसे चाहूंगा कि विषय की गम्भीरता को देखते हुए मौका दें कल इसके बारे में पूरी जानकारी करके सदन को अवगत कराऊंगा कि किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया है । बड़ी गम्भीर बात है । एक बात यह भी लिखी गयी है कि गांव में तनाव है यह बात लिखने की जरूरत क्यों पड़ी ? किसी तरह का कमेन्ट मैं नहीं करना चाहता हूं । कल पूरी स्थिति से अवगत करा दिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब मंत्री जी के यह कहने के बाद और कोई औचित्य नहीं रह जाता है ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों के साथ लगातार अधिकारियों द्वारा उपेक्षा की जा रही है सरकार द्वारा भी उनकी मानवीय समस्याओं और उनकी न्यायोचित मांगों को नजरंदाज किया जा रहा है। प्रदेश भर में कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों के समय-समय पर बढ़ाये गये वेतन का एरियर तथा अन्य विभागीय देयों का भुगतान आठ-आठ, दस-दस साल से लटकाये रखा गया है । सेवानिवृत्त होने वाले माध्यमिक शिक्षकों को विभागीय देयों का भुगतान होने के मामले पांच-पांच साल से लेकर तीन साल तक लटकाये रखने के कारण प्रदेश के विभिन्न जनपदों के माध्यमिक शिक्षक, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, बदहाली के हालत में हैं । शिक्षकों को समय से वेतन न भुगतान कराये जाने की शिकायत प्रदेश भर में है । शासनादेशों के अनुसार माह की दस तारीख तक शिक्षकों का वेतन भुगतान हो जाना चाहिए पर व्यवहार में इसका पालन नहीं किया जा रहा है । उदाहरण के तौर पर फ़ैजाबाद मंडल के जनपद फ़ैजाबाद, बाराबंकी, गोण्डा, बहराइच, सुल्तानपुर में ही कार्यरत शिक्षकों के विभिन्न विभागीय देयों का लाखों रुपया प्रति जनपद के हिसाब से विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया है । इसी तरह से इन जनपदों में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को किया जाने वाला विभिन्न विभागीय भुगतान तीन-तीन साल से नहीं दिया गया है । इस मंडल के शिक्षकों को कभी भी समय से वेतन का भुगतान नहीं कराया गया है ।

फ़ैजाबाद जनपद सहित विभिन्न जनपदों के माध्यमिक शिक्षकों का माह मार्च, 1992 का वेतन अभी तक भुगतान नहीं कराया गया है । उपरोक्त कारणों से एक ओर माध्यमिक शिक्षक समय-समय पर आने वाली आर्थिक और पारिवारिक कठिनाइयों से परेशान होते हैं तो दूसरी ओर दायित्व निर्वहन करते हुए सभी में क्षोभ और कुंठा व्याप्त रहती है, जिसका प्रभाव शैक्षिक कार्य प्रणाली पर पड़ता है ? अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन और सरकार के संज्ञान में लाते हुए आज की सम्पूर्ण कार्यवाही रोक कर इस मामले पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं उनके अध्यापकों के विभिन्न अवशेष हैं, पेंशन आदि के मामले हैं उसमें यथाशीघ्र भुगतान कराये जाने का पूरा प्राविधान है । यदि माननीय सदस्य की कोई जानकारी है कि किसी का भुगतान नहीं हुआ है और किसी का कोई एरियर निकलता है तो मामले में विवाद हो जाता है इसमें अधिक समय नहीं लगना चाहिये । मैंने इस पूरी सूचना को ध्यान से पढ़ा तीन चार जिलों के बारे में कहा है अब तीन-चार जिलों में किस-किस विद्यालय के अध्यापकों को वेतन नहीं मिला, किस-किस को पेंशन नहीं मिली, किन-किन मामलों में अवशेष बकाया हैं, इसमें राणा जी भी सहमत होंगे कि यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं बनता है । अगर अध्यापकों का वेतन समय से नहीं

मिलता हर बार ग्रान्ट जाती है इसलिये कोई दिक्कत नहीं है । अगर किसी जिले की किसी महीने की कोई विशेष स्थिति है, तो बतायें, कई बार ऐसा होता है कि वित्त अधिकारी हैं हस्ताक्षर नहीं हुए तो देर हो जाती है । जो नाम आपने बतायें हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लूंगा ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

फैजाबाद मंडल को 1992 का मार्च महीने का भुगतान नहीं किया गया है मेरी निश्चित जानकारी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें माननीय सदस्य को सुनने के उपरान्त इनकी सूचना कार्य-स्थगन में नहीं आती है मैं इसको अग्राह्य करता हूं । श्री राम ललित चौधरी की सूचना जनपद बस्ती में पेयजल संकट के निदान हेतु इंडिया मार्क–II हैण्ड पम्पों की व्यवस्था से संबंधित है । श्री हरेन्द्र सिंह मलिक की सूचना जनपद मुजफ्फरनगर के बघरा क्षेत्र में पीने के पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । श्री विजय पाल सिंह तोमर, श्री सोमांश प्रकाश, श्री स्वामी नाथ की सूचना जनपद मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल के ग्राम दुअभी में कतिपय महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । चौथी सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह की जनपद गोण्डा के थाना सिलिया के ग्राम कंडारे में अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को कथित रूप से उत्पीड़न किये जाने के संबंध में है । इन सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

जो सूचनायें शलाका के आधार पर चयनित हुई हैं उन पर सुना गया । यह जो 4 सूचनायें थीं उन पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अन्य सूचनाओं पर सुनने की अनुमति नहीं दी जायगी । माननीय सदस्य श्री फरीद महफूज किदवई, माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित, माननीय श्री राम औतार शाक्य, माननीय श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री स्वामी नाथ यादव व श्री हरिवंश सहाय की सूचनायें चयनित नहीं की गयी हैं ।

(शोर)

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, पुलिस उत्पीड़न कर रही है और लोगों को परेशान कर रही है जिससे लोगों में रोष व्याप्त है ....

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी सूचना शलाका में नहीं आयी है फिर भी शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है । अब आप लोग कृपया बैठें ।

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग

श्री उपाध्यक्ष–

माननीया नगर विकास मंत्री, आप कृपया बजट प्रस्तुत करें ।

नगर विकास मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,33,93,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, नगर विकास विभाग हर आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ विभाग है । बिना किसी भेदभाव के हम नगरीय क्षेत्र में बसने वाली 16 फीसदी से ज्यादा जनसंख्या की व्यवस्था से तो जुड़े हैं हीं लेकिन पेयजल की दृष्टि से नगरीय क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र से भी इस अति आवश्यक व्यवस्था के साथ हम जुड़े हैं । मुझे स्मरण है, इसी माननीय सदन में माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने अपने सम्बोधन में कहा था कि पेयजल की दृष्टि से, उसकी आवश्यकता को देखते हुए, संसाधनों और स्रोतों को तलाशना होगा । मान्यवर, हमने संशाधनों और स्रोतों को तलाशा है और इसी तलाशने के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में हम अपनी अनेक चुनौतियों और अन्य प्रशासनिक कठिनाइयों के बावजूद न सिर्फ लक्ष्यों को प्राप्त कर सके हैं बल्कि पेयजल के समेत जो अन्य कल्याणकारी योजनायें हैं जैसे नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के लिये कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है और लक्ष्य की प्राप्तियों से आगे जाकर अपने कार्य को पूरा किया है । इसी संदर्भ में मैं यहां बताना चाहूंगी कि 1991-92 में जो हैण्ड पम्प की दृष्टि से हमारा लक्ष्य था 5205 गांवों में 19416 का, इसे हमने 6010 गांवों तक ले जाकर 27123 की संख्या पहुंचाई है । यह अपने आप में नया कीर्तिमान है । इसी में 7707 नये ऐसे हैण्ड पम्प भी हमने लगाये हैं जिन्हें हम अम्बेदकर शताब्दी और सुखा राहत से प्राप्त कर सके थे । इस तरह से हमारी संख्या 27123 पहुंची । इसी कड़ी में आगे कहना चाहूंगी कि नगरीय लघु उद्यम योजना जो चलती थी इसमें जहां 1990-91 में हमने 105 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का लक्ष्य किया था, इसे लगभग आठ गुना बढ़ा कर हमने 990 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत प्रदान कर अपने लक्ष्य से कहीं आगे इस कार्य को आगे बढ़ाया है । इसी में आगे तीसरी योजना जो नगरीय ऐसी बस्तियों को लेकर जिसमें कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, उसमें सरकारी परिसम्पत्तियों का सृजन करके रोजगार की दृष्टि से योजना चलाई जाती है, इसी में मलिन बस्तियों को वरीयता के आधार पर काम करके 800 लाख रुपये के 1991-92 के अपने लक्ष्य को, 1990-91 में जहां 8 सौ लाख का काम हुआ था, वहां 1991-92 में 1518 लाख तक पहुंचाया है ।

इसी तरह से, वहीं गरीबी की रेखा से नीचे के निवासियों की दृष्टि से हमारी एक योजना आश्रम सुधार योजना है । इसमें जहां 1990-91 में हमारा कार्य शून्य था, वहां हमें इसे प्राथमिकता के आधार पर लेकर और ऐसे वर्गों में आश्रय सुधार की महती आवश्यकता को अनुभव करके अपनी प्रशासनिक कड़ाई के साथ 1991-92 में आर्थिक सहायता देकर 26 हजार ऐसे व्यक्तियों को लाभान्वित करने का काम किया है । विगत अनेक वर्षों से प्रशासनिक और आर्थिक समस्याओं के कारण इन स्वायत्तशासी स्थानीय निकायों का जो ढांचा था, इनकी जो स्वतंत्रता थी, इनकी जो आवश्यकता थी, इनके कार्यों का यह ढांचा चरमरा गया था और कर्मचारियों की दृष्टि से हमारे स्थानीय निकायों में एक महत्वपूर्ण कार्य कर्मचारियों के वेतन संबंधी समस्या और कर्मचारियों के वेतन में भी जो विगत 1-1-86 में समता समिति की रिपोर्ट के नाते 74 करोड़ के बकाया वेतन की समस्या, इस ऐसी गम्भीर और कठिन समस्या की तरफ भी हमने प्रयास किया है और मुलभूत प्रयास किया है । इनके वेतन को हमने जिला स्तर पर

अनेक ऐसी शिकायतें प्राप्त होती रही हैं, सामान्य व्यवहारिक जीवन में हम सब समय-समय पर इन समस्याओं से अवगत होते रहे हैं, हम सबकी जानकारी में होगा, 689 स्थानीय निगमों में जगह-जगह वेतन समस्याओं को लेकर कितनी ही बार प्रश्न उठते रहे हैं । इस प्रश्न के समाधान के लिये वेतन का पैसा वेतन को ही दिया जाय, ऐसी व्यवस्था का संकल्प लिया और इस व्यवस्था का पैसा प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी और स्थानीय निकाय के अध्यक्ष को अपने अधिशासी अधिकारी के साथ सम्मिलित खाता खोल कर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि वेतन के लिये दी गयी धनराशि, वह चाहे चुंगी की क्षतिपूर्ति हो, चाहे पथकर की क्षतिपूर्ति हो, चाहे शासन के द्वारा दिया जाने वाला वेतन का अंशदान हो, यह पूरा का पूरा दिया गया पैसा वेतन में बटेगा और यह सुनिश्चित कर दिया गया है । यह भी हमारी जानकारी में आई है कि हमारी इस व्यवस्था के बाद भी 689 में से एक बहुत बड़ी संख्या लगभग 2/3 संख्या जिनकी 561 गिनती आती है, ऐसी 561 स्थानीय निकायों में क्षतिपूर्ति से वेतन पूरा नहीं होता। इस समस्या के समाधान के लिये, कुछ वर्षों के लिये हम इस डेफसिट को, हम इस कमी को पूरा करेंगे और इसके साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इन स्थानीय निकायों की आय में इतनी वृद्धि हो जाय कि यह तदर्थ व्यवस्था हमें न्यूनतम काल तक भी न चलाना पड़े । इसे हम शीघ्र कार्य रूप में परिणित करेंगे । यह क्रांतिकारी कदम होगा । हम ऐसे कर्मचारियों के वेतन को सुनिश्चित करेंगे ।

इसी से जुड़ा एक और मसला जो लम्बे अर्से से इस विभाग में पड़ा था, वह था डेली वेजेज कर्मचारियों का, हमने ऐसे विषय को कर्मचारियों के हित में परीक्षण करा कर, 11 अक्टूबर, 1989 तक जिन्हें तीन वर्ष पूरे हो गये हैं और इन तीन वर्षों में 240 दिन तक पूरा कर लिये हैं, ऐसे 11 हजार कर्मचारियों को हमने नियमित करने का यह कीर्तिमान स्थापित किया है । 11 अक्टूबर, 1989 तक जो हमारे कर्मचारी थे, उनके लिये हमने यह प्राविधान किया है कि उन्हें निकाला नहीं जायेगा और आगे आने वाले समय में पदों के सृजन में, रिक्ति में उन्हें ही हम समायोजित करेंगे । यह भी हमने सुनिश्चित किया है । इसी के साथ-साथ हमारे विभाग की यह विडम्बना रही है, यह भी हमारी जानकारी में आया है कि कहीं पर कर्मचारी की संख्या आवश्यकता से कहीं ज्यादा है, जिनकी संख्या लगभग 16 हजार के है और स्थानीय निकायों पर यह एक बर्डेन है अगर इनकी आवश्यकता नहीं थी, तो आखिर यह स्थिति किनके द्वारा उपस्थित हुई । हमने इसकी जानकारी शासन स्तर पर चाही । यह हमारा प्रयास है कि इन तीन वर्षों तक 11 अक्टूबर, 1989 से लेकर 5 दिसम्बर, 1991 तक, इस बीच के काल-खण्ड में कितने ऐसे कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति की गयी, वह तदर्थ रूप में या डेली वेजेज में की गयी, इसकी जानकारी सुनिश्चित करेंगे और कागजी खानापूर्ति की कार्यवाही नहीं करेंगे । इसका औचित्य सिद्ध न होने पर, अनावश्यक रूप से अगर ये कर्मचारी भर्ती किये गये हैं, तो इनका दायित्व भर्ती किये जाने वाले पर डालना होगा । इसे हम केवल औपचारिक व्यवस्था में न लेकर सरचार्ज जैसा दण्ड देने का विचार कर रही हैं । मान्यवर, 5 दिसम्बर, 1991 में एक और व्यवस्था की गयी है वह यह है कि 5 दिसम्बर, 1991 के बाद अगर किसी भी स्थानीय निकाय में बिना शासन की जानकारी के अनावश्यक रूप से कोई नियुक्ति की जायेगी, तो उसके वेतन की धनराशि उस नियुक्त करने वाले अधिकारी से वसूल की जायेगी और अगर अध्यक्ष है या चेयरमैन है तो उसकी निजी सम्पत्ति से वसूल की जायेगी । हमने इस व्यवस्था को कड़ाई से पालन करने का प्रयास किया है । कहने का तात्पर्य यह है कि हम हर प्रकार से अनियमित नियुक्तियों पर रोक लगाने का प्रयास कर रही हैं ।

मान्यवर, दूसरी ओर बढ़ते हुए नगरों के विकास को देखते हुए, उनकी आबादी को देखते हुए और उनकी सीमाओं को देखते हुये, उनकी सफाई व्यवस्था की ओर उदासीन नहीं हैं और हम एक नया प्रयोग करने जा रहीं हैं कि इन शहरों की सफाई व्यवस्था को निजी क्षेत्र में सौप दिया जाये, क्योंकि

आमतौर पर सफाई न होने की शिकायतें आती रहती हैं । इस बात का समाधान करने के लिये एक खोजपरक कार्य प्रारम्भ किया गया है । इससे एक ओर सफाई की गुणवत्ता बढ़ेगी और दूसरे ओर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भरती की रोक के कारण कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी । इस ओर भी ध्यान रखा गया है । मान्यवर, एक और मांग उठ रही है और वह मांग यह है कि नगरों के बढ़े हुए क्षेत्र को देखते हुए और उनकी आबादी को देखते हुए कर्मचारियों के जो मानक हैं वह पुराने हैं । इस मांग को लेकर कुछ प्राविधान किये गये हैं, जिससे सफाई की गुणवत्ता बढ़े । यह मानक उस समय के हैं, जब सफाई कर्मचारियों के हाथ में एक हत्थू ठेला होता था । वह समाप्त हो गया है, अब मशीनों का प्रयोग किया जाता है । आज हत्थू ठेले के स्थान पर ट्रैक्टर और ट्राली का प्रयोग किया जाता है । आज हम मशीनी युग में पहुंच गये हैं और इनके अतिरिक्त और बहुत से उपकरण प्रयोग में आने लगे हैं । इस उद्देश्य से सारी बातों को ध्यान में रखकर एक अधिकारियों की कमेटी बनायी गयी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उसका परीक्षण करने के बाद उसी की संस्तुतियों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि आज देश और प्रदेश में मानव का मैला नालियों में बहाया जाता है, ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है । इससे हम चिंतित हैं और इस ओर सुधार के प्रयास प्रारम्भ कर दिये हैं और हम ऐसी व्यवस्था करने के पक्षधर हैं कि शुष्क मैला बहाया न जाये । इन ऐसे शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालय बनाने के कार्य में वैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी तो इसे कड़ाई से लागू करने के लिये यह वैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, यह हमारा चिन्तन है ।

इसके साथ-साथ प्रशासनिक दृष्टि से हमारे कार्य को और तेज बनाया जा सके इस ओर भी हमने प्राविधान किये हैं और इन्हीं प्राविधानों के नाते हमने अपने सचिवालय में, निदेशालय में निदेशक स्तर पर अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया है और इसी के तहत हमने कमिश्नरी स्तर पर एक एडीशनल व्यवस्था की है । हमें कठिनाई थी, हमारे शासन स्तर से लेकर नीचे तक हमारे 689 स्थानीय निकाय हमसे जुड़े रहने के कारण, बीच की कड़ी में कोई प्रभावशाली भूमिका न होने के कारण, हमारी जो कठिनाई खड़ी होती थी, तो एक ए० डी० एम० स्तर के अधिकारी को केवल स्थानीय निकाय से संबंधित मामलों में, कठिनाई न हो, देर न हो, इन्हें देखें, ऐसी व्यवस्था भी हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं ।

इसी तरह से समय-समय पर कुछ ऐसी शिकायतें भी मिलती आई हैं कि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी हमारे यह स्थानीय निकाय हैं जिनके निर्वाचन के समय निर्वाचक नियमावलियों में कुछ प्रभावशाली लोगों के द्वारा, चूंकि क्षेत्र छोटे होते हैं, इस नाते कुछ इस तरह की हेराफेरी की बात होती है जिससे इस प्रथम सीढ़ी के लोकतंत्र को प्रभावित हो जाना स्वाभाविक है, इस बात को ध्यान में रखकर हमने यह सुनिश्चित किया है कि इन स्थानीय निकायों की निर्वाचन की नियमावली, लोक सभा और विधान सभा की निर्वाचन नियमावली ही मानी जाय, यह हमने निश्चय किया है । इसके साथ-साथ हमारा संशाधन बढ़े । इस तरह से जो हमारा प्रयत्न है उस प्रयत्न के नाते वह समिति जो, हमारे कर्मचारियों की दृष्टि से मानक रहा है और हमारे आय की दृष्टि से हमने दो समिति बनाई । एक तो यह अधिकारियों की समिति हमें सजेस्ट करेगी कि वर्तमान समय में संशाधनों की दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं वहीं दूसरी ओर 6 जनवरी, 1992 में हमने एक समिति चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जिसमें अध्यक्ष, चेयरमैन और कुछ अधिकारी थे, उनकी एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की संस्तुतियां भी प्राप्त हो गयी हैं और इन संस्तुतियों का भी परीक्षण चल रहा है, उन्होंने कुछ अच्छे सुझाव जो परीक्षणोपरान्त क्रियान्वित किये

जायेंगे, और निश्चित रूप से हमारा यह मानना है कि इन स्थानीय निकायों को आर्थिक स्वालम्बन की दृष्टि से मजबूती प्रदान होगी, ऐसी कमेटी ने भी अपनी संस्तुति दी है और इसके साथ-साथ हमने भी यह प्राविधान किया है कि सरकारी सम्पत्ति का अगर कहीं चाहे किरायेदार के नाम पर, पट्टे के नाम पर इस तरह निस्तारित की जाती थी, इसमें हमने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पालिकाओं, टाउन एरियाज, स्थानीय निकायों को आर्थिक दृष्टि से मजबूती प्रदान करना है जिसमें अन्य संम्पत्तियों, परिसम्पत्तियों के साथ पूर्व में लगी ऐसे चुंगीघरों को, उनके निस्तारण को हम आम तौर पर, खुले तौर पर नीलाम करेंगे, नीलामी के आधार पर उनका निस्तारण करेंगे उनको न किराये पर उठाया जायेगा न दूसरे किसी तरह से दिया जायेगा । इनकी नीलामी करके और इनको ऊंचे मूल्य पर बेंचकर संसाधनों की दृष्टि से पालिकाओं और स्थानीय निकायों को मजबूती प्रदान करने का उद्देश्य है ।

एक बात कहना चाहूंगी कि पूर्व के वर्षों में अनुदान देने के नाम पर जो भ्रान्तियां हुईं, जो गड़बड़ियां हुई हैं, जहां तक पिछले वर्ष की बात है जिसके आंकड़े भी मैं दे सकती हूं । वर्ष 90-91 में 689 स्थानीय निकायों में से 224 स्थानीय निकायों को एक पैसा भी अनुदान नहीं मिला था वहीं हमने यह व्यवस्था की कि इस अनुदान को, स्थानीय निकाय क्षेत्रों में आबादी को मानक मानकर और आबादी के मानक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के आधार पर जितना पैसा जिस स्थानीय निकाय के हिस्से का है बिना कोई अंतर किये 689 स्थानीय निकायों को अनुदान दिया है । इस व्यवस्था के पीछे हमारी भावना यह है कि समूचे उत्तर प्रदेश की 16% से ऊपर बसने वाली नगरीय जनता के विकास के कार्यों की जिम्मेदारी सरकार की है और इसमें किसी भेदभाव की आवश्यकता नहीं है । और समान रूप से इसका निर्वाह करने की जिम्मेदारी सरकार का नैतिक दायित्व है ।

इस आर्थिक कठिनाई को दृष्टि में रखते हुए हमने एक स्थानीय निकाय की दृष्टि से और स्थानीय निकाय में भी जो सबसे छोटी इकाई होती है टाउन एरिया इसके विकास से शुभारम्भ किया है । इसको देखते हुए प्रत्येक जिले में आदर्श टाउन एरिया बनाने का निश्चय किया है । इसका चयन जिला अधिकारी द्वारा भेजे गये तीन नामों में से होगा । इसके भी कुछ मानक रखे गये हैं उनके आधार पर चयन होगा और यहां हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जहां सामान्य आर्थिक व्यवस्था में हम कुछ हजार तक नाम मात्र के संसाधन ही टाउन एरिया जैसी छोटी इकाई को प्रदान कर पाते थे वहीं सड़कें, लाइट, स्वच्छता और पेयजल की दृष्टि से आदर्श व्यवस्था कायम हो जायेगी । यह हमारा संकल्प होगा और इस संकल्प के नाते प्राथमिक आवश्यकता पेयजल की दृष्टि से एक करोड़ रुपया आदर्श टाउन एरिया के लिये सुनिश्चित किया हुआ है । इसी तरह से 63 जनपदों में नगरीय विकास अभिकरण कार्यरत हैं । इनका मुख्य कार्य प्रशासनिक दृढ़ता कार्यों की सम्पन्नता में अधिकारी स्तर पर पुनरीक्षण और इस व्यवस्था के नाते इसमें हमने प्रयास किया है कि प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी जिला स्तर पर इसके अध्यक्ष/चेयरमैन और उसके साथ हमारे अधिकारी इसके सदस्य होंगे । और यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकरण के नाते चलने वाली विशेष योजना में कोई कठिनाई या समस्या तो नहीं है । कार्य को सम्पन्न करने में भी सहयोग करेंगे मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त को अध्यक्ष बनाकर यही व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है ।

सामुदायिक विकास केन्द्र–यह गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले आवासीय बस्तियों के लिये नेहरू रोजगार योजना से जुड़े हुए हैं । इस कार्य के लिये 1992-93 में 4 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है । इससे सात लाख व्यक्तियों को लाभ मिलेगा ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में भंगी कार्य मुक्ति योजना कार्य में जो एक सबसे बड़ी कठिनाई आ रही थी, यूं तो प्रथम चरण में हमारा लक्ष्य 40 नगरों में 7 करोड़ रु० से 35 हजार गांवों के निर्माण का है, निर्माण एवं परिवर्तन दोनों को मिलाकर, लेकिन एक बड़ी समस्या इस निहायत आवश्यक कार्य में आड़े आ रही थी वह समस्या थी हुडको से मिलने वाले ऋण के भुगतान का लाभार्थी के द्वारा दिया जाना यह बड़ी बाधा हमारे कार्य की प्रगति में प्रदेश सरकार ने पहली बार यह पहला राज्य है देश का जिसने 2 करोड़ का प्राविधान इस ऋण को लाभार्थी के बजाय अपने ऊपर लेने का निश्चय करके इस योजना की कठिनाई को दूर करने का काम किया है।

पेयजल की जो बात है व्यक्ति चाहे जिस वर्ग का हो पानी सबके लिये निहायत आवश्यक है, यहां चर्चा की जाती है जल ही जीवन है जीवन से जुड़ा जल और इस जल की आवश्यकता की दृष्टि से स्वच्छ जल हम दे सकें प्रदेश की जनता को, अभी पूर्व में हमने एक दशक पेयजल की दृष्टि से ही मनाया है इस आवश्यक आवश्यकता की दृष्टि से वर्ष 92-93 में 133 करोड़ रुपये का आय-व्ययक में हमारा प्रस्ताव है जिससे प्रदेश के कुल गांव 1,12,566 जिसमें समस्याग्रस्त गांवों की संख्या है 78050 है इन 78050 की संख्या में आज की स्थिति में जो समस्याग्रस्त गांव शेष बचे हैं पेयजल की दृष्टि से लाभान्वित होने में उनकी संख्या 31-3-92 तक की स्थिति की दृष्टि से यह 92-93 के वर्ष में हमारा संकल्प है कि 31 मार्च, 1993 को इस प्रदेश में एक भी गांव समस्याग्रस्त गांव नहीं रह जायेगा (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) यह हमारा लक्ष्य है। इसमें कई समस्या दूर करेंगे। यह प्रथम चरण है, यह हमारी प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति है पेयजल की दृष्टि से जो हमारी मान्यता है जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिये हमें और कार्य करने हैं इसलिये हमने सर्वेक्षण का कार्य चलाया हुआ है यह सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है इसके नाते हमने इसमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि जो 1,12,566 हमारे राजस्व गांवों की संख्या है उनके साथ-साथ बहुत बड़ा भाग मजरे पुरवे के रूप में भी जुड़ा होता है जहां पेयजल की दृष्टि से अभी पहुंचे नहीं हैं या कहीं बहुत कमी अनुभव की जा रही है यह भी पूर्ति हमें आवश्यक रूप से करनी है और इसका सर्वेक्षण प्रारम्भ किया हुआ है। और इस सर्वे के साथ हमने अपने माननीय सदस्यों को भी अपने इस आंकलन में सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था, उन सबको व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर अपनी इस योजना में जोड़ा था। मुझे यह कहने में थोड़ी कठिनाई है, आप सबकी समस्या समय की रही होगी, आपके बहुमूल्य सुझाव से हम वंचित रह गये लेकिन जो यह सारा कार्य चल रहा है और इस कार्य में हमें सबका सहयोग चाहिये था ...

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आपको उत्तर भाषण भी करना है इसलिये थोड़ा संक्षेप में करें।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

हां, मैं संक्षेप कर रही हूं। तो मान्यवर, हमने एक नीतिगत निर्णय लिया है और वह निर्णय है कि हमारी जो पेयजल की दृष्टि से योजनायें अधूरी पड़ी थीं, उन अधूरी योजनाओं को नगरीय क्षेत्र में ऐसी योजना जिनका 50 फीसदी कार्य हो चुका है और उनकी संख्या 73 है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर 17 करोड़ 50 लाख रुपये देकर प्रथम चरण में पूरा करेंगे। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी पड़ी योजनाओं में, जिनमें 50 फीसदी कार्य हो चुका है, ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता देकर 13 करोड़ रुपया देकर पूरा करेंगे। इसके पीछे हमारे हेतु यह हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनसामान्य को इसका लाभ मिल सके हम पुरानी योजनाओं को, अधूरी पड़ी योजनाओं को पेयजल की दृष्टि से प्राथमिकता की दृष्टि से लेंगे और हम उस पर कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से हैण्ड पम्प जिनका 92-93 -- लक्ष्य हमने निर्धारित

किया था और यह लक्ष्य 29,00 नये हैण्ड पम्प लगाने का है । इसके साथ-साथ एक बड़ी भारी समस्या हमारे प्रदेश की है कि हम नये हैण्ड पम्प लगाते जा रहे हैं लेकिन जो पुराने हैण्ड पम्प हैं, जो खराब पड़े हैं और जिनके लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है, खराबी के कारण जो हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं उनकी संख्या का आंकलन करके प्रथम चरण में इस हेतु धन उपलब्ध कराया है इसके पीछे हमारा हेतु यह है कि नये हैण्ड पम्प में धन लगे ओर क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो सके । पेयजल की दृष्टि से टाउन एरिया में जो व्यवस्था है उसमें पेयजल की अनिवार्यता और आवश्यकता अनुभव की जा रही थी । हमारे जो छोटे-छोटे बच्चे जो विद्यालयों में पढ़ते हैं और जो कापी किताब के बोझ से दबे होते हैं पेयजल की समस्या के कारण वह पानी की बोतल भी ले जाते हैं तो उसका भी बोझ उन पर हो जाता है तो हमने यह निश्चय किया कि वर्ष 92-93 में एक योजना की शुरुआत की । ऐसे सभी स्कूलों, जूनियर हाई स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हैण्ड पम्प की व्यवस्था करायेंगे और इसके प्रारम्भ में हम छः सौ हैण्ड पम्प लगाने का कार्य 92-93 में करायेंगे । इसी के साथ-साथ मुझे यह भी कहना आवश्यक प्रतीत होता है, बाकी चर्चायें हम चर्चा में करेंगे ही, संसाधनों की दृष्टि से, आवश्यकता की दृष्टि से, कार्यों की दृष्टि से, समूची चर्चा अभी होगी, अभी ३ माननीय सदस्यों के लाभदायक और योग्य अनुभव मुझे मिलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के महानगरों की पेयजल की दृष्टि से बड़ी अनदेखी हुयी है और आज भी उत्तर प्रदेश के कई महानगरों में पीने के पानी की समस्या विकट है । इस संबंध में गरमी के प्रारम्भ में ही दैवी आपदा कोष से राहत प्राप्त करके कानपुर, आगरा और लखनऊ में त्वरित पेयजल की व्यवस्था हमने सुनिश्चित की थी । बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से महानगरों की समस्यायें ब ' हैं, चाहे हैण्ड पम्पों की स्थिति हो, चाहे पेयजल की योजनायें अधूरी पड़ी हों,उनको पूरा करने की दृष्टि से आवश्यक धन की उपलब्धता हमने मार्च माह में ही करके इसको 30 अप्रैल तक हर हालत में अपने सीमित संसाधनों के अन्तर्गत करने क प्रयास किया है इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इन सारे प्रयासों के बावजूद भी कुछ ऐसी समस्यायें हैं, जो इन प्रयासों से भी नहीं निबट सकीं । जैसे आगरा और कानपुर में पेयजल की उपलब्धता हेतु बैराज बनाने की समस्या ।

आज आगरा पेयजल की समस्या से पीड़ित है । हमारे बड़े संसाधन वहां रासायनिक प्रक्रिया में खर्च होते हैं और उसके पीछे कारण यह है कि वहां जल उपलब्ध नहीं । हमने आठवीं पंचवर्षीय योजना में कानपुर और आगरा को पानी की समस्या मुक्त करने के लिये, बैराज बनाने हेतु दोनों महानागरों के लिये 10-10 करोड़ रुपये का प्राविधान सुनिश्चित किया है और वर्ष 92-93 में प्रारम्भिक जांच पड़ताल, तकनीकी उपयोगिता और प्रारम्भिक कार्यों के लिये 1-1 करोड़ रुपये की व्यवस्था सुनिश्चित की है । इसी के साथ-साथ एक अंतिम बात कहना चाहती हूं । अभी उत्तरकाशी में भूकम्प की पीड़ा का अनुभव हम सबको हुआ था, उस भीषण भूकम्प में पेयजल से जुड़ी व्यवस्थायें जो छिन्न-भिन्न हो गयी थीं, अव्यवस्थित हो गयी थीं, उसके संबंध में बड़ी कठिन समस्या थी । हमने तत्काल एक करोड़ रुपये का प्राविधान करके इस समस्या का समाधान करके, उनकी पीड़ा को कम करने का प्रयास किया और उसी के तहत उस क्षेत्र में पड़ने वाले अर्द्धकुम्भ के हरिद्वार मेले में सभी विभागों ने तत्परता से हरिद्वार के विकास को सुनिश्चित करके उसकी कायापलट करने का कार्य भी किया है । गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर के शब्दों में "जनेर महासमुद्र" में लाखों लाख लोगों को तमाम भ्रान्तियों, तमाम अटकलों, तमाम कठिनाइयों के बाद भी सारे विभागों ने सभी व्यवस्थाओं को समापन देकर, कुशलतापूर्वक पूरा करके एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया है, निश्चित रूप से यह कार्य अपने आप में बधाई योग्य है । पर्यटन को प्रोत्साहन और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा की दृष्टि से तथागत भगवान बुद्ध की निर्वाणस्थली कुशीनगर में पेयजल से संबंधित सुविधाओं के विकास के लिये भी विभाग सचेष्ट है, यहां भी दो करोड़ की धनराशि से कार्य

प्रारम्भ किया गया है । इसी तरह से पांच लाख से ऊपर की आबादी वाले नगरों में पेयजल की दृष्टि से कोई समस्या न हो, नीतिगत रूप से जहां हैण्ड पम्प लग सकते हों, वहां हैण्ड पम्प लगाये जायं और जहां हैण्ड पम्प नहीं लग सकते हों, वहां कोई अन्य व्यवस्था की जाय, यह हमारी प्राथमिकता है ।

हमारे विभाग में अतिक्रमण की भी एक समस्या है । इससे दो बिन्दु जुड़े हुए है । पहला, यह कि हम प्रभावशाली ढंग से अतिक्रमण हटा नहीं पाते । दूसरा, यह कि यदि कहीं हटा भी लिया तो वहां पर दुबारा कैसे अतिक्रमण हो जाता है ? इसलिये सार्वजनिक स्थानों पर, फुटपाथों पर व पार्कों पर से प्रभावशाली ढंग से अतिक्रमण को हटाने के लिये हम जिला प्रशासन से सहयोग लेकर इस काम को करेंगे और दुबारा अतिक्रमण न होने पाये, इसको भी सुनिश्चित करेंगे । तमाम प्रशासनिक, वित्तीय व भौतिक हर क्षेत्र में प्रगति हुई है और आगे भी प्रगति हो, इसके लिये माननीय सदस्यों का सहयोग व समर्थन अपेक्षित है । मैं विश्वास दिलाना चाहती हूं कि यह प्रगति और तेज होगी । धन्यवाद ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आज नगर विकास विभाग का बजट पेश होना था । कल इस प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस सदन के बाहर यह घोषणा कर दी कि इस प्रदेश में पानी की कमी को दूर करने के लिये 10 हजार नये इण्डिया मार्क-टू के हैण्ड पम्प लगाये जायेंगे और 4 हजार हैण्ड पम्प जो खराब पड़े हैं, उनको रिपेयर करायेंगे । अब इससे एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी है । अगर आज नगर विकास मंत्री उसकी घोषणा करती तो क्या हमें विश्वास नहीं होता ? लेकिन मुख्य मंत्री जी ने घोषणा करके यह भ्रम पैदा कर दिया कि कहीं इन दोनों में कोई अविश्वास तो पैदा नहीं हो गया । ऐसी स्थिति में हम जो घोषणा यहां पर मंत्री जी ने की है, उस पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते । वैसे हमें विश्वास है कि मंत्री जी ने जो घोषणायें की हैं, उन्हें वह लागू करेंगी । पिछले 10 वर्षों में इस सदन में नगर विकास विभाग पर जो चर्चा हुई, उसको उठाकर आप देख लें । यह तो स्वाभाविक है, आज पहली बार इस सदन में नगर विकास विभाग के बजट पर जो चर्चा हो रही है या सुझाव दिये जायेंगे, पहली बार आवास विभाग को अलग रखा गया है । कम से कम खुले दिल से नगरपालिकाओं की आज जो समस्यायें हैं, जल निगम व जल संस्थान की जो समस्यायें हैं और स्थानीय निकायों को कैसे मजबूत बनाया जाय, उन पर हम चर्चा कर सकते हैं ।

31 अगस्त, 1991 को नगर विकास मंत्री जी ने सत्ता में आने के बाद लखनऊ में एक प्रेस कान्फ्रेन्स की थी, उसमें उन्होंने कुछ घोषणायें की थीं । उन घोषणाओं में एक घोषणा यह भी थी कि हम प्रदेश में 50 हजार रिक्शा चालकों को रिक्शे का मालिक बनायेंगे और उनको किराये की प्रथा से दूर करेंगे । आज 6-7 महीने हो गये हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि कितने रिक्शा चालकों को आपने रिक्शों का मालिक बनाया है । परसों ही अखबार में लखनऊ के ही एक श्री अचल मेहरोत्रा जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि लखनऊ में रिक्शा मालिक बनने के लिये कितने बेरोजगार नवयुवकों ने प्रार्थना-पत्र दिये हैं उसमें अधिकांश प्रार्थना-पत्र इस मारे रह गये हैं कि बीच का कमीशन तय नहीं हो पाया ।

दूसरी घोषणा मंत्री जी ने की कि गरीबों को बसायेंगे उजाड़ेंगे नहीं। अभी आपने यहां घोषणा कर दी कि हम अतिक्रमण हटायेंगे लेकिन बसाने की अपनी कोई योजना नहीं बताई। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिये जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की मदद लेंगी। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था का कोई आश्वासन नहीं दिया तो कृपया वह इसको भी देखें।

माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 31 मार्च, 92 तक इस प्रदेश के इस गांव और शहर में पीने के पानी की समस्या को दूर कर देंगे। माननीय खाद्य मंत्री जी चले गये ईद बकरीद के दिन मंत्री जी बयान देते हैं, जो लखनऊ में रहते हैं, एक बूंद पीने के पानी के लिये तरस गये और वह अपना मुंह नहीं धो पाये थे। श्रीमन् आप सोच लें अगर प्रदेश के मंत्री जो लखनऊ में रहते है, जब उनको पानी नहीं मिल पाया तो आम आदमी की क्या हालत होगी ? मैं आगे इस पर चर्चा करूंगा और एक-एक बिन्दु पर अपनी बात रखूंगा। मैं कह रहा था कि हम पिछले 10 वर्षों में देखें तो हर मंत्री ने उन्हीं योजनाओं को, उन्हीं बातों को नये रूप में कहा और किया क्या वास्तविकता में वह पूरी हुई ? 1980 से 1990 तक की बात देखें। यूनैस्को के सहयोग से एक दशक में पानी की समस्या को हल करने के लिये जिसमें केन्द्र सरकार के भी दस्तखत कराये थे, तो क्या वह व्यवस्था पूरी हो पाई ? तो यह तमाम ऐसी चीजे हैं मैं चाहूंगा इन पर आप विचार करें। मैं समझता हूं कि इन बातों की वास्तविकता को सामने रख कर आप बातें करती हैं इसलिये मैं व्यंगात्मक रूप में बात नहीं कर रहा हूं। पिछले मंत्रियों ने मोटी-मोटी घोषणायें सदन में कर दीं तो क्या वह पूरी हो गयी हैं आप इस पर विचार करेंगी और जो बात कहें वह सत्यता से लागू हो।

(इस समय 3 बजकर 37 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हृदय नारायण दीक्षित पीठासीन हुए)

श्रीमन्, स्वायत्तशासी संस्थाओं को यदि प्रजातंत्र की बेसिक पाठशालायें कहें तो अनुचित नहीं होगा। आजादी से पहले और बाद में भी हमारे देश के तमाम कर्णधारों ने इन संस्थाओं के माध्यम से देश और प्रदेश की सेवा की, चाहे उसमें पं० मोती लाल नेहरू हों, चाहे जवाहर लाल नेहरू हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे विट्ठल भाई पटेल हों, चाहे सरदार पटेल हों इन तमाम विभूतियों ने इन्हीं स्वायत्तशासी संस्थाओं के माध्यम से देश को नयी दिशा दी। लेकिन आज यह संस्थायें भ्रष्टाचार का अड्डा हो गयी हैं, उस पर जब तक काबू नहीं पायेंगे तो क्या यह प्रजातंत्र की बेसिक पाठशाला बन पायेंगी ? भूतपूर्व राज्यपाल श्री एस० के० सिन्हा ने कहा है कि स्वायत्तशासी संस्थायें ही भावी संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य के प्रशिक्षण की प्राथमिक केन्द्र हैं। तो हम मानते हैं कि प्रजातंत्र की प्रथम श्रेणी हमारी स्वायत्तशासी संस्थायें हैं लेकिन उन संस्थाओं पर से जनता का विश्वास क्यों हटता जा रहा है।

श्रीमन्, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा कि स्वायत्तशासी संस्थायें स्थानीय नागरिकों की, स्थानीय नागरिकों के द्वारा और स्थानीय नागरिकों के लिये हैं।

श्रीमन्, मैं आपका पांच मिनट लूंगा इतिहास बताने में कि इन नगर पालिकाओं का गठन कैसे हुआ और उसका उद्देश्य क्या था। राम राज्य की बात आप करते हैं राम के नाम से आप यहां आये हुए हैं। माननीय मंत्री जी इतिहास देखें, शोध देखें, रामायण में, भगवान राम चन्द्र जी के काल से अगर हम कहें नगरपालिकाओं का निर्माण शुरू हुआ तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस काल में नगर क्षेत्र के मुखिया को पौर कहा जाता था, जो आज कल भी महापालिकाओं में मुखिया के रूप में महापौर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हिन्दू काल में उन्हें क्षत्रप या प्रधान कहा गया है और मुगल काल में पहली बार उन्होंने इनहीं संस्थाओं को अपनी आय का स्रोत बनाया था और उसी काल में मुगल शासन

में चुंगी वसूली की शुरूआत हुई थी और बादशाह अकबर ने अपने राज्य में इन नगर संस्थाओं के जो अध्यक्ष थे, उनको कोतवाल नाम की उपाधि दी । इन्हीं को बाद में आगे चलकर हम ने अधिशासी अधिकारी का नाम दिया । तत्पश्चात् अंग्रेजी शासन आया उसमें उनकी उपेक्षा हुई । यह सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमको यह पता लगना चाहिए कि नगर पालिकाओं का गठन क्यों और कैसे हुआ ? अंग्रेज काल में नगर संस्थाओं की उपेक्षा के बाद, 1837 में जब इस पूरे देश में भयंकर महामारी फैली और उसमें अंग्रेजी सैनिकों को सबसे ज्यादा क्षति हुई तो उन्होंने इनके महत्व की ओर ध्यान दिया और बंगाल में सबसे पहले म्युनिसपैल्टी ऐक्ट लागू किया गया और उस ऐक्ट के अन्तर्गत प्रथम बार मसूरी नगर को भी शामिल किया गया । तो यहां से नगरपालिकाओं की शुरुआत हुई है और अंग्रेजों ने उसके बाद हम हिन्दुस्तानियों के दिमाग बाटने के लिए नगरपालिकाओं के चुनाव शुरू करवाये और नामिनेशन की प्रथा शुरू की । 1873 में प्रथम बार नगरपालिका सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का रखा गया । 1882 में लार्ड कैनिंग ने इन नगरपालिकाओं की आर्थिक अधिकार प्रदान किया और इनके कार्य क्षेत्र में सड़कें, शिक्षा और पढ़ाई व सफाई आदि की जिम्मेदारी रखी गयी और 1902 में प्रथम बार एकाउन्ट बना वही जो आज तक हमारे बीच में लागू हैं । अब तक नगरपालिकाओं का यह विषय केन्द्र सरकार का विषय था, किन्तु 1935 में प्रथम बार प्रादेशिक अधिनियम के अन्तर्गत इसको केन्द्र से हटाकर प्रदेश सरकार में लाया गया था और उस समय हमारी नगरपालिकाओं को और अधिक वृहद अधिकार दिये गये थे । इसी समय स्व० आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी थी इस बात पर विचार करने के लिये कि किस तरह से इनमें और अधिक सुधार हो । लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हो जाने के कारण उस पर पूरी तरह विचार नहीं हो पाया । और वास्तव में उसी समय से इन जन संस्थाओं में कुन्बापरस्ती, भ्रष्टाचार और भाई भतीजा वाद आदि फैल गया और जन कल्याण का इनका वास्तविक उद्देश्य समाप्त हो गया । 1947 का जो हमारा नगरपालिका अधिनियम है, उसके बाद 1949 में प्रदेश सरकार में एक ऐक्ट बनाया जिसके अन्तर्गत इनको व्यस्क अधिकार देकर इनके साम्प्रदायिक आधार को समाप्त किया । वास्तविक अर्थों में यहीं पर से हमारी नगरपालिकाओं का निर्माण हुआ और हमने सड़कें, शिक्षा, सफाई आदि अधिकार इनको सौंपे जिनमें से कुछ को अब हमने वापस ले लिया है । आपको दस माह का समय इनको हाथ में दिये हो गया है । तो 10 माह में तमाम नगरपालिका अध्यक्षों, अधिशासी अधिकारियों, महापौरों और तमाम मुख्य अधिकारियों के बारे में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली होंगी लेकिन आप कार्यवाही करने में लाचार हैं । इसी माने में अंग्रजों के जमाने का, 1916 का, म्युनिसिपल अधिनियम जिसमे हमने जब संशोधन ज्यादा नहीं किये तो आबादी बढ़ी, नगरों का स्वरूप बढ़ा, कार्य बढ़ा लेकिन 1916 के अधिनियम के चलते नगरपालिकाओं की स्थिति खराब होती रही और आज आप अपने को असहाय समझते होंगे और यदि मैं इस प्रकार कहूं । बाढ़ की सम्भावनायें सामने हैं और नदियों के किनारे पर घर बने हैं हम देखेंगे फिर कभी कालीन आपका अभी तो पांव कीचड़ में सने हैं । तो आप आज ऐसी स्थिति में हैं । आप उन सभी शिकायतों को दबाकर रखे हैं चूंकि कार्यवाही करने में आप लाचार हैं । मान्यवर, जिस उद्देश्य से नगरपालिकायें बनीं थीं वह उद्देश्य पूरे करने के लिये उन्हें उनके अधिकार कैसे दिलायें यह विचार करने की बात है । मान्यवर, नगर विकास विभाग को यदि नगर सुधार विभाग कहें तो ज्यादा उचित होगा ।

मान्यवर, आपने 3 अरब रुपये पूरे प्रदेश के लिये रखा है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं ? पूरे प्रदेश का बजट देखें और उसके हिसाब से नगर विकास विभाग का प्रतिशत देखें तो आप शायद संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि इसमें ग्रामीण पेयजल और शहरी नागरिकों के अधिकारों को भी पूरा करना होगा । इसलिये मेरे ख्याल से आप संतुष्ट नहीं होंगे ।

मान्यवर, दूसरी तरफ नगरपालिका, नगर महापालिका, जल संस्थान और जल निगम, इनकी आपसी लड़ाई ने प्रदेश की स्थिति खराब कर दिया है जिससे नगरपालिकायें असहाय हो गयी हैं और हमारे मंत्री और अधिकारी अपने को असहाय समझते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आपके इन विभागों की आपसी लड़ाई केकड़े की लड़ाई से समानता करूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मछुआरा जब शिकार पर जाता है और जब मछली पकड़ता है तो जिस बरतन में उन्हें रखता है उसे वह ढककर रखता है लेकिन केकड़े को जिस बरतन में रखता है उसे वह खुला रखता है। इसका कारण है कि मछली का बरतन यदि न ढके तो वह उछलकर भाग जाती हैं लेकिन जब एक केकड़ा भागता है तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़कर खींच लेता है इसलिये उसका बरतन खुला रखता है और इसी तरह आपके विभाग की स्थिति है। यदि एक विभाग काम करना चाहता है तो दूसरा विभाग उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। और इसलिये आज नगर पालिका, नगर महापालिका, जल संस्थान और जल निगम यह चारों विभाग काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसलिये जो समस्यायें 10-20 साल पहले थीं वैसी ही समस्यायें आज भी हमारे सामने हैं। इस संबंध में एक शेर कहना चाहता हूं –

"दरो दीवार पर सरों कब्जा है गालिब
हम बिआबा में हैं और घर में बहार आयी है।"

तो हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। हम समझते हैं कि घर में बहार ही बहार है लेकिन आप देखें तो नगरपालिकाओं की स्थिति नरक के समान है। नगरपालिका अधिनियम में देखें तो उसकी धारा 3 में नगरपालिकाओं के श्रेणी का वर्णन है लेकिन उस अधिकार से अलग जाकर आज हमने नगरपालिकाओं को 8 श्रेणियों में बांट दिया है। नगर महापालिका, नगर पालिका, इसमें ए, बी, सी, डी चार श्रेणियां अलग-अलग हैं। उसके बाद टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया अलग और नगरपालिकायें अलग बनीं। नगर महापालिका अलग बनीं। इसमें आप देखें तो सभी ऐक्ट में कार्य तो समान दिये गये हैं सिर्फ अधिशासी अधिकारी को वेतन एक्ट में अलग किया गया है। तमाम ऐक्ट बन जाने के कारण आज हम नगर पालिकाओं की स्थिति सम्भाल नहीं पा रहे हैं। हमने श्रेणियों में नगर पालिका को बांट दिया। उस नगर पालिका में रहने वाले नागरिकों की श्रेणी बना दी। लखनऊ का नागरिक अपने को सुपर श्रेणी का समझने लगा और रमापति शास्त्री जी के क्षेत्र का रहने वाला अपने को डी श्रेणी का समझने लगा। हमने नगर पालिका की श्रेणी बना करके प्रदेश के नागरिकों की श्रेणी बना दी जो उचित नहीं है। आज हमें इस नगर पालिका अधिनियम में तमाम चेंजेज करने हैं, इसमें तमाम संशोधन लाने पड़ेंगे। यदि आप सहमत हों तो इस सदन के इसी सत्र में एक संशोधन प्राइवेट बिल लाकर रख दूं। नगर विकास मंत्री जी इसे अन्यथा न लें मेरी ऐसी भावना नहीं है कि अगर प्राइवेट संशोधन बिल पास हो गया तो सरकार की हार होगी। वास्तव में मेरे संशोधन बिल से नागरिकों की स्थिति अच्छी हो सकती है। हम लोग जो यहां बैठकर चर्चा करते हैं, हम ग्रामीण अंचल से नहीं आये है, ऐसा नहीं है कि हम पढ़े-लिखे नहीं हैं, हमको ज्ञान नहीं है। हमारे संशोधन बिल से नौकरशाही पर अंकुश लगाने का अवसर मिलेगा।

मैं थोड़े से संशोधन सुझाव के रूप में यहां पर आपके सामने रख रहा हूं। नगर पलिका की तीन श्रेणी बना दी जायं –पहला एक लाख से ऊपर की आबादी वाले नगर, जिनको प्रमुख नगरपालिका कहा जाय। दूसरा एक लाख से तीस हजार तक की आबादी वाले नगर जो प्रवर नगर पालिका में आयें और तीसरे तीस हजार से नीचे की आबादी वाले नगर, अवर नगर पालिका। इस तरह से पहले से जितनी श्रेणियां बनी हैं उनमें कमी हो जायेगी। इस तरह से ऐक्ट में संशोधन कर दें तो ज्यादा उचित होगा और

नगर में रहने वाले लोगों को ज्यादा अपनी नगर पालिका से अपेक्षा करते हैं, वह पूरी हो सकेंगीं। श्रीमन्, जो हमारा नगर पालिका का अधिनियम है, उसमें स्वायत्तशासी अधिकारियों को यह अधिकार है कि वह जिसको चाहे नौकरी दिला सकते हैं। आप नगर विकास मंत्री हैं, आज आपकी भी इच्छा होती होगी कि अपने 10-20 लोगों को आप नौकरी दिला सकतीं। मैं विधायक हूं मेरी भी बड़ी इच्छा होती है कि मैं अपने दो-चार लोंगों को नौकरी दिला सकता। पर हम और आप यह नहीं कर सकते। हमको आपको यह अधिकार नहीं है।

(श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल के द्वारा टोकने पर)

मल्ल जी आप सुन तो लीजिये मैं कटु आलोचना करने के लिये ही नहीं खड़ा हुआ हूं कुछ सुझाव भी दे रहा हूं। आज पूरे प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत आपके पास कोई अधिकार नहीं रह गया है। आप मोदी नगर ले लें वहां नगर पालिका अध्यक्ष ने 250 लोगों को नौकरी पर लगा दिया, हरदोई में 60 लोगों को, वृन्दावन में 60 लोगों को नौकरी पर लगवा दिया। कोसी कला के अध्यक्ष और ई० ओ० ने मिलकर जो कर्मचारी कार्यरत थे उनको निकाल दिया और भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिये नए लोगों को नौकरी दे दी। जब आपने उनकी नौकरियों में कड़ाई की तो उन लोगों ने उच्च न्यायालय में उन लोगों को भेज दिया। न्यायालय से उन्हें स्टे आर्डर मिल गया। नगर पालिका ऐक्ट में आपने राज्य सरकार शब्द डाला है। इस राज्य सरकार के शब्द को हटाकर यदि आप कमिश्नर को यह अधिकार दे दें कि नगर पालिका का अध्यक्ष बिना कमिश्नर के अप्रूवल के एक भी व्यक्ति को नौकरी पर नहीं लगायेगा और उसके अपीलिंग कोर्ट राज्य सरकार को रखें तो बहुत बड़ा अंकुश इन तमाम नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के ऊपर लगाने को मिल जायेगा। जब तक इस ऐक्ट में संशोधन नहीं करेंगे तब तक स्थिति ऐसी ही रहेगी। नगर पालिका अध्यक्ष को तुरन्त स्टे मिल जाता है। नगर पालिका के अध्यक्षों को आपने हटाया। वह हटे, स्टे मिल गया। मोदी नगर में एक करोड़ रुपया नगरपालिका के अध्यक्ष ने फिक्स डिपाजिट का जो जमा था उसको खर्च कर दिया भ्रष्ट तरीके से, उनके पास हाईकोर्ट का स्टे है आप लाचार हैं, नगर विकास के सचिव बैठे हैं। एक दिन उनसे कहा सुनी भी हो गई। हरदोई में भी इसी तरह से हुआ नगर पालिका अध्यक्ष को हटाया गया। वह स्टे ले आये स्टे लेकर मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। सरकार का कोई अंकुश नहीं है तो उसमें मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार की जगह एमेन्डमेंन्ट करके कमिश्नर को पावर दें, अपीलिंग की पावर राज्य सरकार को दें तो बहुत बड़ा अंकुश इन पर लग जायेगा मान्यवर, नगरपालिका की धारा–82 में प्राविधान है कि नगरपालिका की सम्पत्ति से अगर नगरपालिका के अध्यक्ष, नगरपालिका के सदस्य या नगरपालिका के कर्मचारी लाभ उठाते हैं तो उस पर धारा–186 आई० पी० सी० लागू होगी लेकिन यह प्रदेश में कहीं लागू नहीं है, तो मेरा सुझाव है कि धारा–186 की जगह धारा 409 आई० पी० सी० लागू की जाय। श्रीमन्, अगर हमारी विधान सभा को भंग करना होता है तो कोई नोटिस नहीं दी जाती है।

महामहिम राज्यपाल की रिपोर्ट काफी होती है। हम चुनी हुई संस्था हैं। लेकिन अगर नगरपालिका के अध्यक्ष को नगरपालिका के बोर्ड को भंग करना होता है तो प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस देनी पड़ती है। जिलाधिकारी की प्रथम रिपोर्ट के बाद में यदि इस अधिनियम के तहत धारा–30 में नोटिस देते हैं तो उसका लाभ नगरमहापालिकाओं को मिलता है। नोटिस के जबाव में हाईकोर्ट चले जाते हैं स्टे मिल जाता है। जब कोई विधान सभा भंग होती है तो मुख्य मंत्री जी को भी नहीं बताया जाता है महामहिम राज्यपाल की रिपोर्ट काफी होती है और जब नगरपालिका के अध्यक्ष को हटाया जाता है तो धारा-30 मे नोटिस देना पड़ता है। इसी तरह से कमिश्नर को अधिकार दे दें और अपीलिंग

कोर्ट की पावर राज्य सरकार को दे दें और जिस तरह से हम महामहिम राज्यपाल की रिपोर्ट मान लेते हैं उसी तरह से जिलाधिकारी की रिपोर्ट को काफी मान लें । इस तरह से थोड़ा अंकुश लग सकता है ।

श्री अधिष्ठाता--

कितना समय आप और लेंगे ?

श्री नरेश अग्रवाल--

मै जल्दी खत्म कर दूंगा । मान्यवर, धारा 87 में नगरपालिका अधिनियम में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव के संबंध में नियम है लेकिन उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिये कोई व्यवस्था नगरपालिका अधिनियम में नहीं है उसका कारण है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मे द्वन्द छिड़ गया है । उपाध्यक्ष जी चाहते हैं कि अध्यक्ष जी हट जायं तो कम से कम हम बैठें और हमारे खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आयेगा । तो इसको आप अमेंड कीजिये और जिस तरह से जिला परिषद् में कर दिया है उसी तरह से ऐसी व्यवस्था करें कि उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष दोनों के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सके । मान्यवर, इसी तरह से धारा 128 से 147 की बात है, इसमें नगरपालिका को टैक्स लगाने के अधिकार के बारे में दिया गया है । धारा 128(7) में टोल टैक्स तथा उपधारा (8) में चुंगी लगाने का अधिकार दिया गया था जिसको समाप्त कर दिया गया है । इसके कारण आज नगर पालिकाओं की स्थिति दयनीय बन गयी है । चुंगी के बारे में यह सरकार क्या नीति बनायेगी यह बात अलग है लेकिन जो चुनी हुई नगर पालिकायें हैं वह गृहकर और जलकर सही तरीके से वसूल नहीं कर पा रही हैं । अगर नगर पालिकाओं की आमदनी बढ़ाना है तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वसूलने के संबंध में जो प्राविधान है उनको बदलना पड़ेगा ।

नगरपालिका अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी है कि अचल सम्पत्ति कुर्क नहीं की जा सकती है। इस प्राविधान को एमेंड करके अचल सम्पत्ति को कुर्क किये जाने का प्राविधान करना चाहिए । जब तक नगरपालिका के देयों की वसूली राजस्व देयों की वसूली की भांति नहीं की जायगी तब तक इनकी जो दयनीय स्थिति है वह नहीं सुधरेगी । मान्यवर, लकड़वाला जी के नेतृत्व में 1947 में उत्तर प्रदेश कराधान जांच समिति बनी थी । उन्होंने सुझाव दिया था नगर पालिका की आमदनी बढ़ाने के लिये क्या-क्या उपाय किये जायं ? उन्होंने बताया था कि नगर पालिका के क्षेत्र में जो सेल्स टैक्स, मनोरंजन टैक्स और उस क्षेत्र में जो जायदाद बिकती है और उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है उसका अंश नगर पालिका को मिलना चाहिए । अगर बढ़ती हुई आबादी को सहूलियतें देनी हैं और नगरों का स्वरूप सही बनाना है तो नगर पालिकाओं के आय के स्रोतों को बढ़ाना होगा । सरकार ने 1 जून, 1990 को नगर विकास अनुभाग-6 के पत्र संख्या 3235/11-6-90 द्वारा एक समिति गठित किया है जिसे यह अधिकार दिया गया है कि वे स्थानीय निकायों में प्रभावी अधिनियमों में वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप बनाकर सभी नगर स्थानीय निकायों का एक ही अधिनियम बनायें । इस कमेटी की अध्यक्ष माननीय मंत्री जी आप हैं । सन् 1990 में यह बनी, आज दो साल हो गये हैं, इसकी कितनी बैठकें हुयीं हैं यह मुझको पता नहीं है । यह पत्र 1 जून, 1990 का है आप कहेंगी तो इसको मैं आपके पास भेज दूंगा । आप इस ओर ध्यान दें । इस कमेटी में नगर विकास सचिव, नगर प्रमुख और टाउन एरियाज के सदस्य हैं । आप इसकी मीटिंग बुलायें और इसको देखें । 1916 में यह अधिनियम बना है, आज नगरों का स्वरूप कई गुने बढ़ गया है । आबादी 40-50 प्रतिशत बढ़ गयी है । क्या यह अधिनियम आज की परिस्थितियों को देखते हुए सही है । आप इस कमेटी की बैठक बुलाइये तो कम से कम आप एक नयी दिशा दे सकेंगी । मुझे उम्मीद है कि अगले साल भी आप नगर विकास मंत्री की हैसियत से बजट पेश

करेगी, वैसे तो नहीं कि कितने दिन यह सरकार चले, लेकिन मेरा सोचना है कि अगले वर्ष भी आप ही बजट पेश करें तो बतावें कि इस कमेटी ने क्या निर्णय लिया । इसको इस सदन में रखेंगी तो मुझे विश्वास है कि नगर पालिका अधिनियम 1916 को समाप्त करके नया अधिनियम सभी नगरपालिकाओं के लेकर बनायेंगी तो बहुत सारी समस्यायें समाप्त हो जायेंगी । श्रीमन्, चूंकि, दोबारा बोलूंगा, आप कह रहे हैं, श्रीमन् आज पीने के पानी की बात कही गयी ।

मान्यवर, जीवन में भोजन जितना आवश्यक है, उतना ही पीने का पानी भी आवश्यक है । पूर्व काल में लोग कुएं, तालाब, नदियों का पानी इस्तेमाल करते थे, लेकिन साइंस के विकास के साथ मानव को शुद्ध जल की आवश्यकता महसूस हुई । सम्पूर्ण प्रदेश को स्वच्छ जल देने की प्राथमिकता को इस सरकार ने समझा और मंत्री जी ने तमाम घोषणायें कीं कि इतने हैंण्ड पाइप लगायेंगे । मैं आपके जल निगम की रिपोर्ट के हिसाब से बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में 689 नगरीय क्षेत्र और 112566 गांव हैं और इन सम्पूर्ण नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिये शहरी क्षेत्र के लिये 800 करोड़ रुपये की और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । ये आंकड़े जल निगम की रिपोर्ट के हैं, मेरे नहीं हैं । लेकिन जल निगम, जल संस्थान, नगर पालिका और गांव सभा, ये चार एजेंसियां जल उपलब्ध कराने का काम करती हैं । इनका आपस में सामंजस्य न होने के कारण स्थिति दयनीय है । आज चारों संस्थाओं के काम करने के बाद भी कहें कि 50 परसेंट पानी दे दिया तो अतिश्योक्ति होगी । संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1981 से 1990 तक अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति दशक मनाया । हमारी सरकार भी शरीक हुई । लेकिन पिछली सरकारों के नगर विकास मंत्रियों ने जो घोषणायें की हैं, जैसी कि आपने की हैं कि 31 मार्च, 1992 तक सभी गांव और शहरों में पेयजल की व्यवस्था कर देंगे, पिछली सरकारों में, जिनमें कांग्रेस सरकारें भी रहीं हैं, पद्मा सेठ जी रही हैं, उन्होंने कहा कि 1990 तक पूरे प्रदेश में पेयजल की समस्या का समाधान कर देंगी, जो दशक मनाया गया, उसमें यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और 1990 को बढ़ाकर 1993 करना पड़ा, तीन साल आगे जाना पड़ा । 6 वीं तथा 7 वीं पंचवर्षीय योजना में 83 परसेंट लोगों को गांव में पीने का पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गयी थी । यदि हम सेन्ट्रल पब्लिक हेल्थ एण्ड इन्वायर्मेन्ट इन्जीनियरिंग आर्गनाइजेशन की सर्वे रिपोर्ट देखें तो उसके आधार पर शहरों में पेयजल का उपयोग 70 से लेकर 400 लीटर प्रति व्यक्ति है जिसके लिये वर्ष 90 तक 98.70 करोड़ घन लीटर पानी की आवश्यकता है तथा 1991 तक यह बढ़कर 247.50 करोड़ घन लीटर हो जायेगी । क्या हम वास्तव में इतना दे पा रहे हैं । हमने 1990-91 में शहरी एरिया में पीने के पानी में 800 करोड़ रुपये की मांग के एवज में 24.26 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये । और वर्ष 1991-92 में वह बढ़कर 28.27 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये । ग्रामीण अंचल में पेयजल के लिये 1000 करोड़ रुपये की जरूरत है, जिसमें वर्ष 1990 में 115.10 करोड़ रुपये मिले । 1991-92 में 60.17 करोड़ इस योजना में 10.00 करोड़, केन्द्र सरकार द्वारा 50.00 करोड़, कुल 120.17 करोड़ हुए । इसके अलावा जल संस्थान, नगर पालिका एवं ग्राम सभाओं के कुछ रुपये खर्च किये जबकि ग्रामीण अंचल में 1972 के अनुसार 35506 ग्राम समस्या ग्रस्त थे । 1981 के सर्वे में 42544 ग्राम समस्या ग्रस्त थे इस प्रकार 1981 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के 112566 राजस्व ग्रामों मे 78050 ग्राम समस्याग्रस्त पाये गये, जबकि इनमें मजरे शामिल पूर्ण रूप से नहीं हैं ।

आज जल निगम का अपना कोई बजट नहीं है, जब तक इसको प्लान में नहीं ले जायेंगे, तब तक हम वाकई में पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं कर सकेंगे । जल निगम, जल संस्थान, नगर पालिका आदि का आपस में ताल मेल न होने के कारण आज शुद्ध जल की जगह मूत्र व पाखाना मिला जल लोगों को मिल रहा है । 100 वर्ष पुरानी पाईप व्यवस्था खराब हो गयी है, उसे ठीक न करने के

कारण उसमें गंदगी मिल जाती है । यदि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, लखनऊ जो स्वास्थ्य निदेशालय के अन्तर्गत कार्य करती है की पिछले 10 वर्षों की रिपोर्ट देखी जाय तो उसमें स्पष्ट कई नगरों वाराणसी, कानपुर, आगरा आदि की रिपोर्ट में मूत्र आदि मिला पाया गया । कोई अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी ।

सिविल अफेयर्स की यदि आज रिपोर्ट देखें, तो उसमें लिखा है कि लखनऊ में 1 लाख लीटर, कानपुर में 2.5 लाख लीटर, आगरा में 1 लाख लीटर, वाराणसी में 1.5 लाख लीटर पानी की प्रतिदिन कमी है, जबकि लखनऊ में उपलब्ध 3 करोड़ 65 लाख लीटर पानी में से एक करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन बेकार हो जाता है, 30 प्रतिशत पानी बेकार बह रहा है, जिसका कारण स्टैम्प पोस्टों में नल न लगा होना तथा मेन लाईन का लीकेज है । जल संस्थान की स्थिति और भी खराब है । उसके पास संसाधन नहीं हैं । उसके बिजली के बिल का आधा पैसा प्रदेश सरकार दे रही है । इसके कारण जल संस्थान में जल आपूर्ति की लागत ज्यादा है, तथा जल कर काफी कम है, जबकि बिजली की दर कई बार बढ़ी । विश्व बैंक ने दूसरे जल कल की प्रगति देख कर तृतीय, चौथे व पांचवें जल कल के निर्माण का पैसा रोक दिया । श्रीमन् आज जल निगम जिस प्रकार से काम कर रहा है, उसके लिये अगर यह कहा जाये कि वह सफेद हाथी की तरह काम कर रहा है, तो अतिशयोक्ति न होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, दुबारा फिर आपको अवसर मिलेगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं 2-3 सुझाव देकर अपनी बात को समाप्त करता हूं । मान्यवर, इंडिया मार्क-2 की लागत 14 हजार रुपये जल निगम लेती है, जिसमें 15 प्रतिशत सुपरविजन की लागत शामिल रहती है । मान्यवर, जल निगम पर पूर्ण रखरखाव का खर्चा 30 से 33 प्रतिशत आता है । बढ़ा हुआ 18 प्रतिशत; यह मजदूरी व सामान के दर में वृद्धि लगाकर पूरा करते हैं जबकि सही लागत एक हैण्ड पम्प पर साढ़े आठ हजार रुपये आती है, अगर औसत 30 मीटर की बोरिंग मानी जाये । और इस पर अगर 15 प्रतिशत कमीशन या सरचार्ज का लगा लिया जाता है, तो एक हैण्ड पम्प की रु० 10,500 लागत आती है । इस प्रकार से प्रति हैण्ड पाइप साढ़े तीन हजार रुपया बचेगा । मान्यवर, पिछले वर्ष के आंकड़े देखें, तो उनसे पता चलता है कि 31 मार्च, 1991 तक 2,90,000 हैण्ड पम्प लगाये गये और 1992-93 में 12,600 हैण्ड पम्प प्रस्तावित हैं । यदि 3000 रुपया प्रति हैण्ड पम्प बचाया जाये तो प्रति वर्ष 4.50 करोड़ रुपये की बचत की जा सकती है । मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि 31 मार्च, 1991 तक 2,90,000 हैण्ड पम्प लगे । 400 से 500 रुपये प्रति हैण्ड पम्प मेंन्टीनेंस का चार्ज करते हैं, जबकि नया हैण्ड पम्प लगने के दो वर्ष तक यह चार्ज नहीं होना चाहिये । मान्यवर, यह 1983 से योजना चल रही है और यदि इसे रोक दिया जाये तो प्रति वर्ष 4 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है । और इस रुपये को दूसरी योजनाओं में लगाया जा सकता है ।

मान्यवर, मेरा तीसरा यह सुझाव है कि जल निगम, जल संस्थान और नगर पालिकाओं में झगड़ा हुआ करता है । जल निगम योजना को पूरा करने के बाद तीन-तीन साल तक हैण्ड ओवर नहीं करता और मेंन्टीनेंस दिखाकर प्रति वर्ष लाखों रुपये मरम्मत के नाम पर निकाल लेता है । यह रुपया अन्य योजनाओं से निकाल लिया जाता है, जिससे अन्य स्कीमें रुक जाती हैं । इसको रोकने का प्रयास किया जाना चाहिये । पिछली सरकारों ने प्रयास किया था कि इनको एक कर दिया जाये परन्तु कर्मचारियों के

आन्दोलन के कारण यह कर सकना संभव न हो सका । इसके अतिरिक्त एक और मेरा सुझाव है कि एक्स कैडर की दो पोस्ट्स बनायी गयी हैं– एक चेयरमैन की और एक मैनेजिंग डाइरेक्टर की, लेकिन दोनों के कार्य और अधिकार बराबर हैं । एक पोस्ट पर स्टैब्लिसमेन्ट पर 18 लाख रुपये का खर्च आता है और दो पोस्ट बनाकर 36 लाख रुपये सिर्फ स्टैब्लिसमेन्ट पर खर्च हो रहा है जबकि दोनों की कार्य प्रणाली एक है, तो क्या कारण है कि एक पोस्ट से काम नहीं चला सकते ।

जल निगम में प्रथम श्रेणी के चीफ इंजीनियर के दो पद हैं और द्वितीय श्रेणी के 9 पद हैं और इस समय मुख्य अभियन्ता प्रथम श्रेणी के दोनों पदों पर 14 लाख रुपये प्रतिवर्ष का खर्च आता है । इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी आपकी नालेज के लिये बता दूं कि इस समय चीफ इंजीनियर प्रथम श्रेणी के दोनों पद रिक्त पड़े हैं और द्वितीय श्रेणी के चीफ इंजीनियर उनका काम देख रहे हैं तो जब द्वितीय श्रेणी के चीफ इंजीनियर इस पर कार्य कर रहे हैं तो प्रथम श्रेणी के पदों को आप समाप्त कर दें ।

जब द्वितीय श्रेणी के चीफ इंजीनियर से काम चल रहा है तो फिर प्रथम श्रेणी के चीफ इंजीनियर की क्या जरूरत है और खामखां पैसा बरबाद करने की जो चेष्टा है उसको बन्द होना चाहिये । और अन्त में मैं यह कहकर कि आज प्रदेश सरकार के चाहे सचिव लेबिल हो, चाहे मंत्री लेबिल हो या और अधिकारी लेबिल हो उनके पास जल निगम की 11 कारें निजी उपयोग में चल रही हैं जिनका ड्राइवर का खर्च, पेट्रोल और मेंन्टीनेंस सब जल निगम वहन कर रहा है और उस पर 27 लाख रुपये जल निगम का खर्च हो रहा है । यह तो मेरा आंकड़ा है, हो सकता है कि मेरे आंकड़े पूरे सत्य न हों, जवाब में मंत्री जी और सच्चाई कह दें, मैंने तो जो जानकारी करी थी उसी जानकारी को दिया है मैं कह रहा हूं कि यह स्थिति हमारे जल निगम की है अगर उस स्थिति से जल निगम को नहीं बदलेंगे तो आज जल निगम में 60 प्रतिशत योजनायें अधूरी पड़ी हैं उसका कारण है कि जल निगम में जो पैसा है उसकी एक मद का पैसा दूसरी मद में खर्च कर लेते हैं और इसी कारण जल निगम घाटे में जा रहा है ।

मान्यवर, नगरपालिकाओं की योजनायें इस कारण से फेल हो जाती हैं कि नगरपालिका का जो मनी रूल 5 है उसके तहत कोई रोक नहीं लगाई गयी है कि एक मद का पैसा दूसरे मद में कैसे खर्च हो जाता है । हमारे हरदोई में एक योजना इस कारण रह गयी कि उसका पैसा तनख्वाह में दिया गया है ऐसी केवल एक अकेली हमारी ही नगरपालिका नहीं है अगर पूरे उत्तर प्रदेश की नगरपालिकाओं को निकालें तो 80 प्रतिशत नगरपालिकाओं में ऐसे ही हाल हैं । तो यह जो रूल 5 म्यूनिसिपल एकाउन्ट ऐक्ट है उसको बदलना पड़ेगा इसमें जिलाधिकारी को इनवाल्व करना पड़ेगा जिससे निरंकुश जो चुनी हुई संस्था है वह हमारे मंसूबों को सफल बना सके । अन्त में नगरपालिका के बारे में यह कहकर–

"मुझको लगती है यूं नगरपालिका, जैसे बुढ़िया को कहें बालिका ।
चाहे पोतो इन्हें चाहे लीपो इन्हें, बन न पायेगी खण्डहर से अट्टालिका ।"

अन्त में इन्हीं शब्दों के साथ मैं इधर के और उधर के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह तमाम बातें दिल में लेकर कि विपक्ष में हैं उनका कार्य है आलोचना करें और सत्ता पक्ष में हैं तो उनका कार्य है कि मंत्री जी ने जो कहा उसी को कहें, ऐसा न हो, सत्यता को हम सामने रखेंगें तो मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो नगरपालिकाओं की समस्यायें हैं उनका समाधान हो सकेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों के सुझाव को आमंत्रित करता हूं ।

(श्री सत्यदेव पचौरी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, मैं प्रतीक कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नरेश अग्रवाल जी ने कटौती का प्रस्ताव रख दिया। अब सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य के बोलने के बाद आप अपनी बात रखें।

(श्री सुरेश प्रताप गांधी द्वारा बार-बार बोलने के लिये आग्रह करने पर)

आप नियमों में कोई व्यवस्था दिखा दें तो मैं विचार कर लूंगा। कटौती का प्रस्ताव रख दिया गया है, आप सामान्य चर्चा में बोल सकते हैं।

श्री सत्यदेव पचौरी–

मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में आपने बोलने का अवसर दिया; हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारी सरकार बनने के बाद जो उत्तर प्रदेश में टूटी-फूटी व्यवस्था मिली थी, उसमें नगर विकास मंत्रालय भी अछूता नहीं था। यह सामान्य जनता से जुड़ा हुआ मंत्रालय हैं जिसमें गांव से लेकर शहर तक प्रत्येक नागरिक का सीधा संबंध है। माननीया मंत्री जी ने कार्य भार सम्भालने के बाद जो बजट प्राप्त हुआ था उसमें जो लक्ष्य था उनकी पूर्ति की है, 19146 हैण्ड पम्प लगाने का लक्ष्य था, उसके विपरीत 27123 हैण्डपम्प लगाये हैं। इसके लिये वह बधाई की पात्र हैं। जो पहले हैण्डपम्प लग रहे थे उसमें जी० आई० पाइप इस्तेमाल हो रहे थे इटावा और झांसी मण्डलों में लेकिन उनके मंत्रालय ने पी० वी० सी० पाइप इस्तेमाल किया जिससे 4 हजार रु० प्रति हैण्डपम्प की बचत हुई है और इस प्रकार से उन्होंने निर्धारित लक्ष्य को बढ़ाया है। जो स्थिति थी नगरपालिकाओं और नगरमहापालिकाओं की, कर्मचारियों की भर्ती पर रोक नहीं थी, वेतन वितरण की समुचित व्यवस्था नहीं थी। इस सरकार ने कर्मचारियों की अनियमित भर्ती पर रोक लगायी है और वेतन वितरण की समुचित व्यवस्था की है। इस संबंध में स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के वेतन की जिम्मेदारी स्वयं वहन करने की व्यवस्था की जा रही है ताकि हड़ताल इत्यादि न हों और जनहित के कार्य जैसे–पेयजल की व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था और सड़कों का निर्माण आदि भी किया जा रहा है जिससे ये सुविधायें जनता को सुचारु रूप से मिल सकें। ये व्यवस्थायें मंत्री जी ने की हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि जो हमारे नदियों का जल है उसमें जो समस्या है, गंगा ऐक्शन प्लान का प्रथम चरण पूरा होने की जो बात है ...

श्री लालजी वर्मा–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी बीच में खड़े होकर बोल रहे हैं, यह लिखा नहीं जायेगा, क्योंकि एक सदस्य बोल रहे हैं।

* श्री सत्यदेव पचौरी–

गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश को 50 प्रतिशत अनुदान देना पड़ेगा यह प्रतिबंध केन्द्र सरकार ने लगाया था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह दृष्टि के तहत कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो नदियों का

नोटः–[x x x] यह अशं श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदूषण समाप्त हो 50 प्रतिशत अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार ने देना स्वीकार कर लिया । यह हमारी दूसरी गंगा कार्य योजना में 50 प्रतिशत रुपया उत्तर प्रदेश सरकार देगी यह केन्द्र सरकार ने हमारी प्रदेश सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया । अभी तक केन्द्र 75 प्रतिशत तक देती थी लेकिन यह पहली दफा हुआ है कि केन्द्र सरकार ने आधे अनुदान की बात कही है । गंगा बैराज, गोकुल बैराज, आगरे का बैराज–यह योजनायें अधूरी लटकी हुई पड़ी हुई थी लेकिन पहली दफा गोकुल बैराज के लिये 6 करोड़ रुपये का बजट में प्राविधान करके उस बैराज को पूरा करने के लिये सरकार ने दृढ़संकल्प प्रदर्शित किया है । कानपुर में गंगा बैराज की समस्या आज की नहीं सन् 1962 से चल रही है इस सरकार ने 9 महीने के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयासों से इस योजना को आगे गति देने का प्रयास किया है और इस बजट में भी एक करोड़ रुपये का प्राविधान इसके लिये किया है इसके लिये हम उन्हें बधाई देते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री सत्यदेव पचौरी–

मान्यवर, प्रदेश में 39 हजार हैण्ड पम्प इंडिया मार्का लगाने की व्यवस्था की गयी है यह प्रदर्शित करता है कि हमारी सरकार पानी की समस्या, सीवर की समस्या को गम्भीरता से ले रही है । प्रदूषण को समाप्त करने के लिये भी जगह-जगह पर कदम उठाये गये हैं । इसी के साथ माननीया नगर विकास मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने मंत्राणी शब्द का प्रयोग किया है क्या–यह शब्द उपयुक्त है या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता–

यह व्यवस्था का प्रश्न नही है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, कृपया आप नियमावली का नियम 189 (ग) देखने का कष्ट करें । "कि मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाय"– ऐसी विशिष्ट शिकायत को प्रकट करने के लिये जो शासन के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में हो । ऐसा प्रस्ताव "प्रतीक कटौती" कहा जायगा और उस पर चर्चा, प्रस्ताव में उल्लिखित विशिष्ट शिकायत तक ही सीमित होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

आपको यह हस्तपुस्तिका मिली होगी उसमें आप पेज 33 पर 32(3) देखें । "जैसे ही सदन में अनुदान के लिये मांग पर विचार करना प्रारम्भ किया जाय उस सदस्य से अपना कटौती प्रस्ताव अध्यक्ष प्रस्तुत करने के लिये कहेंगे जिसके नाम का सुझाव विरोधी दलों ने आपस में समझौता करके उन्हें दिया हो । उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात् अन्य सदस्यों के कटौती के प्रस्तावों को प्रस्तुत किया हुआ समझा जाता है और उनके कटौती प्रस्तावों में उल्लिखित सभी बातों पर चर्चा प्रारम्भ होती है ।" जब आपका अवसर आयेगा उस समय जो आप कहना चाहते हैं कह लीजियेगा यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, प्रतीक कटौती और कटौती में अन्तर किया गया सामान्य परिभाषा को लेकर इसे अपने शब्दों में प्रस्तुत किया गया है । अन्य जो कटौती की गयी उसमें मांग की राशि को एक रुपया कर दिया जाय यह होता है कि इसमें केवल 100 रुपये कम कर दिया जाय । यह इसका दूसरा रूप है इसलिये कटौती के साथ ...

श्री अधिष्ठाता–

जब वह कटौती के प्रस्ताव पर बोलेंगे तो वह अपनी बात कह सकते हैं । कटौती के प्रस्ताव का उद्देश्य ही सुझाव देना होता है ।

* श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय नरेश अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्रदेश में जल निगम द्वारा प्रदेश की जलापूर्ति के लिये कहा है । मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र संभल में अब से पांच सात साल पहले दो ओवर हैड टैंक थे । सराय करीम और हाकिम सराय में । मान्यवर, ढाई तीन लाख की आबादी वाले क्षेत्र में एक ओवर हैड टैंक है जो पूरे शहर की पूर्ति नहीं कर पाता है वहां पर पानी की इतनी कमी है जिसकी वजह से लोग दूर-दूर पानी लेने जाते हैं, नलों से पानी नहीं आता है कुओं से पानी भरते हैं । संभल में जहां पर सफाई की व्यवस्था का अभाव है नगरपालिका द्वारा कोई सफाई का काम नहीं होता है । वहां पर ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब हो गया है कि बरसात के दिनों में जब बरसात होती है तो पूरा शहर पानी में डूब जाता है और आने जाने का रास्ता बन्द हो जाता है । दो फाइलें मलिन बस्तियों के लिये इस संबंध में भेजी गयीं लेकिन सेंक्शन अभी तक नहीं प्राप्त हो पायी है । इसी तरह से बसीयावां में वहां पर नगरपालिका है लेकिन वहां पर कोई भी ओवर हैड टैंक नहीं है । पिछली बार जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने कहा था ओवर हैड टैंक लगायेंगे लेकिन कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पायी है । मान्यवर, नगर विकास मंत्री जी ने बताया कि पूरे प्रदेश में हमने इलेक्शन कराये हैं । पिछले दिनों की बात है जब फतेहगढ़ में नगरपालिका के चुनाव का एलान किया गया, तीन तारीख को नामिनेशन फाइल हुआ उसके बाद 9/10 की रात में यह बताया गया कि चुनाव स्थगित कर दिया गया है, शासन के आदेश पहुंचा दिये गये कि चुनाव स्थगित कर दिया गया है । जब वहां पर यह देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कैन्डीडेट जीतने वाला नहीं है तो उसे पोस्टपोन कर दिया । ऐसे ही कई स्थानों पर अभी इलेक्शन होना बाकी है अगर वहां पर भी अपने इस प्रकार की घोषणा कर दी तो जनप्रतिनिधि कैसे पहुंच पायेंगे इसलिये मेरी माननीय मंत्री जी से यह गुजारिश है कि ऐसी व्यवस्था करें, ऐसी कोई बात न होने पाये जिससे आने वाले इलेक्शन पर इसका असर पड़े, शासन द्वारा कोई ऐसा आदेश न पारित हो जिससे हमारे नगरपालिकाओं में जो चुनाव हो रहा है उसका स्थगन कराया जा सके ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री राम किशन ददाजू –

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । हमारे साथी सम्मानित सदस्य नरेश अग्रवाल जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं । मान्यवर, इतने अल्प समय में 9-10 महीने के शासनकाल में जिस तरह से हमारी सरकार ने पानी की व्यवस्था ठीक करने का प्रयास किया ..

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, 9-10 महीने में क्या-क्या हो जाता है, इनको मालूम नहीं है ।

(हंसी)

श्री राम किशन ददाजू–

मान्यवर, इनको हमारी बात अच्छी नहीं लगती । मंत्री जी ने 3,33,93,24,000 रुपये का बजट पीने के पानी की समस्या को हल करने तथा अन्य कार्यों को करने के लिये पेश किया है, इनको यह बात भी अच्छा नहीं लगी । हमारी सरकार हर क्षेत्र को, हर मुहल्ले, हर शहर को पानी देगी, उसके बाद भी इन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, इनको तो कटौती का प्रस्ताव रखना ही नहीं चाहिये । मैं जनपद फिरोजाबाद की ओर भी मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । फिरोजाबाद जनपद नया है और नया जनपद होने के नाते वहां तमाम समस्यायें हैं, पीने के पानी की वहां भीषण समस्या है । करीब 110-130 फीट से कम गहराई पर पानी नहीं मिल पाता । हम लोगों को गंदा पानी पीने को मिल रहा है । मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि 250 लोगों की आबादी पर एक हैण्ड पम्प का मानक रखा गया है, उसमें पशुओं का भी मानक रखा जाय और उसके हिसाब से हैण्ड पम्पों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय । दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां थोड़ी ही दूर पर चंबल योजना है, उसको भी यदि पूरा करा दिया जाय तो उससे कई जिलों को पानी मिल सकता है । मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह जनपद फिरोजाबाद की ओर अवश्य ध्यान दें, केवल आगरा, कानपुर, बरेली की ओर ही ध्यान न दें, हम लोगों की भी पानी की समस्या है । इसी के साथ मैं माननीया मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश की 16 फीसदी जनता शहरों में रहती है । मैं ऐसे क्षेत्र से चुनकर आता हूं, जहां न तो कोई नगरपालिका है, न कोई टाउन एरिया है, हम तो इससे बहुत दूर हैं । लोकतंत्र में नगरपालिकाओं पर हमला करने का सबसे पहला काम इस सरकार ने किया है, नामिनेशन के द्वारा । मेरे जनपद में अल्पसंख्यक चेयरमैन थे, शाहपुर में । वहां जिस प्रकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, अपराधी तत्वों का इस्तेमाल किया गया, उससे नगरपालिका का शब्द अब सार्थक नहीं रह गया है । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे जनपद मुजफ्फरनगर की नगरपालिका में जो निर्माण कार्य हुए हैं, उनके मानकों की जांच करा लें कि वह मानक के अनुरूप हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अथवा नहीं । मान्यवर, हमारा जनपद मुजफ्फरनगर दूषित जल से पीड़ित है, वहां के बगरहा, खतौली, चरखावल आदि तमाम गांव हैं । यहां के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने यह लिखकर दिया कि हिंडन कृष्णा दोआबा में दूषित जल बहने के कारण यहां का पानी दूषित हो गया है । मान्यवर, एक पुस्तिका हमको दी गयी है । उसमें लिखा है "ग्राम जहां पर पानी के श्रोत में खारेपन/लौह तत्व/फ्लोराइड व स्वास्थ्य के लिये अन्य हानिकारक तत्व अधिकता में विद्यमान हो ।" दूसरा, ग्राम जो उपलब्ध पानी के कारण जल संक्रमित बीमारियों तथा हैजा, गिनिवार्म इत्यादि से संकटग्रस्त रहते हैं ।" ये समस्याग्रस्त गांवों के मानक हैं । मेरे जनपद के जो गांव हैं, वे समस्याग्रस्त हैं । जल निगम से इनकी जांच भी कराई गई ।

पिछली सरकार ने व कांग्रेस सरकार ने इन गांवों का सर्वे कराकर इनका समस्याग्रस्त माना । वहां पर जो टंकियों का निर्माण कार्य हुआ भी था, उन्हें रोक दिया गया है । आपके एक व्यक्ति के हठ के कारण कि कहीं इसका श्रेय दूसरों को न चलाया जाय । इस प्रकार काजीखेड़ा, कांगड़ा, सोरों, मोमनपुर, मुंडभर व जोला ग्राम समूह योजनाओं के कार्य को रोकने का कोई औचित्य नहीं है । इससे शासकीय धन का भी दुरुपयोग हो रहा है । निविदायें आमंत्रित कर ली गयी और स्वीकार भी हो गयी । परन्तु एक आपके राजनैतिक व्यक्ति के अहंकार के कारण टंकियों के कार्य को रोक देना उचित नहीं है । इससे कल ठेकेदार भी यह कह कर भाग जायेगा कि अब इनकी कीमत बढ़ गई है । इसके लिये जिम्मेदार कौन होगा । इससे आज वहां के लोगों में रोष व्याप्त है । एक-एक बूंद पानी के लिये लोग वहां पर तरस रहे हैं । बरहा विधान सभा क्षेत्र में पिछली बार विश्व बैंक परियोजना के तहत लिया गया था । तीन-चार मानकों के आधार पर इसे तय होना था । आज जो आपने यह पुस्तिका दी है, उसमें आपने मुजफ्फरनगर की इस योजना को निकाल दिया है । आप जल निगम से इसकी जांच करा लें । अगर उसका सर्वे हुआ हो, उसकी आवश्यकता हो और विश्व बैंक को स्वीकृति हेतु भेजी गयी हो तो आपको इस योजना को शामिल करना चाहिये था । हमारे यहां 12 ग्राम समूह की योजनायें प्रस्तावित थी । भैंसवाल, जसोई, कूर्माली, हरडफतेहपुर, बरवाला, कुटबा, सिलावर, भैंसाली, इस्लामपुर, तिताबी, बुड़ीनाकला, बुटराडा और बनती खेड़ा ग्राम समूह योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ होना था, जो नहीं हुआ । आपने ढाई सौ की आबादी के हिसाब से लक्ष्य रखा है और शहर में आप 100 की जनसंख्या पर पानी देंगे । यह आपकी दोहरी मान्यता है । जबकि गांवों में पशु भी पानी पीते हैं । कहीं-कहीं आपने बड़े-बड़े गांवों में दो-दो हैण्ड पम्प लगाये हैं । यदि आपका यही मानक रहा तो पानी उपलब्ध करा पाना आपके लिये सम्भव नहीं हो पायेगा । इसलिये मेरा सुझाव है कि ढाई की आबादी के स्थान पर आप 100 की आबादी रखें और जहां-आपने 2-2 हैण्ड पम्प लगा रखें हैं, वहां पर प्राथमिकता के आधार पर आप हैण्ड पम्प और लगायें । अधूरे कार्यों को पूरा करायें तथा निर्माणाधीन योजनाओं पर तत्काल कार्य प्रारम्भ करायें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने नगर विकास विभाग का जो बजट रखा है, वह बहुत ही प्रगतिशील है । समाज का वह वर्ग जो आज तक उपेक्षित है, उसकी उपेक्षा को दूर करने के लिये जो उपाय अपने बजट में सुझाये हैं, उनके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं । मैं श्री नरेश अग्रवाल जी के कटौती के भाषण को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था । मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने द्वारा की गयी करतूतों को उजागर किया है । आज तक इस प्रदेश के अन्दर जिस तरह से भ्रष्टाचार को पनपाने में भूमिका लोगों की रही है इसको भली प्रकार उन्होंने परिणत किया है । नगर पालिकाओं में जो भ्रष्टाचार

की चर्चा उन्होंने की मैं उनसे पूछना चाहता हूं विगत 44 वर्षों में हुआ या इन 9 महीनों में वह जरा देखें । विगत 44 वर्षों में भ्रष्टाचार जिस सीमा पर हर क्षेत्र में फैला उसको जरा आप देखें । उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि स्वायत्तशासी संस्थायें प्रजातंत्र की बेसिक पाठशाला है तो उस पाठशाला को प्रदूषित कर दिया इसकी जिम्मेदारी किस की बनती है । गोस्वामी तुलसीदास जी ने सही कहा है– पर प्रदेश कुशल बहुतेरे । आज जो लम्बी-लम्बी बातें कह कर वह भाषण दे रहे थे और सुझाव दे रहे तो मुझे लग रहा था पता नहीं उनके वह सुझाव उस समय कहां सोते रह गये थे जब नगर विकास का भार उनके पास था तो उनका यह सारा सोच कहा चला गया क्यों उनको यह इम्पलीमेंट नहीं कर पाये । उस समय यह कोई सुधार नहीं कर पाये बल्कि हुआ यह कि जो कहावत है अंधा बांटे रेवड़ी चीन्ह- चीन्ह कर देय । बहुत लम्बी-लम्बी लिस्ट उन्होंने बताई कि कितनी नगर पालिकाओं को पैसा नहीं दिया गया ?

मान्यवर, हमारी राजनीतिक सोच की उत्कृष्ट मिशाल है पहले केवल इस आधार पर नगरपालिकाओं को धन का आवंटन किया जाता था कि वह किस दल की नगरपालिका है हमारे दल की है अथवा नहीं । लेकिन हमने इसमें भेदभाव नहीं किया यह हमारी राजनीतिक सोच की उत्कृष्ट मिशाल है । हमने मानक बनाया और उसी के आधार पर आवंटन किया इसके लिये मैं नगर विकास मंत्री जी के साथ ही माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं इस प्रदेश की जनता की ओर से कि एक मिशाल कायम की है जिससे आगे आने वाले समय में समस्या का निदान होगा । जो जनता कराह रही है और जिस तरह से उन्होंने पैसा बहाया है वह अब नहीं होगा अब कार्यो के लिये पैसा दिया जायेगा जिसके लिये जनता बधाई देगी इस सरकार को क्योंकि कम से कम इस सरकार ने उनकी चिन्ता तो की । इसके लिये माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसमें नगर लघु उद्यम योजना, नगर मजदूर योजना, नगरीय आश्रय सुधार योजना ऐसी योजनायें हैं जिनसे गरीबों को लाभ होगा इन योजनाओं के लिये इस बजट में रुपया आवंटित किया गया है तो यह हमारी सोच इस बात की स्पष्ट प्रमाण है और इससे पिछली सरकार द्वारा जो धन आवंटित किया गया उससे कई गुना अधिक आर्थिक सुधार होगा । इनमें जहां 90-91 में आवंटन शून्य था अब 207 लाख रुपया किया है । तो मैं माननीय सुरेश जी से पूछना चाहता हूं जो गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले लोग थे उनको इस समय कितना लाभ हुआ और आज कितना अधिक लाभ होगा ? आज तक उनके लिये आपने क्या किया केवल भ्रष्टाचार ही दिया इसकी चर्चा आपने नहीं की । तो उन करतूतों की भी चर्चा आपको करनी चाहिये थी जो 44 सालों में हुई उसकी पराकाष्ठा इन नगरपालिकाओं में विद्यमान है ।

मैं पेयजल की समस्या के बारे में जिसकी चर्चा चारो तरफ से है कहना चाहता हूं इसमें जो कदम उठाये गये हैं वह निश्चित रूप से सराहनीय है ।

(इस समय 4 बजकर 55 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया समाप्त करें ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जो 5 मिनट का समय है वह तो दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह निर्णय आप न करें, 5 मिनट हो गये हैं ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि झांसी नगर और पूरा बुन्देलखण्ड पेयजल के संकट से भयंकर ग्रस्त है । हमें योजना मिली है उसके लिये बधाई देता हूं । लेकिन झांसी के अन्दर 1/3 हिस्से को ही पानी दे पा रहे हैं ।

हमको केवल एक भाटीला से संबंधित विश्व बैंक के सहयोग से जो एक योजना दी गयी है उसके टेण्डर भी अभी नहीं निर्धारित हो पाये हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं नगर विकास सचिव से जो यहां बैठे हुए हैं कि इतने अन्तराल के बाद जो टेन्डर्स भी अभी फाइनल हो पाये हैं वह यह बड़ी दुखद स्थिति है ।

श्री उपाध्यक्ष–

शुक्ल जी, आप सदन में बोल रहे हैं । सदन की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें, लाबी की ओर नहीं ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

माननीय मंत्री जी हमारी जनता की कराह को थोड़ा सुनकर उस पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही प्रारम्भ करा दें, ताकि हमारी पेयजल की समस्या का निदान हो सके । इसके साथ मैं इस प्रगतिशील बजट का समर्थन करता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रदेश की जनता की चिन्ता को देखते हुए कुछ प्रगतिशील कदम उठाये हैं ।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, आपने मुझे नगर विकास के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये आपके प्रति आभारी हूं और श्री नरेश अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं आपके माध्यम से नगर विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं जनपद बदायूं की ओर आकर्षित करता हूं जहां की स्थिति बड़ी सोचनीय है । वहां की आबादी 60 हजार की जनसंख्या थी और अब आज जब कि सवा लाख की जनसंख्या हो गयी है, किन्तु स्टाफ की संख्या वही है । वहां पर पेयजल की समस्या इतनी गम्भीर है कि वहां पर आये दिन नगर पालिका के इसके विरुद्ध प्रदर्शन होते रहते हैं और इस समस्या को लेकर जनता में भयंकर आक्रोश है । रोज ही कोई न कोई घटना वहां पर पानी को लेकर घटित रहती है । अतः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो अवैधानिक रूप से नगर में टिल्लू पम्प लगा लिये गये हैं उनको तत्काल समाप्त कराया जाये और सबके लिये समान पेयजल की व्यवस्था की जाये । मैं आपके माध्यम से और एक बात को सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं । हमारे जनपद में बिल्सी नगरपालिका को अवैधानिक रूप से सुपरसीड किया गया है, उसका कोई औचित्य नहीं था । उक्त नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध में 19-12-91 को अविश्वास का प्रस्ताव आया था और उसके शीघ्र बाद शो-काज नोटिस स्पेशल मैसेन्जर द्वारा भेजा गया था । इस संबंध में मैं स्वयं नगर विकास सचिव से मिला कि मुझको नोटिस नहीं दिया गया है और बिना नोटिस तथा बिना कलेक्टर की रिपोर्ट के बोर्ड को भंग कर दिया गया । तो सिर्फ राजनैतिक स्वार्थ के लिये आपने यह गलत काम किया है । इससे जनता में घोर आक्रोश व्याप्त है । यह जो रामराज्य लाने वाली सरकार है, उसने अलोकतांत्रिक ढंग से इस बोर्ड को भंग किया है सब पत्र स्पेशल मैसेन्जर के जरिये की गयी है, किसी को नोटिस नहीं दी गयी । सीधे-सीधे एक तरफा कार्यवाही एस० डी० एम० से मिलकर कार्यवाही की गयी है तथा तथाकथित प्रस्ताव पारित करा दिया की बोर्ड भंग कर दिया जाय जबकि इस प्रकार की

कोई सूचना नहीं सदस्यों को गई थी । अब उस नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी हैं वह पूर्व चेयरमैन को बोर्ड के 8 कर्मचारी दिये हुए हैं और उनका वेतन बोर्ड से दिया जा रहा है । अतः अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय । मैं एक बात और सरकार के संज्ञान में आपके माध्यम से लाना चाहता हूं कि 30-8-91 को नगरपालिका के सदस्यों ने सामूहिक रूप से एक मेमोरेन्डम पूर्व चेयरमैन के विरुद्ध दिया था मंत्री जी और सचिव तथा जिलाधिकारी को दिया था । किन्तु आज तक उसके संबंध में कोई जांच नहीं हुई । यह सिर्फ राजनैतिक कारणों से भ्रष्ट चेयरमैन को बचाने के लिये किया जा रहा है । उन्होंने अपने कोल्ड स्टोरेज में नगरपालिका की जमीन को मिला ली और नगरपालिका में नाबालिग ठेकेदार से काम कराया और उसको पेमेन्ट कर दिया; जबकि उसका पिता ब्लैक लिस्टेड है । मान्यवर, यह सब ऐसे भ्रष्टाचार के गम्भीर मामले हैं, जिनको मैंने अभी प्रस्तुत किया है, उन पर जांच की जाय और जो श्री विनय कुमार ने जो नगरपालिका में भ्रष्टाचार किया है उसकी खुली जांच की जाय और शिकायतकर्ताओं को अपनी बात कहने का मौका दिया जाय । इन शब्दों के साथ मैं श्री नरेश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताय पर बल देता हूं ।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

मान्यवर, मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसके संबंध में मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से इससे नगर की समस्यायें हल होंगी । इस बजट में पेयजल पर बड़ा जोर दिया गया है । भारत की इस धरती पर जहां नदियों का जाल बिछा है, आकाश से पानी बरसता है, नीचे जल के भण्डार हैं, इसके बावजूद देश में पानी की हाहाकार मचा है आजादी प्राप्त हुए 45 वर्षों के बाद भी पानी की गम्भीर समस्या बनी हुई है । समझ में नहीं आता है कि यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई ? मान्यवर, पिछली सरकारों ने नहीं सोंचा की पांच-दस सालों बाद पेयजल की मांग और पूर्ति की क्या स्थिति होगी और इसलिये उसके तहत क्या योजनायें बनाई जायें ? इस आवश्यकता को पिछली सरकारों ने कभी महसूस नहीं कियां । मान्यवर, आज की सरकार युद्ध–स्तर पर पेयजल की समस्या हल करने में लगी है और इस समस्या को हल करने के लिये एक करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । यह हमारी सरकार का बहुत बड़ा प्रयत्न है जिसके लिये उत्तर प्रदेश की जनता को भा० ज० पा० सरकार को धन्यवाद देना चाहिये । इस योजना में मंत्री ने अभी-अभी कहा है कि इस योजना में इन बातों पर ज्यादा बल दिया जायेगा कि जो योजनायें अधूरी हैं वह पहले पूरी की जायेंगी । इसलिये मैं मंत्री जी से निश्चित रूप से निवेदन करूंगी कि दो तीन योजनायें हमारे जनपद वाराणसी में जो अधूरी हैं, जैसे काशी विद्यापीठ ब्लाक में फुलवरिया ग्राम योजना और कैण्ट नगर में इन्दिरा नगर योजना, इन दोनों योजनाओं के संबंध में मुझे विश्वास है कि मंत्री जी इन्हें पूरा करवायेंगी । बजट में इस बात पर बल दिया गया है कि नगर की आवास योजना को हल किया जायेगा । आज जितनी भी महानगरपालिकायें हैं उनकी सीमायें बढ़ रही हैं । आवास के लिये नये-नये मकान बनाये जा रहे हैं, नई-नई कालोनियां बन रही हैं इसलिये सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि कालोनी पूर्ण रूप से बने । नगरपालिकाओं की सांठ-गांठ से योजना की स्वीकृति मिल जाती है, लोग रहने लगते हैं लेकिन आवश्यकता की चीजें जैसे पानी और सड़क पूरी नहीं होती हैं । इस प्रकार कालोनी की संस्तुति तो मिल जाती है किन्तु नगरपालिका से बाद में जब कहा जाता है कि सड़क बनायें और बिजली दें तो कहा जाता है कि कालोनी हैण्ड ओवर नहीं हुई हैं, मुझे विश्वास है कि उस तरफ मंत्री जी ध्यान देंगी और पिछली सरकार ने जो गलतियां की हैं वह दोहराई नहीं जायेंगी । महापालिका के अधिकारियों ने गलत ढंग से कालोनी की जो स्वीकृति दी है उसके संबंध में उन्हें दण्ड दिया जायेगा । नगरपालिका जिस कालोनी को ले लेती है उसका वह विकास करे । महिलाओं को शौच के लिये खुली जमीन पर जाना पड़ता है इसलिये मेरा निवेदन है चूंकि नगर घने होते जा रहे हैं

और गांव जो नगरों के समीप हैं वहां खुली जमीन समाप्त होती जा रही है । महिलाओं को लोक लाज खोकर अपने घर के बड़ों के साथ एक ही स्थान पर जाना होता है और महिलाओं को काफी कठिनाई होती है अतः मुझे विश्वास है कि इन जगहों पर शौचालय बनाने की ओर ध्यान दिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

समाप्त कर रही हूं । बस एक मिनट दे दें । हमारे विरोधी पार्टी के नेता लोग एक-एक मिनट करके बहुत टाइम ले लेते हैं । इसलिये हमें विश्वास है कि हमको भी अपनी बात पूरी करने का मौका मिलेगा । विकास प्राधिकरण ने 8 हजार रुपये विस्वा जमीन लेकर 80 हजार रुपये विस्वा बेच रही है । इसके अतिरिक्त जिन लोगों के लिये मकान बनाये जाते हैं उससे भी गरीब लोग उखड़ जाते हैं । अल्प आय वर्ग के लोगों के लिये मकान बनाये जाते हैं तो उससे भी गरीब लोगों को अति अल्प आय वर्ग को परेशानी होती है क्योंकि जहां पर वह रह रहे होते हैं उस जगह पर ही मकान बनाये जाते हैं । इसलिये मेरा माननीया, नगर विकास मंत्री जी से निवेदन है कि जो इनका मुख्य लक्ष्य है आवास उपलब्ध कराने का तो गरीबों को न उखाड़ा जाय । जो जमीन बन्जर पड़ी है, उस पर आवास बनाये । बिकास प्राधिकरण को जिम्मेदारी इस तरह की न दें कि वह भूमि का व्यवसाय करे और भ्रष्टाचार करें । मुझे बार-बार चेतावनी दी जा रही है कि मैं अपनी बात समाप्त करूं । इसलिये मै अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

मान्यवर, आपने मुझे श्री नरेश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि आज समूचे उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के जो कर्मचारी हैं, उनकी हालत बहुत गम्भीर है । उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारियों और स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को दो-दो महीने से लेकर कई-कई महीनों तक वेतन नहीं मिल पा रहा है । वेतन न मिलने से समूचे प्रदेश का स्थानीय निकाय कर्मचारी और सफाई कर्मचारी भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है । माननीया नगर विकास मंत्री जी ने जो अपना बजट पेश किया है, उसको सुनकर मुझे बहुत बड़ा खेद हुआ है । जिस तरीके से बजट पेश हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के वेतन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि वेतन की व्यवस्था बनाने का काम करने जा रही हूं । जो व्यवस्था यह सरकार करने जा रही है वह पहले से भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है । 1991 में 10 अक्टूबर को समूचे प्रदेश के स्थानीय निकाय कर्मचारियों ने वेतन के सवाल को लेकर हड़ताल की थी उस समय जनवरी 1992 में सरकार व सचिव, नगर विकास ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था सही बना दीं गई । हर महीने के पहले सप्ताह में वेतन मिल जाया करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

मान्यवर, आज अप्रैल खत्म होने जा रहा है और जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश में नगर पालिका, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया ऐसे हैं जहां वेतन नहीं मिला है । आपने कहा है कि हम वेतन व्यवस्था बनाने जा रहे हैं । मुझे दुःख हो रहा है आज की स्थिति को देखकर । मान्यवर, मुझे बोलने का मौका दें । हमारे इस सदन में लगभग 425 विधायक बैठते हैं । हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे उपेक्षित स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं । सफाई कर्मचारी में महिलाएं अपने दुधमुंहे बच्चों को छोड़कर आती हैं, जनता की सेवा करती हैं उन्हें आज अपने बच्चों को दूध पिलाने तक के लिये पैसा नहीं मिल पा रहा है । प्रदेश

में उनकी यह हालत है। हजारों ऐसे छात्र-छात्राएं प्रदेश में है जिनके अभिभावकों को वेतन न मिलने से वह समय से फीस नहीं दे पाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

तो आज आगे बढ़ने के बजाये पीछे जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने मलिन बस्तियों के सवाल को रखा है –

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त कर दें।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता है मैं उस समाज की बात कह रहा हूं जो सबसे उपेक्षित है। मान्यवर, सफाई कर्मचारी जो हैं यहां जितने सदस्य बैठे हैं जो इस सदन में वोट लेकर आते हैं, कोई सदस्य इस सदन में ऐसा नहीं है जो वोट लेकर उनसे न आया हो –

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त कर दें।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

लेकिन उस उपेक्षित समाज के लोगों की कोई बात नहीं कहता है। पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं इनके उत्थान की बात नहीं की जाती है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

जिन लोगों को 15-20 महीने से वेतन नहीं मिला है उनके लिए क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप समाप्त कर दें मेरी अनुमति के बगैर बोल रहे हैं।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया–

मान्यवर, मैंने माननीय नगर विकास मंत्री के बजट भाषण को और श्री नरेश अग्रवाल जी के कटौती के प्रस्ताव को ध्यानपूर्वक सुना। अग्रवाल जी ने बजट भाषण की प्रशंसा की, लेकिन पिछली सरकार के कार्यों को देखते हुए, उन्होने जो घोषणायें की थीं, उनको देखते हुए यह संदेह उन्होने प्रकट किया था कि यह योजनायें लागू हो सकेंगी या नहीं ? पुरानी सरकार जब थी तो भ्रष्टाचार का बोलबाला

था, झूठी घोषणायें होती थीं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं यह भाजपा की सरकार के द्वारा जो घोषणा की जाएंगी वह पूरी होगी । मैं किन-किन बातों के लिए मंत्री जी को बधाई दूं, पेयजल की समस्या के बारे में उन्होने ध्यान दिया मैं उनको बधाई देना चाहता हूं । सफाई की समस्या से नागरिक परेशान हैं निःसन्देह निजी हाथों में जाना एक अच्छा प्रयोग हो सकता है । मैं कामना करूंगा कि उनको इसमें सफलता मिले । अगर सफलता मिली तो इस प्रयोग के माध्यम से इस प्रदेश की सफाई व्यवस्था अच्छी होगी और नागरिकों को सहायता मिलेगी । मान्यवर, सारे प्रदेश में पानी की सप्लाई बिजली की व्यवस्था पर निर्भर है । जेनरेटर की व्यवस्था इसके लिए आवश्यक है अगर संभव हो तो कुछ धन निकालकर कुछ नगरो में जेनरेटर की व्यवस्था की जाए । मान्यवर, जैसा पीने के पानी का महत्व है उसी तरह से पानी की निकासी का विषय भी महत्वपूर्ण है । अनेक नगरो में पानी भरा रहता है पानी निकल नहीं पाता है तो पानी की निकासी के लिए नालों की सफाई और सीवर की सुविधा हो । मैं पानी की निकासी पर बहुत बल देता हूं और इसे एक गंभीर समस्या मानता हूं । मैं कुछ बातों की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिये पैसे की व्यवस्था किये बिना उनको किया जा सकता है । नयी बस्तियों से जो डेवलपमेन्ट चार्ज लिया जाता है वह दूसरी मदों पर खर्च कर दिया जाता है जिससे उन बस्तियों का विकास नहीं हो पाता है । यह कानून बनाया जाना चाहिये कि डेवलपमेन्ट चार्जेज के रूप में पैसा नयी बस्तियों से लिया जाता है वह पैसा उन्हीं बस्तियों में खर्च किया जाय और एक लिमिटेड टाइम में नयी बस्तियों में सड़कों आदि की सुविधा दी जाय । इसी तरह से शहरों में सड़कों को खोद दिया जाता हैं । इस संबंध में चाहे टेलीफोन विभाग हो या बिजली विभाग हो पैसा उनसे लिया जाता है और दूसरी मदों पर खर्च कर दिया जाता है । यह कानून बनाया जाना चाहिए कि इस मद का जो पैसा आता है उसको उसी सड़क को ठीक करने के काम में लाया जाय और जैसे ही सड़क खोदी जाय तुरन्त ही उसकी मरम्मत की जाय जिससे कि पैसे का सदुपयोग न हो, सड़क बन जाय और नागरिकों को सुविधा मिले । यह कुछ ऐसी बातें है जिनके संबंध में बिना बजट में पैसे का प्राविधान किये काम किया जा सकता है । मैं अपने नगर की सीवर व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं । वहां पर करोड़ों रुपये लग गये, सीवर स्टेशन बना लेकिन वह ठीक से काम नहीं करता है । मैं निवेदन करूंगा कि कुछ बजट इसमें देकर वहां की सीवर व्यवस्था को ठीक से चालू करवा दें ताकि करोड़ों रुपया जो इस कार्य में लगा हुआ है उसका सदुपयोग हो सके और नागरिकों को राहत मिल सके । इस शब्दों के साथ मैं बजट प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं ।

ठाकुर वीरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं माननीय नरेश अग्रवाल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, जनपद सहारनपुर में देवबन्द नाम का एक कस्बा है । मेरा विधान सभा क्षेत्र भी देवबन्द के नाम से जाना जाता है । मान्यवर, यह जो नगर विकास विभाग द्वारा 1991-92 का कार्य विवरण मिला है उसको मैंने देखा । मेरे ऐतिहासिक महत्व के कस्बे का इसमें कहीं भी नाम नहीं हैं । इसी तरह से टाउन एरिया नानौता मेरे यहां है लेकिन उसमें कार्यों का कहीं नामोनिशान नहीं है । इन कस्बों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं । शायद इसलिये कहीं भी कोई सुविधा नहीं दी गयी है न कोई कार्य वहां के लिये प्रस्तावित है । पता नहीं माननीय मंत्री जी इतना कठोर हमारे प्रति क्यों हैं ? मैं बताना चाहूंगा कि देवबन्द में दुनियां भर से लोग आते हैं । राजदूत और दूसरे बड़े-बड़े लोग इस कस्बे में आते हैं । इस कस्बे में विश्व प्रसिद्ध दारुल उलूम नाम का विश्वविद्यालय है, मुस्लिम विश्वविद्यालय है और यह शिक्षा का बड़ा केन्द्र है । इतने महत्व के कस्बे के लिये कोई सौन्दर्यीकरण की योजना बनायी जानी चाहिये ।

इस कस्बे में सफाई नाम की कोई चीज नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं और पानी का कोई इन्तजाम नहीं हैं। गन्दगी के ढेर लगे हैं और कोई भी सुविधा इस कस्बे में नहीं है। मैं चाहूंगा कि इसके लिये योज़ना बनावें ताकि बाहर के लोग खराब इम्प्रेशन लेकर न जायं। दूसरे ननौता टाउन एरिया में भी यही हाल है। न रास्ते हैं और न पानी का इन्तजाम है। शौचालय न देवबन्द में हैं न ननौता में हैं। न महिलाओं के लिये हैं न ही पुरुषों के लिये हैं। मैं चाहूंगा कि वहां पर पीने का पानी, सड़क, नाले आदि का निर्माण कराया जाय। अभी तीन दिन पहले माननीया मंत्री जी को बता रहा हूं अखबारों में छपा कि सहारनपुर में पानी की टंकी में सांप के बच्चे और कीड़े पत्रकारों के सामने निकले। यह मय तस्वीर के अखबारों में छपा। उस पानी को लोग पीएंगे तो लोगों के स्वास्थ्य का अंदाजा आप लगा सकते हैं। मेरे सहारनपुर के सत्तापक्ष के विधायक बैठे हैं, वहां दवा का छिड़काव कभी नहीं किया गया। वहां पानी की सफाई का इंतजाम नहीं है। वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय बहुत रहता है। वहां की बस्तियों में नालियों का कचड़ा घरों में भर जाता है। नाली के कीड़े घर के आंगन में फैल जाते हैं। सहारनपुर शहर में हालत बड़ी ही दयनीय है। मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि देवबन्द बहुत ही विशेष महत्व की जगह है इसलिये उसके विकास पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो बजट की कापियां बंटी हैं, वह 1991-92 की हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिये। माननीय स्वामी नाथ जी आप पहले जानकारी कर लें। कुछ साहित्य प्रस्तावना के रूप में पिछले सालों का भी दिया जाता है।

श्री सतीश भाटिया–

मान्यवर, मैं नगर विकास मंत्री जी द्वारा रखे गये आय-व्ययक के समर्थन में कहना चाहता हूं कि जो बातें (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठें। आपने जो प्रश्न उठाया है, उसके बारे में जानकारी कर लें फिर कहें। सारा साहित्य बांटा गया है। हमारे संज्ञान में आया है। आप पिजन होल में दिखवा लें।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, आप सरकार को निर्देश दें। हमारे पास 1991-92 का विवरण है। मैं पटल में भी गया था। वहां पर भी 1992-93 का कोई साहित्य नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कृपया इसको दिखवा लें कि साहित्य आपके यहां से आया कि नहीं। माननीय स्वामी नाथ जी आप कृपया बैठ जायं। सारा साहित्य यहां आ चुका है और सारा साहित्य वितरित हो चुका है। हमारे पास भी उसकी कापियां आ गयी हैं।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, मैं अभी पटल से आ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

हम इसको दिखवा रहे हैं कि कहीं पिजन होल में रखने में या वितरण में कोई गड़बड़ी हुई है क्या ?

(व्यवधान के मध्य)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय सदस्यों की बात सही है, जो भी हम लोगों को कागजात उपलब्ध करायें गये हैं, वे 91-92 के हैं, 92-93 की कोई भी रिपोर्ट हम लोगों को नहीं दी गयी है । मान्यवर, एक भी माननीय सदस्य को नहीं दी गयी है, इसमें मान्यवर, सरकार की क्या नीति है ? इसे मान्यवर, दिखवा लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह परफार्मेन्स बजट पिछले साल का है, उसी की प्रति सबको उपलब्ध कराई गयी है । अब माननीया मंत्री जी ने तो अपने बजट भाषण में उन तथ्यों को ला ही दिया है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, परिपाटी न खराब करें ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप लोग बैठ जायं । इस पर समय न बरबाद करें । अगर किसी को प्रति नहीं मिली है, तो उन्हें उपलब्ध करा दी जायगी । माननीय स्वामी नाथ जी, आप बैठें ।

(व्यवधान)

* श्री सतीश भाटिया–

मान्यवर, यह जो आय-व्ययक का व्योरा प्रस्तुत किया गया है, उसमें सभी क्षेत्रों के लिए समान रूप से दृष्टिकोण अपनाया गया है, चाहे वह क्षेत्र किसी महत्वपूर्ण विधायक का हो, चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, सभी क्षेत्रों में अनुदान की राशि उसके अनुपात में दी गयी है । मान्यवर,नगर विकास विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है । इसी के द्वारा जो विकास होता है, वह सामने दृष्टिगत होता है । नगर विकास विभाग से जल संस्थान, जल निगम ये दोनों नगरपालिका से अलग कर दिये गये थे, लेकिन आज इसकी आवश्यकता है । इन दोनों विभागों को नगर पालिका में फिर से समायोजित किया जाय । मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, मैं लखनऊ का विधायक हूं और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है । शहरों में जल संस्थान और जल निगम के द्वारा जो जल निकासी और पेय जल की व्यवस्था हो रही है, उसमें और ज्यादा सुधार की आवश्यकता है । मान्यवर, जो भूमि लगभग 2 हजार एकड़ ऐसी पड़ी हुई है, जिस पर बहुत से अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर लिया है, मेरा सुझाव है कि वह भूमि उन लोगों को आवंटित कर दी जाय, जिससे नगर पालिका को धन भी प्राप्त होगा और उससे वहां के रहने वालें लोगों को स्थायित्व भी आयेगा । मान्यवर, नगर महापालिका में जो प्रचार और स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न स्रोतों द्वारा आय होती है, उसका आडिट भी नहीं होता है, उसका आडिट भी कराया जाना चाहिए । मान्यवर, नगर महापालिका में जो कूड़ा निकलता है, उसकी अगर बिक्री कर दी जाय, तो नगर महापालिका की 10 लाख रुपये प्रति दिन की इनकम हो सकती है । मान्यवर, लखनऊ में जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कालोनियां हैं, जिनको बहुत पहले कालोनाइजर्स बना कर चले गये और आज उनका पता नहीं है, ऐसी कालोनियों को नगर महापालिका को टेक अप कर लेना चाहिये, जिससे उनका बिकास हो सके । मान्यवर, मैं आलमबाग क्षेत्र जो लखनऊ शहर में आता है, से चुनकर आता हूं । यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है । इस क्षेत्र में अधिकांश मकान भट्ठे की जमीन पर बने हैं, जिससे वह बहुत नीचे हैं और बरसात के दिनों में पानी भर जाता है और पानी निकासी का कोई साधन नहीं है, जिससे यहां की जनता को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है । खास बात तो यह है कि लखनऊ नगर में जितना भी विकास का कार्य होता है वह गोमती नदी के उस पार या उसके आस-पास होता है और दूसरे किसी क्षेत्र के विकास का ध्यान ही नहीं रखा जाता है । मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि नगर महापालिका, जल संस्थान और जल निगम को एक में कर दिया जाये, अलग-अलग होने से कार्य में दिक्कत आती है, पहले भी यह एक ही थे । मान्यवर, पेय जल की हमारे क्षेत्र में बड़ी समस्या है । मैंने माननीय मंत्री जी से 6 जगहों पर नलकूप लगाने की बात कही है, जिनमें से पूरन नगर में इस पर कार्य हो रहा है । मेरे पत्र पर माननीय मंत्री जी ने जल संस्थान के जी० एम० को लिखकर दिया है कि कैलाशपुरी, बड़ा बरहा और जलालपुर में नलकूप लगाने की संस्तुति की जाती है, लेकिन आज तक इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । अगर ऐसा हो जाय तो पीने के पानी की समस्या समाप्त हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय भाटिया जी आप समाप्त करें ।

श्री सतीश भाटिया–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । जो आप बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री सतीश भाटिया–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, 92-93 का बजट चल रहा है और जो पुस्तिका दी गयी है वह 91-92 की दी गयी है । आप देख लें आपके क्षेत्र का भी उसमें नाम नहीं है और मऊ जनपद का भी नाम नहीं है । मान्यवर, इस विभाग का जनता से सीधा सम्बन्ध है । मान्यवर, जिस क्षेत्र से मैं चुनाव जीत कर आया हूं, वहां पर न टाउन एरिया है और न म्युनिसिपल बोर्ड ही है । मैंने एक सवाल किया था और उसका उत्तर आया था, मान्यवर, मधुवन एक ऐसा स्थान है जहां पर कई लोग एक साथ शहीद हुये थे, यह एक तीर्थ स्थली है, लेकिन वहां पर भी कोई टाउन एरिया नहीं है, मेरा निवेदन है कि उसको टाउन एरिया बना दें, तो बहुत अच्छा होगा । मान्यवर, सबसे बड़ा सवाल पेय जल का है । पेय जल की समस्या है । मान्यवर, यह राम, रोटी और इंसाफ के नाम पर चुनाव जीतकर आये हैं ।.....इंसाफ आपने देखा अभी मैंने दिया था पहले ही शून्य

नोटः–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

प्रहर में, इंसाफ तो मिलना नहीं, तो इस प्रदेश की जनता को कम से कम पानी ही दे दीजिए तो हमारे जो मजदूर हैं, पूरे प्रदेश की जनता है वह आपको आशीर्वाद देगी । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचलों में आप देखेंगे कि इतने छोटे-छोटे पाइप लगते हैं कि उससे पानी सुचारुरूप से नहीं मिल पाता है । पानी स्वास्थ्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और हम लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है । मैं चाहूंगा कि आप कम से कम इस बजट में पानी की व्यवस्था करा दें हमारी समस्या इससे बहुत कुछ हल हो सकती है ।

दूसरी बात यह है कि मैं मऊ जनपद का रहने वाला हूं । मऊ जनपद एक अल्पसंख्यक बहुल्डन की आबादी है वहां नगरपालिका के चुनाव जब हुए, मैं यह कहता हूं कि लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं वहां लोकतंत्र के चुने हुए अध्यक्ष को इस सरकार ने हटा दिया, यहां पर मंत्री जी के निर्देश पर अध्यक्ष हटा दिये गये और वहां जिलाधिकारी प्रशासक हैं और उसके नेतृत्व में कार्य हो रहा है । मैं जानता हूं कि इस लोकतंत्र में जो चुनाव जीतकर आता है, मैं समझता हूं कि जनता का प्रतिनिधि होने के कारण उसका विकास के प्रति आकर्षण होता है, समस्याओं की तरफ उनका ध्यान जाता है इसलिए मैं कहता हूं कि यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए ।

मान्यवर, मऊ जनपद में एक भी शौचालय नहीं हैं । मऊ में कम से कम लाखों मजदूर हैं जो हैण्डलूम का काम करते हैं । उनके पास रहने की जगह नहीं है वह फुटपाथ पर सोते हैं । इसलिए मैं चाहूंगा कि जहां इतने मजदूर कारीगर हैं, वहां पर शौचालय की व्यवस्था करायी जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय नरेश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, आपने मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । मैं माननीय नरेश अग्रवाल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए 4-5 सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, बजट में जो योजनाएं हैं उनको पूरा होने में साल भर लग जायेंगे । मैं चाहूंगा कि जिन जिलों में जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है वहां इण्डिया मार्का हैण्डपम्प की व्यवस्था कराई जाय । मान्यवर, मैंने बस्ती जनपद का दौरा किया था जिसमें विकास खण्ड सल्टौवा, साउघाट, रामनगर, सदर, बनकारी, आदि विकास खण्डों में जल स्तर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, छोटे किस्म के हैण्डपम्प सब सूख गये हैं, कुओं का जल स्तर नीचे जा रहा है और आग आदि लगने पर पानी नहीं मिल पाता है और गांव के करीब में जो ताल हैं, गड्ढे हैं, पोखर हैं, उनमें मैं चाहूंगा कि तुरन्त सरकारी नलकूपों को आप निर्देशित करें कि इनको भरा जाय ताकि पशुओं के लिए पीने के पानी आदि की व्यवस्था हो जाय और आग आदि लगने पर भी पानी उपलब्ध हो सके ।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गांवों में जो हैण्डपम्प लगाये जा रहे हैं उसके खराब होने पर उसकी सूचना संबंधित विभाग को नहीं मिल पाती है इसका कारण यह है कि यह पता ही नहीं चल पाता है उक्त हैण्डपम्प किस विभाग द्वारा लगाया गया है । इसके लिए मेरा सुझाव है कि या तो प्रधान के पास एक रजिस्टर खोला जाय जिसमें संबंधित हैण्डपम्पों में विभाग का विवरण अंकित हो या तो फिर सारे हैण्डपम्प एक ही विभाग द्वारा लगाये जाय और मरम्मत कराई जाय जिससे उनके खराब होने पर उसकी सूचना तुरन्त संबंधित विभाग को दी जा सके और वह शीघ्र ठीक हो ।

मान्यवर, वैसे तो नगरपालिका की स्थिति बहुत ही दयनीय है और इसके लिए जो धन दिया गया है वह मरम्मत के लिए भी काफी नहीं है । मैं बस्ती जनपद की बात कहना चाहता हूं कि वहां पर जयपुरवा रोड है उस रोड पर पूरी नाली सड़क पर बहती है और मुख्य रोड स्टेशन रोड पर सैकड़ों गड्ढे हैं इनको ठीक कराया जाय । जहां तक वसूली की बात कही गयी है तो जब सड़क की मरम्मत आदि की व्यवस्था नहीं की जा रही है तो टैक्स कौन देगा ? मान्यवर, जो धन दिया गया है वह शहरों के विस्तारीकरण को देखते हुए प्रदेश के क्षेत्रफल को देखते हुए बहुत ही कम है । मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय नरेश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मान्यवर, आपने बजट पर बोलने का अवसर दिया आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट इस वर्ष रखा। उससे उनकी नीयत और उनके हृदय की विशालता दोनों प्रकट हो रही हैं। इतने अच्छे बजट के लिये माननीय नरेश अग्रवाल जी ने कटौती का प्रस्ताव रख दिया और कहा कि सुझाव देना और विरोध करना चाहते हैं। हमें तो यह प्रतीत हुआ कि वह अपनी सरकारों के द्वारा किये गये कार्यों का विरोध कर रहे हैं और सुझाव यह दे रहे हैं कि जो पुरानी सरकारें करती रही हैं वैसा ही यह न करने लगें और इसके लिये उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव रखा है। इस सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैं अलीगढ़ शहर का निवासी हूं, वहां जितने भी कर्मचारी दैनिक वेतन से नियमित होते थे, एक तो साल में दस-बीस पोस्टें ही आती थीं और नीलामी के आधार पर नियमितीकरण होता था। लेकिन इस बार 300 कर्मचारी नियमित हो रहे हैं बिना पैसा दिये हुए। यह एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है। सफाई कर्मचारी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में कैसे विनियमित्त हो जायेंगे। जो भूमि ग्राम समाजों की भूमि के रूप में नगरपालिकाओं में शामिल हुई, अलीगढ़ की 300 एकड़ भूमि का मामला है, उसमें गलत तरीके से कब्जा हो गया है। उसका उपाय होना चाहिये। जहां तक पेयजल की बात है, जितने पहले हैण्डपम्प और ट्यूबवेल लगते थे, उससे ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग पानी-पानी चिल्ला रहे हैं, लगता है कि सत्ता से हटने के बाद उनका पानी उतर गया है इसीलिये पानी-पानी चिल्ला रहे हैं। भूमिगत जल का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। मेरा सुझाव है कि वर्षा में जो बाढ़ का पानी होता है, जो भयंकर विनाश लाता है, हमें कोशिश करनी चाहिये कि उसका उपयोग करके जल का स्तर उठायें। इससे पानी का अभाव अपने आप समाप्त हो जायेगा। इसके साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया। हमारे संविधान का शास्वत सिद्धान्त है कि "टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेन्टेशन"। नोएडा 5 लाख की आबादी का शहर है, वहां 8 करोड़ रु० का टैक्स लोगों पर लगाया जा रहा है। पहले यह बात सदन में भी उठी और बाहर भी कही गयी कि नगरपालिका हो या महापालिका हो या जनप्रतिनिधित्व की और कोई संस्था हो, श्री एम० एन० पुच की रिपोर्ट में जिसमें कहा गया था कि नोएडा में जो रिप्रेजेन्टिव होंगे, "आइदर रिजाइडिंग इन नोएडा आर वर्किंग इन नोएडा" यह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य शान्ति बनाये रखें।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

नोएडा में जो वहां लोग रहते हैं उन लोगों का न कोई प्रतिनिधि नहीं है यह जो टैक्स पड़ रहा है नागरिक सुविधाओं से संबंधित उन लोगों पर यह असंवैधानिक है। मैं यह चाहूंगा कि उसको कम से कम कहीं कोई नगरपालिका घोषित करे, कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व की बात हो तब टैक्स लगे। चाहे हमारी विधान सभा हो चाहे संसद हो उनके पाछे एक सिद्धान्त है जब तक कि निर्वाचित लोग बजट को पास नहीं करेंगे एक भी पैसा चाहे केन्द्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, खर्च नहीं कर सकती है। जो यह नगरपालिकायें हैं, नगर महापालिका पालिकाओं के निर्वाचित लोग उनकों पास नहीं करेंगे तब तक वहां टैक्स लागू नहीं होगा। नोएडा में 8 करोड़ का टैक्स लग रहा है जबकि उनका कोई प्रतिनिधित्व

वहो नहीं है । उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा और सरकारी अफसर टैक्स लगाकर लोकतंत्र में अविश्वास की बात कर रहे हैं । जनप्रतिनिधि वहां भेजने में कौन सी समस्या है, वहां चुनाव हो बकायदा 5 लाख की आबादी का वह शहर है उसके बाद टैक्स लगे लोगों पर । मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि नोएडा को नगरपालिका-नगर महापालिका घोषित किया जाय वहां चुनाव हों और इसके बाद ही टैक्स लगाये जायं । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय नरेश अग्रवाल के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, माननीय नरेश अग्रदाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का आपने समय दिया इसके लिये आभारी हूं । श्री नरेश अग्रवाल ने जो म्युनिसपल्टी ऐक्ट और अन्य जो ऐक्ट हैं उनमें कुछ संशोधन किये जाने की मांग की है । यह बात सही है कि कानून जनता के हित के लिये होता है जब कानून हित करने वाला नहीं होगा तो वह बदला जाना चाहिये । यह आदरणीय सदन जनता के हित के लिये है, हम सब जनहित से जुड़े हैं उन्होंने जो सुझाव रखें हैं जिन धाराओं में संशोधन की बात कही है मैं उसका समर्थन करता हूं । मैं आशा करता हूं कि माननीया मंत्री जी इन बातों को नोट करेंगी । मान्यवर, माननीया मंत्री जी व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हैं लेकिन जहां वे बैठी हैं उस व्यवस्था को वह नहीं बदल सकती हैं क्योंकि उनकी सरकार व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास नहीं करती है । क्योंकि इनकी सरकार यहां है, कि किन टाउन एरिया, नगरपालिका, म्युनिसपल्टी एरिया, नोटीफाइड एरिया को पैसा विकास के नाम पर दिया गया उसका ब्योरा मेरे पास नहीं है मैं कहना चाहता हूं कि विकास के नाम पर धरातल पर आ जाय तो माननीया मंत्री जी की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी । हमारे यहां कुशमरा टाउन एरिया, बेवर टाउन एरिया, किश्नी टाउन एरिया, जोती टाउम एरिया, भोगांव टाउन एरिया और एक म्युनिसपल्टी है । भोगांव टाउन एरिया में विगत दिनों जो दुकानें बनीं उसमें लाखों रुपये का घपला हुआ जिलाधिकारी से मैंने उसकी शिकायत की लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला । अभी जांच पूरी नहीं हुई है । वहां दुकानों के बनते ही उनका लिंटर लटक गया । यदि मेरी निश्चित जानकारी है कि आपके सचिवालय में कुछ ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन बीमारी कहां से फैलती है भ्रष्टाचार कहां से चलता है उसको पकड़ना पड़ेगा । जिन विकास योजनाओं में, जिन टाउन एरिया म्युनिसपल्टी को लिया जायेगा उनको जो पैसा दिया जायेगा अगर निश्चित रूप से वहां 100 प्रतिशत तक लग जायेगा तो आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी । लेकिन मुझे निराशा है आपने अपने बजट भाषण में कहा आपकी नीयत इस सरकार की नीयत धरातल पर काम करने की नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

अगर आपकी नीयत इस सरकार की नीयत धरातल पर काम करने की होती तो विरोध पक्ष की तरफ से यह बाते न कही जाती । अभी हमारे बाल्मीकि विधायक जी बोल रहे थे..... उन्होंने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट किया था । सफाई कर्मचारियों का जो बीमा का रुपया है वह उनके खातें में जमा नहीं होता है और करोड़ों रुपये का इस प्रकार से घपला हो रहा है । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वह इस मामले की जांच करवा लें और इसमें जो लोग दोषी पाये गयें उनके खिलाफ कार्यवाही करें । अन्त में मैं माननीय नरेश अग्रवाल जी के द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

उपमंत्री कारागार एवं होमगार्ड्स (श्री मुन्नू लाल कुरील)–

माननीय, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय, एक जमाना वह था जब लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती थी हम लोग भी सदस्य रहे, लोगों को आठ-आठ महीने तक वेतन नहीं मिलता था अब हमारे कार्यकाल में हर महीने लोगों को वेतन मिल रहा है, चुंगी भी समाप्त कर दी गयी है .....

(शोर)

माननीय, एक शेर कहना चाहता हूं:–

"मुद्दत सी हो गयी है यही रंजोगम सहते हुए,
शर्म सी आती है अब अपना वतन कहते हुए,
लगाते आग ये खुद हैं, बुझाते हम खून से इसको,
कहें फिर बेकसूर हैं, बताओ किसको दोष दें" किसको
"कभी सरदी कभी गरमी, यह कुदरत के नजारे हैं,
प्यासे वह भी रह जाते हैं, जो दरिया के किनारे हैं।"

माननीय, मैं एक सुझाव दूंगा कि हमारे बांदा जनपद में एक योजना पाठा पेय जल योजना है जो 1973 से लागू है। यह एशिया की सबसे बड़ी योजना है लेकिन गरमी के समय में पानी नहीं पहुंच पा रहा है इसपर मेरा सुझाव है समुचित व्यवस्था पानी की करें। अन्त में माननीय नगर विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री जाहिद हुसैन–

माननीय, आपने मुझे माननीय नरेश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय, आज 451 नम्बर भूमि पर जो म्युनिसिपैलिटी में आती है, जो श्याम बाबू के नाम से एलाट है जिला मुरादाबाद में, उसे भा० जा० पा० ने संगठन मंत्री के नाम एलाट कर दिया है। यह गलत तरीके से हुआ है और यह कब्जा नाजायज कब्जा है, गुलाबबाड़ी में करोड़ों रुपये की जमीन है इस पर कब्जा करके उस जमीन को एक समिति को एलाट कर दिया है और नगरपालिका का जो चेयरमैन है उसका हाथ इसमें है इस प्रकार एक करोड़ रुपये की जमीन हड़प की जा रही है। मुरादाबाद में विकास के नाम अवैधानिक कालोनी बनायी गयी है उसके अन्दर पानी भरा पड़ा है। चेयरमैन ने वहां की नगरपालिका की चारो तरफ पड़ी जमीन में दुकानें बनवाकर करोड़ों रुपये की सम्पत्ति के हड़पने की चेष्टा की है.....

माननीय, वहां पानी का प्रबन्ध ठीक नहीं है और मुरादाबाद की बात तो दूर, इसी विधान सभा के सामने रोड पर पानी बह रहा है, हम लोगों को उसको लांघकर आना पड़ता है, इनसे वह भी साफ नहीं हो सकता। शहर लखनऊ के चारो तरफ जो नाले हैं वह पूरी तरह टूटे हुये हैं, यह विकास का आलम है। माननीय, हमारे मुरादाबाद में पानी की सैम्पलिंग के जितने भी नमूने यहां आये हैं, उसमें से एक भी अभी पास नहीं हुये हैं और हम लोगों को वहां दूषित पानी पिलाया जा रहा है, जिससे वहां पर कई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

बीमारियां फैल रही हैं और लोग बीमार हो रहे हैं । वहां कूड़े के डिब्बों के नाम पर लाखों रुपया ऐंठ लिया गया है और घोटाला किया जा रहा है । इसी तरह चेयरमैन ने वाटर वर्क्स कम्पाउन्ड में लाखों रुपये की जमीन पर कब्जा करवाया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री जाहिद हुसैन–

मान्यवर, इस प्रकार वहां चारों ओर लूट हो रही है । अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री मिही लाल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, नगर विकास के बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी का ध्यान बुन्देलखण्ड क्षेत्र में हमीरपुर जनपद की चरखारी तहसील की ओर ले जाना चाहता हूं । वहां आज भी लोग 45 वर्ष की आजादी के बाद भी खारा पानी पीते हैं, जिससे करीब 70 प्रतिशत लोगों में पेट की बीमारियां फैल रही हैं, इस बारे में मैं कई बार यहां सदन में अवगत करा चुका हूं । आज तक वहां के लोगों को सरकार द्वारा मीठा पानी नहीं दिलाया जा सका है । वहां पेयजल योजना के लिये बुन्देखण्ड विकास निधि से 28 लाख रुपया दिया गया, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है । मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि चरखारी के लोगों को मीठा पानी दिलाने की कृपा करें । इसी प्रकार मान्यवर, चरखारी के जो सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने अपने से एक कुआ खोदा, लेकिन नगरपालिका द्वारा उन लोगों को धन न दिये जाने के कारण कुआं पूरा नहीं हो पा रहा है । मैं इसके लिये किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन अभी तक वहां इसके लिये धन नहीं मिल पाया है । इस संबंध में मैं परगनाधिकारी महोदय से मिला धन न मिल पाने के कारण वहां के सफाई कर्मचारियों में बड़ा आक्रोश व्याप्त है । मेरी मांग है कि इसके लिये धन उपलब्ध कराया जाय । मान्यवर, इसी तरह कुल पहाड़ टाउन एरिया है और एक खरेला टाउन एरिया है, दोनों टाउन एरिया में पेयजल व सड़कों की बुरी हालत है । आज भी वहां लोग खारा पानी पीने को मजबूर हैं । मेरा अनुरोध है कि वहां के लोगों को भी मीठा पानी उपलब्ध कराया जाय । जबकि मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि बुन्देलखण्ड को मीठा पानी पिलवायेंगे । मान्यवर, नगरपालिका चरखारी की जो सड़कें हैं, वह रियासत के वक्त की बनी हुयी हैं । उनको बने 45 वर्ष से अधिक हो गये और आज तक उन सड़कों पर न तो कोई मरम्मत हुयी और न अन्य कोई काम हुआ । नगर की सड़कों में भारी-गहरे गड्ढे हो चुके हैं । सफाई की व्यवस्था भी अत्यन्त खराब है, चारों तरफ टट्टी पड़ी हुई रहती है, सफाई कहीं नहीं हैं....

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री मिही लाल–

मैं तो सोचता था कि 5 मिनट आप देंगे । तो मैं इन शब्दों के साथ माननीय नरेश अग्रवाल जी के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि समय का ध्यान रखे और दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

*श्री राम कुमार शुक्ल---

मान्यवर, आपने मुझे नगर विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं उसके लिये आभारी हूं और नगर विकास विभाग का जो बजट माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। मान्यवर, माननीय नरेश अग्रवाल जी ने बहुत सी अच्छी बातें की लेकिन वह पिछले 40. 42 सालों में इम्प्लीमेंट नहीं हो पायी तो साफ है कि उसके लिये सरकार की नियत अच्छी नहीं थी। लेकिन अब जो सरकार आई है उसने जो फैसला लिया है और जो आश्वासन दिया है माननीय नगर विकास मंत्री ने वह अच्छा है और जो काम किये हैं वैसे ही काम आगे होंगे।

मान्यवर, शहरों में 5.6 बिन्दु हैं जो मुख्य रूप से नगरों की समस्या हैं उसमें सड़क, पानी, सफाई, सीवर, बिजली और जल निकासी। इसमें पीने के पानी को सबसे पहले नगर विकास मंत्री जी ने लिया है। मैं लखनऊ की बात रख रहा हूं पिछले 25 सालों से लगातार हम प्रदर्शन करते आये कि हमारे यहां पीने के पानी की समस्या है, माननीय सदस्य जानते हैं पिछले सालों में उनके क्षेत्रों में भी पानी नहीं मिलता था पिछली सरकारें ने कोई ध्यान इस पर नहीं दिया। लेकिन इस सरकार ने इस पर ध्यान दिया और यहां 10 ट्यूबवेल नये लग रहे हैं कुछ में तो व्यवस्था हो गयी है हमें जल मिलने लगा है। मेरे क्षेत्र में लगभग 100 हैण्डपम्प इन 8 महीनों में लगे हैं। जब से यह सरकार आई है नालियों की सफाई, पानी की निकासी नालों की सफाई में काम हुआ है। अब इसमें पहले की तरह भ्रष्टाचार नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम कुमार शुक्ल–

इन शब्दों के साथ में नगर विकास मंत्री के बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, समय सीमित है इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। उधर से जब माननीय सदस्य बोलते हैं तो इस बात पर ज्यादा बल देते हैं कि माननीय अग्रवाल को अवसर मिला था उन्होंने यह व्यवस्था क्यों नहीं की, उनके दल की सत्ता थी उस समय व्यवस्था क्यों नहीं हुई ? तो मान्यवर, आप भी सहमत होंगे और मा० सदस्य भी सहमत होंगे। पानी की समस्या का मुख्य कारण वह जलस्तर का नीचे जाना है उसमें राष्ट्रीय मानक भी है कि जहां 15 मीटर से नीचे जलस्तर चला गया है उसे समस्याग्रस्त घोषित कर दिया जाय। गत वर्ष जो वर्षा हुई उसके आंकड़े दूंगा गतवर्ष जून में समान्य से 36 मिलीमीटर कम, जुलाई में 180 मि० मी कम अगस्त में 71 मि०मी० कम हुई। अगर पूरी वर्षा होती तो फिर जमीन रिचार्ज होती है। अगर कोई समस्या पैदा हो जाय तो उसके लिये अग्रवाल साहब क्या करें। गत वर्षों में वर्षा कम हुई और जलस्तर नीचे चला गया और पेयजल की समस्या हो गई उसमें अग्रवाल साहब का कोई दोष नहीं है आप जो व्यवस्था कर रहे हैं आपने स्कूलों में या प्राइमरी हैल्थ सेंटर में पेय जल की व्यवस्था की है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परन्तु आप देखें कि प्रदेश में 36 हजार के करीब प्राइमरी स्कूल व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। यहां पर आपने 6600 हैण्ड पम्प लगाये जाने की बात कही है। ऐसे प्रतीक प्राविधान करने से प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। चरणबद्ध योजना बनाते वक्त भी प्राथमिकता को तय किया जाना चाहिये। ग्रामीण पेयजल के लिए भी आपने अपर्याप्त व्यवस्था की है। हर कैटेग्री में आपने प्रतीकस्वरूप प्राविधान किया है। इनके बावजूद भी आप कहते हैं कि हमने समस्याओं का निराकरण कर दिया है। किसी भी क्षेत्र में आपने पूरे कार्य नहीं किये हैं। नगरों के पेयजल की समस्या को ही आप देखें। आपने आदर्श नगर घोषित करके, इस काम को अपने हाथ में ले लिया है। अब आप जिस नगर को चाहेंगे उस नगर क्षेत्र को पैसा दे देंगे। पांच जो बड़े नगर हैं, यहां पर आपने जो व्यवस्था की है वह भी अप्रर्याप्त है। बार-बार यह कहा जा रहा है कि जो भी समस्यायें हैं, वह पहले से चली आ रही हैं। ऐसी बात नहीं है। जो भी समस्यायें इस समय हैं, उनको दूर करने का दायित्व इस सरकार के ऊपर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्धीकी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जो पुस्तक हमको दी गई है, इसको मैंने बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा। इसमें कहीं भी बांदा जनपद का उल्लेख नहीं है। बांदा जनपद की किसी टाउन एरिया, न नगर पालिका को इसमें नहीं लिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि बांदा जनपद को प्रदेश से बाहर कर दिया है। हमारे मन्नू लाल कुरील जी जब अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने ज्यादा बटरिंग कर दी। बांदा का यह हाल है कि अगर कभी किसी नल में 2–4 घंटे के लिए पानी आ जाता है तो वहां पर एक दूसरे के ऊपर डंडों से वार होने लगता है। एक ओर यह कहा जाता है कि जल ही जीवन है। दूसरी ओर जल न देकर जीवन को लिया जा रहा है। पाठा क्षेत्र में एक-एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। श्री कुरील जी तो वहां गये हैं। क्या वहां के नगर की सड़कें कहीं से भी सड़के लगती हैं उन सड़कों में खाई बनी हुई हैं। पैदल चलना मुश्किल है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जगदीश मुनि आचार्य–

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। माननीय मंत्री जी ने आज जो यहां पर नगर विकास विभाग का बजट रखा है, वह बहुत ही सूझ-बूझ व ग्रामोन्मुखी बजट रखा है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं। नगर विकास विभाग के प्रयास से हरिद्वार के अन्तर्गत जो आर्ध कुम्भ का मेला अभी सम्पन्न हुआ है, वह पूर्ण रूप से सफल रहा है। इस कार्य में नगर विकास विभाग सतत् प्रयासरत रहा है। .... कि मेला अच्छी तरह से पूर्ण हो। हमारे मुख्य मंत्री जी भी सतत इसके साथ जुड़े रहे हैं। व्यवस्था के साथ जुड़े रहे हैं वह मेला व्यवस्था को पूर्ण रूप से देखते हैं। मुझे 13 अप्रैल को रात्रि दस बजे वायरलेस द्वारा सूचना मिली कि मुख्य मंत्री जी ने प्रशासनिक अधिकारियों को मेले की सफलता के लिए बधाई दी तो मुझे आश्चर्य और अपार खुशी हुई थी। हरिद्वार कुम्भ का जो मेला है उसमें सारे देश से ही नहीं विदेशों से भी लाखों यात्री यहां पर आते हैं, जिसकी वजह से मेले का भार बहुत बड़ा था। साथ ही संसाधनों की कमी और आतंकवाद के भय के चलते हुये भी हमारे नगर विकास मंत्री जी के सतत् प्रयासरत रहने से वह मेला पूर्ण रूप से सफल हुआ। आपको यह जानकर खुशी होगी कि वहां पर देश भर से जितने श्रद्धालुजन वहां पर आये उन्होंने मेला व्यवस्था व उसके प्रबन्ध के प्रति अपनी पूर्ण संतुष्टि प्रगट की और देश भर के संतों ने सरकार द्वारा किये गये प्रबन्धों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

हमारे संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं उन्होंने यहां तक कहा कि मालूम पड़ता है कि वास्तव में अब भारतीय सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले प्रदेश की सरकार आ गयी है । आपने हमको बोलने का मौका देकर कृतार्थ किया है । इतना बड़ा मेला हुआ जिसको निर्विघ्न समाप्ति के लिए माननीय मंत्री जी ने जो प्रयास किया है, उसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं । इतना कहा जो आयोजन हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की जनता ने भाग लिया उसके लिये मैं नगर विकास मंत्री को धन्यवाद देता हूं और उनके बजट का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं । अब एक दो सुझाव देकर अपनी बात में समाप्त करूंगा । वह यह कि हरि की पैड़ी के ऊपर यात्रियों के स्नान के लिए जो स्टील के पुल बनये गये हैं, उनको बनाने और उखाड़ने में 70-80 लाख रुपये खर्च होते हैं उनको यदि स्थाई रूप दे दिया जाये यानि अब न उखाड़ा जाये तो यह बहुत अच्छा होगा और जनत्ता के विकास में बहुत बड़ा इससे योगदान होगा । दूसरा सुझाव यह है कि वहां पर जो विकास प्राधिकरण है, वह अपने ढंग से कालोनियों का विकास करता है किन्तु उससे कुम्भ मेले को दृष्टि से कुछ कार्य बाधक पड़ जाते हैं । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि वहां पर एक मेला प्रधिकरण बनाया जाये और उसमें ही विकास प्राधिकरण की शक्ति निहित की जाए । इसी तरह से मेरा एक यह सुझाव है कि हरिद्वार के आस-पास के क्षेत्रों से आकर जो शराब की बिक्री होती है वह भी बड़ी खराब बात है । इसलिए वहां पर शराब का बेचना बन्द कराया जाये और जो लोग लाकर बेचते हैं उसे दण्डनीय अपराध घोषित किया जाय । कानून में ऐसी व्यवस्था की जाय कि वहां पर कतई शराब न बिकने पावें और न कोई लाने पावे । अन्त में मैं नगर विकास मंत्री जी के बजट का और उनकी बातों का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं ।

श्री लक्ष्मेश्वर सिंह–

श्रीमन्, आपने इस पर मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं । मैं जिस भावना से कह रहा हूं, इससे ज्ञे बजट का प्राविधान है वह उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए था । यह बजट का प्राविधान निराशाजनक है । शहरों और टाउन एरियाओं में जिस तरह से जनसंख्या को वृद्धि हो रही है उसके अनुपात से बजट का प्राविधान निराशाजनक ही नहीं दुखद भी है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि यह भी पुस्तक आय-व्ययक की है, उसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि यह विभाग नगर पालिकाओं के लिए कितना चिन्तित हैं । जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि बांदा, हरदोई और बस्ती आदि जिलों की नगरपालिका टाऊन और नोटीफाइड एरिया का इसमें जिक्र नहीं किया गया है । यहां तक कि 1992-93 का बजट प्रस्तुत नहीं किया मया है । मान्यवर, हमारे यहां की नगर पालिका की जो स्थिति है उसे मंत्री जी स्वयं आकर देख सकती हैं कि कितनी खराब हैं । हमारे यहां रोडवेज से लेकर स्टेशन तक सड़क 25-30 हजार रुपये में ठीक हो सकती थी लेकिन उसे ठीक नही कराया गया । इसी प्रकार दक्षिण दरवाजे से लेकर हास्पिटल तक सड़क ठीक नहीं करायी गयी । मैं शहरी क्षेत्र से विधायक हूं, इसलिये अपने क्षेत्र की बात कह रहा हूं । हमारे यहां वर्ष, 1982,1987 और 1989 में बिजली के लिये पैसा जमा किया गया लेकिन अभी तक मेहतर टोला, उंचवा टोला, खटिक टोला और गधाखोर में बिजली की लाइन नहीं दी गयी है, इसलिये इस ओर मंत्री जी ध्यान दें । इस लाईन पर 3,500 से 4,000 रुपये तक खर्चा आयेगा लेकिन इस कार्य को नहीं कराया जा रहा है बस्ती जैसे छोटे शहर में कलकत्ता बम्बई की नकल करके हैलोजन बल्ब लगाये जा रहे हैं जबकि साधारण राड और बल्बों से काम चल सकता था, इसलिये अनावश्यक वस्तुओं में पैसा व्यर्थ न करके साधारण राडों और बल्बों का प्रयोग किया जाना चाहिये ।

मान्यवर, तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि धनिया टोला रहमतगंज में डेढ़ महीने पहले ईटों की सड़क बनायी गयी थी लेकिन आज उस सड़क की ईटें नाली में पहुंच गयी हैं । मेरा आग्रह है कि इन सड़कों के बारे में जांच करायी जाए और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए । वहां का ठेकेदार कहता है कि हमें नगर पालिका से पैसा सड़क बनवाने के लिए नहीं मिलता है बल्कि हमें उच्च पदाधिकारियों को शेयर देने के लिये पैसा मिलता है ।

इसी तरह दवा का छिड़काव कहीं नहीं होता है और पैसा जनता का बेकार में चला जाता है ।

इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री लीला राम शर्मा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया । मान्यवर, समय कम होने के कारण मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और चाहूंगा कि इन सुझावों पर शासन अमल करे ।

मान्यवर, प्रस्तुत बजट में कोई नयी बात नहीं है । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि भविष्य के लिये जो योजनायें वह बनायें वह 15 सालों के लिये न बनाकर 30 सालों के लिये बनायें । यह भी वह ध्यान रखें कि शहरों की आबादी के साथ-साथ देहातों से जो आज पलायन शहरों में हो रहा है उससे आबादी ज्यादा हो जायेगी, इसलिये 30 सालें की आबादी को ध्यान में रखकर योजनायें बनायेंगे तो उससे लाभ शहरी क्षेत्र को मिल पायेगा । लेकिन आज इस संबंध में मंत्री जी ने कोई भी अपने विचार नहीं व्यक्त किया है कि शहरों के लिये सीवर लाईन के लिये आप क्या कर रहे हैं ? सीवर लाईन नदियों में डाली जाये तो पानी दूषित होता है । मैदान में छोड़ा जाये तो साइन्टिस्ट कहते हैं कि पीने के लिये पानी जो पम्प करने से आयेगा वह दूषित होता है । इसलिये यह बड़ी जटिल समस्या है कि शहरों के सीवर का पानी का कैसे डिस्पोजल किया जाए । इसलिये इस समस्या को हल करने के लिये आप उचित योजना बनायें । मान्यवर, जल निगम और जल संस्थान दोनों को अलग-अलग करने की जो योजना थी, वह सही थी कि जल निगम कार्यान्वयन करेगा और जल संस्थान डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा । इतने सालों के तजुर्बे के बाद यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि दोनों को अलग-अलग करने के बाद भी आज जनता को पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सही न होने के कारण जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है । आज यह बहुत जरूरी हो गया है और माननीय नगर विकास मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जल संस्थान और जल निगम को मिलाकर एक ही संस्थान बना दिया जाय । इसी के साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पहाड़ी क्षेत्र की ओर ले जाना चाहूंगा । पहाड़ों में पेयजल की आपूर्ति करने के लिये लिफ्ट सिस्टम को वहां पर लागू करना बहुत जरूरी है । बगैर लिफ्ट सिस्टम के पहाड़ के लोगों की पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री नरेश अग्रवाल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री किशोरी लाल यादव–

मान्यवर, आपने मुझे श्री नरेश अग्रवाल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं । जनपद जौनपुर का मडियांव क्षेत्र, जो पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इसमें सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है । यहां पर जो टाउन एरिया है, उसकी हालत इतनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खराब है कि जैसा बरसात के समय नाला बहता है वैसी हालत इस टाउन एरिया की है । पानी की निकासी ठीक से नहीं हो पाती हैं । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कम से कम मड़ियांव टाउन एरिया की नालियों की जो समस्या है, पानी की निकासी ठीक से नहीं हो पाती है, पानी चारों ओर फैलकर बहता है, उसको ठीक करा दें । दूसरी बात यह है कि आजादी के 45-46 साल बाद भी मड़ियांव विधान सभा के 10 ऐसे गांव हैं जिनमें भेतदी, बमघईपुर, कसनही हसनपुर आदि जिनकी पेयजल की समस्या ज्यों की त्यों है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री किशोरी लाल यादव–

मान्यवर, वहां पेयजल की समस्या बनी हुई है । इंडिया मार्क का हैण्ड पम्प वहां सफल नहीं हो सका है । जमुआ में एक ट्यूबवेल है, जिसका पानी स्वच्छ और साफ है । अगर उसट्यूब वेल से किसी भी प्रकार से पाइप बिछाकर पानी की आपूर्ति की जाती तो कम से कम एक किलोमीटर की परिधि में पेयजल की समस्या दूर हो सकती थी । मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री नरेश अग्रवाल द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री नवल किशोर–

मान्यवर, माननीय नगर विकास मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । अभी कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए श्री नरेश अग्रवाल जी ने कहा था कि स्थानीय निकाय लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी और पाठशाला कहा था । वह इस बात को भूल गये कि लोकतंत्र की इस प्रथम सीढ़ी पर कुठाराघात उन्हीं की सरकार ने किया । 17 वर्षों तक नगर पालिका और को सुपरसीड रखा और इस तरह से और लोगों को सेवा का मौका नहीं दिया । मान्यवर, स्वायत्तशासी इन स्वायत्ता को समाप्त कर कुछ निर्णय लिये गये उत्तर प्रदेश शासन से । जैसा कि 1978-79 में टोल टैक्स को समाप्त किया गया किन्तु यह व्यवस्था चलाई गयी कि उसकी क्षति पूर्ति शत प्रतिशत की जायेगी । मैं भी नगर पालिका का अध्यक्ष हूं । आंकड़े देना चाहता हूं कि अनूपशहर न० पा० की वर्ष 1978-79 में टोल टैक्स से आमदनी 2 लाख 21 हजार 2 सौ छियानवे रुपये थी । जो क्षति पूर्ति की गयी, वह बहुत कम थी । जैसा कि अब नगर विकास मंत्री जी चुंगी समाप्त करने पर 10% बढ़ा कर देना शुरू किया है अगर इसी प्रकार से 10 प्रतिशत बढ़ा कर दी जाती है तो आज 55 लाख रुपये से अधिक अनूप शहर नगर पालिका को और मिलना चाहिये । मान्यवर, जो वेतन देने का क्रान्तिकारी और ऐतिहासिक निर्णय नगर विकास मंत्री जी ने लिया है, जहां कई-कई महीनों से वेतन नहीं मिला था उनको वेतन देने का निर्णय जो [illegible] ने लिया है इसके लिये वह बधाई की पात्र हैं ।

श्री उपा[illegible]

अब [illegible]

श्री नवल किशोर–

मान्यवर [illegible] मिनट और दे दें । कुम्भ के मेले में जो सफाई की व्यवस्था की गयी, कुम्भ के मेले में एक [illegible] क भी [illegible] नहीं थी, इसके लिये वह बधाई की पात्र हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री नवल किशोर–

यह भी कहा गया कि सड़क अनुदान पक्षपात पूर्ण ढंग से दिया गया है । यह तो पूर्व सरकारों ने ही किया हैं मैं स्वयं उदाहरण के रूप में खड़ा हूं । भा० ज० पा० का बोर्ड होने के कारण हमें सड़क अनुदान बहुत कम दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठ जायें ।

श्री नवल किशोर–

अन्त में मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नरेश अग्रवाल जी द्वारा कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, जब से मौजूदा सरकार आई है जनप्रतिनिधियों के अधिकार में कटौती हो रही है अभी हमारे मौर्या जी और कई सदस्यों ने बताया । नगरपालिका भंग कर दी गयी है मंत्री महोदया ने बताया कि जनपद की एक टाउन एरिया का सेलेक्शन आदर्श टाउन एरिया से किया जाएगा और वह भी जिलाधिकारी करेंगे, तो अनुश्रवण समिति द्वारा इसको कराना चाहिये जनप्रतिनिधि किस लिये चुने गये हैं ।

हैण्डपाइप के बारे में कहना चाहूंगा । मान्यवर, एक तो जितने हैण्डपाइप इनके लगे हैं वहां चबूतरे नहीं हैं जहां चबूतरे बनाये जाते हैं वह टूट जाते हैं, तो हैण्डपाइप बनाने के लिये जो लिस्ट बनाई जाए वह संबंधित क्षेत्र के विधायक के जरिये से लिस्ट आनी चाहिये । खराब हैण्डपाइप जो पड़े हैं तो यह भी विधायकों के माध्यम से लिस्ट आनी चाहिये ताकि दुरुस्ती हो जाय । जब से यह सत्ता में आये हैं, सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता टाउन एरिया की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं । जाहिद साहब ने मुरादाबाद जिले की बात कहीं, मान्यवर, आगरा के भौदीपुरा में करोड़ों रुपये की जमीनों पर कब्जा किया गया है । मेरठ सहारनपुर आदि जगहों पर नजूल की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है ।

शोहरत की बुलन्दी तो एक पल को ठहरती है

जिस शाख पर बैठे हो वह टूट भी सकती है ।

हमारे यहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर–

वहां मंत्री जी पानी की व्यवस्था कराने की कृपा करें इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री मोहम्मद रिजवानुलहक–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है नगर विकास का इसमें मान्यवर, मुरादाबाद को नगर महापालिका बनाने का कहीं जिक्र नहीं किया गया । मान्यवर, जनपद मुरादाबाद में अशोक सिंघल के भाई वी० पी० सिंघल चुनाव लड़े थे उन्होंने कहा था कि अगर पार्लियामेंट का इलेक्शन जीते तो मुरादाबाद नगर पालिका को महापालिका बनावा देंगे लेकिन वह इत्तफाक से मेरे क्षेत्र से भी हार गये, मंत्राणी जी भी भूल गईं कि उन्होंने चुनाव में क्या वायदे किये थे एक शेर कहना चाहूंगा–

एक जुर्मे तूने किया, ताकत का समझ अपना बैठा

मन्सव पर पहुंच कर भूल गया, ताकत तो अमानत होती है ।

मान्यवर, मुरादाबाद नगर में एक स्थान गुलाब बाड़ी है वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में है इसकी चर्चा बाद में करूंगा पहले यह बात सुन लीजिये मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक टाउन एरिया भोजपुर है । उसका चेयरमैन इतना भ्रष्ट है कि उसकी मिसाल नहीं हो सकती है । मैं मंत्री जी से दर्ख्वास्त करूंगा कि उसके द्वारा कराये गये समस्त कार्यों की जांच टी० ए० सी० से कराने की कृपा करें । मान्यवर, मेरे यहां गुलाब बाड़ी एक स्थान है । यह बस्ती शहरी क्षेत्र में आ गयी है । उसके बराबर देहरी गांव की जमीन है जहां पर तमाम शहर का कूड़ा कचरा डाला जाता है । माननीया मंत्री जी वहां पर कुछ समय के लिये जरूर जायं उनकी तबीयत खुश हो जायेगी । इतना बेहतर पार्क वर्ड में कहीं नहीं मिलेगगा । गुलाबबाड़ी के पास जो कचरा डाला जा रहा है उससे तमाम प्रदूषण फैल रहा है, वहां हैजा फैलता है और महामारी फैलती है और तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं । मच्छर और मक्खी वहां पर बेइंतहा हैं । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि मुरादाबाद में जो मलिन बस्तियां शहर की सामा में आ गयी हैं, मदौरा, नयी बस्ती, कसला, गुलाबबाड़ी इनको नगर पालिका मुरादाबाद में शामिल किया जाये । इस संबंध में एक प्रस्ताव नगर पालिका की प्रबन्ध कमेटी ने किया है कि इनको नगर पालिका की सीमा में शामिल किया जायेगा । इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीया मंत्री जी को गुलाबबाड़ी पार्क में अवश्य घुमवा दीजिये ।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिये अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । वास्तव में नगर विकास मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है अगर उसको सम्मानित सदस्य पढ़ें तो उनको लगेगा कि नगर विकास के लिये यह एक सर्वांगीण बजट है । नगर के अन्दर रहने वाले लोगों को देने वाली सुविधाओं को देखा जाय या नगर महापालिका के अन्दर या किसी स्थानीय निकाय के हित के लिये बजट बनाया जाय, नगर विकास मंत्री जी ने इन दोनों दृष्टियों को इस बजट में रखा है । आप देखें तो पता चलेगा कि कर्मचारियों के संबंध में सबसे बड़ी समस्या कह थी कि उनका एरियर बकाया था । 1-1-86 से यह बकाया चला आ रहा था । माननीय वीर बहादुर जी के समय से चला आ रहा था । 16 करोड़ रुपयों के एरियर का भुगतान कर्मचारियों के हितों को देखते हुए किया गया है । इसी तरह से आप देखें कि कर्मचारियों को नियमित किये जाने की समस्या थी । 9516 कर्मचारियों को नगर विकास मंत्री जी ने नियमित करके एक रिकार्ड कायम किया है । इससे पता चलता है कि यह सरकार कर्मचारियों के हितों के लिये किस प्रकार से कटिबद्ध है । कर्मचारियों को राजकोष से पैसा दिलाने की व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने की है, यदि देखा जाय तो कर्मचारियों के हित के लिये यह सबसे बड़ा कार्य

है । नगर के अंदर रहने वाले लोगों के लिये पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, जल निष्कासन की व्यवस्था सरकार द्वारा की गयी है । मान्यवर, लखनऊ की जो सबसे बड़ी समस्या है उसकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । यह जो कालोनियां बनी हैं वह किसी न किसी रूप में बसा दी गयी हैं, इनको नियमित कैसे किया जाय यह एक बड़ी समस्या है । मैं नगर विकास मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन कालोनियों के नियमितीकरण की व्यवस्था करें ताकि वहां रहने वाले नागरिकों को सुविधायें प्राप्त हो सके । सबसे बड़ी एक और समस्या है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । वह यह है कि यहां पर जो कर निर्धारण है, उसके बारे में सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये, चूंकि लखनऊ जैसी ही समस्या अन्य स्थानों पर भी होगी, इससे नागरिकों को बड़ी असुविधा हो रही है । मैं एक और अनुरोध करूंगा कि लखनऊ के नगर को केवल नगर महापालिका के रूप में विस्तार की बात के लिये न सोचा जाय, इसके लिये मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह प्रदेश की राजधानी है । यह जितनी सुन्दर और अच्छी होगी, जितनी समस्याओं का समाधान होगा, उतना ही इस सरकार के लिये अच्छा होगा । अतः प्रदेश की राजधानी मान कर इसके विकास की बात सोची जाय । इन शब्दों के साथ मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री दीना नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, मैं अभी सुन रहा था, माननीय मंत्री जी ने बजट पेश करते समय कहा कि मार्च, 1993 तक सूबे के सभी समस्याग्रस्त गांवों की पेयजल समस्या ठीक कर दी जायेगी । कोई भी गांव या नगर ऐसा नहीं बचेगा जहां पेयजल की समस्या हो । मैं यह समझता हूं जो मंत्री जी ने बजट में प्राविधान किया है, उससे शायद 10 फीसदी समस्याग्रस्त गांवों और नगरों को पानी पहुंचा पायेंगी । मंत्री जी इससे ज्यादा पहुंचा सकने की स्थिति में नहीं हैं । मेरा तो कहना है कि मंत्री जी मात्र बनारस में ही जो पानी की समस्या है, वहां के चकिया नौगढ़ चन्दौल एवं सदर तहसील आदि इलाकों में पानी पहुंचा दें तो इनका सारा पैसा खतम हो जायेगा । इनकी बात में सच का अंश मात्र भी नहीं है । बनारस में मैंने देखा है कि जो योजनायें चल रही थीं वे अभी भी अधूरी हैं और पूरी नहीं हो रही है । मान्यवर, भवानीपुर में तीन गांवों में पानी दे रहे हैं जिसमें से केवल एक में ठीक से पानी जा रहा है और बाकी दो में लगभग 200 घरों में से केवल 10-15 घरों में ही पानी जा रहा है । गंगापुर में टाउन एरिया है वहां पर वर्षों से योजना स्वीकृत है, लेकिन आज तक बनी ही नहीं । इसको ट्रान्सफर करके इलाहाबाद ले गये । इसमें आधे में पानी ही नहीं मिल रहा है । भिखारीपुर में बोरिंग हो गयी है । तीन चार गांव में पाइप डाली गयी है, लेकिन टंकी नहीं बनी है । इसमें लगभग 26-27 गांव हैं । इसमें पानी नहीं है । टिकरी में दो तीन गांवों में पानी नहीं जा रहा है । मिर्जामुराद में 27-28 गांव हैं, केवल 12 गांवों में पानी दे रहे हैं । सोलह गांवों में पांनी नहीं है । यहां पर 10 साल योजना को बनते हो गया और आज भी 15-16 गांव छूटे हुए हैं । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां एक बार दौरा कर लें ।

बनारस की सदर तहसील के 6-7 ब्लाक में जहां से आपके विधायक हैं, वहां एक-एक किलोमीटर से लोग सरकारी ट्यूबवेल से पानी ला रहे हैं । रात 10-11 बजे तक पानी ही ढोते रहते हैं । एक और बात कहना चाहता हूं, अभी सबको पता नहीं है लेकिन माननीय मंत्री जी को मालूम है । इसमे बनारस में आन्दोलन भी शुरू हो गया है । वहां चिरईगाव और हर्रदुवा के 71 गांव लेकर एक नयी काशी बनाने की योजना है । एक और योजना में काशी विद्यापीठ और आराजी लाइन ब्लाक के 41 गांव लेकर ट्रान्सपोर्ट नगर बनाया जा रहा है । यह किसानों को उजाड़ने का काम हो रहा है । इससे बहुत बड़ी

विपदा आने वाली है । मैं आखिरी बात कहूंगा । मान्यवर, तीसरी बात मुझे कहना है कि आपके विभाग में कितना भ्रष्टाचार है । उत्तर प्रदेश जल निगम में 1977 में आदेश हुए थे और 81 पद स्टोरकीपर के सृजित किये गये थे । इसमें अभी तक मात्र 10 स्टोरकीपरों को चार्ज दिया गया है और बाकी के 71 लोगों को चार्ज नहीं दिया गया है । मैं माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सन् 1977 में जो 81 पद सृजित हुए थे, जिसमें मात्र 10 को चार्ज दिया गया, शेष 71 को नहीं. उनको चार्ज दिलाने का कष्ट करें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय नरेश अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री गंधर्व सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं । माननीया नगर विकास मंत्री महोदया ने जो बजट प्रस्तावित किया है, उसका समर्थन करता हूं । आपके माध्यम से माननीया नगर विकास मंत्री महोदया का ध्यान जनपद फिरोजाबाद, मैनपुरी की नगरपालिका और टाउन एरिया की ओर आकर्षित करते हुए अनुरोध करता हूं कि विगत सरकारों ने जो भेदभावपूर्ण वर्ताव करके अपनी मनचाही टाउन एरिया को जो धन दिया और अन्य टाउन एरिया को विकास के लिये कोई पैसा नहीं दिया, इसका विश्लेषण करा कर धन आवंटन में इन टाउन एरियाओं को ज्यादा धन दिलाने की व्यवस्था करायें । साथ ही जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक अरांव के ग्रामीण अंचल में जो भीषण जल संकट गर्मियों में होता है, उसके निराकरण हेतु इंडिया मार्क–2 हैण्ड पम्प ज्यादा से ज्यादा लगाने की व्यवस्था करायें । इस क्षेत्र में नगरपालिका सरसागंज से एन० एच०–2 मार्ग निकलता है, पर नालियां न होने के कारण जल भराव से बरसात में सड़क खराब हो जाती है और टाउन एरिया घिरोर में जो उच्च जलाशय का सर्वे विगत 2-3 वर्ष पहले हुआ है, उसको शीघ्र कार्यान्वित करा कर घिरोर नगर की पेयजल समस्या का समाधान कराने की कृपा करें । टाउन एरिया घिरोर तथा ज्योति नवसृजित निकाय है । इनमें देहाती क्षेत्र सम्मिलित किया गया है और यह दोनों निकाय पूर्व सरकार द्वारा उपेक्षित रहे हैं । अतः आपके माध्यम से इन निकायों के लिये माननीय महोदय से अधिक धन देने की मांग करता हूं जिससे इन निकायों में सड़क खड़ंजों का कार्य हो सके ।

* श्री लाल जी वर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नगर विकास विभाग के बजट पर माननीय नरेश अग्रवाल जी द्वारा रखे हुए कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, आज लोकतांत्रिक परम्पराओं की जब सरकारें रहती हैं जनतंत्र में जनप्रतिनिधियों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है । जब से यह सरकार बनी है, नगरपालिका अध्यक्ष टाउन एरिया के चेयरमैन के अधिकारों में लगातार कटौती की जा रही है । मैं माननीय नरेश अग्रवाल जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि जनप्रतिनिधियों के ऊपर अधिकारी का नियंत्रण हो । राज्य सरकार का जहां तक सवाल आता है, उससे मैं सहमत हूं । मान्यवर, नगरपालिकाओं की जमीन पर अतिक्रमण होता है, टाउन एरिया की जमीन पर अतिक्रमण होता है । वहां के अध्यक्ष प्रशासनिक अधिकारी को कार्यवाही के लिये लिखते हैं, तो कार्यवाही नहीं होती है । टाउन एरिया इल्फातगंज में रास्ते के अतिक्रमण का हटाने के लिये लगातार वहां के चेयरमैन लिखते रहते हैं, लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं होती है । मैं आपके माध्यम से

---

* वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया ।

माननीया मंत्री जी से यह चाहूंगा कि नगरपालिका की भूमि पर या उसकी सम्पत्ति पर अगर इस तरह से कोई अतिक्रमण होता है, तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही होनी चाहिये । टाण्डा जिसकी आबादी 80 हजार है, उसमें केवल पानी का एक ओवर हेड टैंक है, जिसके कारण पानी की गम्भीर समस्या है, कम से कम एक ओवर हेड टैंक टाण्डा में और बनवाया जाय । उसके लिये माननीया मंत्री जी अनुदान दें । इसी तरह टाउन एरिया, इल्फातगंज, जिसकी आबादी 10-12 हजार है, वहां पर भी कोई ओवर हेड टैंक नहीं है, वहां पर एक ओवर हेड टैंक बनवाने का काम करें ।

आज एक लाख सफाई कर्मचारी पूरे प्रदेश में बेरोजगार होने जा रहे हैं, उनक ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें । उन्हें बेरोजगारी से बचाने के लिये विशेष ध्यान दें । टाण्डा नगरपालिका की सारी सड़कें टूटी हुई हैं और सकरी हैं, उन सड़कों की मरम्मत और सौन्दर्यीकरण के लिये धन की व्यवस्था का काम करें । मान्यवर, इसी तरह से टाउन एरिया इल्फातगंज में इन्कम बढ़ाने के लिये टैक्सी स्टैण्ड और बाजार का ठेका होता है, परन्तु अधिकारियों ने मिल-जुल कर उसकी बोली बिना किसी बढ़ोत्तरी के करा दिया, जिसमें चेयरमैन से कोई राय नहीं ली गयी । माननीया मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर विचार करे । इन शब्दों के साथ मैं माननीय नरेश अग्रवाल जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम प्रसाद सिंह–

मान्यवर मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे श्री नरेश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, बांदा जिले की कर्वी तहसील के अन्तर्गत पेयजल की बड़ी भारी समस्या है । उसके निदान के लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । 4 साल पहले अमावश्या के मेले में बहुत से लोगों की जानें पानी न मिलने के कारण चली गयीं । यहां पर 3-3 और 4-4 किलोमीटर की दूरी से औरतें पानी लाती हैं और यहां पर पानी की इतनी समस्या है कि यहां पर आदिवासी लोगों में यह कहावत मशहूर है कि गगरी न फूटे चाहे ख़सम मर जाये । इसका माने आप लगा सकते हैं कि पानी की कितनी दिक्कत वहां पर है ।

मान्यवर, यहां पर एक पाठा पेयजल योजना है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह योजना पूरे गांवों को पानी सप्लाई नहीं कर पाती है । केवल 150 गांवों को ही पानी मिल पाता है । अगर अनुसुइया के पास से पानी उठाकर सप्लाई किया जाता तो निश्चित रूप से पानी मिल जाता । अभी कलेक्टरेट के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया था और उसमें यह शिकायत की गयी कि उनको नाली का पानी पीने के लिये दिया जा रहा है । लोग घड़ों में पानी भी भर कर लाये और दिखाया । मान्यवर, वहां पर कुछ ऐसे गांव हैं, जहां पर खारा पानी है, उनमें से एक तो परसिदपुर है और असोह है, कहां पर पानी खारा है, मेरा अनुरोध है कि यहां पर मीठा पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री किशोरी श्याम––

मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने माननीया मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये अवसर प्रदान किया । मेरा एक निवेदन है और एक सुझाव है और जिसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिलाया । जमीन का जल स्तर घट रहा है । मैं देखता था कि पहले बहुत बड़े-बड़े तालाब होते थे, जिनका पानी कड़ी गरमी में भी नहीं सूखता था और उनमें साल भर पानी बना रहता

था और जब कोई विशेष प्रकार की गरमी पड़ती थी तभी वह सूखते थे, अब उनका नामो निशां मिट गया है । इसलिये पानी का जल स्तर गिर गया है । दूसरी ओर सफेदा के पेड़ लगाये जा रहे हैं, यह पानी बहुत खींचते हैं । पहले छोकरा और पीपल के पेड़ होते थे, वहां पर फसल की पैदावार बहुत अच्छी होती थी, लेकिन वह पेड़ अब बहुत कम रह गये हैं, इसलिये नुकसान हो रहा है । भगवान की लीला है, जो बोरिंग लगायी जा रही है, उनसे भी धरती का पानी खिंचता चला आ रहा है । पहले बोरिंग नहीं होती थीं और जब वह पानी ऊपर आ जाता है तो पानी का बहुत अंश सूरज खींच ले जाता है और इसका दुष्परिणाम होता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर चिन्ता की जानी चाहिये और तालाबों को खुदवाया जाना चाहिये और फरेन्दा के पेड़ों को लगाने पर पाबन्दी लगानी चाहिये । हमारे कुशीनगर में चारो तरफ एक नाला है यह बहुत भयानक है और हमेशा गंदगी से भरा रहता है वहां पर मच्छरों का प्रकोप इतना ज्यादा है कि हिन्दुस्तान का मच्छर एक तरफ और कुशी नगर का मच्छर एक तरफ ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, मेरी इतनी सी बात सुन लीजिये । नन्द गांव में चेयरमैन है, बरसाना में चेयरमैन है, कोशीकला में चेयरमैन है और चोमा में चेयरमैन हैं यंह चारों इतना घपला कर रहे हैं कि सारा पैसा बरबाद किये दे रहें हैं । चारो तरफ टाउन एरिया का जो पैसा जाता है उसको वह बरबाद कर रहे हैं उस पैसे की सुरक्षा की जाय । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

दूसरे माननीय सदस्य ने बोलना प्रारम्भ कर दिया है अब आप समाप्त करे ।

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, इन शब्दों की तरफ ध्यान दिया जाय जो मैंने कहें हैं । इसी के साथ मैं माननीया मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री विक्रमाजीत मौर्य–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये आपको धन्यवाद । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें तमाम बिगड़े हैण्ड पम्पों की मरम्मत की बात कही गयी है । मान्यवर, आपकी सरकार बदल गयी है लेकिन अधिकारी और कर्मचारी वही हैं इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदया जी मेरी बात पर ध्यान दें और जो हैण्ड पम्प मरम्मत कराये जायें उसमें जन प्रतिनिधियों की राय ली जाय । होता यह है कि अधिकारी कर्मचारी बिना हैण्डपम्प की मरम्मत कराये इधर उधर का करके सब फर्जी दिखा देते हैं और उसकी मरम्मत होती नहीं है तो इसकी जानकारी मिलनी चाहिये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं इलाहाबाद जनपद के अपने विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के विकास खण्ड सैदाबाद के ग्राम बरेठी, बसगीर, मुमतजीपुर, टिकरी, भलेथुआ, महुआकोठी, जलालपुर करवा, फतेहुआ, रसूलपुर, पुरुषोत्तमपुर, छेदी का तालाब, आराकला, जलालपुर कस्बा, सिठौली, ज्वालापुर, भवानीपुर, सरायहूस, सराय आलम तराव तथा विकास खण्ड धानुपुर का क्षेत्र ऐसा है जहां पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहां का जल स्तर बिल्कुल नीचे चला गया है। इसी तरह से प्रतापपुर ब्लाक का एक गांव महरक्षा है वहां का जलस्तर बिल्कुल नीचे चला गया है और वहां के 40 पम्पिंग सेट सूख गये हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पानी की व्यवस्था करायें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक टाउन एरिया फूलपुर है वहां के चेयरमैन की कार्य प्रणाली गड़बड़ है। इस बजट की प्रति 90 स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का कार्य दिखाया गया है तो मेरी निश्चित जानकारी है कि वहां पर कोई मरम्मत वगैरा का कार्य नहीं कराया गया है और न ही कोई बल्ब कार्य कर रहा है। पूरे कस्बे में अंधेरा रहता है और सड़क पर नाली बहती है। इसके अलावा जो 40 सार्वजनिक पोस्ट एवं एक नेहरू उद्यान पार्क का निर्माण दर्शाया गया है यह एक सरासर झूठ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, आपने जो बोलने का अवसर दिया उसके लिये आपको धन्यवाद। मान्यवर, पेयजल समस्या की ओर सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि जब जल निगम वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है तो जो हैण्ड पम्प या अन्य पेयजल योजनाओं के लिये पैसा सरकार से जाता है उस धन को वह अपने वेतन के रूप में उपभोग कर लेते हैं तो मेरा सुझाव है कि जल निगम के अधिष्ठान और निर्माण को अलग-अलग करके उसके लिये अलग से बजट में धन की व्यवस्था करायें। मान्यवर, इलाहाबाद जनपद का चायल क्षेत्र जहां से मैं चुनकर आया हूं वहां पानी की भीषण समस्या उत्पन्न हो गयी है वहां पर हैण्डपम्प इतने गलत तरीके से लगा दिये गये हैं और शिकायत दर्ज कराने पर भी उनकी मरम्मत नहीं कराई जाती है, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो हैण्डपम्प लगाये जा रहे हैं उनके स्थान के चयन के बारे में क्षेत्रीय विधायक से संस्तुति लेने के निर्देश वहां के अधिकारियों को दें। मेरे विधान सभा क्षेत्र के मनौरी एवं पुरखास में पानी की टंकियों पाइप लाइन के द्वारा पेयजल की आपूर्ति कराने हेतु बजट में प्राविधान करें। आलमचन्द एवं महगांव में पानी की टंकियों को विद्युत आपूर्ति न होने से पेयजल की आपूर्ति बाधित होती है इसलिये वहां पर जनरेटर को लगाने की व्यवस्था की जाय। मेरे क्षेत्र में चायल, सराय अकिल एवं भरवारी टाउन एरिया आते हैं, वहां की सड़कें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं वहां की सड़कों को बनवाने एवं पेयजल समस्या के निदान हेतु अलग से धन उपलब्ध कराने का कष्ट करे। मैं माननीय नरेश अग्रवाल जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं तथा उसका समर्थन करता हूं।

श्री नीरज चतुर्वेदी–

मान्यवर, आपने नगर विकास विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद देता हूं। जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं। उत्तर प्रदेश में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी सरकार और विशेष रूप से नगर विकास मंत्री ने किया है उसके लिये बधाई देते हुए कहना चाहूंगा कि पर्याप्त मात्रा में हैण्डपम्प जो पिछली सरकार की अवधि में लगाये गये, वें निश्चित अवधि से पहले खराब हो रहे हैं। अगर समय से पहले खराब हों तो ऐसी व्यवस्था की जाय कि दोषी अधिकारी और ठेकेदार दोनों को दण्ड दिया जाय। हमारी सरकार पेयजल की समुचित

व्यवस्था के लिये खराब हैण्ड पम्पों को ठीक करा रही है । कानपुर की गंगा बैराज योजना के लिये धन देकर कार्य शुरू करा दिया है । उससे वहां के निवासियों को पेयजल मिलेगा । इसके अतिरिक्त यमुना बैराज तथा एक अन्य बैराज की भी व्यवस्था की गयी है । पिछली सरकारों में ठेकेदारी व्यवस्था के तहत सड़कों का निर्माण होता था । इस सरकार ने सड़कों के निर्माण कार्य पर विशेष ध्यान दिया है और सुनिश्चित किया है कि जो भी निर्माण कार्य हो वह ठीक तरह से हो । इसी के साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री छत्रपाल वर्मा–

मान्यवर, मेरा जहानाबाद क्षेत्र यमुना नदी और अन्य नदियों का किनारा है । इस समय वहां का जल स्तर नीचे जा रहा है । सारे कुएं सूख चुके हैं, 60 प्रतिशत हैण्डपम्प खराब हैं । माननीय मंत्री जी और जिला प्रशासन को लिखकर देने के बाद भी कुछ कार्य नहीं हुआ और लोग इमों से पानी लाकर नदियों का पानी पी रहे हैं । मेरा सुझाव है कि जल्द से जल्द हैंड पम्प या सरकारी नलकूप की व्यवस्था की जाय । वहां के अधिकारियों से जब कहा जाता है तो वे कहते हैं कि बजट ही नहीं है । अप्रैल में यह हालत है अभी तो मई और जून पड़ा हुआ है । विधान सभा जहानाबाद क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था करे चाहे तो वहां का सर्वे करा लिया जाय । वहां की टंकियां भी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है । तीन चार टंकियों के बारे में मा० मंत्री जी को लिखकर दे चुका हूं । इसके साथ ही मा० नरेश अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री लाल चन्द–

आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद देता हूं । मा० मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र (जौनपुर) की तरफ आकृष्ट कराना चाहूंगा । नगर की आबादी वर्तमान में जितनी है उसके अनुसार पानी की आवश्यकता 30 मिलियन लीटर प्रतिदिन के हिसाब से चाहिये लेकिन इस समय पानी हमारे नगर में जो मिल रहा है वह 13 मिलियन लीटर प्रतिदिन मिल रहा है । मान्यवर, जौनपुर नगर क्षेत्र की कुछ भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जहां पर पानी कहीं खारा है कहीं मीठा है । खारे पानी की वजह से जो इंडिया मार्का–2 हैण्डपम्प लगाये जाते हैं या ट्यूबवेल लगाये जाते हैं वह 4-6 साल के अन्दर खराब हो जाते हैं इसके लिये उसकी परमानेन्ट व्यवस्था के लिये जल निगम द्वारा गोमती नदी पानी पर कार्य की योजना थी जिसके लिये एक योजना बनायी गयी थी जिसमें 5 करोड़ 12 लाख रु० की लागत से वह बननी थी धन के अभाव में वह योजना अधूरी है इसलिये मंत्री जी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा धन देकर उस योजना को पूरा करा दें । वहां बहुत से ट्यूबवेल ऐसे पड़े हैं जो खराब हैं उसको बदला जाय या ठीक कराके चालू कराया जाय तो पानी की व्यवस्था हमारे नगर में ठीक हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री कमलेश कुमार–

मान्यवर, माननीया नगर विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर आपने बोलने का मौका दिया, मान्यवर, माननीया नगर विकास मंत्री के बजट प्रस्तावों में जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिये धन दिया गया है पेयजल के बारे में, मान्यवर, इसके विषय में हमारे गोण्डा जनपद में जो तराई क्षेत्र है जहां 4 विकास खण्ड हैं जिसमें पेयजल की कमी महसूस की जा रही है इन क्षेत्रों में पेयजल का स्तर बिल्कुल सूख गया है 20-25 फीट

पर जो कुयें हैं उसमें पानी नहीं रह गया है इस बीच जो 50-60 इंडिया मार्का-2 हैण्ड पम्प लगे है सिर्फ वे वहां कामयाब हैं इन क्षेत्रों में प्राथमिकता से इंडिया मार्का हैण्ड पम्प लगाये जायं क्योंकि यह जो तराई के 4 विकास खण्ड हरैया विधरवा, तुलसीपुर, गैसड़ी, पचपेड़वा हैं क्षेत्रों में हरैया विधरवा तुलसीपुर जो जंगल के अगल बगल हैं उसमें पेयजल विशेष की आवश्यकता है ।

* श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मिर्जापुर जनपद में चुनार नगरपालिका अहरौरा नगरपालिका में और मिर्जापुर में पानी की काफी किल्लत है गर्मियों में मिर्जापुर जनपद में कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि एक लीटर पानी की कीमत 2 रुपये हो जाती है एक सवाल आया था मानीय मंत्री जी के सामने जिसमें मंत्री जी से सवाल पुछा गया था कि क्यों न वहां टाल बोरिंग करायी जाय । इंडिया मार्का हैण्ड पम्प के लिये 150 फीट तक बोरिंग हो सकती है तो चुनार में टाल बोरिक करके व्यवस्था की जाय तो समस्या हल होगी । मान्यवर, जहां खारा पानी मिल रहा है उसमें जो आपकी है, चुनार में सिरैवा–खरेरी वहां कम से कम पानी की टंकी की व्यवस्था के संबंध में जो प्रस्ताव है मैं कहूंगा कि उसमें धन का अभाव नहीं होना चाहिये वह बहुत वर्षों से योजना पड़ी हुई है उसे वहां होना चाहिये । वहां सोनभद्र है वहां पानी का अभाव हो गया है लोगों को 20-20 कि० मी० दूर जाकर पानी लाना पड़ता है उसमें जल निगम की अभाव शाखा को कम से कम टैंकर की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे वहां पर पानी पहुंचाया जा सके एक तरह से पूरे सोनभद्र में पानी का अभाव हो गया है उसे कैसे दूर किया जाय उसका उपाय करें चुनार नगरपालिका के बारे में कहना है कि यहां गंगा ऐक्शन प्लान में मिर्जापुर को रखा गया वाराणसी को रखा गया तो चुनार को रखने की आवश्यकता है उसको गंगा ऐक्शन प्लान में रखा जाय । एक चीज आपसे पहना चाहता हूं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय समिति इसी जलकर समिति में बरसात में फंस गयी थी । तो अगर इनकी सरकार में दम है तो यह कह दें कि जलकर नाम की कोई चीज नहीं वसूलेंगे इन्हीं शब्दों का साथ मैं माननीय नरेश अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे नगर विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर तथा माननीय नरेश अग्रवाल द्वारा कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, जो कार्य विवरण 91-92 दिया गया है उसके पृष्ठ 125 पर देखें उसमें बहादुर गंज टाउन एरिया में सौ शौचालय बनाने का विवरण दिया गया है जिसमें से एक भी अभी तक नहीं बना हैं । अतः इसकी जांच मुख्यालय से किसी अधिकारी से करवा लें । पिछली बार आपने जांच करवायी थी और ऐक्शन भी लिया था इसके लिये आपको धन्यवाद । मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में पेयजल संकट है । हमारे जनपद में कासिमाबाद विकास खण्ड, बाराचवर मरदह, बिरौनौ विकास खण्ड में 70-80 फुट पानी नीचे चला गया है और इससे बहुत बड़ी समस्या पानी की खड़ी हो गयी है । जब बिजली आती है तभी पम्पिंग सेट चलते हैं या राजकीय नलकूप चलते हैं अगर बिजली नहीं आती है तो वह बेकार पड़े रहते हैं जिससे बहुत बड़ा पानी का संकट हो गया है । मान्यवर, बरेसर सिंगेरा, ताजपुर, गांधी ऐसे स्थानों पर ओवर हैड टैंक बनवा दिये जायें इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय नरेश अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मथुरा प्रसाद–

मान्यवर, हमारे कानपुर देहात के क्षेत्र के जो जिले हैं वह यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। यहां पर बीस प्रतिशत ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी लोग यमुना का पानी पीकर जीवन--यापन कर रहे हैं। मान्यवर, कानपुर देहात में जो भी हैण्ड पाइप लगाये जा रहे हैं उनकी गहराई पचास, साठ फुट की है जिससे वह कुछ दिनों तो चलते हैं मगर फिर सूख जाते हैं। सैमुल नदी के किनारे चार, छः ऐसे गांव हैं जिसमें बीस साल से लोग झरने का पानी पी रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहां पर 100 हैण्ड पाइप नये लगवा दिये जायें। इन्हीं शब्दों के साथ मै कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री दुलारे लाल–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मिर्जापुर छानवे में छलिया विकास खण्ड जिसकी साठ प्रतिशत आबादी पहाड़ी क्षेत्रों में रह रही है वहां पर पेयजल की गम्भीर समस्या हैं। वहां पर पानी की तीन टंकियां गजरिया, परसिया, पहचरा में बनी हैं किन्तु वह पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं। कैमूर, पहाड़ी से लगे गांव में जो पानी है वह पानी पीने योग्य नहीं है लेकिन लोग मजबूर होकर उस पानी को पी रहे हैं। लहुरिया-दह गांव में पानी का विकट संकट है। लोग पहाड़ी झरनों से पानी के लिये इधर उधर दौड़ते हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि वहां पर अविलम्ब पानी की व्यवस्था करायी जाये अन्यथा पानी के अभाव में जानवर और मनुष्य मरने की स्थिति में हो जायेंगे कोठी ग्राम समूह पेयजल योजना (गजरिया) के अन्तर्गत बनी पानी की टंकी चलाने के लिये प्रतिदिन 1000 लीटर डीजल कागज पर दिखाया जाता है लेकिन वास्तविक रूप में वह पानी उपलब्ध नहीं कराते इसकी जांच कर पेयजल की व्यवस्था कराई जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री दुलारे लाल–

मान्यवर, इसी तरह लालगंज ब्लाक तथा लहुरियादह गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री किशन गोपाल–

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मुझे आपने नगर विकास के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आदरणीया मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसे मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और माननीय नरेश अग्रवाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं कटु विरोध करता हूं। विरोध करने का मुख्य कारण यह है कि 40 साल तक यह लोग विकास में बाधक रहे और इन्होंने अपने शासनकाल में कुछ नहीं किया। अब जब एक कल्याणकारी सरकार विकास कार्य में आगे बढ़ रही है, तो यह कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश की 14 करोड़ जनता का दुर्भाग्य है जो यह रोक लगा रहे हैं। मान्यवर, इनको कुछ कहने को नहीं मिला तो कहने लगे कि माननीय मुख्य मंत्री और नगर विकास मंत्री में विरोधाभास है, मतभेद है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि चाहे मुख्य मंत्री हों, चाहे नगर विकास मंत्री हो और चाहे इस सरकार के कोई मंत्री हों।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, मुझे लाल बत्ती से डर लगता है, आप इसे बुझा दें। मान्यवर, जो भी इस सरकार द्वारा विकास कार्य किये जा रहे हैं, उसमें यह लोग अड़ंगा डाल रहे हैं। एक बात और कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, आपने मुझे एक मिनट भी बोलने नहीं दिया । थोड़ा समय और दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

केवल एक मिनट में अपनी बात कहें ।

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने हमारे आगरा बैराज के लिये 10 करोड़ रुपया दिया, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं और पूरे आगरा जनपद की ओर से धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, नगर विकास मंत्री जी प्रेमलता नहीं, प्रेरणा की स्रोत हैं । इन्होंने केवल आगरा को ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की जनता को पानी उपलब्ध कराया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, मैं आपको तो धन्यवाद दे दूं । आपने मुझे एक मिनट और बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

(श्री नरेश अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मेरा निवेदन है कि संक्षेप में ही अपनी बात कहें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय किशन गोपाल जी ने कहा कि लाल बत्ती देखकर वह भड़क जाते हैं । सांड भी लाल कपड़ा देखकर भड़क जाता है ।

मान्यवर, माननीय हां पक्ष और माननीय न पक्ष के सभी सम्मानित सदस्यों ने जो बहुमूल्य विचार मेरे कटौती के प्रस्ताव कर रखे, उसके लिये उनका धन्यवाद । माननीया नगर विकास मंत्री जी आपने इस बात को महसूस कर लिया कि आज कम से कम सारे सदस्य, जो यहां बैठे हुए हैं, उनको पीने के पानी की गम्भीर चिन्ता है और आजादी के 44 वर्ष बाद भी हम पीने के पानी का इन्तजाम ठीक से नहीं कर पाये हैं, इसके लिये हम सबको लज्जा आनी चाहिये । मैं इसके लिये किसी को दोष नहीं दे रहा हूं लेकिन यह परिपाटी भी नहीं पड़नी चाहिये कि हम आप पर आरोप लगायें और आप हम पर । जो सत्यता है और जिस कार्य के लिये हम लोगों को भेजा गया है, यदि वह कार्य पूरा नहीं होता है तो हमारा यहां आना व्यर्थ है । नगरों में जो पुरानी पाइप लाइनें हैं, उन्हें बदलने के लिये आपने कोई व्यवस्था नहीं की है । मैं चाहूंगा कि आप इसमें कुछ धन उपलब्ध करायें । यदि आप नगर पालिकाओं की जो पुरानी पाइप लाइनें हैं, उन्हें अगर आप रिपेयर भी करवा दें तो कुछ हद तक पानी की व्यवस्था ठीक हो सकती है । कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जल निगम, जल संस्थान व नगर पालिकाओं में सामंजस्य न होने के कारण तमाम योजनायें पड़ी हुई हैं । देश के हर प्रदेश में वाटर सप्लाई व सीवरेज बोर्ड अलग से बना हुआ है । उस बोर्ड की यह जिम्मेदारी है कि पानी के लिये जो इकाइयां व्यवस्था कर रही हैं, उन पर वह अंकुश रख सके । परन्तु अपना प्रदेश अकेला एक ऐसा प्रदेश है, जहां पर आज तक

यह बोर्ड नहीं बनाया गया है । आज आपको इसकी यहां पर घोषणा करनी चाहिये । कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि जल निगम जो हैण्ड पम्प लगाता है, उसके चबूतरे नहीं बनाता है । यह बात सही है ।

मेरे क्षेत्र में भी ऐसा हुआ है । दो-तीन वर्ष तक चबूतरा न बनने के कारण पाइप खराब हो जाते हैं । मेरा यह सुझाव है कि एक निश्चित अवधि में चबूतरे को बन जाना चाहिये । कम से कम जल निगम जो हैण्ड पम्प लगता है, उसका चबूतरा दो महीने में बन जाना चाहिये ताकि जल निगम में जो भ्रष्टाचार फैल गया है, वह समाप्त हो सके ।

मान्यवर, सीवरेज की बात कही जाती है । आज प्रदूषण से सारा विश्व चिन्तित है । आज हमारे यहां नगरों में जो सीवरेज है, वह बहुत ही खराब है । जल निगम सीवरेज का भी काम कर रहा है । प्रदेश के कुछ ही नगरों में सीवरेज की व्यवस्था है । पहले यह होता था कि नगर क्षेत्र का जो गंदा पानी होता था, उसके लिये स्लेज फार्म बनाये गये थे । उस गंदे पानी को ख़ाद के रूप में स्तेमाल करके फसल पैदा की जाती थी । परन्तु आज उन स्लेज फार्मों को आवासीय कालेनी को दे दिया गया है । लखनऊ में ही आप गोमती नदी को देख लीजिये । कितना क्विंटल गंदा पानी एक दिन में उसमें फेंका जाता है ? यही स्थिति कानपुर, बनारस व हरिद्वार की है । इन्हीं सब कारणों की वजह से केन्द्र सरकार से गंगा प्रदूषण के निवारण हेतु एक योजना चलानी पड़ी ।

आज लखनऊ में पीने के लिये सबसें ज्यादा पानी गोमती से ही आपूर्ति किया जाता है । प्रदूषण को रोकने के लिये हम कोई इन्तजाम नहीं कर पा रहे हैं । किसी भी जिले में ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम सारे पानी को क्लोराइजेशन कर सकें और जो पानी साफ करने के आधुनिक यंत्र हैं, उनकी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है । मैं यह नहीं कर रहा हूं कि इसी वर्ष आप यह सारा कार्य कर दें । पांच वर्ष के लिये आपकी सरकार आई है । आप इसकी व्यवस्था करायें । जब तक आप अग्रसारित नहीं होंगी और अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श नहीं करेंगी तब तक इस प्रदेश में जो पानी में प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको नहीं रोका जा सकता है और न ही पानी की सफाई हो सकती है । श्रीमन्, मैं चार पंक्ति कहना चाहता हूं–

"सूखे हुए गले हैं, तर न हो जाये नलके,
अब टंकियां सुनाती हैं विकास की कहानी ।
टोंटी की आंख से भी दो बूंद तक न टपकी ,
सरकार की आंख का मर चुका है पानी ।

माननीय मंत्री जी, अगर आपने पेयजल की व्यवस्था कर ली तो मुझे उम्मीद है कि वास्तव में अगले वर्ष प्रगति होगी और हमारे प्रदेश के लोगों को स्वच्छ पानी कैसे मिलेगा, सभी सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की बातें कही मैं हरदोई से चुनकर आता हूं वहां के लोग कहते हैं कि मैं हरदोई की समस्या नहीं उठाता हूं । आज अधिकांश लोगों ने नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार की बात कही और सभी लोग इस बात से चिंतित हैं । मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं पिलखुवा, गाजियाबाद में है वहां के अध्यक्ष को हटाया गया उपाध्यक्ष पदेन होते हैं तो उन्होंने लाखों रुपये की जमीन अपने नाम कर ली जिसकी जांच ए० डी० एम० से कराई और वह रिपोर्ट शासन में आ गयी है लेकिन दबी हुई है । गाजियाबाद में उपाध्यक्ष को हटाया वह हाईकोर्ट से स्टे ले आये और आपका अंकुश समाप्त हो गया अब दुबारा आपकी हिम्मत

नहीं है कि जांच करायें वह अपना कार्य करता जा रहा है उसने भी लाखों रुपये की जमीन दबा ली और आप खड़े देख रहे हैं।

श्रीमन् माननीय हृदय नारायण दीक्षित एक सीनियर मेम्बर हैं, मैं नहीं समझता हूं लेकिन उन्होंने कहा है कि नगर विकास मंत्री बदले की भावना से काम कर रही है। मैं चाहूंगा कि नगर विकास मंत्री माननीय हृदय नारायण जी को आश्वासन दें कि कम से कम उनके क्षेत्र में आप बदले की भावना से कार्म नहीं करेंगी। कारण उन्होंने बताया कि कानपुर में दैनिक जागरण के फोटोग्राफर की पिटाई हुई थी उसमें माननीय मंत्री जी के परिवार से संबंधित व्यक्ति की बात कही थी तो उनको शक है कि इसलिये बदले की भावना से है तो उनके शक को दूर करेंगी। यह भी नहीं होना चाहिये कि जिन नगर पालिकाओं में चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं वहां के लिये आप मानक दूसरा रखें और जिन-जिन नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन नहीं हैं वहां मानक दूसरा रखे। इसको भी आप दूर करेंगी।

उन्नाव जनपद में मौरावां के टाउन एरिया के चेयरमैन श्री के० डी० शुक्ला जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, आपने स्वच्छ समाज की बात कही थी उनको भा० ज० पा० का टिकट दिया लेकिन वह हार गये यह बात अलग है लेकिन उन्होंने टाउन एरिया में टैक्स एसेसमेंट नहीं करवाया। जब एसेसमेंट नहीं कराया तो आप इस साल टैक्स कैसे वसूल करेंगे अगर करेंगे तो हर व्यक्ति स्टे ले आयेगा। उन पर तमाम आरोप हैं बिल्डिंगें गलत बनाने के माननीय हृदय नारायण जी ने टी० ए० सी० से जांच कराने की बात कही आपने उस पर विचार नहीं किया। तो क्यों नहीं किया भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच होनी चाहिये भ्रष्टाचारी किसी पार्टी का सदस्य नहीं होता चाहे वह मेरी पार्टी का हो या आपकी पार्टी का उस पर कार्यवाही होनी चाहिये। हमें यह मान कर चलना चाहिये कि भ्रष्टाचारी किसी दल का सदस्य नहीं होता है।

अब मैं हरदोई की ओर जाता हूं अगर मैं वहां की बात नहीं कहूंगा तो अपना कर्तव्य पूरा नहीं करूंगा क्योंकि मैं वहां से चुनकर आता हूं। दो वर्ष पहले मैंने वहां के नगर पालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे श्री प्रसाद से जांच कराने की बात कही थी दो वर्ष हो गये न जाने कौन सी स्थिति पैदा हो गयी यहां निदेशक और सचिव बैठे हुए हैं वह आज तक जांच पूरी नहीं कर पाये, उनको सारे कागज दे दिये गये दो वर्ष हो गये रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई उसका क्या कारण है, आपने कौन सा एक्शन लिया ? जिलाधिकारी हरदोई ने भ्रष्टाचार की बात में सत्यता पाई और धारा 48 में बरखास्त करने की बात कही तो धारा 30 पर बोर्ड ही बरखास्त कर दिया। आपका उस निरंकुश व्यक्ति पर कोई अंकुश नहीं रह गया है। आपको मालूम होगा अध्यक्ष की ज्यादतियों के विरोध में दो महीने तक वहां के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की आपने बीच बचाव किया, निदेशक लोकल बाडीज भी मये। उन्होंने सारी अनियमिततायें की हैं जमीन और प्लाट अपनी बहुओं के नाम एलाट कर दिये हैं। एक नाम है श्रीमती शशि त्रिपाठी पत्नी हरनारायण त्रिपाठी उनकी दूसरी बहू हैं श्रीमती सुषमा। इन दोनों के नाम से दो प्लाट आवंटित हुए हैं। क्या इनको यह अधिकार है ? साथ ही नगर पालिका की जमीन पर इन्होंने बस अड्डा खुलवा दिया और दो साल से बराबर उसका पैसा निजी रूप से ले रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं। इन उन्नीस आरोपों को मैं आपके सचिव को दे चुका हूं, आपमें हिम्मत हो तो आप कम से कम उन आरोपों की जांच पन्द्रह दिन में या एक माह में करायें और यदि जांच में आरोपों को सही पाया जाये तो दुबारा आप उनको क्यों नहीं नगरपालिका नियम के 48 में बर्खास्त करते हैं। अगर जनता का हित हम और आप नहीं देख सकेंगे तो धिक्कार हैं हमें रहने का।

यदि यह आरोप पत्र आपके पास न हो तो कह दें हम जरूर दे देंगे आप इतने स्पष्ट आरोपों की जांच करा लें और दो वर्ष पहले आपके ज्वाइंट डाइरेक्टर श्री प्रसाद जी ने जो उस पर कार्यवाही नहीं की है उसको भी आप देख लें कि इसमें उनका या आपका क्या स्वार्थ छुपा हुआ है ताकि कम से कम भविष्य में जब आप बजट प्रस्तुत करें तो जल संस्थान और नगरपालिकाओं को सुधार सकें। आप जल निगम, जल संस्थान और नगरपालिकाओं तथा अपने प्रदेशीय स्तर के 2-3 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे तभी आप स्वच्छ समाज और स्वच्छ शासन अपने वायदे को पूरा कर पायेंगे।

हमारे यहां हरदोई जनपद में पीने के पानी की बहुत समस्या है। वहां एक हरदोई का हिस्सा है और दूसरा रेलवे गंज का हिस्सा है। रेलवेगंज में पानी की टंकी हेतु एक योजना बनी थी और हरदोई की पानी की टंकी में दो ट्यूबवेल बनाने की योजना थी लेकिन उसके लिये धनराशि नहीं है यदि आप इसके लिये धन जुटायें तो वहां के लोग भी यह समझ सकेंगे कि वास्तव में सरकार ने उनके लिये कुछ किया है। एक बात और हरदोई के बारे में, वहां पर आर० डी० एस० एम० की योजना लागू थी उसमें 75% केन्द्र सरकार ऋण देती थी और अब उसमें आपकी कारगुजारियों को देखते हुए 50 प्रतिशत कर दिया है। वहां पर आई० डी० एस० एम० टी० योजना का जो 10 लाख रुपया था, उसे उस मद से हटाकर दूसरी मद में कर दिया गया है और उसका यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट न देने के कारण हरदोई में उस योजना को समाप्त कर दिया गया है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री समय-समय पर केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं लेकिन आपको कोई योजना दी है तो उसको सही रूप में आप लागू करें लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। अंत में जो मंत्री जी ने बात कही है उसमें कुछ बाते मैं कहना चाहता हूं आज जो परोक्ष रूप से दलगत भावना से कार्यवाही की गयी है उसको आप न करें। फतेहगढ़ नगरपालिका के चुनाव होने की सारी तैयारी हो गयी थी, किन्तु 10 तारीख को सरकार ने एक रेडियोग्राम भेज दिया और कह दिया कि यह चुनाव पोस्टफोन कर दिये जाते हैं। क्योंकि नगरपालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती थी। यह उचित नहीं है। मैं और भी कुछ कहना चाहता था। इसी तरीके से मुरादाबाद की बात है, वहां दो जगह चुनाव होने हैं, मैं चाहूंगा कि वहां यह प्रक्रिया अपनायें और चुनाव होने दें।

मान्यवर, 1992-93 का बजट भाषण मुझे नहीं मिला है, इसलिये पता नहीं कि क्या योजनायें हैं ? मान्यवर, 74 करोड़ रुपये नगरपालिका कर्मचारियों का वेतन एरियर बाकी है जिसे आप देने जा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि यह कहां-कहां और किस-किस साल का बकाया रुपया कब तक भुगतान करवा दिया जायेगा ? वेतन एरियर के संबंध में सरकार ने आदेश दिया था कि प्रदेश की नगरपालिका, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया के कर्मचारियों को वेतन के लिये एक अलग से ट्रेजरी में एकाउन्ट खुलवाया जायेगा जिसमें तीन अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अध्यक्ष जिला अधिकारी होगा, उसके बाद इक्ज्यूटिव आफिसर होगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आप चुंगी क्षतिपूर्ति देते हैं, टोल टैक्स क्षतिपूर्ति करते हैं और वेतन में 25 प्रतिशत सब्सिडी देते हैं और कुछ अंशदान देते हैं। आप देखें कि अधिकांश क्षतिपूर्ति समय से नहीं आप पहुंचा पाते हैं चूंकि चुंगी समाप्त कर दिया है और बिक्रीकर से वसूल करते हैं। इसीलिये समय से पैसा न पहुंचने के कारण सभी नगर पालिका और नगर महापालिकायें 3-4 महीनों से अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पायी हैं और कर्मचारियों का वेतन बाकी है। लेकिन क्षतिपूर्ति का 20 प्रतिशत रुपया जो बचा है वह अंशदान कहां से आयेगा ? इसलिये आप स्पष्ट कर दें कि यह 20 प्रतिशत कहां से आप पूरा करेंगी ? मैं निवेदन करूंगा कि या तो आप प्रान्तीयकरण कर लें या कम से कम 100 प्रतेशत वेतन देने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार ले और इससे कर्मचारी आश्वस्त होगा कि समय से वेतन मिल जायेगा और तब वह सही काम करेगा।

मान्यवर, 31 दिसम्बर, 1991 के बाद निश्चित कर दिया गया है कि जो भी नगरपालिका अध्यक्ष किसी कर्मचारी की नियुक्ति करेगा तो उसको दंडित किया जायेगा लेकिन दंड का आपने कोई प्राविधान नहीं किया है कि क्या दंड देंगे, इसलिये इसें स्पष्ट कर दें।

मान्यवर, सफाई को निजी क्षेत्र में आपने देने की बात कही है। लेकिन एक प्रश्न पैदा हो गया कि निजी क्षेत्र की सफाई की जिम्मेदारी आप किसको देंगे ? सफाई कर्मचारी को नौकरी के अलावा और कोई जरिया नहीं है सिवाय नगरपालिका में काम करने के प्रदेश में जो सफाई कर्मचारी हैं, बाल्मीकि समाज में पैदा होते हैं। उनका रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है नग़र पालिका में सफाई का काम करना। आपने जो नये प्राविधान किये हैं उसमें यह सुनिश्चित करेंगी कि जितने भी कर्मचारी सफाई के लिये लगाये जायेंगे वह बाल्मीकि समुदाय के लोग होंगे।

सिर पर मैला ढोने की व्यवस्था समाप्त करने की कोई बात कही नहीं गयी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा अभी परसों केन्द्र सरकार ने मैला सिर पर ढोने की व्यवस्था समाप्त करने की घोषणा की है उसके लिये 50 करोड़ रुपये का प्राविधान इन लोगों के लिये किया गया है। क्या केन्द्र सरकार की तरह से राज्य सरकार भी सिर पर मैला ढोने की व्यवस्था समाप्त करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है। डेलीवेजेज वालों के लिये आपने कहा कि मैंने तय किया है कि जो कर्मचारी नगर पालिका में 240 दिन कार्य कर चुके हैं और तीन वर्ष तक कार्य कर चुके हैं, ऐसे सभी कर्मचारियों को नियमित कर रही हूं। इसके बाद आपने कहा कि समायोजन करने जा रही हूं। हरदोई में 57 कर्मचारी हैं जो पिछले आठ सालों से नियर्मित रूप से कार्य कर रहे हैं एक-एक साल का एक्सटेंशन आप की तरफ से उन्हें दिया जाता रहा है।

(इस समय 7 बजकर 38 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती उर्मिला राजपूत पीठासीन हुईं)

लेकिन इस साल उन्हें अभी तक एक्सटेंशन नहीं भेजा गया। मैं कैसे विश्वास कर लूं। आपने स्वयं विरोधाभास पैदा कर दिया है। एक तरफ अपने नियमित करने की बात कही है। और दूसरी तरफ आपने कहा है कि समायोजन करने के लिए, जितनी जगह रिक्त होगी उन्हीं में समायोजित किया जायेगा। इसलिये यह भी स्पष्ट कर दें कि हरदोई की जो मिसाल मेंने दी है कि आठ-साल से सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उन्हें एक-एक साल का ऐक्सटेंशन दिया जाता रहा है, उनको नियमित करने की घोषणा करेंगी। अभी मंत्री जी ने कहा कि शहरों का शेप खराब हो रहा है। इक्रोचमेन्ट बढ़ता जा रहा है। आबादी बढ़ने के कारण इक्रोचमेंट बढ़ रहा है। सड़कों के किनारे आवागमन समाप्त हो गया है, गन्दगी फैल गई है। आपके पास नजूल की जमीन है। 99 साल के पट्टे के बाद 30 हजार व्यक्ति ऐसे हैं। जिनके पट्टे खत्म हो गये हैं। क्या ऐसी योजना बनायेंगी कि जो इक्रोचमेंट करें उनको हटाने के लिए नजूल लैंड, जो खाली पड़ी है, उसको दे दें नहीं तो इक्रोचमेंट की स्थिति ऐसी हो जायेगी कि हमको कहना पड़ेगा कि–

"जहां पर मेरा घर था, वहां पर अब रास्ता है
जहां पर रास्ता था, वहां पर अब मेरा घर है
और इसीलिये हमने घर को रास्ते से हटा लिया
और रास्ते पर अपना घर बना लिया।"

मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप को माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, आपने गम्भीरता पूर्वक उन्हें सुना होगा और नगर पालिका की और पेयजल की जो समस्यायें है, उनको दूर करने के लिए अवश्य कार्यवाही करेंगी। एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसी व्यवस्था चली आ रही है कि बजट पेश होने के बाद मंत्री सुझावों को नहीं पढ़ते हैं। अगर आप सुझाव पढ़ेंगी तो मुझे उम्मीद है कि आप कुछ न कुछ प्रगति करेंगी नगरपालिका क्षेत्र में प्रगति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगी।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

सबसे पहले मैं सदन के अपने सभी माननीय सदस्यों को, जिनके बहुमूल्य सुझावों से अवगत हुई,उनका धन्यवाद करना चाहती हूं। जैसा कि चर्चा में बात आई, जल निगम की पत्रावली के माध्यम से एक माननीय सदस्य ने अंकित किया था कि पेयजल की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में जल निगम को 800 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और उसके देखते हुए हमारा जो बजट है उसमें हमने किस आधार पर यह बात कह दी कि हम समस्याग्रस्त गांवों को जिनकी संख्या 395 है उसे मार्च 1993 तक समस्याग्रस्त नहीं रहने देंगे। इसके पीछे तथ्य की बात यह है जैसा मैंने अपने पूर्व के वक्तव्य में कहा था कि इन समस्याग्रस्त गांवों का चिन्हीकरण 1 लाख 12 हजार 566 गांव में से हुआ था और यह समस्याग्रस्त गांव उसी श्रेणी में आते हैं जिनमें अब तक शासन की ओर से पीने के पानी की किसी तरह की व्यवस्था नहीं है और इस व्यवस्था को पूरा करके हम मार्च, 93 तक प्रत्येक राजस्व गांव में शासन की ओर से कुछ न कुछ व्यवस्था हो, यह संकल्प ले रहे थे। 800 करोड़ रुपये का जहां तक प्रश्न था यह प्रश्न हमारे हैंण्डपम्प के माध्यम से पाइप लाइन की व्यवस्था के माध्यम से हमने जो एक मानक तय किया है 250 की आबादी पर एक हैण्डपम्प, इस आधार पर 800 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी।

दूसरी ओर पेयजल की कठिनाई की बात सदन में उभरकर आई है मैंने अपने प्रथम वक्तव्य में ही स्पष्ट किया है यह हमारी प्राथमिकता है यह हमारी चिन्ता का विषय है और हमने इसे इस नाते भी चिन्हित करने का प्रयास किया है यूं तो पेयजल की समस्या सबको पीड़ित करती है। विद्यालयों के बारे में स्वास्थ्य केन्द्रों के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई। माननीय सदस्य ने 36 हजार की संख्या बताकर हमारे रखे हुए निमित्त पर जो आशंका व्यक्त की है मैं स्पष्ट करना चाहती हूं यह हमारा प्राथमिक चरण है यह हमारा प्रयास है यह हमारा संकल्प है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक-एक हैण्ड पम्प होना चाहिए। उसमें 600 का लक्ष्य है। यह स्थिति और भी पीड़ाजनक हो जाती है जब अनुसूचित वर्ग की बस्तियों में जिनका अपना कोई स्रोत साधन नहीं होता है तो उनको और पीड़ित करता है इस नाते इस 1992-93 के बजट में इस वर्ग के लिए भी चिन्ता हमने की है और 24 करोड़ रुपये का प्राविधान 65 सौ बस्तियों में जो पिछले वर्ष किया गया था इस वर्ष 24 करोड़ का प्राविधान 85 सौ बस्तियों में करेंगे। 12 हजार हैण्डपम्प अनुसूचित वर्ग की बस्तियों में लगाने जा रहे हैं यह किन क्षेत्रों में आवश्यक है यह भी हमने चिन्ता की है उसी के आगे मैं संकेत करना चाहूंगी माननीय अग्रवाल जी को, उन्होंने जल निगम पर चर्चा करते समय एक बिन्दु लिया था लखनऊ के सेकेन्ड वाटर वर्क्स का....और यह कहा था कि हमारी अव्यवस्था के कारण विश्व बैंक ने हमें ऋण की अगली किस्त देने से मना कर दिया है और हमारा यह कार्य बन्द हो गया है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि बीच में इस कार्य में रुकावट आयी जरूर थी लेकिन हमारी अव्यवस्था के कारण ऐसा नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण था कि वाटर वर्क्स के निर्माण की जो सामग्री है उसकी कीमत बढ़ जाने के कारण ठेकेदार अतिरिक्त धन की मांग कर रहा था जिसकी पूर्ति करने में हमारी ओर से कठिनाई का अनुभव हुआ। चूंकि यह योजना विश्व बैंक से मिलने वाले ऋण के आधार पर है और हम अपने आपमें घटाने बढ़ाने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन मैं हर्ष के साथ सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि 1 करोड़ 7 लाख रुपया 31-3-92 को प्राप्त हुआ है और यह कार्य प्रारम्भ होने को है। एक बिन्दु जल निगम की फिजूलखर्ची के बारे में, वहां अव्यवस्था को लेकर उठाया गया, हो सकता है कि पूर्व के संदर्भ

में यह बातें सही उतरें लेकिन इधर के 6 महीनों में जल निगम इकाई ने मितव्ययिता बरतकर 7 करोड़ रुपये की बचत की है । यह एक उल्लेखनीय कीर्तिमान है ।

माननीय अग्रवाल जी ने एक संकेत और किया था मैं उसका ध्यान रखूंगी और उनकी बात के संदर्भ में भविष्य में आवश्यकतानुसार उसका चिंतन करुंगी । लेकिन उन्हें अवगत कराते हुये प्रसन्नता है कि जलनिगम की इकाई में इसका शुभारम्भ कर दिया है । जल निगम चूंकि एक निगम है और उसका कार्य डिफरेंट-डिफरेंट है और तरह-तरह के स्थानों पर होता है और वहां वर्कचार्ज कर्मचारियों को रखा जाता है । वर्कचार्ज का अर्थ वर्क के साथ-साथ चार्ज भी समाप्त हो जाता है । पूर्व की अव्यवस्था के नाते कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो गयी होगी । हमने 1432 कर्मचारियों को निगम की सेवा से हटा दिया है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मैंने वर्कचार्ज कर्मचारियों की बात नहीं कही थी । मैंने जलनिगम के ऐक्स कैडर के दो पदों के बारे में कहा था । वर्कचार्ज के कर्मचारियों को निकालने से कोई फायदा नहीं है ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

आपने शायद ध्यान से नहीं सुना । मैंने पहले ही बताया है कि जिस ओर आपने संकेत किया था उस पर मेरा चिंतन होगा, यह मैंने कहा था । जल निगम जो एक कुख्यात संस्था बन कर रह गयी थी उसमें सुधार किया गया है । पेयजल, जैसे आवश्यक कार्यों के लिये यह संस्था बनी है उसकी अच्छी तस्वीर प्रस्तुत हो सके, उसमें क्या-क्या सुधार हो सकते हैं उस ओर हम प्रारम्भ कर चुके हैं । एक माननीय सदस्य ने यह संकेत किया था कि बिगड़े हुये हैण्डपम्पों को रिपेयर करने के लिये 400 रुपये की व्यवस्था शासन की ओर से की जाती है । ...

(इस समय 7 बजकर 50 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि यह 400 के स्थान पर केवल औसत 200 रुपये ही है, जिसे हम देते हैं । यह भी चिंता सदन ने जताई है कि नयी योजनाएं तो हम लेते ही हैं, लेकिन उसके साथ-साथ चाहे अधूरी योजनाएं हों या खराब पड़े हैण्डपम्प हों, इनकी मरम्मत की उचित व्यवस्था होनी चाहिये । जहां तक मैं समझ रही थी, इसका प्रश्न नहीं खड़ा होना चाहिये था, मैंने विस्तृत रूप से इस पर चर्चा की थी और सदन को यह अवगत कराया था कि 9 हजार की संख्या में उत्तर प्रदेश में ऐसे आंकड़े शासन को प्राप्त हुए हैं कि ये 9 हजार हैण्डपम्प रिबोर की स्थिति में हैं । खराब नहीं हैं । खड़े हैं । यह शासन के लिये चिन्ता का विषय है । पहली बार प्राथमिकता के तौर पर शासन ने निर्णय किया है इधर से बाल फेंकी उधर और उधर से फेंकी इधर, इसको ठीक करने का काम न्याय पंचायत स्तर पर किया जायगा, यह व्यवस्था हो गयी है । किसी को भी कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है । शासन ने संसाधन का प्राविधान करके इन खराब हैण्ड पम्पों पर सवा नौ करोड़ रुपये जिससे पांच हजार हैण्डपम्प ठीक होंगे, जो रिबोर होंगे, यह व्यवस्था जल निगम को दे दी है ।

जल निगम ने अपना सर्वेक्षण कराकर स्थान चिन्हित कर लिये हैं । इसको अतिशीघ्र ठीक करने वाले हैं । इस भीषण गर्मी में जो चर्चा सदन में आयी, जल स्तर नीचे जाने की बात ।

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय मैं जानना चाहता हूं कि जल निगम ने इस वर्ष भी पाइप लगाए हैं, तो जो 400 रुपया बताया और 200 रुपया एक्सेप्ट किया, क्या यह उचित है कि इस वर्ष जो हैण्ड पम्प लगें उन पर 200 रुपया इस वर्ष लो ? क्या यह उचित है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार--

इस वर्ष लगे, यह बात नहीं कही । खराब हैण्ड पम्प की बात कही । मैंने औसत बताया । एक बात और स्पष्ट कर दूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीया मंत्री जी कृपा करके संक्षिप्त कर दें क्योंकि दूसरा बजट भी लेना है ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार--

मान्यवर, जो बातें आयीं, संक्षेप में बता रही हूं । जहां तक कर्मचारियों की बात आयी है, हमारे माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है, मैं पुनः स्पष्ट कर दे रही हूं कि 11 अक्टूबर, 1989 में जिनके 3 वर्ष हो गये हैं और उन्होंने प्रत्येक वर्ष 240 दिन काम किया है, उन्हें हमने नियमित किया है । ऐसी संख्या 10 हजार है और 11 अक्टूबर, 1989 में जिनके तीन वर्ष पूरे हुए या 3 वर्ष में जो बीच का गैप है, उनको आगे रिक्त होने वाले स्थानों में समायोजित करने की बात कही है । दण्डित करने की बात भी स्पष्ट कर दूं । वैसे तो प्रथम वक्तव्य में ही स्पष्ट हो गया था , यह केवल प्रतीकात्मक दण्ड नहीं होगा । इसमें सरचार्ज की व्यवस्था है । इसके बारे में उल्लेख किया जायगा । दूसरी जो हमारी दण्डित करने की व्यवस्था है, 5 दिसम्बर, 1991 के बाद लगाएंगे तो उनको वेतन देने की जिम्मेदारी लेनी होगी । ये दोनों बातें स्पष्ट की थीं । जहां तक एक बिन्दु माननीय अग्रवाल जी ने और उठाया है, वह जुलाई अगस्त का अखबार का बयान लेकर उठायी है, यह सही है कि मैंने उसमें घोषणा की थी कि 50 हजार रिक्शा चालकों को मालिक बनाने का संकल्प सरकार का है । अब उस संकल्प में 3 हजार 1990-91 में और 12 हजार रिक्शा चालकों को मालिक 1991-92 में हमने बनाया, शेष 35 हजार को हम 1992-93 में लक्ष्य रखे हुए हैं । यह कष्टकारक बिन्दु प्रदेश की आवश्यकता के नाते मानव को मानव ढोते हैं और उस खून-पसीने की कमाई का पैसा मालिक लेता है, यह सत्य है । इसके निवारण के लिए यह योजना चलानी आवश्यक है । लेकिन अगर मानवता की दृष्टि से इसको सोचा जाय, तो इस योजना में दो कठिनाई है, एक भावनात्मक कटिनाई समाज और मानव को क्या दृश्य उपस्थित करना चाहिए, दूसरी और प्रैक्टिकल कठिनाई है, रिक्शा चालकों को सुदूर गांव से शहरों में आने की होती है । कुछ हमारी टेक्निकल कठिनाई है, जैसे दो साल से शहर में रहने की, राशन कार्ड के लिए हमारी यह बाध्यता है । रिक्शा चलाने वाले, सीजनल रिक्शा चलाने आते हैं, लेकिन हमारे उस 50 हजार के लक्ष्य में से शेष 35 हजार बचे हैं, हमारा लक्ष्य आज भी है, यह 92-93 में हमारा लक्ष्य है, प्रयास है कि पूरा हो जायगा ।

वैसे तो कई बिन्दु उठे हैं, कुछ सामान्य जांच संबंधी भी प्रश्न आये हैं, मैंने इतने कागज में नोट किया है, सारी चीजें बतलाने में समय लगेगा । इन जांच बिन्दुओं पर कोई लापरवाही नहीं होगी । निश्चित रूप से जांचें होगी । फर्रुखाबाद नगरपालिका के चुनाव के संदर्भ में जो बिन्दु आया है, मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि केवल शासन की ओर से कोई चुनाव स्थगित करने का आदेश चला गया हो, सत्यता से परे है । जिस आधार पर ये चुनाव स्थगित हुए हैं, यह शासन से स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक प्रणाली में शासन को न सिर्फ विश्वास है, बल्कि वही उसकी दिशा है । मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि बिना किसी भेदभाव के नियमानुसार कार्य सम्पादित होंगे । मैं एक अंतिम बात माननीय नरेश अग्रवाल जी से और कहना चाहती हूं कि इन्होंने कटौती का प्रस्ताव करके एक रुपया रख दिया जाय, यह तो कहा लेकिन आप सबने जो सदन में उपस्थित हैं स्पष्ट समझा होगा इनकी भावना को कि इन्होंने जितनी बार एक

रुपया नहीं कहा होगा, उससे ज्यादा बारे कहा होगा कि यह बजट आवश्यकता के अनुसार कम है, पेयजल की व्यवस्था पर कम पैसा है, कल्याणकारी योजनाओं पर पैसा कम है । इसलिए इस भावना का आदर करते हुए, मेरा उनसे निवेदन है कि परम्पराओं को तोड़ कर उस जन सामान्य से जुड़े इस बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसे वापस ले लें, मैं इसका स्वागत करुंगी । इसे सर्वसम्मति से पारित करें ।

श्री उपाध्यक्ष

नरेश अग्रवाल जी क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

अगर मेरे द्वारा दिये गये सभी सुझावों को मान लिया जाये, तो मैं वापस ले सकता हूं अन्यथा वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है ।

श्री उपाध्यक्ष

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37– नगर विकास विभाग के अन्तर्गत आने वाले सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,33,93,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगो पर मतदान अनुदान सं० 22 खेल विभाग अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या, 92 सांस्कृतिक कार्य विभाग ।

पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य, युवा कल्याण एवं खेल कूद मंत्री(श्री केदार सिंह फोनिया)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22–खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,88,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,41,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 92–सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,79,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, 3 विभाग हैं और तीनों विभागों के लिए थोड़ा-थोड़ा समय मांगूंगा । पर्यटन विभाग से शुरू करना उचित समझ रहा हूं । मान्यवर, पर्यटन व्यवसाय विश्व का इस समय सबसे बड़ा व्यवसाय बनकर रह गया है लेकिन भारतवर्ष में स्पष्ट कारणों से इस व्यवसाय को केवल 0.2 प्रतिशत ही व्यवसाय इस देश में आ पा रहा है और जो कुछ हिस्सा भारत देश का है उस हिस्से में से बहुत ही छोटा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश के हिस्से में आ रहा है । मान्यवर, यह सब पर्यटन व्यवसाय के लिए जो दिशा आज तक मिली है पिछले 40 वर्षों से पर्यटन व्यवसाय को जिस ढंग से लिया गया है और पर्यटन की सूची में इसको कहां रखा गया है क्या प्रायरिटी दी गयी है उसी का यह फल है कि आज पर्यटन व्यवसाय जबकि विश्व में अन्य स्थानों पर एक बहुत बड़ा व्यवसाय बनकर रह गया है तो हमारे देश में और खासकर हमारे प्रदेश में यह बहुत ही शैशवावस्था में हैं ?

मान्यवर, व्यवसाय में दो चीजे चाहिए एक तो प्रकृति है और दूसरा है इतिहास । प्रकृति जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है तो एक ही लिब्रल रहा । मान्यवर, जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो रचयिता ने शायद यह सोचा होगा कि विश्व का बहुत ही सुन्दर टुकड़ा उठाकर उत्तर प्रदेश में रख दिया जाय वह सुन्दर वाला क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र । दूसरा मान्यवर, है इतिहास । इतना गौरवशाली इतिहास इस देश का, प्रदेश का इतिहास में एक सांस्कृतिक धरोहर दी है, इतिहास ने एक ऐतिहासिक धरोहर दी है । मान्यवर, यह दोने चीजों को मिलाकर उत्तर प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं थी दोनों चीजें इस व्यवसाय को आसमान की बुलन्दियों तक पहुंचा सकती थीं लेकिन इतिहास और नेचर ने जो काम किया उसके समतुल्य कांग्रेस ने पिछले 40 वर्षों में कुछ नहीं किया । मान्यवर, यहां हिमालय की कन्दराओं की ऊंची-ऊंची चोटियां हैं, ग्लैशियर है, सुन्दर पर्वत हैं, फूलों की घाटियां हैं, गंगा और यमुना हैं यह सब इसी धरती पर है । मान्यवर, जब विदेशी आते हैं, बनारस में देखते हैं कि हजारों हजारों लोग प्रातः काल निकलकर गंगा की ओर जा रहे हैं, क्या चीज है इस गंगा में यह जानने की क्यूरेसिटी विदेशियों में हैं ? मान्यवर, कहानियां जाती हैं यूरोप में, कहानियां जाती हैं जापान में, आस्ट्रेलिया में, अमेरिका में कि गंगा इनकी माता है, गंगा इनका दिल है, गंगा इनका धर्म है, उमड़ पड़े लोग गांवों और शहरों से । मान्यवर, सैकड़ों विदेशी लोग देखना चाहते हैं, लेकिन हमने जो पोटेन्शियल है, जो ताकत है, शक्ति है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उसका कोई उपयोग नहीं किया । मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि हरियाणा बहुत छोटा सा स्टेट है जब हम यू० पी० से तुलना करते हैं तो पाते हैं कि हरियाणा बहुत ही छोटा है न वहां ताजमहल है, न वाराणसी के घाट हैं और न वहां हरिद्वार है, न अयोध्या है, न कार्बट नेशनल पार्क है, न हिमालय है, न गंगा और यमुना है लेकिन फिर भी भारतवर्ष के नक्शें में हरियाणा इस कदर उठ गया है कि देश और विदेशों में हरियाणा का नाम पर्यटन की दृष्टि में आता है लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बात होती है तो विदेशों में कोई नहीं जानता हैं कि उत्तर प्रदेश भी कोई प्रदेश है जहां ताजमहल है, वाराणसी है, जिम कार्बेट पार्क है इसका कारण है कि इस ओर गम्भीरता से नहीं देखा गया, यह प्रयास नहीं किया गया कि पर्यटन व्यवसाय को किस तरह से बढ़ावा दिया जाय ?

मान्यवर, यह जो प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है हमें चाहिए कि हम इसका ठीक तरह से उपयोग करें तो साल भर तक पर्यटकों का ताता आने जाने का लग जाय लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हमारी मानसिकता में खोट था क्योंकि गुणात्मक रूप से हमने इस व्यवसाय को नहीं देखा, इसको सही दृष्टिकोण से नहीं देखा, सही मूल्यांकन नहीं किया । हमने यह सोचा कि पर्यटक वह हैं जो यूरोप से आयेंगे, अमेरिका से आयेंगे या सफेद चमड़ी के होंगे.....

यह हमारी गुलामी की मानसिकता थी । पिछले 40 सालों तक और इस मानसिकता के अन्दर जब उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बात होती थी तो सोचते थे अमेरिकन आयेगा, विलायती आयेगा या जापानी आयेगा, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि हमारे मुल्क में पर्यटन की इतनी सम्भावना है कि एक-दो करोड़ हिन्दुस्तानी वाराणसी, हरिद्वार, बद्रीनाथ और केदारनाथ आ सकते हैं । इसी का कारण है कि घरेलू पर्यटक को प्रोत्साहन नहीं मिला । अगर एक करोड़ हिन्दुस्तानी मद्रास, महाराष्ट्र, बंगाल से आये तो सैकड़ों लाख रुपये का आदान-प्रदान हो सकता है, लेकिन इसको कभी सोचा नहीं गया । कभी नहीं सोचा कि बड़े-बड़े तीर्थ स्थान हैं जोकि पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं ।

श्री हरेन्द्र सिंह –

माननीय, 8.15 बजने जा रहे हैं । इन्होंने एक शब्द भी बजट के बारे में नहीं कहा । यह हमको इतिहास पढ़ा रहे हैं ।

(हंसी)

जो आपने व्यवस्थाएं की हैं उनके विषय में बताएं ।

श्री केदार सिंह फोनिया–

व्यवसाय में जो महत्वपूर्ण बात है वह है व्यवसाय को समझने की बात । बजट बना दें और व्यवसाय को न समझें तो कोई फायदा नहीं होगा । आजतक जो व्यवसाय नहीं बढ़ा उसके मूल कारण मैंने बताये । इसके लिए कुछ कदम उठायें हैं । हमने अपने बजट में जो पर्यटन की नई दिशा है उसमें यह सोचा कि आमूल-चूल परिवर्तन लाना आवश्यक है । पहली बात यह है कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि प्रदेश के 5 तीर्थस्थानों-वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार और बद्रीनाथ-केदारनाथ को विकसित किया जाएगा । प्रत्येक पर तीन करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा । सड़के अच्छी हों, पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था ठीक हो, यदि यह तीन चीजें ठीक हैं तो होटल बनाने वाले आ ही जाएंगे टूरिस्ट बंगले बन जाएंगे । पानी-बिजली और सड़क की व्यवस्था के लिए पांचों तीर्थ स्थानों को विकसित करने की योजना है ।

पंडित नेहरू ने कहा था कि "टूरिस्ट्स आर अवर आनर्ड गेस्ट्स लेकिन उन्होंने विदेशी पर्यटकों के संदर्भ मे कहा था । हम विदेशियों का भी स्वागत करेंगे लेकिन उससे भी अधिक आय-व्यय के जो साधन विदेशी पर्यटक से मिलते हैं उससे ज्यादा भारतीय पर्यटक से मिलते हैं । वह हमें भारतीय पर्यटन से ज्यादा मिलता है तो हमें अपनी मानसिकता से विदेशी पर्यटक के साथ भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये हर काम करना पड़ेगा 5 सितारा होटल के साथ-साथ हम छोटे-छोटे होटलों की आवश्यकता समझते हैं हम यह समझते हैं कि आगरा वाराणसी में 5 सितारा 4 सितारा 3 सितारा होटलों की आवश्यकता है, वहीं पिथौरागढ़ अयोध्या में रानीखेत में या उत्तर काशी में सितारा रहित होटलों की बहुत बड़ी आवश्यकता होगी यह दूसरी सोच है इस व्यवसाय के सम्बन्ध में व्यवसाय को व्यवसाय की दृष्टि से ही देखना चाहिये । इकनामिक ऐक्टिविटी की जो बात है, इकनामिटि चकी जो स्वीजरलेंड के थे उनके विचार देख रहा था उसमें एक रुपया 3.2 रुपये के बराबर इकनामिक ऐक्टिविटी जनरेट करता है यानि एक पर्यटक अमेरिका से आकर के 100 आकर वाराणसी में खर्च करता है तो उसकी इकनामिक ऐक्टिविटी 320 रुपये के बराबर होती है वह कैसे माननीय वह ऐसे कि पर्यटक कुछ पैसा होटल में खर्च करता है कुछ खर्चा खरीदारी और दस्तकारी में करता है कुछ भोजन में, कुछ साइटसींग में कुछ गाईड पर कुछ कार पर फिर होटल में कुछ सब्जी पर खर्चा तो कुछ अन्य खरीददारी पर । इस प्रकार जो पैसा

का साइकिल है वह एक रु० 3.2 रु० के बराबर होता है आज तक मानसिकता यह थी कि पर्यटन को प्राथमिकता की नीचे की सीढ़ी पर रखा गया आज हमने यह तय कर लिया कि पर्यटन व्यवसाय को उचित स्थान मिलेगा और व्यवसाय के लिये बढ़ावा और उचित प्रोत्साहन दिया जायेगा ।

मान्यवर, हम लोगों ने एक और भी बात सोची है जहां हम पांच तीर्थ स्थानों के विकास की बात सोच रहे हैं वहीं सारे अन्य धर्मों के भी जो स्थान हैं उनके विकास की बात सोच रहे हैं इस प्रदेश में राष्ट्रीय महत्व के या अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्थान होंगे चाहे जिस भी धर्म के हों उन स्थानों का हम विकास करेंगे । सत्तापक्ष की ओर से मेंजों की (थपथपाहट) यह हमारी सबसे बड़ी मानसिकता है यह पर्यटन व्यवसाय को एक नयी दिशा देने वाली सोच है । इसी संदर्भ में देवलगढ़ में जैन धर्मावलम्बियों के स्थान की बात है हिन्दूओं के 5 तीर्थ स्थानों की वो बात मैंने कही सिक्खों के हेमकुण्ड साहिब है उसके विस्तार की बात सोच रहे हैं । जहां सड़क की पानी की बिजली की आवश्यकता की बात है, पानी वहां बहुत है खाने पीने के लिये सामान ले जाने की व्यवस्था है । इसी प्रकार मुस्लिम भाइयों के लिये देवा शरीफ बहुत महत्वपूर्ण है वहां पर्यटक आवास गृह बना हुआ है वहां 12 शैययाओं के एकोमोडेशन की आवश्यकता है । रुड़की के पास परियानकलां है वहां 20 बिस्तरों वाला पर्यटक गृह है उसमें 20 बिस्तर सम्भवतः बढ़ने वाले हैं । भाईयों मान्यवर, बौद्ध धर्म के धर्मावलम्बियों के लिये बौद्ध परिपथ भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ लेकिन राजधानी कपिलवस्तु थी । सारनाथ कपिलवस्तु, कुशीनगर श्रावस्ती गया बिहार यह सब बौद्ध धर्मावलम्बियों के स्थान हैं इसमें गया बिहार को छोड़कर यह सभी बौद्ध परिपथ उत्तर प्रदेश में हैं । मान्यवर, आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व के मुसलमान भाई हज के लिये जाते हैं कोई भी मुसलमान ऐसा न होगा जिसकी हज जाने की तमन्ना न हो । तो हम उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि दुनिया भर के बुद्धिस्ट लाइन लगाकर सारनाथ कुशीनगर, श्रावस्ती आये । यह हमारी सोच है । मान्यवर, हर देश यह देखता है कि उसकी परकेपिटा इनकम कितनी है ....

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी थोड़ा समय का ध्यान देकर अपने भाषण को संक्षिप्त करें ।

श्री केदार नाथ फोनिया–

तो मान्यवर, पर्यटन व्यवसाय में यह देखा जाता है कि पर कैपिटा स्पेन्डिंग किसकी हाइयेस्ट है ? इसमें जापान का जो टूरिस्ट है, ताईवान का जो टूरिस्ट है उसकी पर कैपिटा स्पेन्डिंग सबसे अधिक है अतः इन्हें आकर्षित करने के लिये इस क्षेत्र में लाने के लिये बौद्ध परिपथ योजना बनायी गयी है । इसमें 75 करोड़ रुपये की व्यय की योजना है जिसमें 24.30 करोड़ रुपया जापान से आयेगा, 21.63 करोड़ रुपया भारत सरकार से आयेगा तथा 29.74 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार स्वयं वहन करेगी । मान्यवर, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पिछली सरकार ने एक नीति बनायी थी उसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये होटल व्यवसाइयों को अनुदान देने की व्यवस्था दी गयी थी । जो पांच सितारा होटल बनायेगा उसको 25 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा, जो चार सितारा होटल बनायेगा उसको 20 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा, जो तीन सितारा होटल बनायेगा उसको 15 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा और जो तीन सितारा के नीचे बनायेगा उसको कुछ नहीं दिया जायेगा । तो मैं जानना चाहता हूं कि जो नीति बनायी गयी थी क्या इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला ?

हमने इस नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने का निर्णय लिया है । हम सब्सिडी देने के पक्ष में है, हम अनुदान देंगे लेकिन हम सबको अनुदान देंगें । पांच सितारा से लेकर बिना सितारा वाले होटल को । मान्यवर, यह जो पर्वतीय क्षेत्र में ऋण उपादान योजना है उसके अन्तर्गत ढाई लाख रुपये के ऋण देने की योजना है उसमें बीस प्रतिशत सब्सिडी है । यह ढाई लाख रुपये से आज कल कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है अतः इसे बढ़ाकर हमने 5 लाख कर रहे हैं । पर्यटन में एक बहुत बड़ी चीज यह है विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों को घूमने की स्वच्छन्दता ।

उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सुन्दर स्थान इनर लाइन के अन्दर आते हैं । मुझे याद है सन् 66 में जब कशमीर में गुलमर्ग को इनर लाइन में कर दिया था तो वहां के जो तत्कालीन मुख्य मंत्री शेख अब्दुला थे, वह भागकर दिल्ली आये और उन्होंने कहा कि अगर आप इसे इनर लाइन में ले लेंगे तो हमारा क्या होगा ? हम लोग तो भूखों मर जायेंगे और दस दिन के अन्दर ही इसे इनर लाइन से मुक्त कर दिया और लोग गुलमर्ग जाने लगे मान्यवर, अभी तक कोई अब्दुल्ला हमारे यू० पी० को नहीं मिला । हमारा हिमालय का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है । हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक टेलीफोन करके इस साल इनर लाइन को अन्दर डलवा दिया, अब पर्यटक फूलों की घाटी में काफी अन्दर तक जा सकते हैं और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, जो पहले इनर लाइन में पड़ते थे, अब इनर लाइन को पीछे कर दिये जाने के कारण अब पर्यटक वहां जाकर भी पर्यटन का आनन्द ले सकेंगे । मान्यवर, पर्यटन व्यवसाय की सबसे बड़ी बेस होता है, मौसमी व्यवहार । जैसे हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटक गरमी में जाते हैं, लेकिन जाड़ों में नहीं जाते । इसी तरह मैदानी क्षेत्रों में पर्यटक जाड़े में आते हैं, लेकिन मई, जून में कमी हो जाती है । इस मौसमी व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिये कई योजनायें बनाई जा चुकी हैं । पर्वतीय क्षेत्रों में विन्टर स्पोर्टस है, इसके अन्तर्गत शीतकालीन क्रीड़ा केन्द्र के रूप में औली को विकसित किया जा चुका है, इसी तरह के और भी केन्द्र खोलने की योजना है । एक योजना है लो एटीट्यूड ट्रेकिंग की । इन सब चीजों से सीजनैलिटी को खत्म किया जा सकेगा और पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा । मान्यवर, एक और योजना है वाइन वाटर स्फटिंग एरो स्पोर्टस, इसको निचले हिमालय में बढ़ावा दिया जा रहा है । इन सब चीजों को करने से सीजनैलिटी की समस्या दूर हो जायेगी ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मंत्री जी ने सब चीजें बता दीं । लेकिन हमारे आगरा में क्या करने जा रहे हैं, यह नहीं बताया, जबकि हमारा सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस है ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, कहा जाता है कि ताजमहल पर्यटन व्यवसाय को बनाने वाला है और इस ताज को बनाने वाले शिल्पी थे ...

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी कृपया हाथ जेब से बाहर कर लें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मंत्री जी का हाथ अपनी जेब में है, अगर दूसरे की जेब में जाये, तो आपत्ति होनी चाहिये ।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, ताजमहल को शिल्पियों ने बनाया और मैं तो कहूंगा कि आगरा में जो भी पर्यटन व्यवसाय है, वह इसी ताज की देन है । केवल ताजमहल के शिल्पी ही नहीं, बल्कि पूरा पर्यटन व्यवसाय चाहे, वह कहीं भी हो, शिल्पियों की वजह से है । चाहे आगरा हो चाहे वाराणसी हो । जब भी हमारे पर्यटक इन स्थानों पर आते हैं, तो कोई कारपेट खरीदता है, मारवल का सामान खरीदते हैं, संगमरमर का सामान खरीदते हैं । इस प्रकार पूरा पर्यटन व्यवसाय शिल्पियों पर आधारित है । मान्यवर, पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिये इस वर्ष पहली बार आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन किया गया, इसमें लगभग एक हजार विदेशी पर्यटक और 10 हजार हिन्दुस्तानी पर्यटक आये, साथ ही करीब 200 शिल्पियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया । यह ताज महोत्सव अब लगातार हर वर्ष होता रहेगा । इसके अतिरिक्त पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिये शिल्पियों को प्रोत्साहन भी देने की योजना बनाई गयी है । मान्यवर, कार्बट नेशनल पार्क है तथा अन्य जो अभयारण्य हैं, उनकी भी कुछ नई दिशा देने की बात हो रही है । इन अभयारण्यों के बीच में जो आवासीय व्यवस्था थी, अब उसे पार्क के बाहर बनाने की बात हो रही है । हर जिले में पर्यटक स्थल बनाने की बात हो रही है । चाहे वे धार्मिक स्थल हों, मंदिर हों या ऐतिहासिक स्थल हों या फिर कोई आर्कियोलोजिकल दृष्टिकोण से कोई महत्वपूर्ण स्थान हो । उनके सौन्दर्यीकरण व विकास करने का प्राविधान इस बजट में है । शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये भी कुछ योजनायें बनाई गयी हैं । पर्वतीय क्षेत्र में, खासकर गढ़वाल क्षेत्र में जितने भी पर्यटक विश्राम गृह हैं और उनमें जो कैन्टीन संचालित की जाती है, उन कैन्टीनों के ठेके इन प्रशिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को देने का फैसला हुआ है । इससे लगभग 500 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा ।

आगरा का जो मुमताज पार्क है, उसके सौन्दर्यीकरण की बात भी बजट में है । इसी प्रकार की जो अन्य योजनायें हैं, उनका प्राविधान भी बजट में है । मैं एक बात अवश्य कह दूं कि यद्यपि नई योजनायें कम हैं परन्तु नई भावनायें बहुत तेज हैं । पुरानी जो योजनायें अधूरी पड़ी थीं, उनको पूरा करने का प्राविधान इस बजट में है ।

अब श्रीमन्, मैं सांस्कृतिक कार्य विभाग पर आता हूं । हर विभाग के कार्य करने की एक फिलोसाफी होती है । सांस्कृतिक कार्य विभाग का कार्य करने का एक दर्शन है और एक उद्देश्य है । वह है कला और सांस्कृतिक का विकास हो । हमारे देश में जो पुरानी कला ऋषि-मुनियों और पुरखों ने हमें दी है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है । हमारी जो परम्परायें हैं उनका संरक्षण हो संस्कृति तथा कला को प्रोत्साहन मिले । जो कलायें लुप्त हो रही हैं, उनको पुर्नजीवित कराया जाये । इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हम कार्य कर रहे हैं । भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में यह कहा है कि नाट्य और अभिनय एक प्रयोग हैं, जिससे दिल शुद्ध होता है और विचार शुद्ध होते हैं । जिससे पूरा समाज परिष्कृत होता है । जब हम किसी स्टेज पर जाते हैं और जो एक्टर्स होते हैं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का, चाहे वे अच्छी हों या बुरी, एक मंच होता है । लेकिन यह केवल दर्शकों का मनोरंजन नहीं हैं । यह ऐसी कला है जिससे हमें जानकारी होती है कि किस प्रकार की हमारी संस्कृति है जिसकी रक्षा करना परम कर्तव्य है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप संक्षेप करें ।

श्री केदार सिंह फोनिया–

अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिये यहां कई संस्थायें हैं उनके विकास के लिये हमने योजनायें स्वीकृत की हैं । संगीत नाटक एकैडमी को 25 लाख रुपया, भारतेन्दु नाट्य एकैडमी को 25 लाख रु० दिया । लखनऊ में संगीत नाटक एकैडमी बन रहा है । पौड़ी गढ़वाल में प्रेक्षाग्रह के लिये हमने प्राविधान किया है इसमें करीब ढाई करोड़ रुपये का खर्च है । इसमें युवा प्रतिभाओं का विकास होगा वहां पर स्थानीय युवकों को अपनी प्रतिभा का विकास करने का अवसर मिलेगा ।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये 26 लाख रुपये का प्राविधान किया है । सांस्कृतिक चेतना और शोध के लिये छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की योजना है जिसमें लगभग 133 वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों/साहित्कारों को 500 रु० प्रतिमाह देने की योजना है ।

पुरातत्व ऐतिहासिक स्थानों के विकास का भी इस बजट में प्राविधान किया है । कई स्थानों पर पुराने मंदिर और मूर्तियां हैं उनके संरक्षण की बात इस बजट में है इन सभी कामों के लिये लगभग 6 लाख रुपये का प्रावधान किया है । गोरखपुर में बौद्ध संग्रहालय के लिये 30 लाख का प्राविधान है । विशिष्ठ विभूतियों और राजनेताओं की मूर्तियों की स्थापना के लिये 25 लाख रुपये का प्राविधान किया है । इसमें शोध संस्थानों का रोल महत्वपूर्ण है । इस उद्देश्य से आचार्य नरेन्द्र देव शोध संस्थान कुशीनगर में, जैन शोध संस्थान लखनऊ में और अयोध्या शोध संस्थान, वृन्दावन शोध संस्थान वृन्दावन में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं ।

इसके अतिरिक्त पुरावशेषों के पंजीकरण की प्रणाली लागू की है जिसमें लगभग 68906 पुरावशेषों से संबंधित संस्थाओं का पंजीकरण किया गया है जहां पर शिलालेख पांडुलिपि आदि का संग्रह है । इस कार्य के लिये राष्ट्रीय संग्रहालय झांसी में भवन निर्माण किया गया है । तो इन सारे कार्यो के लिये केवल 4,79,95,000 रु० की मांग हमने की है ।

इसके बाद मान्यवर, खेलकूद विभाग भी एक महत्वपूर्ण विभाग है इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा दर्शन छिपा हुआ है । स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मानसिकता स्वस्थ राष्ट्र के लिये अतिआवश्यक है । इसकी प्राप्ति के लिये सारा विभाग इसमें कार्यरत है और इसी दृष्टि से योजनायें बनाई जा रही हैं । हमारा उद्देश्य है कि प्रतिभाओं का विकास हो । पूरे देश और प्रदेश में गांवों और शहरों में ऐसी प्रतिभायें हैं जो उभर नहीं पा रही हैं वह प्रतिभा कैसे उभर कर सामने आयें इसके लिये हमने जगह-जगह योजनायें बनाई हैं । इस बजट में इसका प्राविधान किया गया है । इसके लिये समय-समय पर आवश्यक कम्पटीशन आदि कराये जायेंगे । खेल संघों को स्वायतत्ता देना बहुत आवश्यक है । खेल में राजनीति का समावेश होना खेल के लिये हानिकारक है । इसलिये यह प्रयास रहेगा कि कितना भी आवश्यक है खेल संघों की स्वायत्तता बनाये रखी जाय । यह तभी होगा जब इनको आर्थिक लाभ हो या आर्थिक अनुदान समय-समय पर मिलता रहे इसमें प्राविधान है शहरी युवक और ग्रामीण युवकों के बीच एक बहुत बड़ी खाई व्याप्त है । ग्रामीण युवक शहरी युवक से पीछे रहने की भावना से ग्रसित हैं । हम ग्रामीण युवकों को खेल की दृष्टि से शहरी युवकों की बराबरी में ले आने में प्रयासरत हैं हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम ग्रामीण युवकों को शहरी युवकों की बराबरी में ले आयें यह हमारा संकल्प है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

एक रिपलाई भी होता है तो आपको अभी देना है उसमें आपको बहुत सी बातों का जबाब देना होगा । इसके बजट को बढ़ाना सभी समझते हैं । हमको शिकायत इसलिये है कि बजट और अधिक होना चाहिये आपने बहुत कुछ कह दिया है, अब विराज जायें, अपनी जगह ...

(व्यवधान)

आप कृपया स्थान ग्रहण करें जो कहना था कह दिया है । पौने नौ बज रहे हैं खत्म किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री प्रमोद तिवारी जी का सुझाव है कि जिन मदों का प्राविधान है उनको आप बता चुके और अब जो सुझाव आयें उन पर आप विचार कर लें । आपको अभी उत्तर भाषण भी देना है ।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मैं मान्यवर, तिवारी जी का आभार प्रदर्शन करता हूं । आपने कह दिया कि बजट में बढ़ोत्तरी होनी चाहिये । इसका यह मतलब है कि कटौती का कोई प्रश्न नहीं है । तिवारी जी इस बात से सहमत हैं कि इन तीनों मदों–खेल, सांस्कृतिक कार्य ऐसे विभाग हैं जिनकी मदों में कोई कमी नहीं हो सकती है । न यह किसी प्रकार का दोषारोपण कर पायेंगे इनके कोई विकल्प नहीं हैं कि जो बजट है उसमें और बढ़ा दिया जाय । तो जो उनकी उदारता और हृदय की विशालता है उसको सामने रखकर

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

आप इस बजट को दुगुना करने को तैयार हों तो हम कटौती का प्रस्ताव वापस लेने के लिये तैयार हैं । हम सहमत हैं कि इस बजट के तीनों विभागों का बजट बढ़ाया जाना चाहिये (व्यवधान)

श्री अखिलेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–22 खेल विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

दूसरा, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं अनुदान संख्या–44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना । मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि

अनुदान संख्या 92-सांस्कृतिक कार्य विभाग में संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने के उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैंने कमी करने का प्रस्ताव इसलिये रखा है कि जो रुपया बजट में रखा है वह गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिये यह प्रस्ताव लाया हूं ।

मान्यवर, पर्यटन में प्रदेश देश में एक विशेष स्थान रखता है । पर्यटन विभाग में एक बड़ा विभाग है । लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि पर्यटन विभाग का ढांचा छोटा है । पर्यटन विभाग की ओर

से भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म के पूर्व तक तथा सनातन धर्म की कुरीतियों से लड़ने वाले महात्मा बुद्ध के प्रमुख स्थानों को इस विभाग के द्वारा सुरक्षित रखने और विकसित करने के संबंध में कोई काम नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, बौद्ध परिपथों की चर्चा मंत्री जी ने किया मैं उनको सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जहां मैं रहता हूं नौतनवां वहां से 13 किलोमीटर की दूरी पर लुम्बनी है जो नौतनवां-खनुआ लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मार्ग से जुड़ा है। परन्तु डांडा नदी पर पुल न होने के कारण रास्ता अधूरा है। मेरे निवास स्थान से कुशीनगर जो महात्मा बुद्ध की निर्वाण स्थली है। 100 कि० मी० दूर पर है और लुम्बनी से नौतनवां ठूठीबारी-सिसवा होते हुए कुशीनगर की दूरी 113 कि० मी० है को बैद्ध परिपथ के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार नौतनवां से बनरसिहा की दूरी 20 कि० मी० है जो कि बुद्ध कालीन युग का देवदह नामक स्थान है जो बुद्ध की ननिहाल रहा है। देवदह (बनरसिहा) से पिपरहवा (कपिलवस्तु) जो गौतम बुद्ध की राजधानी रही है कोल्हुई लोटन होते हुए 35 कि० मी० की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार नौतनवां बनरसिहा कोल्हुई लोटन पिपरहवा मार्ग को बौद्ध परिपथ के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। मान्यवर, गौतम बुद्ध , जिन्होने दुनिया को सत्य और अहिंसा का नया संदेश दिया है, को मानने वाले विश्व में प्रगति की दौड़ में अग्रणी राष्ट्र चीन, जापान, थाईलैण्ड, उत्तरी और दक्षिण कोरिया, श्रीलंका आदि देश हैं जिनसे उत्तर प्रदेश को बौद्ध परिपथ के रूप में जितनी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है उतनी अन्य विदेशी राष्ट्रों से नहीं। यदि हमें इनसे और सहायता प्राप्त करनी है तो बौद्धों के तीर्थस्थलों का समुचित ढंग से विकास करना चाहिये और यदि मंत्री जी लखनऊ में बैठकर आंकड़े बनाते रहेंगे अधिकारियों के साथ तो सही ढंग से बौद्ध परिपथ विकसित नहीं हो पायेंगे। इसलिये मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो अभी पुरातत्व विभाग ने बनरसिया देवगत में खुदाई की है, उससे जो ऐतिहासिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, और जो ऐतिहासिक धारणा है उसके अनुसार श्रावणी से कपिलवस्तु, कपिलवस्तु से लुम्बनी, लुम्बनी से कुशीनगर, कुशीनगर से बौद्ध गया और सारनाथ को जोड़ते हुए बौद्ध परिपथ घोषित करें। प्राचीन ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर इस क्षेत्र का विकास किया जाय और इसे बौद्ध तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य किया जाय। इस तरह से भारत नेपाल सीमा पर विदेशी पर्यटकों के आने के लिये सोनौली प्रवेश द्वार है। जहां से विदेशी पर्यटक आते जाते है। भारत नैपाल सीमा में उत्तर प्रदेश में सोनौली ऐसा प्रवेश द्वार है जिससे विदेशी आते जाते हैं। नेपाल की सीमा पर नेपाल में उनके लिये प्रवेश द्वार पर बना है। विदेशी पर्यटक भारत की सीमा पर उत्तर प्रदेश में आते हैं तो एक खराब तस्वीर लेकर प्रवेश करते हैं। नेपाल की तरह भारत नेपाल सीमा पर एक भव्य इंडिया गेट का निर्माण कराया जाय तो विदेशी पर्यटक देश के प्रति अच्छी तस्वीर लेकर भारत में प्रवेश करेंगे। सोनौली में एक आधुनिक स्वागत केन्द्र निरंजना होटल का निर्माण हुआ है।

मेरा सुझाव है माननीय मंत्री जी से कि अगर वहां पर बौद्ध संग्रहालय और बौद्धकालीन साहित्य पर आधारित पुस्तकालय का निर्माण करा दें तो उसके आकर्षण से बौद्ध धर्म के अनुयायी विदेशी पर्यटक रुकेंगे। इसी तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनके नाम पर यह सरकार चुनकर आई है। इनके पूर्वज महाराज नहुष की कोटि मऊ जनपद अन्तर्गत घोसी तहसील में सरयू नदी के किनारे हैं। अगर मैं कुछ कहूंगा तो जरूर कुछ बात उधर से कही जायेगी। परन्तु मैं अपने को कहने से रोक नहीं पा रहा हूं। आप सब अवगत होंगे तुलसीकृत रामायण में वर्णन है उस समय का जब राम वन को जाते हैं। चार योजन चलने के बाद तमसा नदी के किनारे भृगुऋषि के आश्रम पर विश्राम करते हैं। तमसा नदी के दूसरे छोर पर पवित्र गंगा नदी बहती है।

(सत्ता पक्ष की तरफ से टीका-टिप्पणी करने पर)

मैंने पहले ही कहा था कि अगर कुछ कहूंगा तो फिर आप की तरफ से बात उठेगी । इसको आप अन्यथा न लें । तथ्यों की खोज होनी चाहिये इसलिये कह रहा हूं । हम भगवान राम के पूर्वज की बात कर रहे हैं । तुलसीकृत रामायण में भगवान राम की बात कर रहे हैं । वर्तमान में अयोध्या और तमसा नदी और भृगु ऋषि आश्रम का अवलोकन करें तो यह प्रमाणित नहीं होता है कि यह वही अयोध्या है जो भगवान राम की अयोध्या रही है । भगवान राम के पूर्वज महाराज नहुष की कोटि मऊ जनपद में घोसी तहसील में सरयू नदी के किनारे है । एक तरफ गंगा जी हैं, दूसरी तरफ तमसा नदी और इसी छोर पर भृगु ऋषि का आश्रम है । 4 योजन की बात जो कही गयी है । उस समय एक योजन का मतलब 4 कोस से होता था । 4 योजन का मतलब है 6 कोस । यह दूरी नहुष की कोटि से प्रमाणित होती है । मेरा यह निवेदन है कि महाराज नहुष की जो कोटि है, यह भगवान राम की अयोध्या है । महाराज नहुष की कोटि को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाय जो कोटि के अवशेष हैं, उन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित करके, उस ऐतिहासिक धरोहर को विकसित करने का कार्य किया जाय । इसी तरह से भगवान शंकर जो हमारे आराध्य देव हैं । उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत और मान सरोवर आज भी चीन के कब्जे में है । मैं चाहूंगा कि सत्तापक्ष में बैठे हुए लोग अपने नेताओं को यह राय दें कि भगवान शंकर के निवास स्थान की तरफ विश्व जनमत का ध्यान आकृष्ट करने के लिये बड़े मार्च की आयोजन करने का कष्ट करें । मेरे जैसे नौजवान उस मार्च में शिरकत करेंगे । वहां दो धर्मों के बीच में लड़ाई नहीं है इसलिये भाजपा सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है कि वह चीन के कब्जे में है । इसी तरह से मान्यवर, आगरा में विश्व का सातवां आश्चर्य जहां ताजमहल है, अन्तर्राष्ट्रीय नगर का दर्जा देने के लिये प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार से सिफारिश करनी चाहिये । आगरा को अन्तर्राष्ट्रीय नगर का दर्जा दिलाने के लिये प्रदेश सरकार को हर संभव प्रयास करना चाहिये । मान्यवर, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री करोड़ों-करोड़ हिन्दुओं की आस्था का केन्द्र विन्दु है वहां तीर्थ यात्रियों के जाने हेतु जिस तरह से बद्रीनाथ को गंगोत्री से जोड़ा गया है उसी तरह से केदारनाथ को यमुनोत्री से जोड़ा जाय ।

मान्यवर, बलिया जनपद में सुरहा ताल है उसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना चाहिये । रसड़ा तहसील में लखनेश्वर डीह नामक एक स्थान है वहां चन्द्रगुप्त काल की मूर्तियां पाई गयी हैं वह स्थान टौंस नदी के किनारे टीले के रूप में है उसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना चाहिये । मान्यवर, सन्त कबीर की निर्माण स्थली मगहर वीरान पड़ा है । सन्त कबीर की याद आ जाती है वर्तमान परिवेश में, जो सन्त कबीर की निर्वाण स्थली है वह आज जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, उसको विकसित करने के लिये पर्यटन विभाग को सुधारात्मक कदम उठाने चाहिये । इसी तरह से मान्यवर कहना चाहूंगा कि पर्यटन विभाग का बजट आपने रखा, मैंने पहले भी कहा था कि बजट का उपयोग दूसरी ओर किया गया है । भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आपके लखनऊ में आपकी राजधानी के नीचे गोमती होटल है वहां नव भारत टाइम्स से लेकर अनेक समाचार पत्रों ने वहां के कुकृत्यों को छापने का कार्य किया है । इस संदर्भ में राजस्थान पर्यटन विकास निगम जयपुर में सहायक प्रबन्धक, रंजना माथुर जो राजस्थान में कार्यरत थीं 27-11-90 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने उन्हें बर्खास्त कर दिया । रंजना माथुर ने अपना नाम बदल कर रंजना नारायण रख लिया और पर्यटन विभाग उ० प्र० के प्रबन्ध निदेशक राकेश बहादुर ने नियमों को ताक पर रख कर हाउस कीपिंग के पद पर रंजना नारायण के नाम से नियुक्त कर दिया (नियमतः) उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र दाखिल करना चाहिये था लेकिन उसको दाखिल किये बिना ही उनकी नियुक्ति कर ली गयी । मान्यवर, समाचार पत्रों में गोमती होटल में वेश्यावृत्ति के बारे में प्रकाशित हो रहा है । इसको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिये । पर्यटन विकास निगम में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि कलेन्डर की छपाई में तीन लाख का घोटाला हुआ है । होल्डिंग में नौ

लाख का घोटाला हुआ है । पर्वतीय क्षेत्रों में माननीय मंत्री जी ने पर्यटन की समस्याओं के विषय में दृष्टि दौड़ाने का कार्य किया है परन्तु इधर पर्यटकों की संख्या में निरन्तर गिरावट आ रही है इस पर विचार किया जाना चाहिये । पर्यटन विकास यदि इस पर विचार नहीं किया गया तो हम पर्यटन उद्योग को बचा नहीं सकते हैं । पर्वतीय क्षेत्र के बारे में मैं पर्यटन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां पर इस तरह की व्यवस्था की जाय जिससे बारहों महीने वहां पर्यटक जाने का कार्य करें । इसी प्रकार से आगरा जाने वाले पर्यटक सिकन्दरा तथा फतेहपुर सीकरी जाते हैं । आगरा में पर्यटकों के ठहरने के लिये विशेष प्रबन्ध होने चाहिये । माननीय मंत्री जी ने एक बात कही कि वह होटल व्यवसाय के लिये अनुदान देने का काम करेंगे । 5 स्टार 3 स्टार ही नहीं बल्कि जो दूसरे होटल हैं उनको भी अनुदान देने की व्यवस्था करेंगे ।

श्री किशोरी श्याम–

सम्पूर्ण पक्ष और विपक्ष ने तय कर लिया है कि मथुरा का नाम नहीं लेंगे ।

श्री अखिलेश–

मथुरा का नाम लूंगा । लेकिन जब माननीय मंत्री जी बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने यह नहीं बताया कि कितना अनुदान दिया जायेगा । बजट उन्होंने पेश किया है और अभी तक इस पर विचार ही कर रहे हैं । पर्यटन के संदर्भ में जो पुस्तिका प्रकाशित की गयी है उसको मैंने देखा है ।

जनपद गाजीपुर के थाना मरदह की चौकी मटेहू में छात्र श्री प्रमोद कुमार सिंह की गोली मार कर हत्या किये जाने तथा जनपद गाजीपुर के थाना करीमुद्दीनपुर की पुलिस असावर (दुविहा) में श्रीमती जानकी देवी के साथ कथित बलात्कार विषयक नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्यों के स्थगन का अनुरोध

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मैंने जो आइटम 15-16 के बारे में लिखित दिया है उसके बारे में आपकी क्या व्यवस्था है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी बजट पर विचार चल रहा है उसके बाद कोई निर्णय होगा ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, क्या लिखित दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र सिंह की सूचना पर जो वक्तव्य लगे थे उनको स्थगित किये जाने का अनुरोध किया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हम लोगों को बड़ी डांट पड़ती है जब स्थगित करने की प्रार्थना करते हैं ।

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या–22 खेल विभाग, अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग अनुदान संख्या-92 सांस्कृतिक कार्य विभाग (क्रमागत)

श्री अखिलेश–

मान्यवर, यह जो पुस्तिका है इसमें 1990-91 के पहले महीनों में 3 करोड़ 35 लाख, 18 हजार 333 रुपये की आय दिखायी गयी है और 1991-92 में बाद की तीन तिमाही की आय । करोड़ 7 लाख 71 हजार, 426 रुपये दर्शायी गयी है । यह आंकड़े परिलक्षित करते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र सुख साधन की

गिरावट आ रही है । आय के कम होने का क्या कारण है ? निश्चित रूप से इसमें कहीं भ्रष्टाचार है । इसी तरह से खेलों के संदर्भ में अभी माननीय मंत्री जी ने कहा । खेलकूद विभाग एक ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है जिसके द्वारा हम युवकों को प्रशिक्षित करके राष्ट्र को सबल बनाने का काम करते हैं । खेल खिलाड़ी की भावना समाज के प्रत्येक क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है । परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में खेल जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर ध्यान नहीं दिया गया है । माननीय मंत्री जी जब बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो खेल विभाग की अनुदान संख्या पहले थी लेकिन उन्होंने तीसरे नंबर पर लाने का कार्य किया है इससे खेलों के संदर्भ में उनकी मानसिकता दृष्टिगत होती है । मान्यवर, पूरे भारत वर्ष में जब किसी टीम का चयन होता है तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर कोई खिलाड़ी चयनित नहीं होता है । खेल के संबंध में तमाम आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं, तमाम बातें कही जाती हैं लेकिन शर्मनाक पहलू यह है कि जब कभी चयन होता है तो उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ आबादी मे से राष्ट्रीय स्तर का कोई खिलाड़ी चयनित नहीं होता है । अन्य प्रदेशों में कोच की व्यवस्था है । उनको प्रोत्साहन भी मिलता है । वह खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने का काम करता है । एक तरह से खिलाड़ी को बनाने, सजाने, संवारने की जिम्मेदारी कोच की होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोच को जितना उपेक्षित किया गया है, दूसरी जगह कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता । नरेन्द्र हीरवानी जैसा उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी, उसको उत्तर प्रदेश ने नहीं पहचाना, मध्य प्रदेश ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उत्तर प्रदेश का वह होनहार खिलाड़ी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करता है ।

मध्य प्रदेश में आपकी सरकार उस समय नहीं थी । आप भूल कर रहे हैं । मान्यवर, इसी तरह से अन्य प्रदेशों मे जो खिलाड़ी प्रतियोगिता में उच्च पदक प्राप्त करते हैं उनको सम्मानित किया जाता है । आपके द्वारा भूतपूर्व खिलाड़ियों को खेल विभाग द्वारा प्रदत्त पुस्तिका वर्ष 1991-92 और 1992-93 की पुस्तिका में दिखाया गया है, कि जिस भूतपूर्व खिलाड़ी की आय एक हजार रुपये से अधिक नहीं है, वहां राज्य का जो खिलाड़ी राज्यस्तर का रहा है उसको 250 रुपये, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 350 रुपये और अन्तराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 450 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है । मान्यवर, इस मंहगाई में गौर करें एक हजार से अधिक आय नहीं है तो 250 रुपये, 350 रुपये और 500 रुपये देंगे । जिसकी एक हजार आय होगी तो इस आर्थिक सहायता को मिलाकर क्रमशः 1250 रुपये, 1350 रुपये और 1500 रुपये आय होगी । आज की मंहगाई में गौर करें 1250, 1350 और 1500 रुपये में कोई खिलाड़ी अपनी जीविका का निर्वाह कैसे कर सकता है ? पुराने खिलाड़ी नये खिलाड़ी को कोई तकनीकी ज्ञान तभी दे सकते हैं जब पुराने खिलाड़ी स्वस्थ रहेंगे, दिमागी और शारीरिक रूप से, तभी नये खिलाड़ी को अपनी तकनीक की जानकारी दे सकेंगे । इस विषय पर सरकार को गौर करना चाहिये । मेरी समझ से इस पर माननीय खेल मंत्री जी को उदारता करते हुए आज की मंहगाई की तुलना में उक्त धनराशि को कम से कम एक हजार, पन्द्रह सौ और दो हजार निर्धारित करना चाहिये । इसी तरह से हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विशेष स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को उ० प्र० का सर्वोच्च पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार दिया जाता है । यह सरकार राम के नाम पर आयी है । राम और लक्ष्मण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं । कम से कम राम के नाम पर शर्म करें । लक्ष्मण पुरस्कार मात्र 150 रुपये प्रति माह जो उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार है, 150 रुपये प्रतिमाह और लक्ष्मण की कांस्य प्रतिमा होनहार खिलाड़ी को देते हैं । पांच रुपये प्रतिदिन आज की महंगाई में, पांच रुपया प्रतिदिन क्या रखता है ? यह कहते हैं, दम भरते हैं, प्रदेश में खिलाड़ियों का विकास करने की बात कहते हैं । पांच रुपये प्रतिदिन देना तो निश्चित रूप से इनकी

संकुचित मानसिकता का द्योतक है । मेरा सुझाव है कि कम से कम लक्ष्मण पुरस्कार में 1500 रुपये प्रतिमाह खिलाड़ी को पुरस्कृत करना चाहिये । इसी तरह से मान्यवर, आज के दौर में उक्त पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 1500 और 2000 रुपये और 2500 रुपये निर्धारित करना चाहिये । यह आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है । प्रदेश में खिलाड़ियों का जीवन स्तर उठाने के लिये जिन स्पोर्ट्स कालेज की व्यवस्था की गयी है, प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए यह बहुत कम है और अनुदान जो दिया जाता है, वह भी बहुत कम है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि उन स्पोर्ट्स कालेज में अधिक से अधिक अनुदान देकर प्रदेश में खिलाड़ियो के जीवन स्तर को उठाने की कृपा करें । मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि विद्यालय स्तर और विश्वविद्यालय स्तर से खेल की शिक्षा को अनिवार्य करें । जब तक हम प्रारम्भिक स्तर पर खेल की शिक्षा अनिवार्य नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छे खिलाड़ी नहीं पैदा कर सकते । यदि प्राइमरी स्तर पर खेल की शिक्षा को अनिवार्य न कर सकें, तो हमें जूनियर हाई स्कूल से खेल की शिक्षा की विश्वविद्यालय स्तर तक अवश्य अनिवार्य बनाना चाहिये और उसमें से अच्छे खिलाड़ियों को चयनित करके प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित करना चाहिये, तो निश्चित रूप से वह नया कीर्तिमान बनायेंगे ।

इसी तरह से अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अन्तर्गत खेलने वाले उ० प्र० से प्रति वर्ष जाने वाले खिलाड़ियों को क्या सरकार भारत सरकार की भांति भाग लेने वाले खिलाड़ियों की सुविधायें सरकार प्रदान करेगी ? यदि प्रदेश सरकार विभिन्न खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को विभागों में कोटा निर्धारित करें, तो खिलाड़ियों को अपना भविष्य सुरक्षित नजर आयेगा । सांस्कृतिक कार्यक्रम के अन्तर्गत मात्र भातखण्डे विद्यालय खोल दिये जाने से सांस्कृतिक कार्यक्रम का लाभ होने वाला नहीं है । भातखण्डे विश्वविद्यालय कहने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय है, परन्तु पढ़ाई मात्र डेढ़-दो घंटे होती है । आप दूसरे प्रदेशों को देखें, वहां संगीत की शिक्षा पर कितना ध्यान दिया जाता है, परन्तु हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रदेश में संगीत को उपेक्षित किया गया है । सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत पुरातत्व विभाग आता है, अभिलेखागार आता है, ललित कला विभाग आता है । ये विभाग यदि ठीक ढंग से कार्य करें, तो अपनी सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण्य बनाये रख सकते हैं । मान्यवर, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुन्देलखण्ड की लोक सांस्कृतियों, लोक गीतों को प्रदेश स्तर पर नया स्वर देने की आवश्यकता है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति थारुओं के लोक गीतों, वेश-भूषा और उनकी लोक संस्कृति को संकलित करके प्रदेश स्तर पर सांस्कृतिक विभाग को प्रचारित, प्रसारित करना चाहिये । मान्यवर, महराजगंज जनपद में फरेंदा तहसील अन्तर्गत अदरौना में मां दुर्गा की पिण्ड स्वरूप प्रतिमा है, कहा जाता है कि महा भारत काल का यह क्षेत्र आद्रिवन है जहां पाण्डवों ने एक वर्ष का अज्ञातवास किया था । ऐतिहासिक दृष्टि से इस महत्वपूर्ण स्थल के संदर्भ में पुरातत्व विभाग को शोध कार्य करना चाहिये, निश्चित ही रूप से इतिहास के गर्भ में समायी हमारी पुरानी सभ्यताओं और सांस्कृतियों के विषय में नये तथ्य प्रकाश में आयेंगे । इसी प्रकार श्रावस्ती में कपिलवस्तु से कुशीनगर तक विभिन्न स्थलों पर पुरातत्व विभाग द्वारा खोज के कार्य किये जायं, तो बुद्ध कालीन संस्कृति के बहुत से तथ्य उजागर होंगें । महराजगंज जनपद के नौतनवां तहसील अन्तर्गत बनरसिहा नामक स्थान पर पूर्व प्रधान मंत्री चन्द्र शेखर जी के आदेशानुसार पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई का काम किया गया, जिससे जो प्रमाण मिले हैं, उनसे वह स्थान गौतम बुद्ध का ननिहाल देवदह नामक स्थान प्रमाणित होता है ।

उपरोक्त स्थान के प्रमाणिकता की पुष्टि हेतु पुरातत्व विभाग को और प्रयास करना चाहिये । कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर और देवदह वर्तमान में बनरसिहा जनपद महराजगंज मे बौद्ध संग्रहालय स्थापित करने की आवश्यकता है । इस प्रकार से मेरा अनुरोध है कि श्रावस्ती से लेकर कपिलवस्तु और

कुशीनगर तक शोध का कार्य कराया जाना चाहिये, और वहां पर बौद्ध कालीन जो अवशेष छिपे हैं, उनको उजागर किया जाना चाहिये । कपिलवस्तु और बनरसिंहा में बौद्ध संग्रहालय स्थापित किये जाने चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मैं माननीय अखिलेश को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने तीन चार विभागों के बजट पर कटौती का प्रस्ताव बड़े अच्छे ढंग से रखा । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कपिलवस्तु में भारत सरकार और जापानी सरकार के समझौते से विकास का कार्य होने वाला है । मैं अभी कपिलवस्तु गया था, तो वहां पर लोग मुझसे मिले थे और उनका आग्रह था कि विकास के लिये जितनी जमीन की आवश्यकता हो उतनी ही जमीन को लिया जाये, पूरी की पूरी न ली जाये । कृपया भारत सरकार से जब इस संबंध में बात करें तो इस बात का ध्यान रखें । वहां पर बहुत ही उपजाऊ जमीन है और लगभग 40-45 गांव हैं, जो इसमें आ रहे हैं । आप इसको देखें और जो खेतिहर जमीन है उसको पूरा का पूरा पर्यटन स्थल में न डाला जाये ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करने के लिये श्री अखिलेश द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये आपने जो बोलने का ,समय दिया उसके लिये आप का आभारी हूं । माननीय मंत्री जी ने धर्म स्थलों के विकास की बात कही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास के पन्नों को वह भूल गये हैं या अधिकारियों ने उनका ध्यान आकृष्ट नहीं किया है । जहां पर गौतम बुद्ध की निर्वाण स्थली है वहीं पर आस पास महाबीर स्वामी की भी निर्वाण स्थली है, तो बुद्ध जी की निर्वाण स्थली है, उसका तो विकास आप करने जा रहे हैं लेकिन स्वामी महाबीर जी की निर्वाण स्थली पावानगर की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान नहीं गया है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार का भेद भाव क्यों किया जा रहा है ?

(श्री कृष्ण चन्द्र का नाम पुकारे जाने पर)

मान्यवर, तीन बजट हैं, एक बजट पर कम से कम एक मिनट तो बोलने के लिये दें । मैं तो अपनी बात ही नहीं कह पाया । मैं तो देवरिया से आगे बढ़ ही नहीं रहा था । उनके विकास के लिये जिला केन्द्रों से विकास की योजनायें आ चुकी हैं जिला योजना के अन्तर्गत सलेमपुर तहसील के दिवेश्वर नाथ मझौली राज दुग्धेश्वर नाथ रुद्रपुर और परसुराम धाम सोहनाग को पर्यटन स्थल बनाने का प्रस्ताव आ चुका है । कृपया इन स्कूलों को पर्यटन स्थल बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाय । यह ऐतिहासिक तथ्य है, इन सारे तथ्यों को ...

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, यह तो बजट आपने पेश करवा दिया तो इसका फायदा क्या हुआ, आपकी लालबत्ती देखकर परेशानी हो जाती है । 3 बजट आपने पेश कराया है एक-एक मिनट में कहें तो भी कम से कम 3 मिनट मिलना चाहिये वैसे तो 5 मिनट आप दे दें ।

मान्यवर, आप ग्रामीण अंचलों की ओर देखें नहीं तो खेल का सुधार नहीं होगा । जो हमारी दुर्दशा खेल की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है उसको देखते हुए इन प्रतिभाओं को गांव से निकाला जाय और तहसील स्तर पर स्टेडियम की व्यवस्था करें । जो प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर है उसकी हिफाजत करना आपका धर्म है इसलिये उस सांस्कृतिक विरासत का विनाश नहीं होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें ।

श्री कृष्ण चन्द्र–

मान्यवर, आपने समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, जो यह बजट रखा गया है यह बहुत ही सराहनीय है क्योंकि पर्यटन के मामले में पिछले 44 वर्षों में कोई ध्यान नहीं दिया गया । अगर इस पर ध्यान दिया गया होता तो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न न होती । इसके साथ ही जो अंग्रेजों की नीति थी नैनीताल और मंसूरी को विकसित करने की तो उनको ही विकसित किया गया है । मान्यवर, हमारे जनपद में छोटा कैलाश और नीलम नाम की ग्लैशियर हैं उनको अब तक अनदेखा किया गया है । हमारी सरकार ने छोटा कैलाश की यात्रा को प्रोत्साहन दिया है उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और जो यह पिथौरागढ़ जनपद में छोटा कैलाश और नीलम नामक ग्लैशियर हैं इसके साथ ही साथ वहां पर पूर्णागिरि का मंदिर हैं जहां पर साल में 15-20 लाख यात्री आ जाते हैं इस मंदिर को भी वैष्णव देवी के मंदिर की तरह विकसित किया जा सकता है । इसी के साथ साथ नन्दादेवी सेन्चुरी जिसमें 70 सुन्दर चोटियां हैं का मंदिर है जिसे पूर्व सरकार ने बन्द कर दिया था जबकि बहुत से विदेशी पर्यटक वहां आते और उससे हमारी सरकार को फायदा होता । मान्यवर, हेमकुण्ड है, रूप कुण्ड है जिनको पूर्व में अनदेखा किया गया है, इनको विकसित किया जाय । इसके साथ ही मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे कुंवर कैलाश सिंह के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया जिसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मेरी भावना थी कि आज सदन खचाखच भरा होता । मैं एक संवेदनशील प्रकरण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, शंकिश जो हमारे विधान सभा क्षेत्र भोगांव के नजदीक है वहां शंकिशा में भगवान गौतमबुद्ध का स्तूप है वहां पर उनकी अस्थियां गाड़ी गयी थी [xxx]

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, किसी धर्म के ऊपर इस तरह से कहने की आप अनुमति दे रहे हैं । यह तो आपत्तिजनक है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अगर कोई शब्द आपत्तिजनक होगा तो उसे निकलवा देंगे ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह संविधान का मौलिक सिद्धान्त हैं इस देश में प्रदेश में धर्म के मानने वाले को आजादी है कि वह स्वतंत्रता के साथ अपने धर्म को मानेंगे । कोई भी धर्मावलम्बी दूसरे धर्मावलम्बी को न तो ठेस पहुंचायेगा और न दूसरे के धर्मस्थल पर कब्जा करेगा । कोई भी धर्म वाला दूसरे के ऊपर अपने विचार नहीं थोपेगा और न दूसरे धर्म की संस्कृति को नष्ट किया जायेगा । इस प्रदेश में अयोध्या का ऐसा मसला है जिसने समूचे भारतवर्ष को लड़ाने का काम किया है । अगर अयोध्या के मसले की पुनरावृत्ति होगी तो हो सकता है कि दूसरी अयोध्या का प्रकरण वहां पर बन जाये ।

(सत्तापक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा खड़े होकर विरोध प्रकट करने से घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

(सत्तापक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा विरोध प्रकट किये जाने के मध्य श्री राम औतार शाक्य द्वारा बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

आप जो भी बोल रहे हैं, लिखा नहीं जायेगा । मेरी अनुमति के बगैर जो कुछ भी कहा है उसे निकाल दिया जायेगा ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जहां तक सांस्कृतिक कार्य विभाग का सवाल है यह उसे देख लेंगे । पर्यटन की दृष्टि से कुछ सुझाव देना चाहूंगा । मेरे जनपद मुजफ्फरनगर की कैपिटा इन्कम प्रदेश में दूसरे स्थान पर है, लेकिन वहां पर एक भी पर्यटन केन्द्र नहीं है । मुजफ्फरनगर शामली रोड पर और हिन्डन नदी के पास पर्यटन केन्द्र बनाये जाने के संबंध में परीक्षण करा लें । खेल के बारे में मेरे जनपद में दर्जनों अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हुए । सरकार किसी की भी रही हो कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया । मेरे गांव से एक कि० मी० की दूरी पर चार-चार ओलम्पिक खिलाड़ी पैदा हुए हैं । मेरे गांव का जगविन्दर सिंह, उसे प्रदेश सरकार ने कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, वह दिल्ली की तरफ से खेला । उसे एक अच्छा मकान और इनाम मिला । इसी प्रकार पहलवान आजाद सिंह, धर्मेन्द्र प्रदेश से बाहर रहकर खेले, यहां उन लोगों की उपेक्षा की गयी ।

मेरे यहां के रणवीर सिंह अर्जुन पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हुए । उसे हमारी सरकार ने कुछ नहीं दिया । मेरा सुझाव है कि ऐसे खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार की ओर से सम्मानित किया जाना चाहिये । जैसा मैंने अभी जगविन्दर सिंह के बारे में बताया कि उन्हें दिल्ली में एक अच्छा मकान और अन्य सुविधायें मिली हैं । सुभाष पहलवान, आजाद सिंह, रनबीर सिंह आपके प्राउड हैं ऐसे लोगों के लिये आपको यहां आवासीय व्यवस्था करनी चाहिये । आज हमारी सरकारी नौकरियों में खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । प्रदेश पुलिस में शायद इस दिशा में कुछ अच्छा काम हुआ है वहां आपने खिलाड़ी की सिपाही में व्यवस्था की है प्रदेश की नौकरियों में जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनकी सीधी भर्ती की जाय यह मेरा अनुरोध है । प्रतिभायें पैदा होती हैं गांवों में आज पैसा लगाते हैं शहर में आपने जो साहित्य दिया है उसमें खाली 2 लाख रुपये पूरे प्रदेश में ग्रामीण अंचलों में स्कूलों में आप उनके खेल मैदान में व्यय करेंगे । आप पर्यटन की दुकान की तो बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान

में विश्व कप जीत लिया सीना चौड़ा किया, आप अपने यहां के खेलकूदों को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप खेलों पर पैसा खर्च करें उसके विकास को देंखें हमारे यहां 88-89 में बघड़ा में व्यायामशाला स्वीकृत हुई । लाख रुपये का प्राविधान स्वीकृत हुआ लेकिन आज तक उसका कोई पुरसाहाल नहीं है न उसकी स्वीकृति भेज रहे हैं, न अन्य व्यवस्था की जा रही है आप उसको दिखवा लें जो हमारे अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है अगर प्रदेश सरकार प्रोत्साहित करे जितना दिल्ली से उनको सम्मान मिलता है, तो निश्चय ही प्रतिभायें आगे आयेंगी मेरे गांव के चार ओलम्पियन हैं ।

इस प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 16-16 बार इस देश का नेतृत्व किया है उनकी सुविधाओं की ओर आपका ध्यान दें । चाहे नरेन्द्र हिरवानी हों, जोगिन्दर हों, सुभाष हों, आजाद सिंह हों–इन लोगों को आपको प्रोत्साहित करना चाहिये । जिस प्रकार की व्यवस्था सुविधायें बराबर के प्रदेशों में हों वह सुविधायें यहां भी मिलनी चाहिये । इसी के साथ श्री अखिलेश द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री महाबीर सिंह (हरदोई)

मान्यवर, आपने मुझे पर्यटन खेलकूद के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । माननीय मंत्री जी ने जो बजट यहां पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । मान्यवर, बड़े अफ्सोस के साथ कहना पड़ता है कि पर्यटन को वह मान्यता नहीं दी गयी जो पिछली सरकारों द्वारा जो उसको दी जानी चाहिये थी । अगर पर्यटन को मान्यता दी गयी होती तो आज एक बहुत बड़ी उसकी तस्वीर हमारे सामने आ गयी होती । अभी पर्यटन मंत्री जी ने कहा कि पर्यटन में 1 रुपये की कीमत 3.2 रुपये के बराबर होती है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर हमारी पिछंली सरकारों ने पर्यटन पर ध्यान दिया होता तो आज इस पर्यटन के जरिये हमारे प्रदेश को कितनी विदेशी मुद्रा देशी मुद्रा अर्जित हो गयी होती । पर्यटन एक वह उद्योग है जिसमें बीमारी लगने का कोई अंदेशा नहीं है । जो पिछली सरकारों ने नीति बनायी जिसमें उन्होने अनुदान दिया 5 सितारा होटलों को, 4 सितारा होटलों को, 3 सितारा होटलों को । इससे यह साबित होता है कि पिछली सरकार ने बड़े घरानों को बढ़ाने की ज्यादा कोशिश की बनिस्बत पर्यटन को बढ़ाने के । अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनका प्रयास है कि हर स्तर पर अनुदान दिया जाय जो उनके विचाराधीन है यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी । मैं इसके लिये उनको बधाई देना चाहता हूं . जो अभी माननीय मंत्री जी ने कहा उनकी निगाह गांवों की तरफ जा रही है जहां प्रदेश की 85 प्रतिशत जनता रहती है यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । इससे लगता है कि गांव के निवासी हैं जो नेचर के साथ जुड़े हुए हैं जिनके अन्दर पोटेंशियल ज्यादा है उनको सामने लाया जायेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैंने बीच में खड़े होकर माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था । मान्यवर पर्यटन की दृष्टि से कहीं कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । आज जो ताजमहल है, आगरा जो है वह मान्यवर प्रदेश का नहीं पूरे भारतवर्ष का खण्ड है । जितने भी विदेशी पर्यटक इस देश में आते हैं करीब-करीब सभी यात्री यह उत्कंठा लेकर आते हैं कि वह आगरा जरूर देखें और इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है । अगर आप पर्यटन स्थल का विकास करना चाहते हैं तो आगरा का समुचित ध्यान रखें । यदि आपने आगरे का विकास कर दिया तो समझ लीजिये दूसरे पर्यटन स्थल के विकास करने की आवश्यकता नहीं है अकेला आगरा ही इतनी आय दे सकता है । जो आपने पुस्तिका दी है, मुझे दुख है उसमें आपने आगरा को तीसवें या चालीसवें नम्बर पर रखी है । मुझे दुख इस बात का भी है क्योकि आगरा से दो मंत्री हैं ।

माननीय सत्य प्रकाश विकल भी मौजूद हैं । बड़ी ही दयनीय स्थिति है आगरा की । माननीय प्रमोद तिवारी जी चले गये इनके जमाने में एक कांफ्रेंस हाल बनाने की बात चली थी । इसी में चार छोटे हाल बनाने की बात थी और यदि यह हाल बन जायेगा तो दिल्ली का यात्री आगरा में केन्द्रित हो जायेगा । इसमें विदेशी नागरिक आयेंगे, बैठकें होंगी और इससे प्रदेश की आय भी बढ़ेंगी । आज तक यह कांफ्रेंस हाल अधूरा पड़ा हुआ है, उसका उद्घाटन हो चुका है लेकिन आज के बजट में कोई इसके लिये प्राविधान नहीं किया गया है ।

दूसरी बात यह है कि आज दिल्ली के पांच सितारा होटल वाले और टैक्सी वाले यह नहीं चाहते हैं कि आगरा में सिविल एयरपोर्ट बने क्योंकि अगर यह बन जाता है तो जितने भी यात्री दिल्ली जाने वाले होंगे वह दिल्ली न जाकर यहां पर ही केन्द्रित हो जायेंगे । मैं माननीय नारायण दत्त तिवारी जी का आभारी हूं कि उनके मुख्य मंत्रित्व काल में पूरी योजना तैयार कर ली गयी थी लेकिन आपने उसे आते ही धूल धूसरित कर दिया । तीसरा यह है कि जमुना नदी के किनारे में ताजमहल से लेकर एतमादुल्ला राम बाग का पूरा का पूरा स्थल पर्यटन स्थल बन सकता है उन सबका विकास करके, उनका जीर्णोद्धार करके वहां पर पार्क विकसित कर दिये जायें तो यह आकर्षण का केन्द्र बन सकता है । इसी तरह से मान्यवर, कैलाश और उसके आसपास का जो क्षेत्र हैं वहां छोटे-छोटे कुटीर टाइप मकान बना दिये जायें और उनको आधुनिक सुविधायें दी जायें और पर्यटकों को पुरानी भारतीय प्राचीन पद्धति का परिचय कराया जाये इससे विदेशी पर्यटक आकर्षित होंगे और वह वहां पर आयेंगे । एक बात और कहना चाहता हूं कि आगरा में क्षेत्रीय पर्यटन का कार्यालय है उस पर्यटन कार्यालय को लिया गया था उसमें 72 लाख रुपया खर्च कर दिया गया पूरा का पूरा पैसा एक व्यक्ति खा गया, छावनी बोर्ड में यह कार्यालय स्थित है तो उसको भी देख लिया जाये । इसी तरह से एक बात और कहना चाहता हूं कि आगरा में जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वह है पानी की समस्या । विदेशी पर्यटक वहां पर आते हैं लेकिन वहां पर पानी का समुचित प्रबन्ध नहीं है । आप क्या उनसे यह उम्मीद करते हैं कि वह बोतल लटका कर चलें, तो आगरा में समुचित पीने योग्य पानी की सुविधा प्रदान की जाये । आगरा के अन्दर पर्यटन के लिये आवास परिषद् या विकास परिषद् है ...वह प्रस्ताव यहां आये हुए हैं, उस पर क्या हुआ, आपकी क्या विवशता है, जो इसे लागू नहीं कर पा रहे हैं । इस पर जानकारी करा दें । मान्यवर, मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि आगरा पर ही आप पूरा ध्यान केन्द्रित कर हें तो अकेले आगरा से ही उत्तर प्रदेश को काफी आय हो सकती है और पूरे पर्यटन विभाग का काम अकेले आगरा से ही चल सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, बस समाप्त कर रहा हूं । एक बात और कहना चाहता हूं । आगरा में पर्यटक दिन में घूमता है लेकिन रात्रि में उसके मनोरंजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए रात्रि में आप इसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जोड़ दें, तो आगरे से बढ़िया और कोई पर्यटन केन्द्र नहीं हो सकता । मान्यवर, आगरे की अब तक जो उपेक्षा हुई है, वह अत्यन्त दुख का विषय है मेरा आपसे निवेदन है कि आप आगरे को टूरिस्ट विकास के लिए प्राथमिकता ....

श्री भारत सिंह रावत–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा, उसे उन्होंने स्वयं बताया कि पर्यटन का महत्व सबसे ज्यादा पर्वतीय क्षेत्रों में है। दूसरे स्थानों के लिए नहीं है। मान्यवर, प्राकृतिक सम्पदा, प्राकृतिक सौन्दर्य जो पर्वतीय क्षेत्र में है, वह अन्यत्र नहीं है। पर्वतों में झरने के रूप में, नदियों के रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में और वनों में पाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के जन्तुओं में है, इस सब प्रकार से पर्यटन का पर्वतीय क्षेत्र में बहुत महत्व है। पर्यटन क्षेत्र में जो प्राकृतिक सौन्दर्य का महत्व है, उसके बारे में कालिदास ने अभिज्ञान शाकुन्तलम में तथा मेघदूत में चर्चा की है, वह आज भी उसी तरह विद्यमान है उसके सौन्दर्य में आज भी कोई कमी नहीं हुई है। अभिज्ञान शाकुन्तलम में जो दुष्यंत और शकुन्तला का प्रकरण है, इसी प्रकार भरत, जहां कर्ण आश्रम में पैदा हुए, जिसके नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, जहां 10 हजार विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी, अभी मंत्री जी स्वयं वहां गये थे, उन्होंने स्वयं इन स्थानों का अवलोकन किया है, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं कि इनका पर्यटन स्थल तो घोषित कर दिया गया; लेकिन विकास की चर्चा बिल्कुल नहीं की गयी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन स्थानों को विकसित करने की कृपा करें।

मान्यवर, पर्यटक जो हमारे देश में आते हैं, उनके देखने के लिए और भी स्थान हैं, जैसे नंदा देवी पार्क है, जहां सफेद भालू होते हैं, कस्तूरी मृग होते है, सफेद बाघ होते हैं। इसी तरह कार्बेट नेशनल पार्क है, जहां विश्व प्रसिद्ध टाइगर होते हैं, हाथी आदि होते हैं, लेकिन उसके मार्ग को कम कर दिया गया है। मैं चाहूंगा कि उसके मार्ग को बढ़ाया जाय ताकि पर्यटक आराम से उसका पूरा आनन्द ले सके। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि जिन पर्यटन स्थलों का विकास अब तक हुआ है, वह सब अंग्रेजों के जमाने के हैं, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि नये सिरे से सर्वे कराया जाय और नये-नये पर्यटन क्षेत्रों का चयन किया जाय। एक अन्तिम बात और कहना चाहता हूं कि आपने जो पर्यटन ग्रिड की कल्पना की है, उसके सन्दर्भ में कहना चाहता हूं कि पर्यटन ग्रिड के रूप में हरिद्वार, चिला, करुणा आश्रम, सिद्धबली कोटद्वार, भरत नगर, दुगड्डा, लैंसडाउन, तारकेश्वर, कांडा, नैनीडांडा, धूमाकोट, गुजलूगडी, कार्बेट नेशनल पार्क को लेते हुए योजना बनाई जाय। अन्त में मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जय प्रकाश निषाद–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी द्वारा और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पर्यटन को व्यवसाय/उद्योग के रूप में बढाने के लिए जो बजट रखा गया है, वह बहुत ही सराहनीय है। उत्तर प्रदेश पूर्वाचल में देवरिया जनपद है। जो देवों का क्षेत्र है। देवरिया के पश्चिमांचल में विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर टाउन एरिया (नगर रुद्रपुर के उत्तर सेट) रुद्रपुर-गोरखपुर मार्ग के पश्चिमी साइड में एक दुग्धेश्वरनाथ का हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। यह एक ऐतिहासिक मंदिर है। जहां वर्ष भर मेले लगते रहते हैं। यहां पर पच्चासों देवी देवताओं के कई मंदिर हैं। चीनी यात्री ह्वेनशांग सन् 640 ई० की यात्रा में इसका उल्लेख मिलता है। भगवान बुद्ध यहां ठहरे थे। इस प्राचीन मंदिर के सामने एक गिरिजा सरोवर है। जिसका सार्वजनिक सहयोग द्वारा निर्माण हो रहा है। इस मंदिर के अगल-बगल में पश्चिमी साइड पर 100 एकड़ के लगभग के एरिया में एक मीताटीला है जहां एक पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा रहता था। जो सहनकोट के नाम से प्रसिद्ध है। जिसमें तमाम मंदिर हैं तथा खुदाई से व तमाम मूर्तियां मिलती हैं एवं

उसके अन्दर 500 कुएं भी हैं । वहां पर पुरातत्व विभाग का एक रक्षक भी रहता था । परन्तु वहां से पुरातत्व का रक्षक हटा दिया गया है, जिससे वहां पर लोगों द्वारा अवैध तरीके से खुदाई शुरू हो गयी है और अवैध कब्जा भी शुरू हो गया है । इसलिए मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि वहां पर रक्षक तथा बोर्ड के साथ व्यवस्था की जाये । देवरिया जनपद में एक स्टेडियम है । पिछली सरकार ने उस मैदान के सौन्दर्यीकरण के लिए पूर्व मुख्य मंत्री मुलायम सिंह अपनी सद्भावना रैली में एक लाख रुपये देने की घोषणा की थी, परन्तु एक पैसा भी नहीं दिया गया है । इसलिए मेरा निवेदन है कि कुछ पैसा उसके सौन्दर्यीकरण तथा खेल सामग्री के लिए दिया जाये । रुद्रपुर में व्यायामशाला भी खोली जाय । दुग्धेश्वरनाथ जी का जो मंदिर हैं, उसे पर्यटक स्थल का दर्जा दिया जाय । पर्वत सूची में रखवाकर उसका सुन्दरीकरण कराया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री राम किशन ददाजू–

माननीय उपाध्यक्ष जी आपने जो माननीय पर्यटन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 12 करोड़ 10 लाख 7 हजार की मांग प्रस्तुत की है उसके समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूं । पर्यटन में मान्यवर, हमारे जिले का बहुत बड़ा महत्व है, हमारा जिला चूड़ी उद्योग में विश्व में विख्यात है यहां के अलावा चूड़ी कहीं और नहीं बनती हैं इसलिए चूड़ी का पर्यटन के विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। फिरोजाबाद में जैन मंदिर भी पर्यटन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है । मैं मांग करता हूं कि हमारे यहां एक हवाई अड्डा बना दिया जाय तो हजारों की संख्या में लोग वहां आयेंगे । हमारे यहां जो जैन मंदिर है यहां पर भगवानं जैन की जन्मस्थली है अगर इसका विकास किया जाय और हवाई अड्डा दे दिया जाय तो हजारों की संख्या में लोग यहां आयेंगे । यह एक रमणीय स्थल है इसलिए मेरी मांग है कि फिरोजाबाद को पर्यटन के नक्से में रख लें । इन शब्दों के साथ में मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

ठाकुर वीरेन्द्र सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी में आपका आभारी हूं आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया । मान्यवर, ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय पर्यटन मंत्री जी सहारनपुर जनपद से कुछ खाया हैं, नाराज हैं, अगर नाराज नहीं होते तो इस पूरी पुस्तिका में कहीं पर पर्यटन के विकास के लिए सहारनपुर का नाम होता । उसके किसी गांव या शहर का नाम होता । इसके चारों तरफ के जो जिले हैं चाहे मुजफ्फरनगर हों, चाहे हरिद्वार हों, चाहे देहरादून हो सबके लिए पर्यटन की कोई न कोई योजना है लेकिन सहारनपुर पर निगाह बिल्कुल नहीं गयी है । मैं निवेदन करूंगा जनपद सहारनपुर की गरिमा को देखते हुए वहां के वुड रविंग को देखते हुए जो वहां का सबसे महत्वपूर्ण और देश में ख्याति प्राप्त उद्योग हैं पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है । वहां देवबंद जैसा कस्बा है जिसका पूरी दुनिया में नाम है, वहां मुसलमानों का विश्वविद्यालय दारुलउलूम है जहां पर हजारों की संख्या में लोग प्रतिवर्ष आते हैं वहां के लिए पर्यटन की कोई योजना होना बहुत जरूरी है । पर्यटन विभाग का उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण है तो राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से भी इस कस्बे का बहुत महत्व है तो इसके लिए कोई योजना होनी चाहिए ।

इसके अलावा खेलकूद का बजट भी प्रस्तुत किया गया है । सहारनपुर में एक स्टेडियम पिछले दो तीन साल पहले बना था उसको अगर आप देखें तो वह स्टेडियम कम और पशुओं को बांधने का तबेला ज्यादा नजर आता है । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इस स्टेडियम का विकास किया जाय और वहां बच्चों को खेलकूद की सुविधा प्रदान की जाय । देववन्द में भी स्टेडियम बनाया जाय तो बहुत अच्छा होगा । हर दृष्टि से बहुत आवश्यक भी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

ठाकुर वीरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, सहारनपुर में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है लेकिन सरकार की सही खेल नीति न होने के कारण प्रतिभा सामने नहीं आ रही है जो भी खिलाड़ी बनते हैं वह अपने बलबूते पर बनते हैं साधनों के अभाव में वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं वे बगैर प्रशिक्षण के अपने आप आगे बढ़ने का काम करते हैं ....मान्यवर, उन प्रतिभाओं को चयनित करने और प्रशिक्षित करने की कोई योजना सरकार के पास नहीं है । आपको धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण बजट पर हमें बोलने का मौका दिया ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, आपने मुझे खेलकूद, सांस्कृतिक कार्य और पर्यटन के बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और वहां पर की एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया है । मैं उस ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । हमारे उत्तरांचल में वन अधिनियम के कारण सड़कों पर रोक लगी हुई है । इसलिए इस संबंध में सुझाव देना चाहता हूं कि वहां पर रज्जू मार्ग की व्यवस्था कर दी जाय । हमारे यहां विकास खण्ड जखौली, टेहरी गढ़वाल में एक बदाणीताल प्रसिद्ध तालाब है जो प्राकृतिक छटा से भरपूर है इसका नाम बधानी तालाब है यहां पर यदि पर्यटक स्थल बनाया जाय तो इस तालाब का महत्व बढ़ेगा और सैलानी लोग इसको देखने आया करेंगे । इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में अन्य स्थान भी हैं, जैसे पूंजापूरी, चन्द्रवदनी, मठियान खाल चिरवटिया, सिद्धसौढ़, हुलाषखाल यहां पर यदि पर्यटक स्थल बना दिये जायें तो इन धार्मिक स्थलों पर काफी संख्या में पर्यटक और तीर्थ यात्री आने लगेंगे । वहां पर प्रति वर्ष सैलानी लोग जाते हैं और इन स्थानों की प्राकृतिक छटा देखते हैं जब लोग शहरी वातावरण से परेशान हो जाते हैं तो उत्तरांचल में जहां कल-कल और छल-छल करती हुई नदियां बहती हैं व हां पर जाकर अपनी थकान और परेशानी दूर करते हैं इस स्थान का पर्यटक दृष्टि से पूरा उपयोग किया जाना चाहिए । मंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में क्रीड़ा स्थल बनाने की बात कही है और उसके लिए प्राविधान किये हैं वह उनका स्वागत योग्य कदम है । मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री रामचन्द्र चौधरी–

माननीय उपाध्यक्ष जी आपने खेल बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं उसका और मंत्री जी का स्वागत करता हूं । इस बजट में तमाम प्राविधान किये गये हैं उससे तीर्थ स्थलों और पर्यटक स्थलों तथा खेल में हर प्रकार से विकास होगा और ग्रामीण प्रतिभायें उभर कर देश के स्तर पर सामने आयेंगी । आज तक जो किसी सरकार ने नहीं सोंचा था उस पर अपनी सरकार ने ध्यान दिया है । हमारे कादीपुर विधान सभा क्षेत्र में तीन पर्यटन स्थल घोषित किये गये हैं । एक तो विदेशवा महाबीरन है जहां पर महाबीर जी का बहुत बड़ा प्राचीन और प्रसिद्ध मेला लगता है यह हर शनिवार और मंगलवार के दिन लगता है । यह इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस लौट रहे थे तो वहीं पर कालनेमि नामक राक्षस ने उनको छलने का प्रयास किया था किन्तु हनुमान जी ने उसका संहार कर दिया था । उसके लिए पिछली सरकार ने कुछ धन दिया था, लेकिन उस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई । मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वहां पर काफी धन से कार्यवाही शुरू की जाय । वहां का दूसरा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भोपाज है जहां पर

की मान्यता है कि भगवान राम जब रावण का वध करके लंका से वापस आ रहे थे तो उसी स्थान पर भगवान राम ने स्नान किया था । इस तीर्थ स्थान पर पूर्व के तमाम लोग स्नान करने जाते हैं इसलिए उसका पूर्नउद्धार किया जाय । खेल का भी जीवन में बड़ा महत्व होता है .....(व्यवधान) ।

श्री रमेश पोखरियाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट के समर्थन में बोलने का समय दिया और मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अच्छा बजट पेश किया है । उत्तरांचल को प्राकृतिक सौन्दर्य विरासत में मिला है और वहां अनेक ऐसे स्थान हैं जो पर्यटन दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है बल्कि मैं तो कहना चाहता हूं कि यहां एक नहीं अनेक स्वीटजरलैण्ड समहित हैं लेकिन दुर्भाग्य से उनका विकास नहीं हुआ है । फूलों की घाटी जो दुनिया में विख्यात है उसकें रखरखाव और संरक्षण के लिए क्या किया गया है, इसके संबंध में मुझे कुछ नहीं पता है । जबकि उसका अस्तित्व खतरे में आ गया है लगातार फूलों की कमी होती जा रही है इस ओर किसी का ध्यान नहीं है जो विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है । इसी तरह अनेक घाटियों का विकास नहीं किया गया है । उत्तरांचल क्षेत्र में यातायात का कोई साधन नहीं है जिसके कारण चाहते हुए भी पर्यटक नहीं आ पा रहे हैं । इससे पहले 1911 में एक सर्वे रेलवे लाइन का गढ़वाल में किया गया था जो ऋषिकेष से कर्णप्रयाग तक का था और तकनीकी दृष्टि से होने के बावजूद भी उस निर्माण की कोई योजना नहीं बनायी गयी । पर्वतीय क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए ऋण उपादान योजना की खाना पूर्ति है । 4-5 करोड़ रुपये जो सुविधा शुल्क के रूप में विभाग में आते हैं उतरांचल में दिये जायं यह मेरी मांग है इसका एक कोष बनाया जाय जिससे वहां के पर्यटन स्थलों का विकास किया जा सके । पर्यटकों के स्वर्ग नन्दा देवी सैन्चुरी को खोला जाय, उससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, चिन्ता यह भी करनी होगी कि पर्यटन विकास हमारी संस्कृति को विकृत न करे ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हो गया है आप बैठ जायं ।

मेजर जे० पी० सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का समय दिया । मुरादाबाद पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है चूंकि यहां से होकर नैनीताल और अन्य पर्यटक स्थलों के लिए रास्ता है । मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है । यहां से विदेशों को पीतल का सामान एक्सपोर्ट होता है । मान्यवर, यहां मानसरोवर झील बनायी गयी थी लेकिन कांग्रेस ने उसे पटवा दिया । इसलिए मेरी मांग है कि इस झील का विकास किया जाय और इसे पर्यटन केन्द्र बनाया जाये । मेरी यह भी मांग है कि मुरादाबाद में छोटे-छोटे यात्री होटलों को विकसित किया गाये । मेरा एक यह भी सुझाव है कि मेरे क्षेत्र में गुमसानी गांव है जहां से श्रोत नदी निकलती है और उसी के पास शिव का मंदिर है जहां शिवरात्रि के दिन 3-4 लाख लोग दर्शन करने आते हैं । मेरी मांग है कि इसे पर्यटन केन्द्र बनाया जाये ।

श्री रामदेव आचार्य–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट के समर्थन में बालने का समय दिया । मान्यवर, उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि पिछली सरकारों द्वारा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पर्यटन केन्द्रों का विकास करना चाहिए उस तरह का विकास नहीं किया और न देश के तथा न विदेशियों को आकर्षित करने का कोई काम किया लेकिन मंत्री जी ने प्राकृतिक धरोहर की ओर उसके संरक्षण की बात कही है

और उसके साथ ही यह भी कहा है कि छात्रों को इस क्षेत्र में शोध करने में अनुदान दिया जायेगा। इस तरह की नीति अपने पर्यटत विभाग की मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है जिससे पर्यटन केन्द्रों में आस्था जगी है और अब सभी पर्यटन केन्द्रों का विकास होगा और पर्यटन क्षेत्र में नई सोच पैदा होगी। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक केन्द्र है जो भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक है गोमती नदी के तट पर कामाक्षा देवी का मंदिर है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि शुक्रवार और सोमवार को यहां पर मेला लगता है। इसका पर्यटन विकास किया जाय जैसा कि वहां जनता की मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र पटियाली के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पटियाली एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहां भारत के ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व के माने-जाने वाले कवि अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। मुझे बड़ा दुख है कि आज तक किसी सरकार ने इसके विकास की बात नहीं की न सोची। दूसरा मान्यवर, यह राजा द्रोपद की राजधानी थी। द्रोपदी यहीं पैदा हुई थी। यहीं यज्ञ हुआ था। अभी भी किले के अवशेष वहां बाकी हैं। मैं चाहता हूं कि इसका परीक्षण करवाया जाय। सर्वे कराया जाय। पुराने ऐतिहासिक चीजों के आधार पर इसका पर्यटक विकास किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री किशोरी श्याम जी, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें। आप ही आखिरी व्यक्ति हैं।

(श्री शिवलाल मित्तल के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, आपका नाम भी लिख लिया है। इनके बाद आप बोल लें।

श्री किशोरी श्याम–

मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं बस नाम बता दूं आपको। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान ब्रज क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं। ब्रज में सबसे बड़ी सांस्कृतिक कला है, उसका यहां जिक्र नहीं किया गया है। छाता, करहना, खायरा, रोठौरा, गिडोह, वृन्दावन मथुरा वल्देव, नंदगांव, बरसाना, गोकुल महावन, रेमणा रेली, गिरिराम सानणंगा बरसाना में खीनीखर, पीली पोखर डीरा में डहोर में बन चिन्ता हरण दौलोखर ब्रजबारी दीपनी नन्दगांव में पावन कृष्ण कुन्ज चौमुआ में ब्रह्मा जी का तालाब, कोसी में रत्नासागर, भरनाखुर्द में सूरजकुन्ड, कामर में दुर्वासा करहना में रास मण्डल, महावन जिसावा में राधा लतापता कोकिला बन में शनिदेव की भव्यता तालाब कम आदि। हर शनिवार के शनिदेव का मेला लगता है। माननीय मंत्री जी शनिदेव की कृपा इतनी है कि अगर उनसे कहा जाय कि विपक्ष पर कैसा रौंद दें तो वह तुरन्त रौंद देंगे। हमारा ब्रज मल्ल अखाड़े का क्षेत्र है। इस ओर सरकार प्रोत्साहन दे। इनकी दशा को सुधारे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इन क्षेत्रों के लिये विचार करेंगे कि इनका विकास किया जाय और इनका सुन्दरीकरण हो सके।

श्री शिवलाल मित्तल–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ उसी से सटे हुए क्षेत्र से मैं आया हूं । कपिलवस्तु जिसे कहा जाता है वह हमारे ही जनपद में है । इसका नाम सिद्धार्थनगर रख दिया गया है । 45 वर्षों के बाद में भी आज तक भगवान बुद्ध के जन्मस्थली पर कोई कार्य नहीं हुआ है । वहां कोई होटल आदि नहीं बनाया गया है, न ही इसका पर्यटक विकास हुआ है । नौगढ़ स्टेशन है, उसका नाम भी भगवान बुद्ध के नाम पर होना चाहिये । नौगढ़ तहसील आदि जो भी है सबका नाम सिद्धार्थनगर होना चाहिये सिद्धार्थनगर जनपद में भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगायी जाय तथा इसे आदर्शनगर बनाया जाय । शेहरतगढ़ में स्टेडियम के लिये जमीन पर्याप्त है । युवा कल्याण हेतु इसे भी बनाया जाये । पल्टा देवी का स्थान पाण्डवों के जमाने का है । जहां प्राचीन मूर्तियां भी हैं । जिसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाय । मान्यवर, पल्टा देवी वहां एक स्थान है पांडु के जमाने की मूर्तियां हैं तो वहां का विकास होना चाहिये । जनपद में बुद्ध भगवान की प्रतिमा लगनी चाहिये ।

श्री अखिलेश–

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बनी से निर्वाण स्थली कुशीनगर नानेहाल देवदह वर्तमान में बनरसिंहा जनपद महराजगंज कपिलवस्तु को बौद्ध तीर्थ के रूप में विकसित करने का वायदा करें और सन्त कबीर जिनकी वर्तमान में आवश्यकता है जिनकी निर्वाण स्थली मगहर जीर्ण-शीर्ण पड़ी है उसको बनवाने, महाराजा नहुष की कोटि को विकसित करने का आप वायदा करें तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लूंगा वरना मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । खेल विभाग के बारे में दो घोषणायें कर दें जो हमारे राष्ट्रीय स्तर और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पुराने खिलाड़ी हैं उनको एक हजार रुपये, डेढ़ हजार रुपये और दो हजार रुपये अनुदान देने का वायदा कर लें तथा लक्ष्मण पुरस्कार में 1500 रुपये का पुरस्कार देने का वायदा कर लें तो मैं कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने को तैयार हूं वरना मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । इसी तरह से मान्यवर, सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत हमने देवदह, अदरौना जैसे महत्वपूर्ण स्थलों के संबंध में माननीय मंत्री जी को अवगत कराया है हमारी सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा करने का वादा श्रावस्ती से कुशीनगर तक बौद्धकालीन साहित्य की अवधारणा पर अवशेष धरोहरों सभ्यताओं के संजाने की आवश्यकता है इसके विकास का वायदा आप कर लें तो मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले सकता हूं वरना मैं इस पर बल देता हूं ।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किया । मान्यवर, संक्षिप्त में बोलने के आदर्श होने की वजह से मैं कुछ बिन्दुओं पर बोल नहीं सका । मैं तो यह समझता हूं कि पर्यटन जो है बहुत ही तकनीकी विषय है इसे ठीक से समझने के लिये चिन्तन की आवश्यकता है । इस भूमि के कण-कण में देवी देवताओं का वास है । कहते हैं यहां पर्यटन स्थल बने वहां पर्यटन स्थल बने लेकिन बजट की मूल बात संभवतः रह गयी । हर जिले में एक पर्यटन केन्द्र खोलने की योजना है । हर जिले में एक स्थान चाहे वह स्थान धार्मिक दृष्टिकोण से या अन्य कारणों से पर्यटन केन्द्र को बनाया जायेगा । चाहे ललितपुर हो चाहे सहारनपुर हो, चाहे और जिले हों हम आने वाले दिनों में हर जिले में एक पर्यटन केन्द्र बनायेंगे । यह इस बजट की खूबी है इसका स्पष्टीकरण दिया है । बौद्ध धर्म पर बहुत बातें हुईं । भगवान बुद्ध से संबंधित स्थान उत्तर प्रदेश में

कपिलवस्तु सारनाथ कुशीनगर श्रावस्ती इन सभी स्थानों को एक सर्किट में लेने के लिये जैसा मैंने पूर्व में कहा कि एक केन्द्र बिन्दु होना आवश्यक है, प्रयास किया जा रहा है कि वाराणसी जो सारनाथ से 12 कि० मी० की दूरी पर है को इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में यह डेवलप किया जाय ताकि बौद्ध पर्यटकों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो और दूसरे मुल्कों से वह आसानी से आ-जा सकें। इस विषय पर काफी विचार केन्द्र सरकार से हुआ है और केन्द्र सरकार का रुख नरम पाया गया है। यह माइल स्टोन है टूरिज्म के विकास के लिये। माननीय सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण बातें कहीं हैं उनके बारे में विचार किया जायगा। होटल गोमती की बात कही गयी। जो भी बात थी वह पिछले सरकार के शासनकाल की बात थी। जिनका नाम उन्होंने लिया, जिन महिला का नाम लिया गया उनका परिचय उनसे ज्यादा हो सकता है मैं तो पहली बार उनका नाम सुन रहा हूं। मान्यवर,पिछली सरकार की जो भी बातें हैं, जो भी इनकी करामातें हैं उनको साफ करने का जिम्मा हमने लिया है। जो भी धब्बे पिछली सरकार के कारनामों से पड़े हैं उनको हम अवश्य दूर करेंगे। माननीय सदस्य ने 12 हों महीने पर्यटकों के आने-जाने की बात कही है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन माननीय सदस्य शायद भूल गये हैं, इस बात को स्वयं मैंने उठाया था। मैंने मौसमी व्यवसाय कहा था शायद माननीय सदस्य मौसमी व्यवसाय को मौसमी फल का व्यवसाय समझ बैठे हैं। मैं आभारी हूं उन सभी सदस्यों का जिन्होंने इस संबंध में मुझे सुझाव दिये हैं। लोक संस्कृति और लक्ष्मण पुरस्कार के संबंध में विचार किया जा रहा है। पिछली सरकार ने लक्ष्मण पुरस्कार को पूरी तरह से बन्द कर दिया था और हमने इसको फिर से चालू करने की योजना बनायी है। इसमें पहले डेढ़ सौ रुपये की धनराशि दी जाती थी। हमने अभी इसमें धन की बात नहीं कही है, यह अभी रहस्य रहेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लक्ष्मण पुरस्कार के अन्तर्गत उचित सम्मान दिया जायगा और सम्मान जनक ग्रांट, अनुदान दिया जायेगा।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं सिर्फ एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने लक्ष्मण पुरस्कार की बात कही। मैंने एक बात उठायी थी कि हमारे प्रदेश से अच्छी खेल प्रतिभाओं का पलायन दूसरे प्रदेशों को हो रहा है। केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में जो 1 लाख रुपया दिया जाता है क्या वैसी व्यवस्था करेंगे। मैंने नाम लिया था रनवीर, साहिद अली का नाम लिया था। क्या इन लोगों को प्रोत्साहित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी बात आ गयी, आप कृपया बैठें।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, प्रदेश से प्रतिभाओं का पलायन बहुत गम्भीर समस्या है। हमने एक बात अवश्य की कि प्रतिभा उत्तर प्रदेश से बाहर कौन-कौन सी गयीं और किन प्रतिभाओं का पलायन हुआ और किन कारणों से हुआ, इसके आंकड़े एकत्र कर रहे हैं, जब पूरी सूची मिल जायगी कि पिछले 10 सालों में कितनी प्रतिभाओं का पलायन उत्तर प्रदेश से हुआ, तो उसकी समुचित व्यवस्था करने की योजना बना रहे हैं। मान्यवर, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठा पर्यटन विकास कोष का। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश के होटलों से जो सुख साधन कर एकत्रित हो रहा है, हर वर्ष, इस वर्ष किसी सदस्य महोदय ने कहा कि एक करोड़ के आस पास का है, यह तीन माह का है, तीन-चार करोड़ हर वर्ष सुख साधन कर के रूप में आ जाता है, तो माननीय सदस्य का जो सुझाव है कि सुख साधन कर को मिला कर एक ऐसी पूंजी बनाई जाय जिससे पर्यटन के विकास के लिये लोगों को सबसिडी, लोन देने की व्यवस्था बनाई

जाय । इस विषय पर हम स्वयं विचार कर रहे हैं । इसकी रूपरेखा तैयार करेगे और आशा है कि बहुत अच्छी योजना बन कर रहेगी ।

मान्यवर, इस क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय राणा जी ने उठाया आगरा का । आगरा पूरे प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है । आगरा के विकास में कोई शक नहीं है कि विकास होना चाहिये और आवासीय सुविधा बढ़ाई जानी चाहिये और कन्वेन्शन सेन्टर होना चाहिये । पिछले 3-4 साल से जो योजना रुकी थमी पड़ी थी, बिल्कुल खराब हो गयी थी, उसको पिछले 9 महीनों में कार्यान्वित कर दिया है और बहुत ही शीघ्र उस कन्वेन्शन हाल का कान्सट्रक्शन का काम शुरू हो जायेगा । मान्यवर, एक बात और उभर कर उठी ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, कन्वेन्शन हाल के निर्माण की बात कही मैं जानना चाहता हूं कि उसका निर्माण कब करा देंगे और सुन रहे हैं कि जे० पी० गुप्ता ग्रुप से उसका निर्माण करायेंगे, क्या सही है ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, एक बात इस परिप्रेक्ष्य में कहूंगा कि पूरे मुल्क में, प्रदेश में एक बात सत्य है कि प्राइवेट सेक्टर अभी तक पब्लिक सेक्टर से ज्यादा प्रभावी है । मैं यह कहने में नहीं हिचकूंगा वह ज्यादा क्षमता वाला है । वह वास्तव में कन्वेन्शन हाल को कमर्शियल वेंचर के तरह से चला सके तो प्राइवेट सेक्टर को देना ठीक है । लेकिन उसको देने में पर्यटन निगम का जो इन्ट्रेस्ट है, उसको दबाया नहीं जायगा । उसको जे० पी० ग्रुप को दिया जा चुका है । इसमें बहुत अच्छी दरों और शर्तो पर टेण्डर किये गये, बहुत सारी पार्टियां आयीं और उनके टेण्डर का कम्पेरेटिव स्टेटमेंट किया गया और सबसे अच्छी शर्तों, जो शासन के दृष्टिकोण से थीं, उन पर जे० पी० ग्रुप को दे दिया गया । मान्यवर, एक चीज और उभर कर आई जो मैं माननीय सदन के संज्ञान में लाना आवश्यक समझता हूं, वह यह है कि कई वर्षो के बाद मुझे लगता है कि इस माननीय सदन में पर्यटन व्यवसाय को वह स्थान मिला जो इसे मिलना चाहिये था । इतने वर्षों की तपस्या के बाद पर्यटन व्यवसाय को वह स्थान मिला है । इतने वर्षों तक आंख बन्द करके पर्यटक व्यवसाय की तरफ सोचा भी नहीं गया, इसे नेग्लेक्ट किया गया, इसी कारण से यह पर्यटन व्यवसाय सबसे नीचे की सीढ़ी पर है । माननीय सदस्य इससे पहले कभी पर्यटन पर बोले तक नहीं थे, लेकिन आज सभी माननीय सदस्य कुछ न कुछ बोलना चाहते हैं, बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, यह प्रवृत्ति उभर कर आ गयी है, इसकी हमें खुशी है । मान्यवर, विपक्ष की बहुत सकारात्मक भूमिका होती है, प्रजातंत्र में विपक्ष एक किस्म का सहयोग चक्र शासन के लिये होता है । यहां पर ब्रिटेन के पार्लियामेंट का एक उदाहरण दूंगा । प्राइम मिनिस्टर डिजोली ने कहा-दि कालोनीज राउण्ड दि वर्ल्ड हैव वीकम माइल स्टोन माई नेक" तो लीडर आफ दि अपोजीशन ने कहा–आई एम हियर टु लिफ्ट दि माइल स्टोन फ्राम योर नेक । उन्होंने कहा कि मेरे गले में माइल स्टोन बन गयी । उन्होंने कहा कि मेरे गले में फांसी बन गयी । मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आज भी विपक्ष उसी दृष्टि से देखे । सारे विपक्ष को भगवान सदबुद्धि दे । इस राष्ट्र को उठाने के लिये विपक्ष को सही भूमिका अदा करना चाहिये । विपक्ष डिमाक्रेसी में, प्रजातंत्र में सबसे बड़ी खूबी है, उसकी एक अहमियत होती है । विपक्ष सही भूमिका अदा करे, इसी में उसकी तारीफ की जा सकती है । सत्ता पक्ष वालों से सहयोग लेने की बात हमेशा आती है । इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप सब विपक्ष में बैठे हुए भाइयों से निवेदन करता हूं कि पर्यटन की जो यह नयी नीति दी गयी है, उसको आप स्वीकार करें । मैं कटौती के प्रस्तावक माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें, मैं प्रसन्न हूंगा, हसूंगा नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय अखिलेश जी, आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अखिलेश–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने गोमती होटल की बात कही है कि गोमती होटल में व्याप्त भ्रष्टाचार, दुराचार पिछली सरकार के समय का है । इस संदर्भ में मा० मंत्री जी 26 अक्टूबर, 1991 के प्रतिदिन दैनिक समाचार में प्रकाशित समाचार का अवलोकन करने का कष्ट करें तो उन्हें पता चल जायेगा कि उनके कार्यकाल में भी गोमती होटल अपनी करतूतों को दुहराने का कार्य कर रहा है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय अखिलेश जी, यह तर्क तो आपने पहले रख दिये हैं । आप यह बतायें कि क्या आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अखिलेश–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है और कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22 खेल विभाग अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22-खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,88,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,41,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 92–सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 92-सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,79,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

बढ़ती हुई मंहगाई इत्यादि से प्रदेश के बुनकरों में उत्पन्न भुखमरी विषयक नियम 52 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 13 को माननीय सदस्यों के अनुरोध पर स्थगित किया गया ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 20-4-1992 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें पहली सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की जनपद टिहरी गढ़वाल में अर्द्धनिर्मित जलौली–भीरी मोटर मार्ग को पूरा कराये जाने के संबंध में है जो वक्तव्य के लिये स्वीकार की गयी है । दूसरी सूचना श्री पवन कुमार पाण्डेय की फैजाबाद व समीपवर्ती जनपदों के शैक्षिक भविष्य हेतु अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद को आवासीय विश्वविद्यालय बनाये जाने के संबंध में है यह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत हुई । तीसरी सूचना श्री स्वामी नाथ यादव की प्रदेश में विद्युत विभाग के अन्तर्गत मस्टर रोल पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है यह शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिये स्वीकृत हुई । चौथी सूचना श्री हरेन्द्र सिंह मलिक की जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा गाजियाबाद में बढ़ती अपराधिक घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है यह शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिये स्वीकृति हुई । पांचवीं सूचना श्री हृदय नारायण दीक्षित की जनपद बाराबंकी के थाना हैदरगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पोखरा स्थित रामलीला मैदान की भूमि पर अवैध कब्जेदारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । यह शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिये स्वीकृत हुई । छठी सूचना श्री कुंवर अखिलेश की संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में निदेशक द्वारा कथित रूप से मनमानी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में । सातवीं सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह की जनपद गाजीपुर के थाना कादिराबाद व कासिमाबाद के अन्तर्गत क्रमशः ग्राम महुवारी नकडू सधाकराना ग्रामों में हुई डकैती की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में तथा आठवीं सूचना श्री विजय सिंह राणा की आगरा नगर पालिका क्षेत्र में शहर के मध्य आवंटित आवासीय भू-खण्डों पर अवैध निर्माण करने तथा जूता फैक्ट्री स्थापित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है यह तीनों अग्राह्य की गयी है ।

जनपद गाजीपुर के थाना मरदह की चौकी मटेहू में छात्र श्री प्रमोद कुमार की हत्या विषयक नियम 51के अन्तर्गत केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 15 माननीय सदस्यों के अनुरोध पर स्थगित किया जाता है ।

जनपद गाजीपुर के थाना करीमुद्दीनपुर की पुलिस चौकी असावर (दुविटा) में श्रीमती जानकी देवी के साथ कथित बलात्कार विषयक केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 16 माननीय सदस्य के अनुरोध पर स्थगित किया जाता है ।

जनपद मेरठ बरनावा क्षेत्र में जल स्तर अत्यन्त नीचे चले जाने के संबंध में चर्चा का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 17 माननीय सदस्य के अनुरोध पर स्थगित किया जाता है ।

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन रात्रि 10 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ
20 अप्रैल, 1992

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 26 पर)

वर्ष 1990-91 में निगमों में लाभ/हानि की स्थिति

क्र० सं०	निगम	लाभ हानि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
1	उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि०	6313.00	हानि
2	उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०	5408.61	,,
3	उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम	4041.78	,,
4	उ० प्र० जल निगम	3350.00	,,
5	उ० प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि०	2472.25	,,
6	उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	328.14	,,
7	यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल का० लि०	276.63	,,
8	उ० प्र०-राज्य सेतु निगम लि०	169.00	,,
9	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिंग कम्पनी	146.33	,,
10	उ० प्र० स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लि०	95.06	,,
11	उ० प्र० राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम	58.19	,,
12	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि०	55.46	,,
13	उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	48.11	,,
14	कुमाऊं मण्डल विकास निगम लि०	29.00	,,
15	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लि०	19.09	,,
16	उ० प्र० राज्य भण्डारागार निगम लि०	18.37	,,
17	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लि०	15.17	,,
18	उ० प्र० पशुधन उद्योग निगम लि०	13.95	,,
19	वाराणसी मण्डल विकास निगम लि०	9.60	,,
20	उ० प्र० पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम लि०	8.53	,,
21	मेरठ मण्डल विकास निगम लि०	8.43	,,
22	आगरा मण्डल विकास निगम लि०	7.89	,,
23	उ० प्र० (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	6.05	,,

क्र० सं०	निगम	लाभ हानि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
24	उ० प्र० महिला कल्याण निगम लि०	5.28	हानि
25	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लि०	4.55	,,
26	उ० प्र० भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लि०	0.83	,,
27	यू० पी० हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि०	0.32	,,
28	उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्	4335.00	लाभ
29	उ० प्र० वन निगम	2484.88	,,
30	उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम लि०	552.37	,,
31	उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०	193.00	,,
32	उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०	151.32	,,
33	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू० पी० लि० (पिकप)	143.50	,,
34	अनुसूचित जाति, जन जाति एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लि०	138.95	,,
35	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि०	101.36	,,
36	उ० प्र० भूमि सुधार निगम लि०	86.83	,,
37	उ० प्र० वित्तीय निगम	81.62	,,
38	उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०	47.78	,,
39	उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्	35.68	,,
40	उ० प्र० नलकूप निगम लि०	25.00	,,
41	उ० प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि०	20.55	,,
42	उ० प्र० लघु उद्योग निगम लि०	16.68	,,
43	उ० प्र० पुलिस आवास निगम लि०	16.40	,,
44	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लि०	13.21	,,
45	उ० प्र० बुन्देलखण्ड विकास निगम लि०	5.71	,,
46	उ० प्र० मत्स्य विकास निगम लि०	4.97	,,

क्र० सं०	निगम	लाभ हानि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
47	उ० प्र० अल्प संख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि०	4.00	लाभ
48	यू० पी० पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेशिलिटीज लि०	3.50	,,
49	उ० प्र० (रुहेलखण्ड-तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लि०	2.98	,,
50	उ० प्र० राज्य निर्यात निगम लि०	2.83	,,
51	उ० प्र० पूर्वान्चल विकास निगम लि०	2.61	,,
52	उ० प्र० पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लि०	2.29	,,
53	यू० पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि०	2.24	,,
54	उ० प्र० (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम	1.85	,,
55	उ० प्र० राज्य हथकरघा निगम लि०	1.77	,,
56	उ० प्र० वक्फ विकास निगम लि०	0.47	,,
57	उ० प्र० (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम	0.28	,,
58	उ० प्र० डेवलेपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लि०	0.15	,,
59	उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम लि०	409.71	,,

*(ग्रामीण विद्युतीकरण अनुदान राशि रु० 650.04 करोड़ आय में सम्मिलित करने पर)

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे 27 पर)

संलग्नक

जिला योजना हेतु जनपदवार परिव्यय

(हजार रुपये में)

जनपद	कुल परिव्यय
आगरा	134708
अलीगढ़	157571
एटा	123340
मैनपुरी	76914
मथुरा	102693
फिरोजाबाद	83168
आगरा मण्डल	678334
झांसी	87294
ललितपुर	79861
हमीरपुर	193084
बांदा	159866
जालौन	148290
झांसी मण्डल	668395
लखनऊ	121181
रायबरेली	140382
हरदोई	173814
उन्नाव	134989
सीतापुर	173265
खीरी	159864
लखनऊ मण्डल	903495
बरेली	146282
बदायूं	149175
पीलीभीत	80438
शाहजहांपुर	126528
बरेली मण्डल	502423

जनपद	कुल परिव्यय
मेरठ	150024
गाजियाबाद	114479
बुलन्दशहर	141894
सहारनपुर	109486
मुजफ्फरनगर	132882
हरिद्वार	60498
मेरठ मण्डल	709263
मुरादाबाद	195894
रामपुर	79885
बिजनौर	117182
मुरादाबाद मण्डल	392961
वाराणसी	249669
गाजीपुर	149683
बलिया	158358
जौनपुर	199056
मिर्जापुर	123387
सोनभद्र	93236
वाराणसी मण्डल	973389
गोरखपुर	173244
महराजगंज	106780
बस्ती	195987
सिद्धार्थनगर	136591
देवरिया	269474
आजमगढ़	182830
मऊ	81469
गोरखपुर मण्डल	1146375
इलाहाबाद	249280
फतेहपुर	110926
प्रतापगढ़	158982
इलाहाबाद मण्डल	519188

जनपद	कुल परिव्यय
कानपुर नगर	102382
कानपुर देहात	202339
फर्रुखाबाद	137938
इटावा	131253
कानपुर मण्डल	573912
फैजाबाद	166630
सुल्तानपुर	217462
गोण्डा	212573
बाराबंकी	152509
बहराइच	183091
फैजाबाद मण्डल	932265
योग, मैदानी क्षेत्र	8000000
नैनीताल	317100
अल्मोड़ा	274300
पिथौरागढ़	241600
कुमायूं मण्डल	833000
देहरादून	223100
पौड़ी गढ़वाल	284700
टिहरी गढ़वाल	228500
चमोली	196700
उत्तर काशी	159000
गढ़वाल मण्डल	1092000
योग, उत्तरांचल क्षेत्र	1925000

नत्थी 'ग'

(देखिये अ० प्र० सं०–98 का उत्तर पीछे पृष्ठ 63 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 92 के 8वें सोमवार के लिये निर्धारित श्री बिन्दु लाल द्वारा पूछे गये विधान सभा प्रश्न संख्या–98 में पूछे गये पाठशाला भवनों का विवरण–

क्र०सं०	अधूरे पाठशाला भवन का नाम	गांव सभा
1	कन्या खदगोरा	खदगोरा
2	ठकुरापुर	ठकुरापुर
3	मिश्रोलिया गोपालपुर	मिश्रोलिया गोपालपुर
4	बेलहसा	बेलहसा
5	भटुआशंकर नगर	भटुआशंकर नगर
6	रमनगरा	रमनगरा
7	कठौवा	कठौवा
8	चौकाकला	चौकाकला
9	सकरी	सकरी
10	उदईपुर कन्या	उदईपुर
11	उदईपुर	उदईपुर
12	मटियारिया	मटियारिया
13	बरगदही	बरगदही
14	लेबुड़वा	लेबुड़वा
15	लालपुर लेबुड्डी	लालपुर लेबुड्डी
16	मूड़ाडीह	मूड़ाडीह
17	बेलभरिया कन्या	बेलभरिया
18	बेलभरिया	बेलभरिया
19	हिन्दूनगर	हिन्दूनगर
20	धरमपुर	धरमपुर
21	बनगवां पूरे भदेया	बनगांव पूरे भदेया
22	सिंगाही	सिंगाही
23	रोवारी	रोवारी
24	मोहनजोत	मोहनजोत
25	रुस्तम नगर	रुस्तम नगर

क्रसं०	अधूरे पाठशाला भवन का नाम	गांव सभा
26	लालनगर विदां	लालनगर विदां
27	बौड़िहार	बौड़िहार
28	पड़हरी पाण्डेय	पड़हरी पाण्डेय
29	रायपुर बहुवन	रायपुर बहुवन
30	अचलनगर	अचलनगर
31	तुकांडीह	तुकांडीह
32	अमहवा	अमहवा
33	बस्तीखास	बस्तीखास
34	कूकनगर ग्रन्ट	कूकनगर ग्रन्ट
35	बक्सरिया ग्रन्ट	बक्सरिया ग्रन्ट
36	बढ़या	बढ़या
37	अगया बुजुर्ग	अगया बुजुर्ग
38	तखरवा	तखरवा
39	शिवदयालपुर	शिवदयालपुर
40	सोनबरसा	सोनबरसा
41	खरचरी	खरचरी
42	फतेहपुर कोटेहना	फतेहपुर कोटेहना
43	मोहन टेपरा	मोहन टेपरा
44	बन्जरिया	बन्जरिया
45	बेलई बुजुर्ग	बेलई बुजुर्ग
46	इस्माइलपुर	इस्माइलपुर
47	देवरदापूरे चिरई	देवरदापुरे चिरई
48	पूरे संगम सिंह	पूरे संगम सिंह
49	अलीपुर भिटोरा	अलीपुर भिटोरा
50	पूरे बोधी	पूरे बोधी
51	मथुरा	मथुरा
52	बभनपुरवा	बभनपुरवा
53	भलेखा	भलेखा
54	केशवनगर ग्रन्ट	केशवनगर ग्रन्ट
55	नौडिहवा	नौडिहवा

क्र०सं०	अधूरे पाठशाला भवन का नाम	गांव सभा
56	भगहर बुलन्द	भगहर बुलन्द
57	पूरे डाल	पूरे डाल
58	धोबिनपुरवा	धोबिनपुरवा
59	पूरे बेसन	पूरे बेसन
60	पूरे गढ़ी	पूरे गढ़ी
61	पूरे लीला	पूरे लीला
	जूनियर हाई स्कूल	
1	पड़री शंकर	पड़री शंकर
2	मझारा	मझारा
3	बनकसिया शिवरतन सिंह	बनकसिया शिवरतन सिंह
4	भैरमपुर	भैरमपुर

सत्यमेव जयते

अनुबंध 'ब'

(देखिये अ० प्र० सं० 151 का उत्तर पीछे 87 पर)

वर्ष 1990-91 एवं 91-92 में देवरिया जिलान्तर्गत दस लाख कूप योजना में स्वीकृत, प्रारम्भ एवं अनारम्भ कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है

क्र० सं०	विकास खण्ड	स्वीकृत योजनाएं (सं०)					योजनाओं की संख्या जिन पर कार्य प्रारम्भ हुआ					योजनाओं की संख्या जिन पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।				
		ड्रेन/पु०	कुआं	पोखरा	समतलीकरण मेड/ए०	सिंचाई गूल किमी	ड्रेन/पु०	कुआं	पोखरा	समतलीकरण मेड/ए०	सिंचाई गूल कि० मी०	ड्रेन/पु०	कुआं	पोखरा	समतलीकरण मेड/ए०	सिंचाई गूल कि०मी०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	देवरिया	5/19	3	3	--	--	5/19	3	3	--	--	--	--	--	--	--
2	रुद्रपुर	3.51	1	--	28.24	--	3.51	1	--	28.24	--	--	--	--	--	--
3	पथरदेवा	20.90/9	31	--	--	--	20.90/9	31	--	--	--	--	--	--	--	--
4	गौरीबा	13.8/9	--	2	--	--	13.8/9	--	2	--	--	--	--	--	--	--
5	बेतालपुर	0.50/3	14	--	--	3.60	0.50/3	14	--	--	3.60	--	--	--	--	--
6	रामपुरका०	-/10	2	--	12.00	--	-/10	2	--	12.00	--	--	--	--	--	--
7	देसही दे०	-/2	39	--	--	--	-/2	39	--	--	--	--	--	--	--	--
8	हाटा	9.50/6	3	--	29.80	--	9.50/6	3	--	29.80	--	--	--	--	--	--
9	सुकरौली	16.50/-	9	5	3	--	16.50/-	9	5	3.11	--	--	--	--	--	--
10	कप्तानगंज	18.76/1	--	1	1.40	2.16	18.76/1	--	1	1.40	2.16	--	--	--	--	--
11	खड्डा	6.43/1	--	--	--	--	6.43/1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	ने० नौ०	11.0/1	2	3	--	--	1.0/1	2	3	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	रामकोला	18.0/-	7	--	--	--	18.0/-	7	--	--	--	--	--	--	--	--
14	मोतीचक	13.70/3	4	--	--	3.30	13.70/3	4	--	--	3.30	--	--	--	--	--
15	पडरौना	21.0/3	--	--	61.43	0.50	21.0/3	--	--	61.43	0.50	--	--	--	--	--
16	विशुनपुरा	24.5/4	--	--	--	--	34.5/4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17	दुधई	30.68/-	--	--	--	--	30.68/-	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18	सेवरही	1.55/1	--	--	--	--	1.55/1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19	तमकुही	2.50/-	--	--	425.99	--	2.50/-	--	--	125.9	--	--	--	--	--	--
20	फाजिलनगर	6.10/2	52	--	--	--	6.10/2	52	--	--	--	--	--	--	--	--
21	कसया	2.0/-	4	--	--	--	2.0/-	4	--	--	--	--	--	--	--	--
22	सलेमपुर	8.50/2	--	--	--	--	8.50/2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23	लार	26.10/-	--	--	--	--	26.10/-	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24	भाटपार रानी	29.80/7	--	--	--	0.60	29.80/7	--	--	--	0.60	--	--	--	--	--
25	भागलपुर	20.0/11	--	--	--	1.35	20.0/11	--	--	--	1.35	--	--	--	--	--
26	वनकटा	5.50/1	--	--	--	1.50	5.50/1	--	--	--	1.50	--	--	--	--	--
27	भटनी	5.40/37	7	--	--	-	5.40/37	7	--	--	-	--	--	--	--	--
28	भतुअनी	--	--	--	--	0.20	--	--	--	--	0.20	--	--	--	--	--
29	वरहज		8	4	--	4.0	--	8	4	--	4.0	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							91-92									
			बंधा					बंधा						बंधा		
1	देवरिया	1	--	1	--	--	1.0/-	--	1	--	--	--	--	--	--	--
2	रुद्रपुर	--	6.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-अनारम्भ		--	--
3	पथरदेवा	0/2	--	--	--	--	0/2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	गौरीबाजार	3.0/2	--	3	--	--	3.0	--	--	--	--	2पु०	---	--	--	--
5	बैतालपुर	0/1	--	1	---	4.50	0/1	--	1	--	4.50	--	--	--	--	--
6	रामपुर कारखाना—	0/1	--	--	--	--	0/1	--	--	--	--	--	--	-	--	--
7	देसही देवरिया-	6.00/1	--	--	--	--	6.00/1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	हाटा-	2.00/1	--	--	--	--	2.00/1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	सुकरा-ली	4.50/4	--	4	1.65	-	4.50/4	--	4	1.65	-	--	--	--	--	--
10	कप्तानगंज	5.90/-	6.90	1	--	0.90	5.90/-	6.90	1	--	0.90	--	--	--	--	--
11	हड्डा	1.00/-	--	--	--	--	1.00/-	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	ने० नौरंगिया	2.00/-	--	--	--	--	2.00/-	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13	रामकोला	13.00/-	--	--	--	--	13.00/-	--	--	--	--	--	--	--	--	--

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	मोतीचक	2.00/-	--	--	--	4.50	2.00/-	--	--	--	4.50	--	--	--	--	--
15	पडरौना	5.00/-	--	3	--	--	5.00/-	--	3	--	--	--	--	--	--	--
16	विशुनपुरा	10.00/6	--	--	--	--	10.00/6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17	दुद्धी	5.00/4	--	--	--	--	5.00/4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18	सेवरहीं	8.60/-	--	--	5.00	1.50	8.60/-	--	--	5.00	1.50	--	--	--	--	--
19	तमकुही	0.80/2	--	--	--	--	0.80/2	--	--	-	--	--	--	--	--	--
20	फार्जिलनगर	-	--	--	--	--	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21	कसया	9.75/2	--	--	--	--	7.75/2	--	--	--	--	2.00	--	--	--	--
22	सलेमपुर	23.50/-	--	--	--	--	23.50/-	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23	लारे	13.50/8	--	--	--	--	9.50/8	--	--	--	--	4.00	--	--	--	--
24	भाटपाररानी	6.12/3	--	--	--	--	3.00/2	--	--	--	--	3.12	1	--	--	--
25	भागलपुर	6.00/-	--	--	--	4.60	6.00/-	--	--	--	4.00	--	--	--	--	--
26	बनकटा	8.20/22	--	--	--	--	8.20/22	--	--	--	--	--	--	--	--	--
27	भटनी	5.00/-	2.00	--	--	2.00/-	--	--	--	--	--	3.00	--	--	--	--
28	भतुअनी	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
29	बरहज	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अ० प्र० सं० 154 का उत्तर पीछे पृष्ठ 89 पर)

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित कार्यकारी उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के पत्र दिनांक 27-12-91 में उल्लिखित मामलों का विवरण

(क) पिछले 14 सालों से संस्थान की बैलेंस शीट का न बनना ।

(ख) हिसाब किताब में गड़बड़ी ।

(ग) बिना टेण्डर के कागज का आर्डर किया जाना ।

(घ) कार्यकारी उपाध्यक्ष द्वारा पत्रावलियां मांगने पर न दिखाया जाना ।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित कार्यकारी उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के पत्र दिनांक 17-1-92 में उल्लिखित मामलों का विवरण

(क) संस्थान के स्टाक का सत्यापन न किया जाना ।

(ख आडिट आपत्तियों का निस्तारण न किया जाना ।

(ग) शासन द्वारा बिना उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये संस्थान को अनुदान दिया जाना ।

(घ) यात्रा व्यय का भुगतान बिना प्रयोजन दिखाये तथा अधिकारी की स्वीकृति के बिना किया जाना ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अ० प्र० सं० 193 का उत्तर पीछे पृष्ठ 105 पर)

विकास खण्ड झांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के प्राइमरी पाठशाला डैरया ननकार में प्रयुक्त सामानों का विवरण

(1) ईंट	10000	श्री नरेन्द्र कुमार, कदमहवा, पो० बांसी	8000.00
,,	4000	,, ,, ,,	5200.00
ईंट टुकड़ा दो ट्राली		,, ,, ,,	
ईंट	10000	,, ,, ,,	8500.00
,,	6000	,, ,, ,,	5100.00
ईंट ढुलाई		श्री किशुन, हाटा खास	500.00
,,		,, सुकदेव,-आदिलापुर	200.00
	30000	एवं दो ट्राली टुकड़ा	27500.00
(2) सीमेण्ट	50 बोरी	प्रशान्त सीमेन्ट, बांसी	4825.00
,,	50 बोरी	,, ,, ,,	4825.00
,,	25 बोरी	राजपाली, बांसी	2875.00
,,	25 बोरी	,, ,, ,,	2875.00
,,	40 बोरी	,, ,, ,,	4680.00
लोडिंग अनलोडिंग ढुलाई		हसनरजा, बांसी	300.00
,,		किशुन, हाटा खास	100.00
	190 बोरी		20480.00
(3) बालू	दो ट्रक	हसनरजा, बांसी	2800.00
,,	एक ट्रक	गोप्तार, बहबोल	1400.00
,,	दो ट्रक	अशोक कुमार, पटखौली	2800.00
,,	एक ट्राली	शुकदेव, तिवारीपुर	700.00
	5 ट्रक एक ट्राली		7700.00

(4) सरिया	5 कुन्तल	प्रभावती एण्ड सन्स, बांसी	5850.00
,,	5-25 कु०	,, ,, ,,	6142.00
	10-25 कुन्तल		11992.00
(5) चूना रंग बनकस		मे० रबी चूना भण्डार, बांसी	535.00
(6) पत्थर की गिट्टी		मे० प्रकाश बिल्डिंग, बांसी	1650.00
(7) दरवाजा जंगला		मे० हसन बिल्डिंग, बांसी	2675.00
(8) डी० पी० सी० पाउडर		महर अपठनीय, बांसी	54.00
(9) रस्सी 2 कि० ग्रा०		मे० रामअजोर, बांसी	32.00
		कुल योग ..	72618.00

पी०एस०यू०पी०-एल०-193 एल० ए० (306)-1993-(572) ।